खण्ड-430, अंक-6
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1921
(23 मार्च, 1999 ई0)

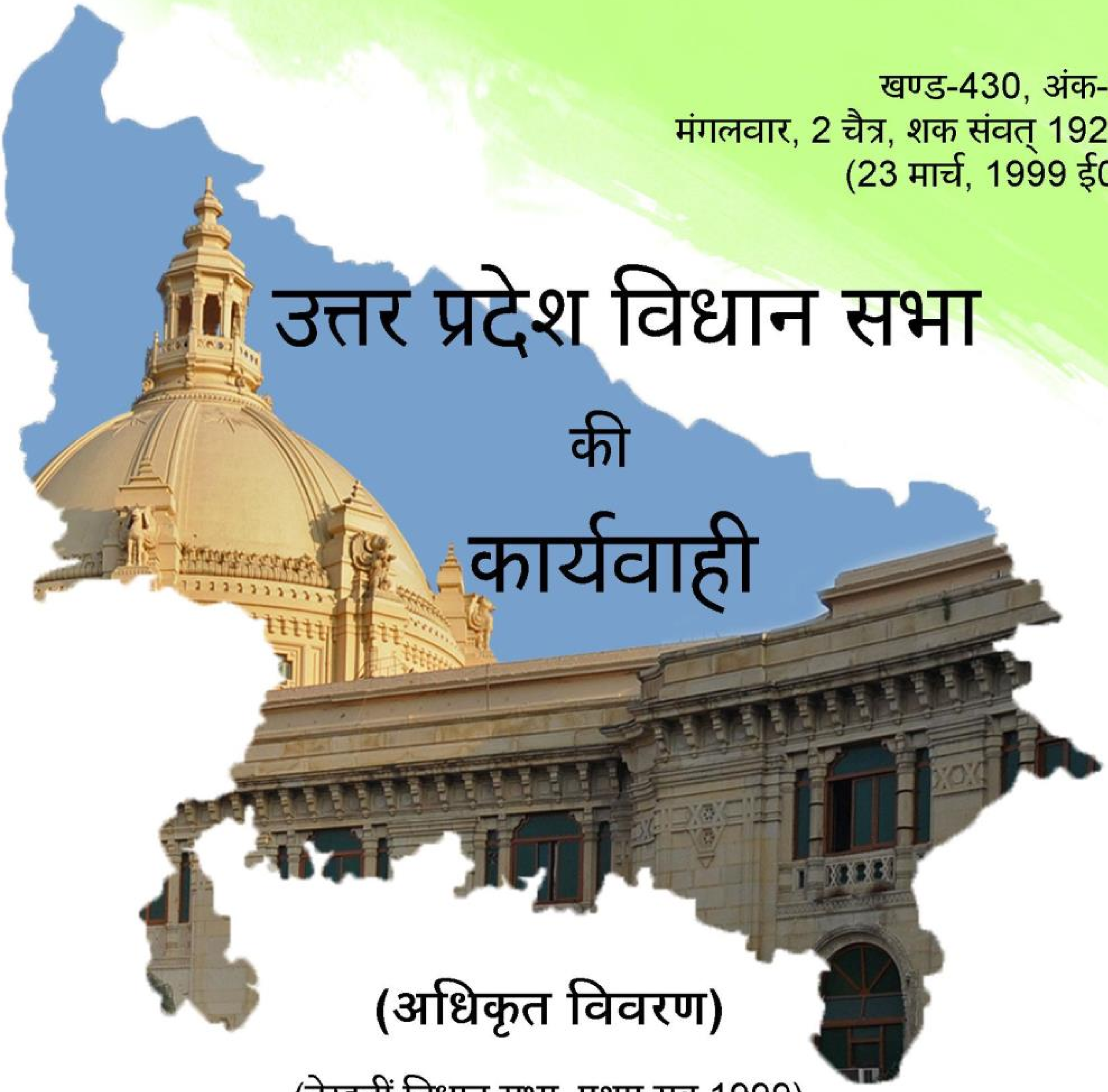

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
–नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास ...	1
–प्रश्नोत्तर	1-97
–कार्य-सूची में नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या–2 के निरस्त होने विषयक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष द्वारा आश्वासन	97
–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	98
–मेरठ महानगर में नियमानुसार सर्किल रेट पर बैनामा होने के बावजूद कम रेट पर रजिस्ट्री आधार बनाकर जनता का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
–जनपद–सोनभद्र व चन्दौली में मौरंग के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98
–जनपद–सीतापुर के जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों को फफूंदी लगी दवाओं के वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
–जनपद–फैजाबाद के ग्राम बधौड़ा के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का बैनामा कराने एवं उसे गायब कर दिये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
–जनपद–जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत पराडगंज बाजार स्थित थौर ग्राम में 33 के०वी० का विद्युत सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
–जनपद–आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ककुवा नाले पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
–जनपद–(भदोही) संत रविदास नगर के मुख्यालय में राज्य परिवहन निगम द्वारा सिटी बस सेवा अनुपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
–विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पाण्डुलिपि रूप में प्रस्तुत करने व मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	101
–एक दिन के उपवेशन में पांच विधेयकों को मात्र 17 मिनट में विचार कर पारित कर दिये जाने संबंधी औचित्य के प्रश्न को श्री अध्यक्ष द्वारा नियम समिति को निर्दिष्ट किया जाना	102
–प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर न देने तथा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	103-104

अविकल पूर्वावलोकन

विषय	पृष्ठ-संख्या
–भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	105
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	105
–प्रमोद कुमार द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	105
–उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	105
–नियम–300 के अन्तर्गत अस्वीकृत सूचनाओं के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था	106-115
–जनपद–इलाहाबाद के इलाहाबाद–वाराणसी मार्ग पर जघई और दुर्गागंज के मध्य वरुणा नदी पर बने पुल का पथकर समाप्त किये जाने के संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद संत रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	116
–जनपद–सन्त रविदास नगर (भदोही) में भदोही–दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी) ...	116
–जनपद–सन्त रविदास नगर (भदोही) के नगर पालिका परिषद भदोही के अन्दर जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग पर रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु (ओवर ब्रिज) का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम जतन मौर्य तथा अन्य निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	116
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	116-120
–बकरीद मनाने वाले धर्मावलम्बियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों में परिवर्तन किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ...	120
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 ... (पुरःस्थापित)	121
–श्री राम नक्षत्र सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना सदन में न दिये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना	121
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पुरःस्थापित)	122
–कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	122-145

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
--उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 पर अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 ..... (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	145-158
--वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की माग पर चर्चा, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी)	159-178
–आरोप-प्रत्यारोप में सदन का समय नष्ट किये जाने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न ...	179-184
–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी)	184-196
–श्री रामनक्षत्र, सदस्य, विधान सभा की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी और ससम्मान रिहाई की सूचना	196
–नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	197-198
–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत खारी नदी पर मोरी चकोरा चैक डैम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	199-200
–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के निर्णयों को लागू किये जाने तथा एक अरब रु० की विकास निधि स्थापित किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	200
–विकास खण्ड–मसौधा, जनपद फैजाबाद में असेंचित विकास खण्ड में निजी प्रबन्धतंत्र के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदपुर, हरबंश की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	201-203
–आयुर्वेद/यूनानी विभाग में "विशेष भर्ती" अभियान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चिकित्साधिकारियों के बैकलॉग को पूर्ण करने हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन को रद्द करने के मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-5-98 के विरुद्ध शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील न किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	203-206

विषय	पृष्ठ संख्या
-जनपद–उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिरी तथा भादिन विकास खण्ड असोहां के मध्य स्थित झील के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि में जल भराव रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	206
–मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में से किसी भी जिले में विश्वविद्यालय स्थापित न होने विषयक दिनांक 16 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 नत्थी (ख) के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	207
–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के संबंध में विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (ख) के संबंध में श्री राम औतार शाक्य, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	207
–नत्थियां	208-212

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 23 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
5–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
6–अमर मणि, श्री — महराजगंज
7–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
8–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
9–ओंकार सिंह, श्री — एटा
10–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
11–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
12–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
13–के०सी० सिंह "बाबा", श्री — ऊधमसिंह नगर
14–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
15–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
16–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
17–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
18–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
19–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
20–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
21–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
22–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
23–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
24 बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
25–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
26–मुख्तार अन्सारी, श्री — मऊ
27–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
28–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
29–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
30–राज राय सिंह, श्रीमती — पीलीभीत
31–राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
32–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
33–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
34–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
35–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
36–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
37–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
38–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
39–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
40–विशम्भर सिंह, श्री — मथुरा
41–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
42–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
43–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।)

नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम–311 में दी है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 की आज कोई सूचना नहीं लेंगे । इसलिए कि आज गृह विभाग का और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट है । बहुत सी ऐसी घटनायें या बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनके बारे में नियम–311 और 56 में सूचनायें दी गयी हैं, उनका उल्लेख बजट में आ सकता है इसलिए नियम–311 की आज कोई सूचना नहीं लेंगे । नियम–56 में एक सूचना थी वह आ गयी है । गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट बहुत लम्बा है और उसका बहुत विस्तार है । मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को इस बजट पर कहने का अवसर मिले । इसलिए आप सभी लोग मेरा सहयोग करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

तमाम जगह पर आग लग रही है और दमकल नहीं पहुंच रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करता हूं कि माननीय सदस्यों को अवसर दे दूं, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण बजट है और सारी बातों को माननीय सदस्य बजट में कह सकते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरी एक सूचना नियम–56 में भी थी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में आपकी सूचना आ गयी है आप सहयोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा । मैं उसको देख लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बी० एड० तथा एल० टी० प्रशिक्षित व्यक्तियों की शिक्षक पद पर चयन प्रक्रिया

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के लिये बी० एड० तथा एल० टी० प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक माह में पूरा करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह चयन कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

प्रश्नगत भर्ती करने का निर्णय लिया गया है लेकिन एक माह की समय सीमा निर्धारित नहीं थी ।

बी० एड०, एल० टी०, सी०पी०एड०, डी० पी० एड० एवं बी० पी० एड० प्रशिक्षित व्यक्तियों में से मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा । शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि अभी तक चयन की एक प्रक्रिया बनी हुई थी, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और भाई-भतीजावाद फैला हुआ था और बिचौलियों की अहम भूमिका होती थी, उसको समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह ऐतिहासिक है और सरकार बधाई की पात्र है...

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनकी संख्या क्या है और कितने लोग चयनित किये जाने हैं ? यदि इसमें किसी भी प्रकार की देरी होती है तो शंकायें जन्म लेने लगती है ? मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि परिणाम कब तक आ जायेंगे ?

* श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इस प्रक्रिया में लिये जाने वाले अध्यापकों की संख्या 27 हजार है जिसमें कि पहली सूची 32 सौ की जारी कर दी गई है । इसमें कोई त्रुटि न रह जाये इसलिए हमने एक लाख 97 हजार प्राप्त समस्त फार्मों की चेकिंग की व्यवस्था की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 27 हजार लोगों की भर्ती होनी है । यह सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में हजारों की संख्या में अध्यापकों की कमी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे अनेकों परिक्षार्थी जिनके फार्म खो गये हैं, अनेकों शिकायतें हमारे पास आई हैं, जो मेरिट पर अच्छे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, अध्यापकों की नियुक्ति की देरी को देखते हुए जो कम्प्यूटर से सूची जारी की गई थी उसको परीक्षण के लिए भेज दिया है । मान्यवर, एक लाख सत्तानवे हजार फार्मों की चेकिंग में चूंकि समय लगने वाला था इसलिए यह कह दिया गया कि अगर इस गुणांक से ऊपर उनका फार्म होगा तो उनका परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा ? यह आधार प्रदेश स्तर पर बनाया गया है या मण्डल स्तर पर बनाया गया है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरिट प्रदेश स्तर पर बनाई गई है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह जो चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 3200 फस्ट डिवीजनर मेरिट में नहीं है जबकि सेकेन्ड डिवीजनर की सूची जारी कर दी गई है। 3200 लड़कों का नाम सूची में नहीं है जबकि वह फस्ट डिवीजनर हैं। इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है और इसी घपले के चलते वहां के डाइरेक्टर को हटा दिया गया लेकिन फिर से उन्हें उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्यों नहीं वे पूरी सूची शिक्षा विभाग से बनवाते हैं जिससे कि उन बेरोजगारों को न्याय मिल सके ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कोई घपला नहीं हुआ है। यह डाइरेक्टर की जिम्मेदारी थी कि वह सूची को सही बनाये और इसीलिए वह डाइरेक्टर जांच करने के लिए मेनुअल चेकिंग के समय वहां पर उपस्थित रहे। अब यह तो प्रशासन का निर्णय है कि वह जब जिसे चाहे हटाये जिसे चाहे रखे। मान्यवर, यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्देश है और हमारा संकल्प कि इसमें कोई त्रुटि न होने पाये। हम 27 हजार अध्यापकों की नियुक्ति गुणांक के आधार पर करने जा रहे हैं। मान्यवर, जो नाम कम्प्यूटर द्वारा ऊपर से प्राप्त हुए हैं उन्हीं में से हमने 3200 की सूची जारी की है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि जो 3200 लोग फर्स्ट डिवीजनर हैं, मंत्री जी ने कहा है कि आप लिखकर दे दें, मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी ने तो पहले ही उत्तर दे दिया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरे पास तो 3200 की कोई सूची नहीं है और न मेरे पास ऐसी कोई सूचना है।

श्री राजा राम पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बी०एड० और एल० टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की जो मेरिट बनी है, तो उसमें जिन अधिकारियों को लगाया गया है, उन्होंने इसमें पेंसिल का प्रयोग किया है ताकि बाद में उनके द्वारा मेरिट लिस्ट में हेराफेरी की जा सके। मेरिट जो बनायी गयी है उसमें पेंसिल का प्रयोग किया गया है, पेन का प्रयोग नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी आशंका है कि इससे हेराफेरी होगी।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरिट तो कम्प्यूटर द्वारा तैयार करायी गयी है जिससे गलती कम होने पाये। पहले 1 लाख 97 हजार की रेन्डम चेकिंग करेंगे।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, यदि कोई अनियमितता हुई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो बी०एस०ए० के ऊपर कार्यवाही की जायेगी ? इसमें जनपद प्रतापगढ़ में मेरिट लिस्ट में 58 परसेन्ट को रख लिया गया है, जबकि 61, 62, 63, और 64 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को छोड़ दिया गया है इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, यदि गड़बड़ी हुई है तो माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

यदि 58 प्रतिशत वाले को मेरिट में लिया गया है तो दिखवा लेंगे ।

श्री स्वामी ओइमदेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सलेक्शन हुआ है, उनमें कितने फर्स्ट डिवीजनर थे जो सलेक्ट हुए ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत व्यापक हो जायेगा । यह तो मूल प्रश्न से भी हटकर है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इतनी देरी करने, उदासीनता बरतने में माननीय मंत्री जी की विवशता क्या रही है ? आपने जो इन्टरव्यू काल किया, इसकी वजह से जो विलम्ब हुआ और कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी अध्यापक नहीं हैं और कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें दो अध्यापक हैं ? ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी देरी की ।

तो ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं हैं वह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, 27 हजार पद रिक्त हैं । इनको भरने के लिये जब बी० टी० सी० नहीं मिले तो बी० एड० में से रखने का निश्चय किया गया है । यह इसलिये किया जा रहा है ताकि बच्चों के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जा सके ।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए अधिक मात्रा में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराये जाने की मांग

**2–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ता गल्ला दिये जाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो प्रत्येक परिवार के लिये इसकी मात्रा क्या है ? क्या इस मात्रा को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

ऐसे प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल) रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

चूंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को दिये जा रहे खाद्यान्न की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है अतः खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि करना भारत सरकार द्वारा ही संभव है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, एक-परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं और खाद्यान्न की सप्लाई आप 3 किलो चावल और 7 किलो गेहूं की करते हैं । एक आदमी की मजदूरी 48–50 रुपये होती है । वह इस चावल और गेहूं लेने के लिये लाइन में खड़ा नहीं होता है । क्या सरकार रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने वाली खाद्यान्न सामग्री की मात्रा को बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार को लिखेगी तथा जब तक केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धि नहीं की जाती है तब तक क्या प्रदेश सरकार अपने स्तर से रियायती दर पर गेहूं, चावल की मात्रा में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सरकार बराबर प्रयासरत है कि जितनी सम्भव हो मात्रा बढ़ायी जाय । यह लक्ष्य केन्द्र सरकार ने निर्धारित किये हैं और 95 लाख 68 हजार लक्षित परिवार हैं जिनकी गरीबी की रेखा के नीचे मानकर उनको खाद्य सामग्री रियायती दर पर दी जाती है । केन्द्र सरकार अपने स्तर पर सारे प्रदेशों का एक सर्वे करा रही है कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनको सहायता दी जा सकती है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मेरा प्रश्न था कि जब तक केन्द्र सरकार इस मात्रा को नहीं बढ़ाती है तब तक आप इसको बढ़ाने का काम करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जो मात्रा है वह सारी केन्द्र सरकार द्वारा आपूर्ति की जाती है । प्रदेश सरकार के पास गेहूं और चावल की मात्रा उपलब्ध नहीं है । न ही कभी यह कार्यक्रम रहा है । कार्यक्रम यही रहा है कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से लेती है और वितरण का काम हमारी अपनी मशीनरी करती है । जब हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं तो उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल इतने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं और जो राशन उन्हें मुहैया कराया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है । जब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या की जानकारी है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके खाने की व्यवस्था के लिए, राशन की आपूर्ति के लिए अपने यहां क्या व्यवस्था कर रही है, क्या नीति तैयार कर रही है उसके विषय में जानकारी चाहता हूं ?

श्री हुकुम सिंह–

गरीबी की रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, प्रदेश सरकार की मशीनरी के माध्यम से 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, 7 किलो गेहूं और 3 किलो चावल । गेहूं 3 रुपये प्रति किलो और चावल 4 रुपये प्रति किलो के रेट से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपने पहले कहा कि भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार की योजना को बार-बार अपनी योजना बता रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या चिन्ता उनके प्रति है और उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगभग 90 हजार दुकानें ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार ने संचालित की हुई हैं जिनके माध्यम से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जो सामग्री के बारे में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ही सामग्री एकत्र करके एफ० सी० आई० को दी जाती है। अगर यह प्रदेश सरकार न करे तो सम्भवतः एफ० सी० आई० के पास स्टाक नहीं होने वाला था। वितरण के लिए एफ० सी० आई० दोबारा पूरे देश को एक इकाई मानकर कोटा निर्धारित करती है। हम किसानों से गेहूं क्रय कर प्रोक्योर करते हैं, एफ० सी०आई० को उपलब्ध कराते हैं। एफ० सी० आई० से लेकर वितरण कराना यह प्रदेश सरकार का दायित्व है जिसे सरकार बखूबी निभा रही है।

श्री स्वाम प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, [x x x] बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं बार-बार यह पूछ रहा हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है? जो यह कह रहे हैं कि 3 किलो चावल और 7 किलो गेहूं प्रतिमाह दे रहे हैं इससे कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

यह जो खाद्यान्न है यह उनके समर्थन के लिए है। वह सारा का सारा बाजार से महंगे भाव में नहीं क्रय कर पायेंगे। इसलिए हम इतना खाद्यान्न उनको कम दरों पर दे रहे हैं, 3 रुपये किलो गेहूं और 4 रुपये प्रति किलो चावल। बाजार में इसका दुगुना दाम है। अगर इसका अनुमान लगाया जाये तो खाद्यान्न पर प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। आप इसका अनुमान लगायें कि कितना सब्सिडी बढ़ाते जायेंगे। केन्द्र सरकार पुनः सर्वेक्षण करा रही है हमारे प्रदेश व अन्य प्रदेशों का, कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को क्या उपलब्ध करा रहे हैं। पहले से ही 10,000 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यह उनके प्रति उदासीनता बरत रही है और उन्हें भुखमरी के हाल में रखना चाहती है। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम जग–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बताया वह केन्द्र सरकार की योजना है । क्या प्रदेश सरकार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 11, 000 रुपये प्रतिवर्ष है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे अनुपूरक पूछिये ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार का जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का मानक 11,000 रुपये प्रतिवर्ष का है उसी मानक के आधार पर राशन कार्ड बनवाएगी ? दूसरा जो प्रभावशाली दुकानदार हैं वह लोगों के पास गरीबी रेखा से नीचे रहने का राशन कार्ड होने के बावजूद उनको राशन नहीं देते हैं तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

यह सही है कि केन्द्र सरकार का मानक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का 11,000 रुपये प्रतिवर्ष का है और उ० प्र० का मानक 9,000 रुपये प्रतिवर्ष का रखा गया है । केन्द्र सरकार ने अपने मानक के अनुसार परिवारों की संख्या निर्धारित कर दी । अगर हम यह मानक रखेंगे तो फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी । इस कारण जो 10 किलो राशन निर्धारित किया गया है उसमें कमी हो जाएगी । प्रदेश सरकार ने यह प्रयास किया है कि इस संख्या को बढ़ाया जाए । जो बी०पी०एल० परिवार हैं उनके लिए 31 हजार 50 मी० टन चावल और 64,000 मी० टन गेहूं उपलब्ध कराते हैं ।

श्री रामजग–

यह आप बांट नहीं रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

अगर कोई विशेष शिकायत हो तो बता दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि पी०डी०एस० के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 90,000 परिवार हैं उनको 30 हजार मी० टन चावल और गेहूं का प्रबन्ध किया है तमाम जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का खाद्यान्न खुले बाजार में बेचा जा रहा है । इसकी शिकायतें समय-समय पर होती रहती हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यह जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चिन्हित किया गया है इसमें भी तमाम शिकायतें आयी हैं । जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको कार्ड नहीं मिला और जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनको कार्ड मिल गया । इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? तीसरा दो हजार की आबादी पर पी०डी०एस० खोला जाएगा तो इस मानक के अनुरूप कितनी दुकानों को खोले जाने की कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

पूर्व में मैंने बताया कि 90 हजार दुकानें इस काम को कर रही हैं । शिकायत की जो बात हैं शिकायतें आती रहती हैं और कार्यवाही होती रहती है । इस संबंध में 1150 दुकानों को निलम्बित किया गया कुछ बाद में बहाल हुई तो यह सतत् प्रक्रिया है । निश्चित फीगर नहीं रहती है । अगर कहीं यह

शिकायत आए कि गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन को ब्लैक में बेचा जा रहा है तो संबंधित अधिकारी सस्पेंड ही नहीं होगा बल्कि 3/7 का मुदकमा भी कायम होगा और जेल भी जाएगा। हमारा यह प्रयास है कि कोई अधिकारी चोर बाजारी में शामिल न हो।

श्री राम जग–

उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीब हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन कर रहा है।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

उत्तर प्रदेश शासकीय सचिवालय में कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शासन की नीति एवं लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय सचिवालय में कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उक्त नीति को कार्यान्वित करने हेतु लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पदों पर आयोग के माध्यम से ही भर्ती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त प्रयोजन हेतु तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां।

सचिवालय में कार्य गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निर्धारित नीति के अन्तर्गत पदों की अर्हता के अनुरूप शैक्षिक योग्यता तथा भर्ती की प्रक्रिया आदि का प्राविधान सभी संवर्गों की सेवा नियमावलियों में किया गया है। जी हां। लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी पदों पर आयोग के माध्यम से भर्ती करायी जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियां होने पर यथा समय अधियाचन भेजा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय प्रशासन विभाग में सम्प्रति तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण के प्रश्न पर न तो कोई निर्णय लिया गया है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि पदोन्नति और नई नियुक्तियों के बारे में यह सरकार संवेदनशील है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निःसंवर्गीय कुल कितने पद सृजित किये गये हैं और इन पदों की भर्ती का स्रोत क्या है ?

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, वैयक्तिक सहायक, हिन्दी उर्दू अनुवादक और सहायक लेखाकार के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर हैं और टेलीफोन आपरेटर, टी० पी० आपरेटर, विधान सभा रक्षक, अग्निशमन रक्षक और टंकक के पद विभागीय भर्ती द्वारा किये जाते हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सचिवालय के व्यवस्थाधिकारी, प्रभारी संसद सदस्य स्वागत कक्ष तथा विशेष कार्याधिकारी राज्य सम्पत्ति विभाग सचिवालय के किस संवर्ग के पद हैं तथा किस-किस वेतनमान में हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसका विवरण मेरे पास नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, शासन ने सचिवालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के लिये मंत्रिपरिषद् द्वारा 26 नवम्बर, 1998 को एक निर्णय लिया था और उसके पूर्व एक समेकित पारस्परिक ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी थी और उस सूची में पदोन्नति द्वारा नियुक्त सहायकों को एक मुश्त रखकर उसके नीचे एक मुश्त 40 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को रख दिया गया । उक्त ज्येष्ठता सूची में अस्थाई अधिसंख्यक रिक्तियों के विरुद्ध सहायकों को भी रखा गया, यदि हां, तो क्या यह कार्मिक नियमों के अनुरूप है और विनियमितीकरण नियमावली के नियम 4 के अनुसार केवल स्थायी एवं अस्थाई रिक्तियों पर ही विनियमितीकरण किया जा सकता था, यदि हां, तो अस्थायी अधिसंख्यक रिक्तियों के विरुद्ध विनियमितीकरण किये जाने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी और 26 नवम्बर, 1998 को मंत्रिपरिषद् द्वारा ज्येष्ठता सूची हेतु जो निर्णय लिया गया था उसे कब तक लागू करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसका परीक्षण कराया जा रहा है ?

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि लोक सेवा आयोग की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें काफी विलम्ब होता है और इसके कारण काम भी प्रभावित होता है । इसलिये लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में विलम्ब न हो और चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र हो जाय इसके लिये शासन किसी योजना पर विचार कर रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो पद लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत हैं उन पर भर्ती के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है । सहायक लेखाकार अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है और 82 पदों पर चयन की सूची भेजी जा चुकी है । वैयक्तिक सहायक का अधियाचन भेजा जा चुका है और वह प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

श्री राजधारी–

चयन में जो विलम्ब होता है उसको जल्दी कराने के बारे में सरकार तत्परता करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस पर शासन समय समय पर समीक्षा करता है । जैसे वैयक्तिक सहायकों के लिये 2000 सन् तक जितनी आवश्यकता है उसका अधियाचन भेजा है । अन्य सम्वर्ग के बारे में परीक्षण करा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् भी चयन करने में वर्षों लग जाते हैं और उस बीच रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है । इस बारे में आप विचार कर लीजियेगा । मैंने तो एक बात कही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर कुछ दे रहे हैं ।स्पष्ट पूछा जा रहा है कि जो सीधी भर्ती के लोग हैं और जो 40 लोक सेवा आयोग से आये हैं उनको पदोन्नति में साथ न रखकर जो सूची बनाई है वह अनियमित है । प्रश्न इस संबंध में पूछा जा रहा है और माननीय मंत्री जी अधियाचन के बारे में कह रहे हैं । यह मूल प्रश्न है कि जो 2000 सहायकों को एकमुश्त पदोन्नति दी है और 40 सीधी भर्ती के लोग हैं । 26 नवम्बर, 98 को मंत्रिमंडल की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती के लोग और जो पदोन्नति से आये हैं परस्पर एक ज्येष्ठता सूची बनायेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया है यह जो अनियमित कार्यवाही हुई है दोनों की परस्पर ज्येष्ठता सूची नहीं बनी है, उसको निरस्त करके एक समेकित ज्येष्ठता सूची बनायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

ज्येष्ठता सूची का परीक्षण कर लेंगे और जो नियमावली बनी है उसके अनुसार सुनिश्चित कर लेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मेरा यह प्रश्न था कि संसद सदस्य प्रभारी और सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक किस सम्वर्ग के पद हैं ? सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक का जो चयन हुआ है, कितने कितने वर्षों की रिक्ति के विरुद्ध हुआ और कितने कितने वर्षों की रिक्तियां अभी बाकी हैं ? मैं पुनः कहना चाह रहा हूं कि 2000 सहायकों को उनके नीचे 40 सीधी भर्ती के लोगों को रखकर नियमावली के नियम--4 का उल्लंघन हुआ है । इस कारण से कर्मचारियों में असन्तोष है और उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है । माननीय मंत्री जी कृपया नियमावली का परीक्षण करायें । यदि गलती निकलती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

ज्येष्ठता सूची जो बनाई गई है नियमावली के अन्तर्गत उसका पुनः परीक्षण कर लिया जायेगा । गलती होगी तो सुधार किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक तदर्थ नियुक्तियां कितनी हुई हैं और कब तक नियुक्त लोगों को विनियमित कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि जो ज्येष्ठता सूची आपने तैयार की है जिसमें 773 अस्थाई रिक्तियों के विरुद्ध सहायकों को भी रखा गया है यदि ऐसा है तो क्या कार्मिक के नियमों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें ज्येष्ठता सूची से सरकार बाहर करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया । मौर्य जी फिर से अपना प्रश्न दोहरा दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैंने कहा कि अब तक जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं उसमें कहां तक विनियमित कर दिया गया है ? दूसरा यह है कि जो ज्येष्ठता सूची बनी है जिसमें 773 अस्थाई अधिसंख्यक रिक्तियों के विरुद्ध सहायक

हैं वह कार्मिक के नियमों के अनुरूप नहीं है क्या आप उसको ज्येष्ठता सूची से बाहर रखने की बात करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तदर्थ नियुक्तियों के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है । इसमें मान्यवर तदर्थ नियुक्तियां 1-1-77 के बाद 1-6-83 क्रमानुगत 1997 में होती रही हैं । तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण की नियमावली है उसके अनुसार नियमित किया जाता रहा है । 1992 तक का विनियमितीकरण किया जा चुका है इसलिये पूरी संख्या तदर्थ नियुक्तियों के बारे में बताना संभव नहीं हो सकेगा ।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा काल के दौरान राजमार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने की योजना

*2–श्री केशो मेहरा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा काल में राज मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले वर्ष बरसात में कितने राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुये थे ? क्या उसकी मरम्मत करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

वर्षा काल से पूर्व धन की उपलब्धता के अनुसार राजमार्गों की अधिक से अधिक लम्बाई में नवीनीकरण करना, राज मार्गों पर आवश्यकतानुसार विशेष मरम्मत के कार्य कराना, राज मार्गों पर गड्ढों को भरना एवं राज मार्गों पर जल भराव की समस्या के लिये यथा संभव जल निकासी की व्यवस्था करने की कार्य योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिछले वर्ष बरसात में लगभग सभी राजमार्ग थोड़ी बहुत सीमा तक क्षतिग्रस्त हुए थे ।

जी हां, उपलब्ध संसाधनों से यथासंभव पैच मरम्मत, विशेष मरम्मत तथा यातायात को चालू रखने हेतु क्षति की न्यूनतम आवश्यक मरम्मत करायी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनके कार्यकाल में राजमार्गों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वर्षाकाल में मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रत्येक राज्य मार्ग की कुछ न कुछ क्षति हुई है । जो धन उपलब्ध था उसके अनुसार कार्य कराया गया है, मरम्मत कराई गई है । मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है । जो राज्यमार्ग नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के पास से जाते हैं और जहां जल निकासी की कच्ची जमीन रहती है वहां खड़न्जा लगाकर ऊंचा कर दें ताकि सड़कें क्षतिग्रस्त न हों इसके लिये आपने कोई कार्य योजना बनाई है ?

* श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, बस्तियों के बीच में से जाने वाले राज्य मार्ग पर जब पानी का भराव होता है तो वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उसके लिये हमारे विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है कि उच्चीकरण किया जाए । साथ ही साथ, जहां ज्यादा परेशानी होती हैं वहां पत्थर की ईंटों से व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । कई स्थानों पर ऐसा किया है भविष्य में भी इस प्रकार की योजना क्रियान्वयन करने का विचार है । पत्थर की ईंटों से कम खर्चा आता है । वैसे जल निकासी का कार्य निकायों के माध्यम से होता है यह लोक निर्माण का कार्य नहीं है । उच्चीकरण की व्यवस्था हम करेंगे ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं इन्होंने बताया जब वर्षा होती है हम प्रयास कर रहे हैं सड़कों के उच्चीकरण के लिये आपने देखा होगा जहां सड़कों का उच्चीकरण होता है वहां पास के मकान और दुकान वाले जो होते हैं वह मिट्टी डालकर अपने मकान दुकान को ऊंचा कर लेते हैं तो क्या आप ऐसी कार्य योजना बनायेंगे कि पानी निकासी का कार्य स्थानीय निकायों को न देकर अपने हाथ में लेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

निकाय चाहे पंचायत निकाय हों चाहे नगर निकाय हों निकायों का कार्य है नाली बनाना, हम समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं । नाली के पानी की ढंग से निकासी हो हम प्रयत्न कर रहे हैं । लोक निर्माण विभाग की तरफ से नाली बनाने की बात चली, तो क्या उसका अनुरक्षण निकाय के माध्यम से हो पाएगा ? हमें सहायता उनकी मिल जाती है, तो इसको देखेंगे ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने बधाई दी कि सड़कों की मरम्मत हो गयी है । मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद में सड़कें वर्षों से टूटी पड़ी हैं, क्षतिग्रस्त हैं सिर्फ कागजों पर मरम्मत हुई है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सड़कें टूटी पड़ी हैं जिन अधिकारियों की इसमें लापरवाही हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? हमारे विश्वनाथपुर का पुल टूट गया है और आठ गांव के लोग निकल नहीं पा रहे हैं । पृथ्वीगंज की बाजार बह गयी है ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है वह राजमार्ग के क्षतिग्रस्त के संबंध में है । जो भी ऐसे रास्ते क्षतिग्रस्त हैं यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो वह ठीक हो जायेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गयी हैं । जो यह राज मार्ग जिला मुख्यालय, तहसील, कस्बों से गुजर रहे हैं और वहां पर भारी मात्रा में जल भराव होता है जिससे पी० डब्लू० डी० की सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं तो उन जगहों पर जहां से राजमार्ग गुजर रहे हैं नाली बनाने का निर्णय लेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, इसके पूर्व उत्तर दिया था कि नाली बनाने का काम निकायों का है । जो ऐसे मार्ग जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं, हम प्रयत्नशील है संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए किस तरह से व्यवस्थित किया जाय ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक योजना "डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय सुधार योजना" हमने चलायी है उसमें नाली बनाने का काम भी है । तो इस पर हम काम कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, "डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय सुधार योजना का जिक्र किया । तो उसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान है तो उससे कैसे इतने बड़े प्रदेश की सड़कें ठीक हो जायेंगी ? या तो

इसकी धनराशि बढ़ायी जाय । यह उत्तर प्रदेश में एक बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें या तो सहयोग दें उनकी धनराशि को बढ़ाया जाय ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग से कोई काम नहीं हो सकता है । इसलिये यह कहना कि सहयोग नहीं है उसमें सुधार कर लें । इसमें 15 करोड़ रुपये का प्राविधान है और कई स्थानों पर काम चालू हो गये हैं और नाली बनाने का काम कर रहे हैं । मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीमित संसाधनों और धन की उपलब्धता के आधार पर त्वरित काम कराने की चेष्टा करेंगे ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नेशनल हाई-वे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और ओ० डी० आर० गड्ढा मुक्त हो गये हैं तो क्या उसी परिप्रेक्ष्य में जो गांवों में छोटे सम्पर्क मार्ग हैं, बाढ़ के समय वह सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं उसी अभियान के तहत पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना सरकार की है ?

श्री कलराज मिश्र–

इसमें मान्यवर, प्रयत्न हमारा है, और हमने राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और जिले की प्रमुख सड़कें यह गड्ढा मुक्त करने और नवीनीकरण की दृष्टि से ली थीं इस सत्र में विलेज रोड्स नवीनीकरण के हिसाब से लिया है । मान्यवर, इसके लिये हमने 86 करोड़ रुपये गड्ढा मुक्त अभियान के लिये और विलेज रोड्स के लिये भी सुनिश्चित किया है ।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०–

मान्यवर, मुरादाबाद और बिजनौर के बीच में जो मार्ग है उसमें जगह-जगह बहुत गड्ढे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप उनके संज्ञान में ले आयें ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य को लगता है कि वह एम० डी० आर० हैं और गड्ढा मुक्त नहीं हैं मुझे जानकारी होगी तो ठीक हो जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पी० डब्लू० डी० के कुछ वैधानिक नियम हैं, पी० डब्लू० डी० की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है कानून में धारायें हैं कि उनको खाली कराया जा सकता है । तो यह जो अतिक्रमण हैं राज्य मार्गों पर इनको हटाने के लिये कोई सबल अभियान चलायेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जो इस संबंध में ऐक्ट है उसके माध्यम से अतिक्रमण हटाने का अभियान जिला प्रशासन के सहयोग से कुछ स्थानों पर हुआ है जहां नहीं हो रहा है वहां करने का प्रयत्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने विधान सभा में कहा कि हम बिहार की सड़कें इतनी अच्छी कर देंगे जैसे हेमामालिनी के गाल । तो क्या उनसे प्रेरणा लेते हुए किसी को आदर्श मानकर या अपने ही तरह मंत्री जी सड़कों को ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

अभी तो आप ही की तरह हो रही है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग टूटे हुए हैं हमारे यहां भी सम्पर्क मार्ग बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

क्षेत्रवार या जिलेवार कोई मार्ग है तो आप मंत्री जी के संज्ञान में ले आयें ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, ग्रामीण मार्गों के नवीनीकरण के लिये हमने अभियान चलाया है अब इकट्ठा तो नहीं कर पायेंगे लेकिन क्रमशः करने जा रहे हैं ।

श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, जहां निर्माण मानक के आधार पर नहीं हो रहे हैं क्या उन अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

दूसरी बात जानना चाहता हूं कि फैजाबाद–लखनऊ मार्ग जो उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त मार्ग है, इस पर पड़ने वाली रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने की कोई योजना सरकार की है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नीति से संबंधित था । किसी मार्ग विशेष के संबंध में यदि कहना है तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दीजिये या लिखकर दे दीजिये ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, ऐसे राजमार्ग जो हर वर्ष वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त होते हों, इस दृष्टिकोण से पिछले 3 वर्षों में राजमार्ग चिन्हित किये गये हैं और उनके लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है तथा पिछले तीन वर्षों में मरम्मत के कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कि वर्षा ऋतु में राजमार्ग क्षतिग्रस्त होते हैं, एक सतत् प्रक्रिया के तहत गड्ढामुक्त तथा नवीनीकरण की योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्दर जहां कहीं भी क्षतिग्रस्तता हो, तत्काल उसे ठीक किया जायेगा, यह प्रक्रिया चल रही है । दूसरा जो खर्च के बारे में पूछा है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 265 करोड़ रुपया नवीनीकरण और गड्ढामुक्त करने पर खर्च हुआ है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो राजमार्ग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उनमें जिन कारणों से जलभराव होता है, उसके निदान के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पानी, तारकोल का दुश्मन है, इसीलिये गड्ढामुक्त और नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है । हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि ओ०डी०आर० को

एम०डी०आर० में तथा एम०डी०आर० को स्टेट हाईवे में तथा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलें, इसके अलावा जहां ट्रैफिक डेन्सिटी बहुत अधिक है, उसका उच्चीकरण हो सके, यह भी प्रयत्न किया जा रहा है ताकि हम इसको जल्दी व्यवस्थित कर सकें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुत सी जगह पुलिया की चौड़ाई कम होने के कारण ठीक से जल निकासी नहीं हो पाती और वहां जलभराव होता है तो क्या राजमार्गों पर पड़ने वाली ऐसी पुलियाओं को चौड़ा किये जाने की कोई कार्य योजना है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, बहुत स्वाभाविक है । स्टेट हाईवे अधिकतर सिंगल रोड के रूप में जानी जाती है, ऐसे सभी स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है और उसी क्रम में जो पुलिया आयेगी, उसको भी चौड़ा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सारी चीजें साधन की उपलब्धता पर प्रमुख रूप से निर्भर करती हैं, इसलिये उसके अनुसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर, उत्तरांचल में, जो राजमार्ग हैं उसमें जो डैमिजेज होते हैं, जिन कार्यों का आपने जिक्र किया है, उन प्राविधानों के अन्तर्गत राजमार्ग नहीं आ पाते हैं इसलिये रेस्टोरेशन कार्यों के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किया है ?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जो अन्तर्राज्यीय रोड्स जाते हैं उनके सुधार के लिए क्या कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, उत्तरांचल के बारे में जो कहा है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वृक्षारोपण का कार्य तदनुरूप करने पर विचार किया जायेगा ।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना

*3. श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृक्षारोपण की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

जी हां ।

वन विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण की मुख्य योजनायें निम्न प्रकार हैं :–

शहरी क्षेत्र

(1) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी ।

(2) उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 7 शहरों में वनीकरण ।

ग्रामीण क्षेत्र–

(1) औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण ।

(2) सामाजिक वानिकी प्रायोजना ।

(3) ईंधन एवं चारा प्रायोजन ।

(4) ऊर्जा वृक्षारोपण ।

(5) सूख रहे जल क्षेत्रों के लिए वृक्षारोपण ।

(6) सिविल सोयम वनों में भूमि संरक्षण कार्य ।

(7) रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना ।

(8) समेकित परती भूमि विकास परियोजना ।

(9) सिन्ध बेसिन के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जलागम प्रबन्ध ।

(10) टिहरी बांध के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य ।

(11) खीर गंगा परियोजना ।

(12) माताटीला के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना ।

(13) उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मंत्री जी ने 7 शहरों में वनीकरण योजना लागू करने के सम्बन्ध में कहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि वे 7 शहर कौन-कौन से हैं और क्या-क्या कार्य कराने विचाराधीन है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 7 शहरों के नाम इस प्रकार हैं–कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली और झांसी इनमें ''उत्तर प्रदेश वानकी परियोजना'' के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत भी शहरी क्षेत्रों में हमने वृक्षा-रोपण का कार्य शुरू किया है । हम दो हमारे दो इस योजना के अन्तर्गत 34 हजार वृक्ष स्कूली छात्रों की सहायता से लगाये गये थे जिसमें 31 हजार रुपया मानदेय का दिया गया है । इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों से तथा अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर वृक्षा-रोपण की योजना शहरों में चलायी जा रही है । मान्यवर, आगरा में ताज ट्रापोजियम की योजना अलग से चलायी जा रही है । इस तरह से सामाजिक वानिकीकरण योजना शहरी क्षेत्रों में वृहद रूप से चलायी जा रही है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, क्या मंत्री जी ऐसे निर्देश देने का कष्ट करेंगे जिससे वनीकरण की इस सारी प्रक्रिया में वह पेड़ लगाये जायेंगे जो पर्यावरण के सुधारने में काम आते हैं, अथवा फलदार वृक्ष हैं जिनका महत्व जड़ी-बूटी में, अथवा फलों के लिए अथवा लोगों को रोजगार देने के लिए होगा, क्या इसका मंत्री जी स्पष्ट शासनादेश विभाग को भेजेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह जो प्रश्न उठाया गया है उसमें वन नीति के अन्तर्गत 20 प्रतिशत फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे । माननीय सदस्य ने जो कहा है और यदि वह चाहते हैं कि रोजगार दिया जाय तो मैं बताना चाहता हूं कि सड़कों के किनारे, रेलवे और नहरों के किनारे वृक्ष लगाकर रोजगार दिया जाता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर जल स्रोत सूख रहे हैं, वहां पर कौन-कौन सी प्रजाति के वृक्ष लगायेंगे ? यह देखा गया है कि जहां पर जल स्रोत हैं वहीं पर वृक्ष लगाये जाते हैं और वृक्षारोपण दिखा दिया जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुये मैं बताना चाहता हूं कि वहीं वृक्ष लगाये जाते हैं, जिनसे जल संरक्षण होता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के आई० ए० एस० अफसरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार की जांच

*1. श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1996-1997 एवं 1998 में कितने आई० ए० एस० अफसरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी गयी ? उनमें से अब तक किन-किन को दण्डित किया गया ? कितने आई० ए० एस० अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच लम्बित है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1996 में 10, वर्ष 1997 में 18 तथा 1998 में 20 आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध जांच आदेशित की गयी ।

चार अधिकारियों के विरुद्ध जांच आख्या प्राप्त हुई है । जिन पर कार्यवाही प्रचलित है, अभी किसी को दण्डित करने का अवसर नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने बताया है कि 1996 में 10, 1997 में 18 और 1998 में 20 आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध मामले हैं, इनकी कुल संख्या 48 होती है, 4 अधिकारियों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, तो इस प्रकार से 44 अधिकारी ऐसे बचते हैं जिनके सम्बन्ध में जांच होनी बाकी है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसकी संख्या 30 बतायी है, तो माननीय मंत्री जी बता दें कि कौन सी संख्या सही है, 48 सही है या 30 सही है ? दूसरी बात यह है कि क्या इन अधिकारियों को आपने इनाम स्वरूप प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, सचिव या जिलाधिकारी जैसे पदों पर बैठा रखा है । इसे बता दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो संख्या की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि 30 प्रकरण लम्बित हैं, 4 की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जिनके प्रकरण समाप्त हो गये हैं और 5 की आख्या प्राप्त हो गयी है । माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कौन किस पद पर है, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रमुख सचिव और इससे उच्च स्तर पर दो, 13 सचिव स्तर और एक मंडलायुक्त स्तर और एक जिलाधिकारी स्तर के पदों पर नियुक्त हैं और शेष विशेष सचिव के पद पर हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड । अगर कोई जांच होती है तो एक समय के अन्दर होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन जांचों को कब तक पूरा कर लेंगे और जब तक जांच पूरी नहीं हो

जाती है तब तक इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर और संवेदनशील पदों से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वर्ष 95 और वर्ष 96 के जितने प्रकरण है उन्हें जून, 99 तक पूरा करने के निर्देश दिये जा रहे हैं और प्रयत्न किया जा रहा है कि इन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि 4 के विरुद्ध जांच आख्या आ गई है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जांच आख्या कब आई और उन पर क्या आरोप सिद्ध पाया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया आप इन्हें बतायें कि यह जांच आख्या कब आई और उन पर क्या-क्या आरोप सिद्ध पाये गये हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, दिनांक 17-2-99 को जांच आख्या उपलब्ध हुई है और उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट आने के बाद माननीय मंत्री जी उन भ्रष्ट अधिकारियों से उनका स्पष्टीकरण मांगेंगे । मान्यवर, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं । मान्यवर, जब जांच रिपोर्ट शासन के पास आ गई है तो फिर उनसे स्पष्टीकरण मांगने का क्या औचित्य है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सतर्कता अधिष्ठान में दोषी पाये गये अधिकारियों से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाता है फिर उन पर विधिक कार्यवाही की जाती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जांच रिपोर्ट 17-2-99 को आ गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चारों अधिकारियों की जांच रिपोर्ट एक ही दिन आई थी या अलग-अलग ? दूसरे उन पर क्या आरोप सिद्ध पाया गया है ? कृपया माननीय मंत्री जी से मेरा उत्तर दिलवाने की कृपा करें । साथ ही मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वे चारों किस-किस पद पर तैनात हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी कृपया वर्मा जी के तीनों प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह जांच रिपोर्ट अलग-अलग तिथियों में आई है । जिनमें से एक अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है और वहां से अभियोजन की स्वीकृति होनी है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि आख्या अलग-अलग तिथियों में आई हैं तो किन-किन तिथियों में आई है और क्या आरोप लगाये गये हैं तथा वे चारों किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि यह रिपोर्ट कब आई और क्या आरोप है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

एक अधिकारी सचिव स्तर पर नियुक्त है, एक विभागीय आयुक्त के स्तर पर नियुक्त है ।

श्री लालजी वर्मा–

जांच रिपोर्ट आने की तिथियां क्या-क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

अब तिथियां छोड़ दीजिये । समय कम है ।

श्री बी०आर० वर्मा–

यह प्रश्न मान्यवर, पर्याप्त सूचना न होने की वजह से उस दिन स्थगित हुआ था । उस दिन तो पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं थी लेकिन आज तो उपलब्ध है ।

श्री अध्यक्ष–

स्थगित होने का और भी कारण था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह पत्रावली कक्ष में दिखा देंगे । यह भी कारण था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज तो मंत्री जी सारी सूचना के साथ सदन में उपस्थित है । मान्यवर, जांच 96 की है, 97 में आ गयी लेकिन 97 से लेकर आज तक पेण्डिंग ही पड़ा हुआ है । इसलिए आपके माध्यम से यह सदन जानना चाहता था कि किन-किन लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आई और जांच रिपोर्ट आने के बाद वे अधिकारी किन-किन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं । निश्चित रूप से जिन लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आई होगी, वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैनुपुलेट करने, उसमें काट-छांट कराने का प्रयास कर रहे होंगे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चार की जांच रिपोर्ट आई और पांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है । ये जो पांच प्रकरण समाप्त किए जा चुके हैं, वे अधिकारी किन-किन पदों पर तैनात हैं क्या उन पर अभियोजन चलाने की कार्यवाही की गयी है, या नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष–

अभी उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिनके प्रकरण समाप्त किए गये हैं, उनमें श्री आर०सी०पी० सिंह, श्री तेजपाल सिंह ।

श्री अध्यक्ष–

यह नाम नहीं पूछ रहे हैं ।

विधान सभा

श्री बी०आर० वर्मा–

विजीलेन्स ने जो संस्तुति दी है, उस पर क्या कार्यवाही की गई ? चार अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आ चुकी है, 5 लोगों के विरुद्ध जिनके प्रकरण समाप्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग ने क्या संस्तुति की थी और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, ये 5 जो अधिकारी थे उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । इसलिए इनके प्रकरण समाप्त कर दिये गये । जो 4 अधिकारी हैं इनमें दो की फरवरी, 99 में और 2 की नवम्बर में आख्या प्राप्त हुई थी ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मान्यवर, आप कानून के ज्ञाता हैं, कानून के सामने सिद्धान्त प्रतिपादित है कि उत्तर प्रदेश के सभी सेवाओं में एक कानून लागू है और जब भी कोई विजिलेन्स द्वारा जांच पेण्डिंग होती है तो प्रोन्नति के प्रकरण लम्बित रखे जाते हैं, लिफाफे बन्द रखने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो क्या जिन आई०ए०एस० अधिकारियों के खिलाफ विजिलेन्स की जांच पेण्डिंग है, उनकी पदोन्नति को रोकने का काम सरकार करेगी ?

क्या सरकार यह नहीं मानती कि कानून के तहत प्रिफेरेंशियल ट्रीटमेन्ट जांच के दौरान यदि मिलता रहेगा तो सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार और लापरवाही दूर नहीं की जा सकती है । तो क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रस्तावित है उनकी पदोन्नति न की जाय, क्या वह यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कोई भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो कानून से ऊपर नहीं है । विभागीय पदोन्नति में, सतर्कता जांच यदि हो रही हो, तो यह नियम नहीं है कि ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति रोक दी जाय । माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आने के बाद 48 जांचें आयीं थी जिनमें 10 में जांच के आदेश दिये गये और 31 जून, 99 के पहले, जितने प्रकरण आ गये हैं, उनमें कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

शायद सामान्य नियमों के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के बारे में विजिलेन्स जांच लम्बित होती है तो उसको पदोन्नति नही दी जाती है और उसे बन्द लिफाफा प्रक्रिया से रोक दिया जाता है । जांच के दौरान पदोन्नति और उच्च वेतनमान भी क्या रोक दिया जाता है, उसको बता दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पदोन्नति में यदि सतर्कता जांच चल रही हो तो पदोन्नति रोकने का नियम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

श्रेणी 2–3–4 के कर्मचारी को यदि जांच लम्बित है तो पदोन्नति नहीं दी जाती है । आई०ए०एस० के मामले में यदि जांच लम्बित है तो उसको पदोन्नति कैसे दे देते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच हो रही होती है तो पदोन्नति रोकने का नियम है। सतर्कता जांच के दौरान पदोन्नति रोकने का नियम नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी मांग करिये, मैं इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को रिफर कर दूंगा। इस प्रश्न की जांच व्यापक स्तर पर हो जायेगी।

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्यटक स्थलों की संख्या तथा उनके विकास हेतु शासन की योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० में कितने बौद्ध पर्यटक स्थल हैं और वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में अब तक इन पर्यटक स्थलों पर कितने देशी और विदेशी पर्यटक आये तथा उनसे इन वित्तीय वर्षों में पर्यटन से कितनी कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या सरकार ने इन पर्यटन स्थलों के विकास की कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध पर्यटक स्थलों–कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु (पिपरहवा), कौशाम्बी तथा संकिसा में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा उनसे प्राप्त सुख साधन कर की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाख में)		प्राप्त धनराशि
	देशी	विदेशी	(लाख रु० में)
96-97	874149	126094	124.17
97-98	845092	126797	137.84
98-99	885014	84418	59.72
			(प्रथम छमाही)
योग	2604225	337309	321.73

नई पर्यटन नीति 1998 के तहत ऐसे पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास हेतु "बौद्ध परिपथ" घोषित किया गया है। इस परिपथ में नियमित रूप से बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जा रहा है एवं गत

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–1 के बाद प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव भी केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा बौद्ध परिक्रमा रेल गाड़ी भी चलाई गयी है ।

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश में निजी क्षेत्रों के इन्जीनियरिंग कालेजों में शिक्षा शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने सम्बन्धी आदेश

*3–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेजों में मनमानी फीस लिये जाने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेजों की फीस को नियंत्रित करके इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी ? क्या सरकार पूर्व में चल रहे सरकारी इन्जीनियरिंग कालेजों की सीटों में वृद्धि करके निर्धन मेधावी छात्रों को पढ़ने के और अधिक अवसर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

कतिपय मामलों से निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में अलग-अलग ढंग से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कों को लिए जाने की जानकारी होने पर सरकार द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1998 के आदेश शिक्षण शुल्क के साथ-साथ अन्य सभी मदों के शुल्क निर्धारित करके एकरूपता ला दी गई है । वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने में कठिनाई है ।

प्रदेश में रुग्ण मिलों/कारखानों की स्थिति सुधारने हेतु शासन की योजना

*4–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में स्थापित मिलें/कारखाने प्रायः बन्द रहते हैं तथा रुग्ण हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या औद्योगिक उत्पाद को बढ़ाकर आत्म निर्भरता लाने एवं रोजगार के अवसर बनाये रखने के लिये सरकार मिलों/कारखानों की स्थिति को सुधारने के लिये कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

यद्यपि प्रदेश में स्थापित अधिसंख्य कारखाने/मिलें लाभप्रद रूप से कार्यशील एवं उन्नतशील है, परन्तु विभिन्न कारखाने/मिलें विभिन्न कारणों से उत्पादन रहित तथा रुग्ण भी हैं । कारखाने एवं मिलों के रुग्ण तथा उत्पादन रहित होने के विभिन्न कारण हैं जिसमें बैंकों से वांछित कार्यशील पूंजी का प्राप्त न होना, वित्तीय सम्स्थाओं से प्राप्त ऋण पर अधिक ब्याज दर का होना, प्रबन्धकीय अक्षमतायें उत्पादों की गुणवत्ता का अभाव, विपणन में शिथिलता तथा पूंजी का दुरुपयोग इत्यादि है ।

जी हां ।

नवीन औद्योगिक नीति में रुग्ण उद्योगों को पुनः जीवंत बनाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया है । लघु क्षेत्र मे रुग्ण इकाइयों का सर्वेक्षण तथा पुनर्वासन योग्य इकाइयों के पुनर्वासन पैकेज बनाने का विशष

अभियान प्रचलित है । इसके अतिरिक्त राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पोषित रुग्ण लघु इकाइयों को सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराने की पुनर्जीवन योजना 1-4-1999 से लागू की जायेगी । भारी/मध्यम रुग्ण उद्योगों के पुनर्वासन पैकजों का प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूति पूर्वक निस्तारण किया जा रहा है तथा पूर्व में अनुमोदित पैकजों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी नियमित तौर पर की जा रही है । इसके अतिरिक्त रुग्णता की ओर अग्रसर लघु औद्योगिक इकाइयों को यू०पी० वित्तीय निगम द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से निःशुल्क मार्गदर्शन तथा परामर्श योजना भी 1-4-1999 से आरम्भ की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु प्रस्तावित योजना

*5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु कोई विशेष योजना सरकार चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या शिक्षकों की कमी को दूर किये जाने हेतु उनकी नियुक्तियां की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है :–

1–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 42 जनपदों को आच्छादित किया जाना है जिसमें बच्चों का विद्यालय में ठहराव, सामाजिक सहभागिता तथा गुणात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा ।

2–जनपद आगरा व मथुरा के 5-5 विकास खंडों में बच्चों के ठहराव, शतप्रतिशत नामांकन तथा प्रभावी शिक्षण व्यवस्था और शैक्षिक कार्यक्रमों में सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन्ट जी०ओ०आई०यू०एन० सिस्टम कार्यक्रम के अन्तर्गत वाह्य सहायतित परियोजना से अगले वित्तीय वर्ष में आच्छादित किया जाना है ।.

3–सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आगामी वर्षों में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

4–आधुनिक शिक्षा विधाओं से अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने हेतु नियमित प्रशिक्षण कराये जाने की योजना है ।

जी हां ।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के विवरण की मांग

*6–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के ऐसे कितने और कौन-कौन अधिकारी है जिनके विरुद्ध विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच प्रचलित है ? ऐसी जांच कब से प्रचलित है और किस-किस अधिकारी के किस प्रकरण में ? क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सचिवालय सेवा के कुल 10 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न जांच एजेन्सियों की जांच प्रचलित है । इनमें से 06 अधिकारियों के विरुद्ध जांच सतर्कता अधिष्ठान में, 03 अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में तथा 01 अधिकारी के विरुद्ध सी०बी०सी०आई०डी० में जांच की कार्यवाही चल रही है । गोपनीयता एवं जांच हित में इन अधिकारियों के नाम नहीं दिये जा रहे हैं ।

इन 10 अधिकारियों में से 03 अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1992 से, 01 अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1997 से, 03 अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1998 से एवं 03 अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1999 से जांच प्रचलित है । गोपनीयता एवं जांच हित में अधिकारियों के नाम एवं जांच के प्रकरण का विवरण नहीं दिया जा रहा है ।

सभी जांच अभी अनिस्तारित हैं । अतः किसी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला अम्बेडकर नगर सर्वोदय हायर सकेन्डरी स्कूल कोटवा, मुहम्मदपुर अकबरपुर के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

*7–श्री लालजी वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय हायर सेकेन्डरी स्कूल कोटवा, मुहम्मदपुर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्त विद्यालय के अनुदान सूची में आने के उपरान्त शिक्षा निदेशक के पत्रांक अर्भ (4)/7616-35/96-97 दिनांक 6-3-97 द्वारा वेतन भुगतान की अनुमन्यता प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अनुमन्यता में जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1997 के पत्राक शि० स० (1) 48 23-25/96-97 द्वारा अनुमोदित कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यरत शिक्षकों को भी वेतन अनुमन्यता प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी हां ।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है । परीक्षणोपरान्त शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा एवं शैक्षिक अर्हता

*8–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1997-98 के बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1998-99 बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु उक्त वर्ष के अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक अर्हता में छूट प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा 1997-98 में कथित अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायी जा रही है । अभी जांच गतिमान है, अतः परिणाम घोषित नहीं हो सका है ।

शासनादेश दिनांक 27-3-98 द्वारा शैक्षिक सत्र 1997-98 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है । शैक्षिक अर्हता में छूट प्रदान नहीं की गयी है ।

शैक्षिक अर्हता में छूट की आवश्यकता नहीं थी ।

प्रदेश में कल्प योजना के मुख्य प्राविधान का विवरण

*9–श्री समरपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्प योजना में क्या-क्या प्राविधान थे ? क्या इस योजना में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यह योजना प्रदेश के कितने विद्यालयों में लागू की जा चुकी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कल्प योजना में निम्नवत् मुख्य प्राविधान थे :–

1–विद्यालयों को उत्तम स्वरूप प्रदान करना एवं उनके वातावरण को सुधारना ।

2–सांस्कृतिक शैक्षिक एवं आध्यात्मिक वातावरण विकसित करना ।

3–अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त करना ।

4–अध्यापकों की प्रतिभा क्षमता व शैक्षिक कुशलता बढ़ाना ।

5–विद्यालय परिवार के माध्यम से विद्यालयों हेतु साधन जुटाना ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

''कल्प योजना'' के मार्ग निर्देश सिद्धान्तों का सक्षम स्तर से निर्णय न लिये जाने के कारण इस योजना से संबंधित सभी आदेशों/निर्देशों को दिनांक 5-12-98 की राजाज्ञा से निरस्त किया जा चुका है । यह योजना प्रदेश के किसी भी विद्यालय में लागू नहीं है ।

आगरा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाये जाने हेतु पेइंग गेस्ट योजना की जानकारी

*10–श्री केशो मेहरा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुये बीस कमरों तक के भवन को पेइंग गेस्ट योजना में सम्मिलित करने का सरकार निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्यटक महत्व के स्थलों पर आवास की उपलब्धता बढ़ाये जाने हेतु पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश के चिन्हित बल क्षेत्रों/परिपथों में समान रूप से 10 शैय्याओं तक की इकाईयों पर लागू की गयी है ।

प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों को हाईस्कूल/इण्टर कालेज की मान्यता हेतु भूमि/भवन सीमा की जानकारी

*11–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों को हाईस्कूल/इन्टर कालेज की मान्यता हेतु भूमि/भवन विद्यालय के निजी स्वामित्व में होना अनिवार्य शर्त है ? यदि हां, तो किसी हाईस्कूल/इन्टरमीडियेट कालेज के लिये न्यूनतम कितनी भूमि होना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हाईस्कूल/ इन्टरमीडियेट कालेज की स्थापना हेतु कोई न्यूनतम भूमि सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

विद्यालय भवन के लिए हाईस्कूल/इण्टर की मान्यता हेतु कोई न्यूनतम भूमि सीमा का बन्धन नहीं है बल्कि निर्धारित माप के कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला तथा विभिन्न प्रशासनिक कक्षों की उपलब्धता अनिवार्य शर्त है । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए दो बालीबाल कोर्ट के बराबर अर्थात् 324 वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 7776 वर्ग मीटर माप का क्रीड़ा स्थल निर्धारित है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[8वें सोमवार में तारांकित प्र० सं०–7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

*13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव

*14–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब-कब और वह प्रस्ताव क्या है और उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां,तो क्या ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के लिए दिनांक 4-4-91, 20-8-91 तथा 17-2-97 को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था । केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।

जनपद मिर्जापुर स्थित कंतित शरीफ को पर्यटन स्थल में बदलने हेतु प्रस्ताव का जिला योजना में भेजा जाना

*15–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–225/वि०स०/स०सा०उ०स०/98 दिनांक 4 अप्रैल, 1998 जो मिर्जापुर स्थित कंतित शरीफ को पर्यटन स्थल में बदलने तथा इस हेतु धन आवंटित करने से संबंधित है, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

कंतित शरीफ में पर्यटकों/यात्रियों की सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 की जिला योजना के अन्तर्गत यात्री छादक के निर्माण हेतु रु० 6.00 लाख का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति मिर्जापुर को प्रस्तुत किया गया था परन्तु समिति द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० वन निगम में समस्त प्रतिनियुक्तियों पर शासनादेश के अनुसार प्रतिबन्ध की जानकारी

*16–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 75 सी० एम०/47–का–4–95–1/95 दिनाक 2-5-1995 के द्वारा समस्त प्रकार की प्रतिनियुक्तियों सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश वन निगम में अब भी 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति से प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के भरे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी नहीं । कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–20/1/91–कार्मिक–2/91, दिनांक 17-7-91 एवं शासनादेश संख्या–98 सी०एम०/47–का–4–94–20/1/91–टी०सी०–2 दिनांक 31 मार्च, 1994 द्वारा कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों एवं शासकीय हितों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर पहले से ही प्रतिबन्ध लागू है ।

जी हां ।

उ० प्र० वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा–34(1) के प्राविधान के तहत बने उ० प्र० वन निगम सेवा विनियम–1985 के विनियम संख्या–16.2 (7) के अनुसार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के अधिकतम 50 प्रतिशत पद न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा के लौगिंग अधिकारियों/विक्रय अधिकारियों के पदोन्नति से तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत पद वनाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्राविधान है । तद्नुसार शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर वनाधिकारियों की तैनाती की जाती है । प्रभागीय

लौगिग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पदों पर वनाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति कोटा को कम करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है । इसमें शीघ्र यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा ।

उ० प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायकों के पारस्परिक ज्येष्ठता एवं स्थायीकरण का प्रकरण

*17–श्री अजय राय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय प्रशासन विभाग संवर्ग प्रबन्धन के मानदण्डों, लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं कार्मिक विभाग के परामर्श को नकारते हुये अवर वर्ग सहायक संवर्ग में जुलाई, 1990 में 2000 पदोन्नतियों द्वारा नियुक्त अवर वर्ग सहायकों को विनियमित करके ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है जिससे लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर वर्ग सहायकों की सेवाओं पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या प्रशासकीय विभाग द्वारा सचिवालय में कार्यरत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्त अवर वर्ग सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची बनाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1987 एवं वर्ष 1991 बैच के सीधी भर्ती के अवर वर्ग सहायकों का स्थाईकरण नियमानुसार उनके सेवा में योगदान करने के एक वर्ष बाद किये जाने का प्राविधान है यदि हां, तो उनका स्थाईकरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

सचिवालय में टंकक, टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर/टेलीफोन आपरेटर्स एवं जूनियर ग्रेड क्लर्क के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मियों की, अवर वर्ग सहायक के पद पर उनके द्वारा की गयी निरन्तर स्थानापन्न सेवाओं को उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 के नियम–4 (1) (दो) के अधीन अवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित कर ज्येष्ठता प्रदान की गयी है । इस विनियमितीकरण की कार्यवाही के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर वर्ग सहायकों की सेवाओं पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि अवर वर्ग सहायक संवर्ग में ज्येष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता तथा मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की गयी है ।

जी हां ।

जुलाई, 1991 तक मौलिक रूप से अवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्त अवर वर्ग सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित कर उनकी ज्येष्ठता सूची जुलाई, 1991 में प्रख्यापित की जा चुकी है ।

जी हां । वर्ष 1995 में अवर वर्ग सहायक के 427 पद आस्थागित/समाप्त करके इतने ही टंकक के पद सृजित करने के कारण अवर वर्ग सहायक संवर्ग में पदों की कमी हो जाने से वर्ष 1987 एवं 1991 बैच के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सीधी भर्ती के अवर वर्ग सहायकों को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है ।

*18–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[दिनांक 18–3–99 को ता०प्र०सं० 11 द्वारा उत्तरित]

जनपद देहरादून में उच्च श्रेणी के चूने के पत्थर के खनन पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पूर्ण रोक पर शिथिलता बरतने का अनुरोध

*19–श्री हरवंश कपूर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के खनन पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को समाप्त कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय से शपथ पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि पूर्ण बन्दी के आदेश को हटाकर आंशिक रूप से खनन की अनुमति प्रदान करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी स्पिनिंग मिलों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना

*20–श्री के० सी० सिंह बाबा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित बन्द पड़ी स्पिनिंग मिलों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने संबंधी कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सरकार इन मिलों को कब तक संचालित करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम की इकाइयों का अध्ययन इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ से कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

जिला शाहजहांपुर विकास खण्ड तिलहर खैरपुर में असेवित कन्या इण्टर कालेज खोलने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-98 को या इसके आसपास खैरपुर विकास खण्ड तिलहर, जिला शाहजहांपुर में एक असेवित कन्या इन्टर कालेज खोले जाने के विषय में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसे सचिव, माध्यमिक शिक्षा को जांच के लिये आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

इस विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-98 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

विकास खण्ड तिलहर असेवित विकास खण्ड की सूची में सम्मिलित नहीं है । ऐसी स्थिति में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय को स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है । यथास्थिति से मा० सदस्य को पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1998 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न भाषायी संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों को भिन्न-भिन्न वेतनमानों के निर्धारण का औचित्य

2–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तीन समान स्तरीय भाषायी संस्थान उर्दू अकादमी, हिन्दी संस्थान एवं संस्कृत अकादमी के पुस्तकाध्यक्ष को एक ही वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन तीनों संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों को एक समान वेतनमान देगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

इन संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों के पद की अर्हता भिन्न-भिन्न निर्धारित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद की निर्धारित अर्हता के अनुसार वेतनमान निर्धारित है ।

प्रदेश के हिन्दी संस्थान, संस्कृत अकादमी के पुस्तकालयाध्यक्षों के विसंगत वेतनमान को संशोधित कने विषयक जानकारी

3–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी संस्थान, संस्कृत अकादमी के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान में हुई विसंगति को दूर कराने विषयक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का पत्र दिनांक 11-8-97, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का पत्र संख्या–बी० आई० पी० न्याय/एस०एम०/एच०ई०/98, दिनांक 18-2-98 एवं श्री रामकुमार शुक्ल, प्रदेश महामंत्री पंचायत प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का पत्र दिनांक 27-4-98 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इन संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों का वेतनमान संशोधित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, परन्तु प्रश्नगत तीनों पत्रों में हिन्दी संस्थान के पुस्तकाध्यक्ष को उर्दू अकादमी के पुस्तकाध्यक्ष के समान वेतनमान दिये जाने का उल्लेख किया गया है ।

जी नहीं ।

इन संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान अर्हता के अनुसार निर्धारित हैं । अतः संशोधित कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर के विकास खण्ड कांठ मदनापुर में असेवित कन्या इण्टर कालेज खोलने की स्वीकृति

4–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-98 को या इसके आसपास मदनापुर विकास खण्ड कांठ जिला शाहजहांपुर में असेवित कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के विषय में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 4-8-98 को सचिव माध्यमिक शिक्षा को जांच के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

इस विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-98 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

असेवित विकास खण्ड–कांठ में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । यथास्थिति से मा० सदस्य को पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1998 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला–शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हाटमिक्स प्लान्ट नं०–87 में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच आदेश

5–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-98 को या इसके आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 24 के किलोमीटर 290 में स्थित हाटमिक्स प्लान्ट नं०–87 मीरानपुर कटरा, जि० शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिनांक 18-8-98 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को जांच के लिये आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र 21-7-98 को प्राप्त हुआ ।

दिनांक 18-8-98 को नहीं वरन् 21-7-98 को आदेशित किया गया था ।

मुख्य अभियंता, बरेली को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जिला उन्नाव शाहपुर रजबहा की पटरी केन्द्र शेष भाग पक्का करवाने की योजना एवं निर्माण कराये गये कार्य की जांच एवं भुगतान

6–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के शाहपुर रजबहा की पटरी का शेष भाग पक्का करवाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1998 में मा० मंत्री ने उक्त योजना का शिलान्यास किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि शिलान्यास के पूर्व ही बिना किसी टेन्डर के ही ठेकेदारों ने प्रस्तावित मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूरा कर लिया था ? क्या यह भी सच है कि मिट्टी के कार्य के लिये तब तक डी० आर० डी० ए० को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी ? यदि हां, तो बिना योजना स्वीकृत कराये गये उक्त निर्माण का भुगतान किस मद से किया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

शेष भाग के केवल 1.6 किमी० लम्बाई के लिए योजना बनायी गई है ।

जी हां ।

इसकी जांच करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्नगत कैनाल पटरी को पक्का करने की स्वीकृत योजना से भुगतान किया जायेगा ।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड मगरौरा ग्राम उतरा में हाई स्कूल/इण्टर कालेज खोलने की स्वीकृति हेतु डी० आई० ओ० एस०/जिलाधिकारी का प्रस्ताव एवं स्वीकृति की जानकारी

7–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम उतरा ब्लाक मगरौरा में क्या हाई-स्कूल/इण्टर कालेज की स्वीकृति हेतु डी० आई० ओ० एस०/जिलाधिकारी का सचिव, माध्यमिक शिक्षा को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजनान्तर्गत परिव्यय/प्राविधान अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना सम्भव नहीं है । आगामी वित्तीय वर्ष 1999–2000 में जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना में परिव्यय/प्राविधान की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में भवन विहीन जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन

8–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन है ? भवन विहीन विद्यालय कब से कार्यरत हैं ? क्या इन भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शाहजहांपुर जनपद में भवनहीन जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 60 है ।

वर्ष 92-93 से ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में साक्षरता अभियान हेतु कथित धनराशि का आवंटन

9–श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर के साक्षरता अभियान हेतु वर्ष 1997-98, 1998-99 में एक करोड़ रुपये सरकार से प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें हुई अनियमितता की जांच कर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में किसी धनराशि का आवंटन जनपद कुशीनगर के लिए नहीं प्राप्त हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर कस्बा सिधौली मोहल्ला सन्तनगर में कथित रूप में बिछाये गये खड़ंजें

10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली के मोहल्ला सन्तनगर में खड़ंजा बिछाने का कार्य गलत मार्ग पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़ंन्जा सही मार्ग पर बिछवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गलत मार्ग पर खड़ंजा बिछवाने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली के मोहल्ला सन्तनगर में खड़न्जा बिछाने का कोई कार्य नहीं किया गया है ।

प्रश्नगत मार्ग लो० निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फतेहपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के मानक के आधार पर अध्यापकों की कमी एवं नियुक्ति की व्यवस्था

11–श्री मुरलीधर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में ऐसे कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें छात्रों के मानक के आधार पर अध्यापक नहीं है ? क्या ऐसे भी विद्यालय हैं जिनमें एक ही अध्यापक हैं ? कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद–फतेहपुर में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 176 तथा प्राथमिक विद्यालय 1331 संचालित हैं जिनमें से 1197 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें मानक के अनुसार अध्यापक की संख्या कम है । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार आवश्यकता आंकलित की जा रही है ।

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो एकल अध्यापकीय हो ।

ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

जनपद के स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष्य नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में वन विभाग के पास कुल भूमि एवं उसके प्रयोजन की नीति

12–श्री मुरलीधर–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वन विभाग के पास कितनी भूमि है ? कितनी भूमि में वृक्षारोपण हुआ है ? कितनी भूमि खाली पड़ी है ? क्या खाली पड़ी भूमि को कृषि हेतु भूमिहीनों को आवंटित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जनपद–फतेहपुर में 7,112.40 हे० भूमि बन विभाग में निहित है ।

वर्ष 1977 से 4998 की अवधि में कुल 2,502.50 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है ।

4,509.90 हे० भूमि में कम घनत्व के ईंधन प्रजाति/प्रकोष्ठ के वृक्ष है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि का आवंटन भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतिबन्धित है । वर्तमान नीति के अनुसार वनभूमि का कृषि हेतु आवंटन नहीं किया जाना है ।

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु सरकार की नीति

13–डा० रामबाबू हरित–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल, इंटरमीडियेट परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु सरकार की नीति क्या है ? क्या जनपद आगरा में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों का इस वर्ष सही चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्या आनन्द इण्टर कालेज खेरिया मोड़ को चयनित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शासनादेश संख्या–3627/15–7–98–1(13)/90 दिनांक 18 सितम्बर, 98 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है ।

निर्धारित नीति के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों का चयन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं अपितु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1997 की परीक्षाओं में इस केन्द्र पर अनियमिततायें होने के कारण ।

सी० डी० एस० एन० इण्टर कालेज सी–3955 राजाजीपुरम, लखनऊ में कक्षा 12 के छात्रों को वर्ष 1999 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान किये जाने की मांग

14–श्री मस्तराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० डी० एस० एन० इन्टर कालेज सी-3955 राजाजीपुरम लखनऊ के प्रधानाचार्य का पत्र दिनांक 2-10-98 जो कालेज में इन्टर के छात्रों को इण्टरमीडियेट परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में था, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 6-10-98 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा को परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आदेशित भी किया गया था, प्राप्त हुआ ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 12वीं कक्षा के छात्रों को वर्ष 1999 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

संदर्भगत विद्यालय को मान्यता धारा 9(4) के अन्तर्गत वर्ष 2000 की परीक्षा से प्रदान की गयी है। इसलिए वर्ष 1999 की परीक्षा में संदर्भगत विद्यालय के छात्रों को बैठने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अतः संदर्भगत विद्यालय की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी।

उक्तवत।

जनपद प्रतापगढ़ के वीरापुर में मार्गों पुलों के शिलान्यास/ उद्घाटन में लोक निर्माण का कथित व्यय का स्रोत की जानकारी

15–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में जनवरी, 1997 से दिनांक 20-1-99 तक कितने मार्गों, पुलों का शिलान्यास/उद्घाटन क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया ? उसमें कितना धन खर्च हुआ और उसका स्रोत क्या था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

एक सेतु तथा 9 मार्गों का शिलान्यास/उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जनवरी 1997 से 20-1-99 के बीच किया गया।

इसमें लोक निर्माण विभाग का कोई धन खर्च नहीं हुआ, शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी में नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम रमईपुर नेवादा एवं अमरगढ़ तहसील पट्टी में भूमि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों ? उक्त विद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम रमईपुर नेवादा एवं अमरगढ़ तहसील पट्टी में चयनित भूमि में विवाद के कारण व्यवस्था नहीं हो सकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थान के बजाय ग्राम नरायनपुर तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ में 30 एकड़ भूमि नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु प्राप्त हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के प्रस्तावित कीठम अछनेरा मार्ग, जोधपुरा सम्पर्क मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का कथित पत्र

17–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के प्रस्तावित कीठम अछनेरा मार्ग, जोधपुरा सम्पर्क मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/

एम–3/18509/मथुरा/98, दिनांक 2-12-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18–श्री लाखीराम जोशी–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सम्पत्ति विभाग में लोक सेवा आयोग से चयनित व्यवस्था अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

19–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में लोक सेवा आयोग से चयनित व्यवस्था अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर शून्य हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिये पदोन्नति के अवसर सृजित करेगी ? यदि नहीं, तो यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारियों के लिए वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारी के पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ।

अवसर उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री चन्द्र देव राय (कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता) द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

20–श्री समरपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री चन्द्र देव राय द्वारा अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्यरत रहते हुये वर्ष 1997-98 में करोड़ों रुपये की अनियमितता करने विषयक श्री फागू चौहान, संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री का पत्र दिनांक 19-11-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर नौगमा मार्ग पर डामरयुक्त सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच

21–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-98 या इसके आसपास जो विकास खण्ड जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर नौगमा मार्ग पर एक कि०मी० डामर सड़क के निर्माण में

की जा रही अनियमितता के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-98 प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता बरेली को जांच के लिए आदेशित किया गया है । जांच क्रमित है ।

22–श्री विश्वनाथ तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

। दिनांक 22–3–99 को अता०प्र०सं० 130 द्वारा उत्तरित ।

जनपद हाथरस में जिलाधिकारी द्वारा काली सूची में घोषित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के रूप में प्रस्तावित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

23–डा० रामबाबू हरित–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में जिलाधिकारी द्वारा घोषित काली सूची के तीन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र हेतु इस वर्ष चयनित किया गया ? यदि हां, तो क्या संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा मंडलीय स्तर पर संस्तुति होने के उपरान्त इन्हें पुनः रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

राज्य में लगे सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या पूंजी का विवरण तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

24–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कुल कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं ? इन पर कुल कितनी पूंजी लगी है ? अब तक कुल कितनी पूंजी निगमों ने सरकार को वापस की है ? इन उपक्रमों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)–

वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन 50 मुख्य उद्यम कार्यरत हैं ।

वित्तीय वर्ष 97-98 के अन्त तक एवं 97-98 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों का कुल 1964.60 करोड़ रुपये चुकता अंशपूंजी के रूप में इन 50 उद्यमों में विनियोजित है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार अंशपूंजी के रूप में विनियोजित धनराशि अंश-धारकों को, उपक्रम बन्द होने की दशा में अवशेष बचने पर ही, प्राप्त हो सकती है ।

वर्ष 1997-98 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर इन उपक्रमों में कुल 241483 कार्मिक कार्यरत हैं ।

जनपद चम्पावत में राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट के प्रधानाचार्य एवं लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र माह जनवरी, 1999 के तीसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है जो राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट जनपद चम्पावत के प्रधानाचार्य

एवं लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील–पट्टी के प्राथमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के उद्घाटन/शिलान्यास में हुए व्यय और व्यवस्था का विवरण

26–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के कितने प्राथमिक, सीनियर बेसिक विद्यालयों के उद्घाटन शिलान्यास वर्ष नवम्बर, 1996 से 15 जनवरी, 1999 तक किये गये ? उन पर कितना खर्च हुआ और उसकी व्यवस्था का स्रोत एवं मद क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के माह नवम्बर 96 से 15 जनवरी, 99 तक कुल 15 प्राथमिक एवं 04 सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है ।

विद्यालय कोष द्वारा इन मदों पर कोई विभागीय व्यय नहीं किया गया है । इन मदों पर होने वाले व्यय जन सहयोग से किये गये हैं ।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में प्रदेश सरकार की गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

27–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में सड़कों को गड्ढा मुक्त उक्त योजना के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्गों का गड्ढामुक्त करने की एक सतत् एवं चालू योजना है ।

मार्गों को गड्ढामुक्त करने की व्यवस्था के अनुसार दिल्ली-कानपुर राज्य मार्ग संख्या–22 के कि०मी० 165 से 186 तक तथा पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग संख्या–33 के कि०मी० 176 से 198 तक गड्ढामुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

28–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की समस्या को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों पर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में वर्ष 1997-98 में कितने हैण्ड पम्प किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में

लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्या उक्त योजना को जनपद हाथरस में पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालयों में 11 हैण्ड पम्प लगाये गये :–

1–सलावट नगर

2–हरचन्दपुर

3–थेनपुर

4–गोपालपुर

5–गोकुलपुर

6–रामपुर नगला

7–खटोन

8–सिकन्दराराऊ बेहाल

9–भुवानगढ़ी

10–गंगागढ़ी

11–फरीदाबाद

कार्य गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के शहीद स्थल सरे, विकास खण्ड आसपुरा देवसरा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार

29–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहीद स्थल सरे, ब्लाक आसपुरा देवसरा जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी श्री रमा रमण का पत्र सं० 1065/अर्ध संख्या कार्यालय/माध्यमिक शिक्षा/98-99 दिनांक 5-9-1998 मा० मुख्य मंत्री के आदेशों के क्रम में प्राप्त हुआ है ? क्या उपरोक्त पत्र की प्रति शिक्षा निदेशक (मा०) लखनऊ एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

विधान सभा

सीधे इण्टर कालेज स्थापित करने की कोई योजना नहीं है । चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 की जिला योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में परिव्यय/प्राविधान अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत स्थान पर विद्यालय की स्थापना सम्भव नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर मीरानगर कटरा के राष्ट्रीय मार्ग स्थित हाट मिक्स प्लान्ट नम्बर 87 में हुई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

30-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 4-10-98 जो राष्ट्रीय मार्ग 24 कि०मी० 290 में स्थित हाटमिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानगर कटरा, जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उपरोक्त की जांच अपने स्तर से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शिकायती-पत्र के बिन्दुओं की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग को आदेश दे दिये गये हैं । जांच क्रमित है ।

जनपद मथुरा में पं० दीन दयाल उच्चतर विद्यालय फरह को दी जाने वाली मान्यताओं/उच्चीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

31-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० दीन दयाल उच्चतर विद्यालय फरह, मथुरा को कक्षा 6, 7, 8 एवं 11-12 की कक्षाओं की मान्यताओं के साथ आदेश जारी कराने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० का०/एम–1/15502/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

कक्षा 6, 7 व 8 के मान्यता/संचालन एवं कक्षा–11 व 12 पर उच्चीकरण हेतु पदों के सृजन की आवश्यकता होगी । कक्षा 6, 7 व 8 की कक्षाओं के संचालन के तत्कालीन संयुक्त निदेशक के मौखिक आदेशों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जहा तक इण्टर स्तर पर उच्चीकरण का प्रश्न है जुलाई, 99 से कक्षा 11 व 12 के संचालन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद खीरी के नगर पंचायत ओयल में लड़कियों की शिक्षा के लिए हाई स्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

32-डा० कौशल किशोर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत ओयल जनपद लखीमपुर खीरी में लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई हाईस्कूल या इंटर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा

ओयल जनपद लखीमपुर खीरी में लड़कियों की शिक्षा के लिये हाई स्कूल या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला योजनान्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के लिये परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध कराये जाने एवं नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विद्यालय स्थापना पर विचार करना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नव सृजित जिला चम्पावत में बी० टी० सी० की स्थापना का प्रस्ताव

33–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत में बी० टी० सी० संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त संस्थान कब से खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रदेश में नवसृजित जनपदों में बी० टी० सी० की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संदर्भित किये गये हैं । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही संस्थान खोलने हेतु अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान हेतु पठन-पाठन की सामग्री आपूर्ति में विधायक की भागेदारी

34–श्री मुरली धर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में जिला साक्षरता समिति फतेहपुर को जो पठन-पाठन की सामग्री आपूर्ति की गयी क्या वह निरक्षरों की संख्या के अनुरूप है ? क्या पठन-पाठन सामग्री आपूर्ति समिति में विधायक की भी भागीदारी होती है ? यदि हां, तो फतेहपुर में कोरग्रुप के माध्यम से कितनी समितियों में क्षेत्रीय विधायक की भागीदारी सुनिश्चित करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में कार्यरत प्रवक्ताओं में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

35–श्री चेतराम–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में तैनात आचार्य, सह आचार्य तथा अन्य सहायक आचार्य व अन्य तरह के प्रवक्ताओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में कन्सलटेन्ट, पार्ट टाइम अवैतनिक प्रवक्ता आदि पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

36–श्री चेतराम–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में कितने कन्सलटेन्ट, पार्ट टाइम अवैतनिक प्रवक्ता, एडहाक प्रवक्ता तैनात हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कितने पिछड़े वर्ग से हैं ? क्या इन श्रेणियों के अधिकारियों का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसको पूर्ण करने हेतु मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त तैनात अधिकारियों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी रिक्त पदों हेतु तत्काल पुनः चयन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कन्सलटेन्ट तैनात नहीं हैं । तीन पार्टटाइम प्रवक्ता तैनात हैं उनमें से एक पिछड़े वर्ग से है । अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का कोटा पूर्ण नहीं है । आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिये 45 सहायक आचार्य के पद विज्ञापित कराये गये हैं । पार्ट टाइम प्रवक्ताओं का कार्यकाल 30 जून, 1999 तक है पद रिक्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग में मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र की दूरी कम किये जाने के संबंध में जांच

37–श्री उदयराज–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्या लो० नि० वि० अ० वि० नि० इ० (रा० मार्ग) के अधीनस्थ लखनऊ सुल्तानपुर रा० मार्ग सं०–56 के किमी०–4 से 115 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के कार्य क्षेत्र में जिनका मुख्यालय लखनऊ है, कार्यभार हैदरगढ़, जगदीशपुर व मुसाफिर खाना के निकट है और जिनका मुख्यालय हैदरगढ़, जगदीशपुर आदि है उनका कार्यभार लखनऊ के निकट है ? क्या इस प्रकार के कार्य वितरण से कार्य में शिथिलता एवं अतिरिक्त व्यय से शासन को क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः दूरी के अनुपात में कार्यभार वितरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां, माधौगंज प्रताप नगर रोड से रूद्दीखेड़ा तक का मार्ग खड़न्जा युक्त कराये जाने की मांग

38–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज प्रताप नगर रोड से रूद्दीखेड़ा तक एक कि० मी० सड़क मार्ग न होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उक्त मार्ग को खड़न्जा युक्त बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों के भरे जाने हेतु अधियाचन

39–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उ० प्र० में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों के भरे जाने हेतु अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 1362 पदों के प्रति चयन किये जाने हेतु निदेशक (उ० शि०) द्वारा अधियाचन, उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है । आयोग द्वारा 1362 में से 996 रिक्तियां विज्ञापित की जा चुकी हैं । अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में चयन की कार्यवाही महाविद्यालय स्तर पर ही सम्पादित की जाती है ।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों का अधियाचन उ० प्र० लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किया जा चुका है । चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना है ।

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से वर्ग "ग" हेतु चयन की कार्यवाही प्रगति में है । "घ" वर्ग की नियुक्ति कतिपय श्रेणियों को छोड़कर प्रतिबन्धित है । प्रतिबन्ध समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकती है ।

जनपद पिथौरागढ़ लोक निर्माण विभाग में सर्किल के सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों के भरे जाने की कार्यवाही

40–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के पिथौरागढ़ सर्किल में सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के क्रमशः कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में उपरोक्त स्वीकृत पदों पर कितने अभियन्ता कार्यरत है ? कितने पद क्रमशः रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पिथौरागढ़ वृत्त में सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के क्रमशः 24 एवं 7 पद स्वीकृत है । वर्तमान में 6 अधिशासी अभियन्ता एवं 14 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं । अधिशासी अभियन्ता के एक पद तथा सहायक अभियन्ता के दस पद रिक्त हैं । पर्वतीय उपसंवर्ग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और सहयक अभियन्ताओं के पदों पर अवर अभियन्ता से प्रोन्नति पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है । मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के निरस्त होने के बाद सहायक अभियन्ता के प्रोन्नति के पदों को भरने की कार्यवाई की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

41–श्री लवकुश कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु शासन ने अपने पत्र सं०–ई–42 ?/जी० एस० दिनांक 27-9-95 तथा कुल सचिव, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली ने अपने पत्रांक रु० वि०/सम्बद्ध/95/1324252 दि० 10-10-95, कुलाधिपति ने उ० प्र० राज्य वि० वि० अधिनियम 1973 की धारा–37(2) के अधीन स्नातक स्तर पर तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की थी ? क्या महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी हो चुकी थी ? यदि हां, तो महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश न लेने तथा प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी क्षेत्रीय छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय खोलने हेतु विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं हो सका था । अतः छात्रों का प्रवेश न लेने तथा प्राचार्य का स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही विचार संभव है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकार के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल के मध्य शिक्षकों की कथित बर्खास्तगी की जानकारी

42–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष माध्यमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल के मध्य कितने शिक्षकों की बर्खास्तगी की गयी ? क्या उक्त बर्खास्त किये गये शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी ? क्या निलम्बित शिक्षकों को बहाल करने का निर्णय सरकार के समक्ष अभी भी लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

किसी भी माध्यमिक शिक्षक की बर्खास्तगी नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर विकास खण्ड टाण्डा, जूनियर हाई स्कूल, फतेहपुर में कनिष्ठ सहायक अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का चार्ज दिये जाने का औचित्य

43–श्री अकबर हुसैन

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूल, फतेहपुर, विकास खण्ड टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधानाध्यापक को चार्ज न देकर किसी कनिष्ठ सहायक अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का चार्ज दिया गया है ? यदि हां,

तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम प्रधान की लिखित शिकायत के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में लेखाकार के पदों पर प्रोन्नति का आरक्षण कोटा पूरा किये जाने पर स्थगनादेश

44–श्री रामपाल वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में लेखाकार के पदों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी शासनादेश सं० 13/34/90-का–1–10-10-94 के अनुसार उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में कार्यरत सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति देकर आरक्षण कोटा पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–2439/97 (एस०एस०) में लेखाकार के पद पर प्रोन्नति किये जाने पर 7-4-97 को स्थगनादेश पारित किया गया है, जिसके कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति किया जाना अभी संभव नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, सन्तबाग राम लीला समिति भुसुड़िया (हर्रैया) में वृक्षों के अवैध कटान के संबंध में कार्यवाही

45–चौ० रवीन्द्र प्रताप

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान संतबाग राम लीला समिति भुसुड़िया (हर्रैया) बस्ती में हरे फलदार वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में मा० राज्य मंत्री, परिवहन का पत्रांक 169/वी०आई०पी०/97, दि० 25-11-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अवैध कटान कराये जाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम सभा में पूर्व में कटे मात्र एक महुआ के पेड़ के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ जांच में कटे नहीं पाये गये । उक्त महुआ के पेड़ के कटान के संबंध में रेंज केस संख्या–34/96-97 दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 18-12-1996 को प्रतिकर वसूला जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड सफीपुर में गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत गुलाब बिल्डिंग से मोटेश्वर चौराहा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

46–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र–सफीपुर जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत नगर पंचायत सफीपुर में गुलाब बिल्डिग से मोटेश्वर चौराहा तक का रोड गड्ढा मुक्त योजना में स्वीकृत होने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्मित नहीं कराया गया ? यदि हां, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

बांगरमऊ–उन्नाव–इलाहाबाद राज्य मार्ग का प्रश्नगत भाग सफीपुर टाउन के अन्तर्गत पड़ता है तथा दोनों ओर की आबादी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस भाग में मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है ।

क्षतिग्रस्त भाग में सीमित संसाधनों के उपरान्त भी मरम्मत कार्य कराया जा रहा है यह कार्य अप्रैल, 99 तक संभावित है ।

उपरोक्तानुसार ।

47–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं० 157 द्वारा उत्तरित]

48–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं० 10 द्वारा उत्तरित]

49–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 18-3-99 को अता० प्र० सं० 61 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में दूर संचार विभाग द्वारा केबिल लाइन बिछाते समय सड़कों पर यातायात की असुविधा

50–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में दूर संचार विभाग द्वारा केबिल लाइन बिछाने हेतु बार-बार सड़कों की खुदाई किये जाने से यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निवारणार्थ कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, केबिल बिछाते समय असुविधा होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिए कालेजों में अध्यापकों/प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

51–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल तथा रा० इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों/प्रधानाचार्यों के अनेक पद रिक्त हैं ? क्या इसके लिये शिक्षा विभाग की दोषपूर्ण स्थानान्तरण नीति जिम्मेदार है ? यदि हां, तो क्या सरकार समान स्थानान्तरण नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

माध्यमिक विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों/प्रवक्ता के संशोधित प्रोन्नत वेतनमान

52–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दि० 7 अक्टूबर, 1998 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के एल० टी० शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान एवं प्रवक्ता के चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान को संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह संशोधन राजकीय शिक्षकों पर लागू होंगे ? यदि हां, तो किन शर्तों के साथ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या एल० टी० शिक्षकों के सामान्य एवं चयन वेतनमान में भी कुछ संशोधन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां । वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 10-7-1998 एवं दिनांक 7-10-1998 में निहित शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान देय होगा ।

प्रश्नगत वेतनमानों को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

53–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 18-3-99 को अता० प्र० सं० 62 द्वारा उत्तरित ।

54–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 18-3-99 को अता० प्र० सं० 63 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती मुलायची देवी पत्नी स्व० श्री शेष नारायण सिंह भूतपूर्व प्रधानाचार्य किसान इण्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती को स्वीकृत पारिवारिक पेंशन

55–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मुलायची देवी पत्नी स्व० श्री शेष नारायण सिंह भूतपूर्व प्रधानाचार्य किसान इन्टर कालेज परशुरामपुर–बस्ती की पारिवारिक पेंशन उप निदेशक शिक्षा गोरखपुर मंडल द्वारा कब और कितना स्वीकृत की गयी है ? क्या सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि परिवार को

हस्तगत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?क्या स्व० श्री सिंह को वित्तीय मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत पेंशन से कम क्यों दी गयी ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या श्री सिंह के रिटायरमेन्ट की तिथि तक पूर्ण पेंशन दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

उप शिक्षा निदेशक सप्तम् मंडल गोरखपुर द्वारा पी०पी०ओ० संख्या/2853/3-8-95 रु० 1200=00 दिनांक 3-6-95 तक तथा रु० 600=00 दिनांक 4-6-95 से पूर्ण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सिंह को पूर्ण पारिवारिक पेंशन दी गयी है ।

कोई नहीं । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सिंह की मृत्यु दिनांक 3-6-88 को सेवाकाल में ही हो गयी थी । उनकी धर्मपत्नी को पूर्ण पेंशन दी गयी ।

अतः प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई में नहर पटरी योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार नहर पटरी का डामरीकरण

56–श्री श्याम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 में नहर पटरी योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई में विधान सभा क्षेत्र वार कितने कि०मी० नहर पटरी का डामरीकरण स्वीकृत किया गया ? क्या इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अहिरौरी में वर्तमान वर्ष में कार्य चयनित कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

विधान सभा क्षेत्र–86 हरदोई में 11.05 किमी०, विधान सभा क्षेत्र–87 बावन में 5.95 किमी० एवं विधान सभा क्षेत्र–89 शाहाबाद में 8.00 किमी० ।

जी नहीं ।

जनपद हरदोई में 25 किमी० के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यों का चयन किया गया है ।

जनपद हरदोई में पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत गांवों का चयन

57–श्री श्याम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई में किन-किन गांवों का चयन किया गया ? क्या विधान सभा क्षेत्र अहिरौरी में कोई गांव इस योजना में चयनित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस योजना में उक्त क्षेत्र के गांव चयनित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ संख्या 208–209 पर)

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1998-99 में पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना में जनपद हरदोई में चयनित ग्रामों की सूची संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र अहिरौरी में ग्राम हास बरौली चयनित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र में गांव का चयन किया जा चुका है।

एक ग्राम का चयन किया जा चुका है।

58–श्री छोटे लाल वर्मा–

[दिनांक 17-3-99 को अता० प्र० सं० 185 द्वारा उत्तरित।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कटरा (खुदागंज) में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत इन्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में स्वीकृति

59–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-98 को या इसके आसपास हुलासानगला, कसरक या इन्द्रपुर विकास खण्ड खुदागंज जिला शाहजहांपुर में एक असेवित इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव को जांच के लिए आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

इस विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-98 प्राप्त हुआ है।

जी हां।

विकास खण्ड–खुदागंज में असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, यथा स्थिति से मा० सदस्य को पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1998 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कटरा (खुदागंज) ग्राम हुलासा नगला में विद्यालय भवन हेतु स्थान चयन के संबंध में पत्र

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-6-98 या इसके आसपास जो ग्राम हुलासा नगला क्षे०पं० कटरा (खुदागंज) जनपद शाहजहांपुर में विद्यालय भवन के स्थान के चयन से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

61–। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा महाविद्यालयों में गणित प्रवक्ता हेतु घोषित परिणाम से श्री सुशील कुमार को नियुक्ति पत्र

62–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा महाविद्यालयों में प्रवक्ता गणित पद हेतु दिनांक 18-5-98 को चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिणाम घोषित किया था ? यदि हां, तो क्रमानुसार किन आवेदकों को चयनित घोषित किया गया ? क्या उक्त चयनित सूची के सभी आवेदकों को नियुक्ति पत्र दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि उक्त चयनित सूची के क्रमांक–7 पर अंकित श्री सुशील कुमार का नाम वैरीफिकेशन होने एवं डाक्टरी मुआयना होने के पश्चात भी पोस्टिंग से रोका गया ? क्या सरकार क्रमांक 7 की भी नियुक्ति करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

1–श्री नरेश मोहन चड्ढा
2–श्री शिव दत्त कुमार
3–श्री दीपक कुमार
4–श्री नवीन भगत
5–श्री सतीश कुमार
6–श्री मनोज कुमार त्रिपाठी
7–श्री सुशील कुमार
8–श्री वीणा सिंह
9–श्री सुधीर कुमार
10–श्रीमती अनिता तोमर
11–डा० हरीश सिंह नयाल
12–श्री राजेश कुमार
13–श्री भूपेन्द्र सिंह
14–डा० (कु०) अमिता चौरसिया
15–श्रीमती ज्योत्सना यादव
16–डा० भीमा प्रसाद
17–जैगम हुसैन

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां । श्री सुशील कुमार की नियुक्ति राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि किए जाने हेतु राजाज्ञा सं०–4446/सत्तर–5-98-70(65)/98, दिनांक 7-1-99 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति

63–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में या 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अध्यापकों का कितने प्रतिशत अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा रहा है ? उसका आधार क्या है ? क्या उक्त अवधि के कार्यरत अध्यापकों जिनकी उम्र 58 या इससे अधिक हो गई है और जिनकी प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर हो रही है, के भी स्थानान्तरण/पोस्टिंग अन्यत्र ब्लाकों में की जा रही है ? क्या सरकार उनकी पोस्टिंग पड़ोस में ही अथवा स्वेच्छा से प्रस्ताव मांग कर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शासनादेश संख्या–3209/15-5-98-7/95 दिनांक 1 जुलाई, 1998 के प्राविधानों के अनुसार 10 प्रतिशत स्थनान्तरण करने का निर्देश है ।

जी हां । प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी भी अध्यापक को उसके गृह विकास खण्ड अथवा उसी विकास खण्ड में पद स्थापित न किये जाने की नीति है, जहां वह प्रोन्नति के पूर्व कार्यरत था ।

जी नहीं ।

इस प्रकार की नीति नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेज मैनपुरी के प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

64–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1998 के माह अक्टूबर या इसके आसपास व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, मैनपुरी के प्रधानाचार्य द्वारा लाखों रुपये घोटाले तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने विषयक श्री राजवीर आदि का शिकायती पत्र उन्हें व शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० को प्राप्त हुआ ? क्या उक्त पत्र की जांच कराकर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन स्वीकृत/निर्मित सभी श्रेणी के विद्यालयों के शिलान्यास/उद्घाटन हेतु प्रमुख क्षेत्र पंचायत मंगरौरा का पत्र

65–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन स्वीकृत/निर्मित सभी श्रेणी के विद्यालयों के शिलान्यास/उद्घाटन करने हेतु क्या ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक शिक्षा समिति की सहमति आवश्यक है ? क्या इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी को प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, मंगरौरा का पत्र दिनांक 5-1-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी हां ।

मा० प्रमुख क्षेत्र पंचायत मंगरौरा के पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में वर्तमान राजकीय व निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग कालेजों की संख्या एवं प्रवेश क्षमता

66–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने इन्जीनियरिंग कालेज राजकीय व निजी क्षेत्र के चल रहे हैं ? इनमें राजकीय व निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश क्षमता कितनी है ? कुल कितने अन्य इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

वर्तमान समय में प्रदेश में 02 राजकीय तथा 10 शासन द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेज तथा एक शासन द्वारा वित्त पोषित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की चल रहे हैं । उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्व-पोषित इंजीनियरिंग तथा तकनीकी संकायों की स्थापना अलग से की है । ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या–05 है एवं निजी क्षेत्र में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या वर्तमान में 26 हैं ।

इनमें से 02 राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश क्षमता 100 सीटों की तथा 10 शासन द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश क्षमता 1892 सीट एवं एक शासन द्वारा वित्त पोषित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की की प्रवेश क्षमता 365 सीटें है । विश्वविद्यालयों में स्व-पोषित इंजीनियरिंग तथा तकनीकी संकायों की प्रवेश क्षमता 850 है और निजी क्षेत्र में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश क्षमता 4290 सीटों की है ।

शासकीय क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या निर्धारित नहीं है ।

67–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल के नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पुस्तकों की उपलब्धता

68–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० शि० प०, उ० प्र० द्वारा संचालित हाई स्कूल की सन् 2000 के पाठ्यक्रम का निर्धारण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकें सरकार कब तक बाजार में उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के कंकरखेड़ा में उपरिगामी रेलवे क्रासिंग (ओवर ब्रिज) के निर्माण की योजना

69–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कंकरखेड़ा में उपरिगामी रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

यह भारत सरकार के रेलवे विभाग की स्वीकृति एवं राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति निदेशालय में विभागीय सेवा नियमावली जारी किये जाने की कार्य प्रगति

70–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति निदेशालय की स्थापना हुये लगभग 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त आज तक कोई विभागीय सेवा नियमावली जारी की गयी है ? यदि हां, तो उसे विभाग में कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो उसे कब तक जारी किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा नियमावली बनायी जा रही है ।

प्रदेश के इण्टर कालेजों के पुस्तकालयों में नियुक्त पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान के सम्बन्ध में पत्र

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेजों में पुस्तकालय में नियुक्त पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डा० नैपाल सिंह–

पत्र का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है ।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में शिक्षक/कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती पत्र

72–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के ब्लाक फरह में 31, मांट में 8, गोवर्धन में 28, बल्देव में 23 फर्जी नियुक्ति पाने वाले शिक्षक व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? क्या इसकी सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी,मथुरा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को सौंपी है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इन फर्जी नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीय सेवा नियमावली के अन्तर्गत जारी स्पष्टीकरण का शासनादेश

73–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1975 के नियम 30 में कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उच्च शिक्षा अनुभाग–10 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 5859/15-10-86–35(39)/79, दिनांक 12 फरवरी, 1986 व पत्र संख्या 2041/15-10-92-35(20)/92, दिनांक 13 मई, 1992 में निहित व्यवस्था राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत निर्गत की गई है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1975 के नियम 30(1) में की गयी व्यवस्था के अनुसार स्पष्टीकरण निर्गत किया था ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के नियम 30(1) के अन्तर्गत शिक्षण कर्मियों की व्यवस्था सेवानिवृत्ति

74–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 के सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या 6884/15–10–75–60(24)/74, दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 के नियम 30 में यह व्यवस्था की गई है कि छुट्टी और छुट्टी वेतन से संबंधित सभी मामले उसी रीति से विनियमित किए जाएंगे जो समान स्थिति के सरकारी सेवकों पर लागू होंगे ? यदि हां, तो क्या उक्त नियमावली के भाग–2 में उल्लिखित संवर्गों के अधिकारियों को सरकारी सेवकों के समान सेवाकाल में सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इन्हें किस नियम के आधार पर नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं ।

अवकाश नकदीकरण न तो अवकाश है और न अवकाश वेतन बल्कि एक सुविधा है । इसलिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1975 का नियम 30(1) अवकाश नकदीकरण के मामले में लागू नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में संयुक्त सचिव के पदों की संख्या एवं उन पर अन्य कैडर के अधिकारियों का कोटा

75–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में संयुक्त सचिव के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से कितने पद क्रमशः आई०ए०एस,०पी०सी०एस० व सचिवालय के कर्मचारियों के लिए हैं ? क्या यह सच है कि अपने पदों को अपग्रेड करने हेतु आई०ए०एस० अधिकारियों ने संयुक्त सचिवों के पदों पर जाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

89 पद ।

आई०ए०एस० 30 पद

पी०सी०एस० 36 पद

सचिवालय सेवा 23 पद

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 9-3-99 को ता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित ।

जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के कतिपय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के प्रमाण-पत्रों की जांच होने तक वेतन भुगतान पर रोक

77–श्री देवेन्द्र सिंह तथा श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद एवं श्री शंकर जी पू०मा० संस्कृत विद्यालय, खरिका भारी गोसाईगंज, अम्बेडकर नगर के प्रधानाचार्यों के वेतन भुगतान को रोकने एवं उनसे पदेन कार्य न लिये जाने के लिए, क्या शासन स्तर से स्पष्ट रूप से रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके उम्र और जाली शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की जांच शासन स्तर से करके, उन्हें शीघ्र सेवानिवृत्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शासन स्तर से नहीं अपितु शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 24-1-98 को अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान रोकने का आदेश दिया गया था ।

प्रधानाचार्य आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय गोसाईगंज, अम्बेडकर नगर के प्रमाण-पत्रों आदि की जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रधानाचार्य श्री शंकर जी पूर्व माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, खरिका भारी गोसाईगंज, अम्बेडकर नगर के प्रमाण-पत्र जांचोपरान्त सही पाये जाने पर निदेशक के आदेश दिनांक 3-12-98 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को भुगतान का आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के कतिपय संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के विरुद्ध फर्जी वेतन भुगतान की शिकायत

78–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर संस्कृत विद्यालय,भीटी–अम्बेडकर नगर, श्री शिशु संस्कृत विद्यालय, सरैया–सया, अम्बेडकर नगर, श्री शंकर जी पू०मा० विद्यालय, खरिका भारी, गोसाईगंज, अम्बेडकर नगर, आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद, के विद्यालयों में फर्जी तरीके से वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे अध्यापकों के वेतन भुगतान पर शीघ्र रोक लगाने के लिए, क्या मा० शिक्षा मंत्री, उ० प्र० शासन, सचिव शिक्षा, उ०प्र० शासन एवं शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ० प्र० लखनऊ द्वारा स्पष्ट रूप में लिखित आदेश, उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें,

फैजाबाद की जांच आख्या दि० 27-3-98 के अनुसार दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित चारों विद्यालयों के फर्जी वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन विभाग विकास खण्ड तिलहर के कार्यालय में पेड़ों की अवैध कटान में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

79–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तिलहर वन विभाग के कार्यालय में पेड़ों की अवैध कटान की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र की जांच दिनांक 27-6-97 या इसके आस-पास उप वनराजि अधिकारी पुवायां के द्वारा की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मा० सदस्य के शिकायती पत्र दिनांक 29-5-97 की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुवायां द्वारा दिनांक 25-7-97 को की गयी थी ।

वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डे, वन राजि अधिकारी को दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

80–श्री आर० के० सिंह पटेल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद चित्रकूट तहसील कर्वी लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरवल सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य का विवरण

81–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–चित्रकूट के प्रान्तीय खण्ड लो०नि० विभाग, कर्वी द्वारा सुरवल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1991 से चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु किस वित्तीय वर्ष में कितना धन दिया गया है ? क्या उक्त कार्य अब भी अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि
1991-92	1.30 लाख रु०
1992-93	0.84 लाख रु०
1993-94	0.58 लाख रु०
1994-95	5.23 लाख रु०
1995-96	0-93 लाख रु०
1996-97	2.13 लाख रु०
1997-98	2.34 लाख रु०
1998-99	2.50 लाखा रु०

जी हां ।

दुर्गम दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में पूर्णकालिक अपर सचिव की नियुक्ति हेतु कार्यवाही

82–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में पूर्ण कालिक अपर सचिव की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूर्णकालिक अपर सचिव की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं।

इन्दिरा भवन में आवंटित उच्च शिक्षा परिषद् के कार्यालय का कार्य प्रगति पर है। अतः परिषद् का कार्य संचालन सचिवालय से किया जा रहा है। कार्यहित में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा परिषद् का कार्य देखा जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में पूर्णकालिक अध्यक्ष का नियमानुसार मनोनयन की जानकारी

83–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 द्वारा सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष मनोनीत करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष का मनोनयन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

नियमानुसार मनोनीत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर ग्राम–दूलीखेड़ा में जूनियर हाई स्कूल की स्वीकृति के उपरान्त नियुक्त अध्यापकों द्वारा विलम्ब से उपस्थित होने के विरुद्ध कार्यवाही

84–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन ने ग्राम दूलीखेड़ा, ब्लाक सुमेरपुर, जनपद

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । वर्ष 96-97 में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृति के बाद क्रमशः मई, 97 व जुलाई, 97 में दो अध्यापकों को पदस्थापना की गयी ।

शिक्षक माह अगस्त, 1998 में उपस्थित हुये ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित शिक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है ।

जनपद–उन्नाव में सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों को सेवानिवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि के भुगतान की कार्यवाही

85–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में 30 जून, 1998 को जितने माध्यमिक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उन सभी को सेवानिवृत्तिक लाभ तथा पेंशन आदि का भुगतान हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

शासकीय सेवानिवृत्त शिक्षक–09 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक— 30

कुल सेवानिवृत्त शिक्षकों की संख्या— 39

सेवानैवृत्तिक लाभ में जी०पी०एफ० 17 अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों को भुगतान कर दिया गया है ।

पेंशन :–शासकीय विद्यालय के 07 शिक्षकों को अनन्तिम पेंशन एवं अशासकीय विद्यालय के 19 शिक्षकों को अन्तिम पेंशन की स्वीकृति माह जुलाई, 98 से मार्च, 99 के मध्य प्रदान कर दी गई । कुल 26 शिक्षकों को पेंशन भुगतान आदेश दिए जा चुके हैं । सामूहिक बीमा :–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के समस्त 30 शिक्षकों के सामूहिक बीमा के दावा प्रपत्र बीमा निदेशालय 19/ए टैगोर टाउन इलाहाबाद को प्रेषित किये जा चुके हैं ।

शेष शासकीय शिक्षकों में 02 एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 11 शिक्षकों को भुगतान की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर के कतिपय बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति की छात्राओं के छात्रवृत्तियों का प्रकरण

86–श्रीमती गौरी देवी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के पंडित विश्वम्भर नाथ बालिका उच्चतर माध्यमिक रतनलाल नगर व आर्य कन्या इण्टर कालेज, गोविन्दनगर कानपुर में अनुसूचित जाति से संबंधित छात्राओं को अनुमन्य छात्रवृत्तियां वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98

तथा 1998-99 में किसी को न देकर फर्जी हस्ताक्षर व चेक बना कर हड़पा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश कार्यालय में फसली कार्यों के निस्तारण के उपरान्त सीताराम सहित मस्टर रोल कर्मियों की सेवा सम्मति

88–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–155 के उत्तर के संदर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश कार्यालय में अभी भी फसली आधार पर मस्टर रोल पर लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या वरिष्ठतम मस्टर रोल लिपिक श्री सीताराम की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनकी पुनः अनुमन्य के आधार पर मस्टर रोल लिपिक पद पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं । इस समय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् में फसली आधार पर कोई लिपिकीय कर्मचारी मस्टर रोल पर कार्यरत नहीं है ।

वर्ष 1994 में परिषद् के प्रवेश परीक्षा संबंधी फसली कार्यों के निस्तारण हेतु सीमित अवधि के लिए श्री सीताराम सहित कुछ कर्मचारी मस्टर रोल पर रखे गये थे परीक्षा कार्य की समाप्ति पर उक्त सभी मस्टर रोल मजदूरों को हटा दिया गया ।

श्री सीताराम को पुनः सेवा में लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि मस्टर रोल पर फसली कार्य हेतु रखे गये मजदूरों का पुनः नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं बनता ।

लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री सुबरन का पुनरीक्षित पेंशन आदि के भुगतान की कार्यवाही

89–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री सुबरन पुत्र रामबली बेलदार, लो० नि० खण्ड–2. सुल्तानपुर दिनांक 30-6-96 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें नये वेतनमान में ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का निर्धारण कर भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

श्री सुबरन, बेलदार की पुनरीक्षित पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण स्वीकृत करके अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर द्वारा पी०पी०ओ० दिनांक 12-3-99 को भुगतान हेतु कोषाधिकारी, सुल्तानपुर को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए मुख्य मंत्री द्वारा घोषित छात्रों की फीस माफी की घोषणा के अनुपालन की मांग

90–श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयी जुलाई, अगस्त, 1998 की भीषण बाढ़ के समय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित छात्रों की फीस माफी की घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित हो गया है ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मण्डल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्रों को फीस माफी की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद स्तर पर पूरे प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की परीक्षा जिला स्तर पर एक साथ कराये जाने की मांग

91–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद स्तर पर पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की परीक्षा जिला स्तर पर तथा शेष गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की परीक्षा जिला स्तर पर न कराने से शिक्षा का स्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों की परीक्षा जिला स्तर पर एक साथ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन हेतु खाद्यान्न का वितरण

92–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन हेतु खाद्यान्न वितरित किया जाता है और उक्त हेतु कुल कितनी मात्रा में प्रतिमाह खाद्यान्न आवंटित किया जाता है तथा वाराणसी जिले में कितने विद्यालयों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न वितरित किया जाता है ? क्या वितरण का भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

राज्य में कुल 87799 प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न वितरित किया जाता है एवं कुल 457857 कुन्तल खाद्यान्न प्रतिमाह आवंटित किया जाता है ।

वाराणसी जिले में कुल 795 विद्यालयों को प्रतिमाह कुल 6537.63 कुन्तल मात्रा में उठाकर खाद्यान्न वितरित किया जाता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहिता, जौनपुर के दो परिचारक बहुधन्धी के वेतन भुगतान के आदेश

93–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र संख्या : माध्यमिक/13449–51-98-99, दिनांक 5-11-98 में दिये गये सुझाव के अनुसार संबंधित दो परिचारक बहुधन्धी, उ० मा० विद्यालय, सोनहिता, जौनपुर के वेतन का भुगतान की कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के पत्र दिनांक 21-3-99 द्वारा वेतन भुगतान हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के मामले की जांच

94–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो किस एजेन्सी से और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जांच करायी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा यू० पी० एम० कैट परीक्षा 1998 में कौन्सिलिंग में साक्षात्कार लेने वाले अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत

95–श्री दया शंकर वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी०एम० कैट परीक्षा, 1998 में कौन्सिलिंग हेतु दिनांक 18-7-98 को रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली ने कितने अभ्यर्थियों को बुलाया था ? क्या उक्त

कौन्सिलिंग में साक्षात्कार लेने वाले अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अनियमितता की गई है ? क्या श्री आर० पी० शुक्ला, विशेष अधिकारी, यू०पी०एम० कैट ग्रीवान्सेज सेल, उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ को जुलाई, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

यू०पी०एम० कैट 1998 में दिनांक 18-7-98 को कौन्सिलिंग हेतु कुल 700 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था ।

ऐसी कोई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है ।

श्री आर० पी० शुक्ला, तत्कालीन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को इस संबंध में जो भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उन्हें मूलरूप में कुलपति, एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को भेज दिया गया था ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्र पंचायतों में पुलियों के निर्माण कराये जाने की मांग

96–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत माधौगंज के कुरसठ से परौली जाने वाले रोड से ग्राम मिर्जागंज वाली सड़क तथा क्षेत्र पंचायत बिलग्राम में परसौल रोड से रामेश्वर पुरवा तक जाने वाली सड़क पर पुलिया न होने से जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

आवागमन में कठिनाई केवल वर्षा ऋतु में रहती है । शेष ऋतुओं में आवागमन चालू रहता है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 16-12-99 को ता० प्र० सं०–8 द्वारा उत्तरित]

98–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 16-12-99 को ता० प्र० सं०–72 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी परीक्षा में गृह विज्ञान के वैकल्पिक विषय के रूप में रखे जाने की जानकारी

99–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांश महिलाओं द्वारा पढ़े जाने वाले विषय गृह विज्ञान को उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में वैकल्पिक/अनिवार्य विषय के रूप में न रखे जाने के कारण क्या हैं ? क्या इस विषय को उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी परीक्षा में गृह विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है । अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित पदों के कार्य की प्रकृति एवं तद्संबंधी सेवा नियमावलियों में उक्त विषय का प्राविधान न होने के कारण उक्त विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

100–श्री नवाब सिंह नागर–

[दिनांक 9-3-99 को अता० प्र० सं०–47 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ में इटैली-तिलखरा मार्ग पर बछाड़ी के स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य

101–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आजमगढ़ में इटैली–तिलखरा मार्ग पर बछाड़ी का पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पुल के लिये वित्तीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी ? वित्तीय स्वीकृति के बाद भी बछाड़ी के पुल का अब तक निर्माण न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 94-95 में स्वीकृत परियोजना में संबंधित मार्ग, गांगी नदी लघु सेतु व बछाड़ी नदी लघु सेतु प्राविधानित है जिसके अन्तर्गत संबंधित मार्ग व गांगी नदी लघु सेतु का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । पूर्व में संसाधनों की कमी के कारण बछाड़ी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है ।

जून, 1999 का लक्ष्य निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की मोती झील सचिवालय कालोनी के आवासों की छतों की मरम्मत

102–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोती झील सचिवालय कालोनी लखनऊ के 48 आवासों के छतों की मरम्मत का निर्णय शासन ने बजट सत्र, 1998 में लिया था ? यदि हां, तो उसका कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया तथा अब उस कार्य के प्रगति की क्या

स्थिति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त आवासों से निकाले गये ईंट रोड़ा आदि हजारों रुपये की कीमत के मलबे को संबंधित अवर अभियन्ता और चौकीदार ने बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या इस शिथिलता एवं अनियमित कार्य के लिये संबंधित अवर अभियन्ता को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ऊपर के कुल 40 आवासों की छतों की मरम्मत का निर्णय वर्ष 1997-98 में लिया गया था ।

माह सितम्बर, 98 से 10 आवासों में कार्य चल रहा है । शेष 30 आवासों के रिक्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश लखनऊ सेतु निगम में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किये जाने की जानकारी

103–श्री नेतराम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सेतु निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ को माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 एवं 24-1-98 के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की नियुक्ति के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो वह आदेश किस-किस अभियन्ता के लिये थे ? क्या यह सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 के अनुसार दिनांक 14-8-96 को आदेशित व्यक्तियों की नियुक्ति न कर अन्य लोगों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का कौन दोषी है और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14-2-95 को निम्न आदेश दिये गये थे ।

"निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहुत निष्पक्षता से बताया गया है कि निगम रेस्पोन्डेन्ट्स को उपलब्ध रिक्तियों पर पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया केवल मुद्दा यह है कि उन सभी छंटनी किये गये सुपरवाइजर्स, जिन्होंने निगम में विभिन्न परियोजनाओं में सहायक अभियन्ता अथवा अवर अभियन्ता के पद पर रेस्पोन्डेन्ट से पहले योगदान किया है, को रेस्पोन्डेन्ट से पहले पुनर्नियुक्ति हेतु विचार किया जाना चाहिये । रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रक्रिया से पुनर्नियुक्तियों में कोई आपत्ति नहीं है । हम उच्च न्यायालय के आदेश को इस सीमा तक संशोधित करते हैं एवं अपील को निस्तारित करते हैं ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-11-98 को निम्न आदेश दिये गये थे–

"इन अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करने से पूर्व हमारे द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविकिरन जैन के इस सबमिशन को, कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-11-92 एवं 25-4-95 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-1995 का पालन नहीं किया गया है, को संज्ञान में लिया गया । विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना याचिका संख्या 31/1996 एवं 1629/1996 को अपीलकर्ता द्वारा रेस्पोन्डेन्ट को नियुक्ति देते हुए जारी किये गये नियुक्ति आदेश दिनांक 12-12-1996 के परिपेक्ष्य में खारिज किया गया था ।

यह आदेश इस न्यायालय के उक्त आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में जारी किया गया था । यदि आदेश को प्रभावी नहीं किया गया है जैसा कि बताया गया है, तो इसे बिना किसी विलम्ब के दिनांक 12-12-1996 से प्रभावी किया जाय एवं रेस्पोन्डेन्ट उक्त आदेश के तहत उन सभी लाभों को उसी तिथि से पाने के हकदार होंगे जो उनको सामान्य रूप से मिलते । यदि आदेश दिनांक 12-12-1996 को पालन नहीं किया गया है तो रेस्पोन्डेन्ट्स को अपीलकर्ताओं के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही करने का रास्ता खुला है । जिसमें नियमानुसार नयी अवमानना याचिका दाखिल करना भी सम्मिलित है ।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 से संबंधित तीन याचीगण (श्री अजय कुमार सिंह, श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री ओम प्रकाश पाण्डेय) तथा इनसे वरिष्ठ छंटनीशुदा सुपरवाइजर्स के लिये थे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-11-98 निम्न के लिये था–

1–श्री अजय कुमार सिंह

2–श्री विनय कुमार सिंह

3–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय

4–श्री लाल चन्द्र सिंह

5–श्री सत्य नारायण पाण्डेय

6–श्री अमरेश सिंह

7–श्री उमाशंकर राम

8–श्री कृष्णदेव सिंह

9–श्री अनिल कुमार दुबे

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-2-91 एवं 14-2-95 के अनुसार कुल 8 सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां दिनांक 14-8-96 को की गई हैं । इनमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 से संबंधित याचीगण में से कोई याची सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम बछेड़ा, भगवानपुर एवं ग्राम शाहपुर के विद्यालयों के भवन निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र

104–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''––

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-98 या इसके आसपास जो ग्राम बछेड़ा भगवानपुर एवं ग्राम शाहपुर वि० खं० जलालाबाद शाहजहांपुर में कुछ वर्ष पूर्व दो विद्यालय भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय निर्माण निगम में टंकक पद के वेतनमान में हुई त्रुटि के शोधन हेतु संशोधित आदेश

105--श्री रणधीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में वर्ष 1991 में रुपये 410-640 (संशोधित वेतनमान 1025-1720) में विनियमित टंककों के नियुक्ति पत्रों को दिनांक 7-3-1995 द्वारा रुपये 1350-2200 संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 में ही रु० 410-640 के वेतनमान में विनियमित कार्यालय सहायक स्तर–2, जो सेवा नियमावली के अनुसार टंकक के समकक्ष है, के नियुक्ति पत्रों को भी रु० 1350-2200 में संशोधित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या–54/23-8-97–226 सीबी/88, दिनांक 13-1-1997 द्वारा केवल टंकक के पद के वेतनमान की त्रुटि ठीक करते हुए रुपये 1025–1720 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार टंककों को निर्गत नियुक्ति पत्र दिनांक 7-3-95 के सन्दर्भ में आवश्यक संशोधन आदेश जारी किया जा रहा है । कार्यालय सहायक स्तर–2 के पद के वेतनमान को रुपये 1350–2200 में संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

राजकीय निर्माण निगम कार्यालय लखनऊ में कतिपय कर्मियों के विनियमितीकरण सम्बन्धी पत्रावलियां कथित रूप में गायब होने की शिकायत

106–श्री रणधीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम के मस्टर रोल डिप्लोमा इन्जी० एवं वर्ष 1991 में कार्यालय सहायक एवं टंकक के विनियमितीकरण से संबंधित पत्रावली गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, स्टेशन रोड, मुरादाबाद में प्रबन्ध समिति के चुनाव की मान्यता

107–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज स्टेशन रोड, मुरादाबाद में माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या–32953/92 में नवीन प्रबन्ध कमेटी को मान्यता देने का आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो किस कारण से दिनांक 26-12-97 को एक फर्जी प्रबन्ध कमेटी को जिला विद्यालय निरीक्षक ने मान्यता दे दी ? क्या सरकार अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, विद्यालय के मान्य प्रशासक द्वारा विधिवत् कराये गये प्रबन्ध समिति के चुनाव की मान्यता नियमानुसार प्रदान की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के लक्ष्मी नारायण जगदीश शरण गर्ल्स कन्या इण्टर कालेज कटघर में नवीन प्रशासक योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति को निरस्त की गयी मान्यता

108–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लक्ष्मी नारायण जगदीश शरण गर्ल्स कन्या इंटर कालेज कटघर मुरादाबाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-1-84 के अनुसार पुरानी प्रशासक योजना (प्रबन्ध कमेटी) बने रहने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या एक नयी प्रशासक योजना (प्रबन्ध कमेटी) को दिनांक 19-11-98 को डी० आई० ओ० एस० द्वारा मान्यता दे दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

नवीन प्रशासन योजना के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय का दिनांक 23-1-84 का स्थगन आदेश था । जो मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-99 के द्वारा याची का नाम रिट याचिका से निकाल देने के आदेश के फलस्वरूप अब विद्यमान नहीं है ।

जी नहीं ।

नवीन प्रशासन योजना के अनुसार सम्पन्न प्रबन्ध समिति के चुनाव की मान्यता दिनांक 19-11-98 को प्रदान की गयी थी, जिसे दिनांक 22-2-99 को निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद मुरादाबाद में निर्मित नवीन सर्किट हाऊस में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति एवं जांच

109–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में नवीन निर्मित सर्किट हाऊस जिसमें वर्ष 1993 से निर्माण कार्य चल रहा है, कब तक पूर्ण होने की संभावना है ? इस हेतु कितना धन अवमुक्त कराया गया है तथा कितना धन और अवमुक्त कराया जायेगा ? क्या उक्त सर्किट हाउस गुणवत्ता के आधार पर निर्मित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मुरादाबाद में सर्किट हाउस के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा जून, 1994 में दी गयी थी । निर्माण कार्य अक्टूबर, 2000 तक पूर्ण होने की आशा है ।

रुपये 115.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रुपये 114.89 लाख अवमुक्त किया जाना शेष है ।

जी हां । किन्तु फर्श में लगाये गये पत्थर के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी टी०ए०सी० से जांच करायी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत नवीन निर्मित मार्गों पर भी वृक्षारोपण हेतु पौधों की चयनित प्रजातियां

110--मेजर जगतपाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत नवीन निर्मित मार्गों पर भी वृक्षारोपण करने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी प्रजाति की पौध लगायें जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पुराने मार्गों के साथ नवीन निर्मित मार्गों पर भी वृक्षारोपण कार्य किये जा सकते हैं ।

पथ वृक्षारोपण कार्य में स्थल की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए रोपण की जाने वाली प्रजातियों का चयन होता है जिनमें से मुख्य प्रजातियां निम्न प्रकार हैं :–

1–फलदार :–आम, जामुन, इमली, महुआ आदि ।

2–छायादार एवं पर्यावरणीय महत्व के वृक्ष :–पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, मौलश्री आदि ।

3–शोभाकार/अन्य प्रजातियां :–गुलमोहर, अमलतास, चितवन, देशी अशोक, जकरण्डा, शीशम, अर्जुन, यूकेलिप्टस आदि ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में महिला डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

111–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में कोई महिला डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में महिला डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां । जनपद चित्रकूट में कोई महिला डिग्री कालेज नहीं है ।

जी नहीं ।

सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं है ।

112–श्री अब्दुल मन्नान–

15वें शुक्रवार में अना० प्र० सं०–155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

113–श्री अब्दुल मन्नान–

15वें शुक्रवार में अना० प्र० सं०–156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड राही के प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा में कक्षा–5 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में जांच एवं दोषी कें विरुद्ध कार्यवाही की मांग

114–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय, सूरजकुण्डा, ब्लाक–राही, जनपद–रायबरेली में वर्ष 1994 की कक्षा–5 का वार्षिक परीक्षाफल समय से घोषित न किये जाने की जांच पत्रावली 31-1-95 को पत्रांक सं० 166 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० को भेजी गयी है एवं दूसरी जांच नायब तहसीलदार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली से कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी शिक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि जांच के शिकायत कर्ता श्री सदाशिव पांडेय का दो बार प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

115–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

16ठें बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

116–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

। दिनांक 18-3-99 को अता० प्र० सं०–73 द्वारा उत्तरित ।

लखनऊ के राजकीय इण्टर कालेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सी०टी० वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों का स्थायीकरण

117–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ के राजकीय इण्टर कालेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सी० टी० वेतनक्रम में 10 वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को स्थाई करने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, विधायक का कोई पत्र माह दिसम्बर, 1998 में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद लखनऊ के सी० टी० वेतनक्रम के कुल 27 शिक्षकों का स्थायीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन बादशाह नगर कालोनी के आवासों का आवंटन

118–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन बादशाह नगर, लखनऊ स्थित आवासों को केवल उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों को आवंटन हेतु ही चिन्हांकित है ? यदि हां, तो क्या इन आवासों को उत्तर प्रदेश सचिवालय से बाहर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को भी आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों की मांग इन आवासों के आवंटन हेतु समाप्त हो चुकी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आवंटित

आवासों को उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे कर्मचारियों के लिये जो उक्त आवासों के आवंटन हेतु हकदार हैं रिक्त कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

बादशाहनगर कालोनी सचिवालय कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119–श्री राजेन्द्र सिंह–

15वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

120–श्री राजेन्द्र सिंह–

15वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

121–श्री श्याम लाल रावत–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें पढ़ाने के लिये अध्यापकों के कुल कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं ? क्या रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब तक रिक्त स्थान भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कुल 2231 है । अध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 7036 है ।

जी हां ।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है यथाशीघ्र रिक्त स्थानों को भरा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद स्थित राही पर्यटक आवास गृह से शासन को लाभ

122–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद मुरादाबाद में राही पर्यटन केन्द्र से क्या सरकार को लाभ हो रहा है ? यदि नहीं, तो घाटे में चलने के कारण क्या सरकार उसे बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मुरादाबाद स्थित राही पर्यटक आवास गृह विगत पांच वर्षों से निरन्तर कार्य चालान लाभ अर्जित कर रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद स्थित प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनाये जाने की मांग

123–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में 90 प्रतिशत विद्यालयों मे चहारदीवारी नहीं है ? क्या उसके अभाव में विद्यालय व उसके प्रांगण में गांव के लोग जानवर बांधकर व गोबर डालकर उसका प्रयोग कर रहे हैं ? क्या ऐसे विद्यालयों में चहारदीवारी बनाकर विद्यालयों की सुरक्षा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता न होने के कारण चहारदीवारी बनवाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने का उद्देश्य एवं कतिपय मार्गों पर वृक्षारोपण एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

124–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों के किनारे फलदार/इमारती वृक्षों के लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है और यह योजना कब से प्रारम्भ की गयी थी ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में सड़कों के किनारे एवं तालाबों पर उक्त वृक्षारोपण के कार्यक्रम नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़–गोरखपुर, आजमगढ़–जौनपुर इलाहाबाद मार्ग पर उक्त वृक्ष कब तक लगाये जायेंगे ? क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक 1163/दिनांक 21-11-96, पत्रांक 370/दिनांक 15-3-96 व पत्रांक 1006/दिनांक 2-10-96 और पत्रांक 980/दिनांक 26-9-98 पत्रांक 979/दिनांक 26-9-98 माननीय मंत्री जी व जिलाधिकारी जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

सड़कों के किनारे फलदार/इमारती वृक्षों के लगाने का मुख्य उद्देश्य सड़कों को शोभनीय बनाना, राहगीरों को छाया प्रदान करना तथा प्रदेश में वृक्षों की संख्या में वृद्धि करके वातावरण में सुधार लाना है ।

सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने का कार्य बहुत पहले से चला आ रहा है । वन विभाग द्वारा यह कार्य सुनियोजित रूप से 1966-67 में "सड़कों के किनारे वृक्षों का प्रबन्ध" योजना आरम्भ करके किया गया । 1979 से यह कार्य सामाजिक वानिकी एवं ग्राम्य विकास की योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है ।

जी नहीं । यह कार्य भूमि एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार अब भी किये जाते हैं ।

वन विभाग द्वारा आजमगढ़-गोरखपुर तथा आजमगढ़-जौनपुर इलाहाबाद मार्ग पर भूमि एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार वृक्ष लगाये गये हैं और यह एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्यक्रम है ।

कार्यालयों के अभिलेख के अनुसार सन्दर्भित पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया गया है । भारतीय मजदूर संघ जौनपुर से सम्पर्क करने पर 15-3-96, 2-10-96 एवं 21-11-96 के पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकी । दिनांक 26-9-98 के दोनों पत्रों की प्रतियां प्राप्त न हो सकीं ।

उक्त तीनों पत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराने तथा भेड़िया समस्या का उल्लेख किया गया है । दोनों ही बिन्दुओं पर वन विभाग द्वारा कार्यवाही कर ली गयी है । विगत दस वर्षों में मार्गों के किनारे 532 हेक्टेयर तथा ग्राम समाज आदि की भूमि पर 3850 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है । भेड़िया की समस्या के समाधान के लिए भी प्रभावी कार्यवाही की गयी है और वर्तमान में जौनपुर में यह समस्या नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने एवं औद्योगिक विकास हेतु घोषित औद्योगिक क्षेत्र की योजना

125–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र घोषित है और उनमें उद्यमियों को आकर्षित करने की क्या-क्या सुविधायें हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि अभी तक उक्त क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं? क्या सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जनपद मैनपुरी में एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित है जो भोगांव मैनपुरी मार्ग पर भोगांव से लगभग 3 कि०मी० दूर सड़क के बाईं ओर स्थित है । इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में सड़क, आन्तरिक नालियां व विद्युत लाइनें निर्मित की गयी हैं । विद्युत व्यवस्था हेतु राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से स्वतन्त्र पोषक लाइन का निर्माण कराया गया है ।

औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित कुल 22 भूखण्डों में मात्र एक भूखण्ड पर मेसर्स भाई केला ट्रान्सफार्मर की ट्रान्सफार्मर बनाने व मरम्मत की इकाई कार्यरत है ।

प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति वर्ष 1998 घोषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्न योजनाओं का समावेश किया गया है :–

1–औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

2–सुरक्षित औद्योगिक वातावरण का निर्माण ।

3–लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा ।

4–पूंजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों का आकर्षण ।

5–सहयोग परक एवं संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था ।

6–पुराने उद्योगों को जीवन्त बनाने पर बल ।

7–अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता ।

8–प्रदेश की औद्योगिक सम्भावनाओं के पूर्ण उपयोग के लिए औद्योगिक गलियारों का विकास ।

9–उद्योगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति ।

10–समस्याओं का समयबद्ध तथा संवेदनशीलता से निस्तारण ।

126–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 9-3-99 को अता० प्र० सं०–135 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला में श्री दत्त गंज तथा गैण्डास बुजुर्ग में प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या तथा अध्यापकों की नियुक्ति

127–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला श्री दत्त गंज तथा गैण्डास बुजुर्ग में कुल कितने प्राइमरी पाठशाला हैं ? क्या सभी प्राइमरी पाठशालाओं में दो अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश हैं ? यदि हां, तो कितने प्राइमरी पाठशाला ऐसे हैं जहां केवल एक ही अध्यापक नियुक्त हैं ? क्या सरकार एकल अध्यापकीय विद्यालयों में दो अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत कुल 202 प्राथमिक विद्यालय संचलित हैं । विवरण निम्नवत् है :–

उतरौला –	77
श्रीदत्तगंज	72
गैण्डासबुजुर्ग	53

जी हां ।

57

जी हां ।

नियुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर हाटमिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानपुर कटरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

128–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेगे कि प्रश्नकर्ता का एक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 4-7-98 या इसके आसपास प्रमुख सचिव लोक निर्माण उत्तर प्रदेश, अधीक्षण अभियन्ता पी०डब्लू०डी० बरेली, अधिशासी अभियन्ता पी० डब्लू० डी०, बरेली को हाटमिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र 21-7-98 को प्राप्त हुआ ।

मुख्य अभियन्ता बरेली को जांच के आदेश कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खुर्जा नगर में छात्राओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज खोलने की मांग

129-श्री हरपाल सिंह--

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री खुर्जा नगर की बढ़ती हुई आबादी के परिप्रेक्ष्य में छात्राओं के हित में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह--

जी नहीं ।

सीधे इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है जिला योजनान्तर्गत परिव्यय प्राविधान उपलब्ध होने पर कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट जिला चम्पावत को स्नातकोत्तर का दर्जा देने एवं स्नातक स्तर पर कई विषय बढ़ाने का प्रकरण

130-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट, जि० चम्पावत को स्नातकोत्तर का दर्जा देने और स्नातक स्तर में शिक्षा शास्त्र, इतिहास, गृह-विज्ञान, समाज शास्त्र, सैन्य विषय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा सत्र, 1999-2000 से स्नातकोत्तर का दर्जा तथा उपरोक्त विषय खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

जी हां ।

विभिन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक निर्णय यथासम्भव होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

131-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

। 5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०-157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण तथा अन्य मदों पर धन की प्राप्ति एवं उसके आय-व्यय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

132-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-11-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण तथा अन्य मदों में प्राप्त धन के आय तथा व्यय के विवरण के संबंध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जी हां । मा० सदस्य का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 30-11-1998 को प्राप्त हुआ ।

शासन स्तर पर शाहजहांपुर जनपद में वर्ष 1998-99 में हुए वृक्षारोपण की क्षेत्रवार सूची मा० सदस्य को भेज दी गयी थी । इस प्रकरण पर मा० सदस्य का एक अन्य पत्र जो दिनांक 31-10-98

को मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और जिसमें इन्हीं सूचनाओं की मांग की गई थी, के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, शाहजहांपुर को वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित कर दिया गया था । अपेक्षित सूचनायें बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण प्रभागीय निदेशक के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी प्रकरण विशेष में मा० सदस्य को शिकायत हो और वे उसकी जांच कराना चाहते हों, तो उसे इंगित करने का कष्ट करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर, ग्राम नदैया में बाग के अवैध कटान के संबंध में शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

133–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-1-97 या इसके आसपास जो वन रेंज तिलहर क्षेत्र के ग्राम नदैया रामपुर में अवैध कटान के बारे में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

ग्राम–नदैया रामपुर के आम के बाग के अवैध कटान की शिकायत सम्बन्धी मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, बरेली को सम्बोधित एवं महामहिम श्री राज्यपाल को पृष्ठांकित मा० सदस्य का पत्र दिनांक : 19-12-1996 प्राप्त हुआ है ।

शिकायत की जांच करने पर सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से बरदह–चौकी–कोहरौली ग्राम तक रिंग रोड बनाये जाने की मांग

134–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में मुख्य मार्गों से लिंक मार्ग तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम को सड़क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से बरदह–चौकी–कोहरौली ग्राम तक रिंग रोड कब बनवाई जायेगी ? क्या इसका विस्तार आजमगढ़/जौनपुर के अन्य ग्रामों में भी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक 1163/दिनांक 21-11-96, पत्रांक 370/दिनांक 1-3-96 व पत्रांक 1006/दिनांक 2-10-96 व पत्रांक 980/दिनांक 26-9-98 तथा पत्रांक 979/दिनांक 26-9-98 मा० मंत्री जी व जिलाधिकारी जौनपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश के समस्त गांवों को सम्पर्क मार्ग द्वारा 2010 तक सर्वऋतु मार्गों से जोड़ने की योजना शासन द्वारा बनाई गई है ।

पूर्व स्वीकृत 5 कि०मी० के इस मार्ग में 2 किमी० कार्य पूर्ण है । शेष 3 किमी० मार्ग का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्तमान में रिंग मार्ग बनाने की कोई योजना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद स्थित देहरा धौलाना गुलावटी मार्ग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

135–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद में स्थित देहरा धौलाना गुलावटी मार्ग के निर्माण के संबंध में 1 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 के मध्य वो पत्र जो कि उनको संबोधित है, कितने पत्र प्राप्त हुये तथा इन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

तीन ।

प्रश्नगत मार्ग के किमी० 17 एवं 28 के आबादी वाले भाग की मरम्मत हेतु रु० 6.50 लाख के कार्य स्वीकृत हैं जिन पर निर्माण कार्य प्रगति में है । अवशेष कार्य संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर में बछलपुर–भैरमपुर मानापार बहेरिया तथा महिन्दी ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच

136–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला जनपद बलरामपुर में वर्ष 96-97 में जिला योजना से बछलपुर–भैरमपुर मानापार बहेरिया तथा महिन्दी ग्राम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि कार्य मानक के अनुसार न कराकर फर्जी कार्य दिखाकर धन का भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं की जांच मुख्य अभियन्ता फैजाबाद एवं टी०ए०सी० से करायी जा रही है । जांच क्रमित है ।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला के विद्यालयों में मुस्लिम बच्चों को उर्दू शिक्षा ग्रहण कराने हेतु उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

137–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157–उतरौला जनपद बलरामपुर में मुस्लिम बच्चों को उर्दू की शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक

विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के नियुक्ति का आदेश है ? यदि हां, तो क्या सभी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

माध्यमिक शिक्षा में मो०यू०सू० उस्मानी इण्टर कालेज, उतरौला, बलरामपुर में उर्दू शिक्षकों के 3 पद स्वीकृत हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां कम से कम पांच उर्दू पढ़ने वाले छात्र उपलब्ध हो एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान है, तदनुसार विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला में प्राथमिक विद्यालयों में 23 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है । संदर्भगत क्षेत्र में कोई परिषदीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

जी नहीं । माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों के विरुद्ध एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानकान्तर्गत आने वाले विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति सृजित पदों के विरुद्ध रिक्ति उपलब्ध होने पर की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

138–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[5 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-बस्ती की प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या एवं मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया

139–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती में कुल कितने प्राइमरी पाठशालायें हैं तथा उनमें कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, जिससे प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षण कार्य समुचित रूप से चल सके ? क्या सरकार अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कुल 1160 प्राइमरी पाठशाला है । 40:1 मानक के अनुसार कुल 1848 अध्यापकों की आवश्यकता है ।

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विषय में पत्र

140–श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग की सड़कों के विषय में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद के पत्र दिनांक 9-8-1998 ई० पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

संदर्भित पत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई अहिरौरी विकास खण्ड नयागांव से करीमनगर मार्ग का डामरीकरण एवं अधूरी सड़क को पूरा कराये जाने की मांग

141–श्री श्याम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नयागांव से करीमनगर मार्ग वि० खं० अहिरौरी, जनपद हरदोई का डामरीकरण किस वर्ष में किस योजना के अन्तर्गत कराया गया था ? क्या आज भी उक्त मार्ग के प्रथम 3 कि० मी० में डामर के स्थान पर खड़न्जा (सोलिंग) मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग में वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा उक्त अधूरी सड़क को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग की 6 कि०मी० लम्बाई में से 1-00 किमी० का डामरीकरण वर्ष 1994-95 में सामान्य जिला योजना के अन्तर्गत कराया गया ।

जी नहीं, टापकोट तक की पत्थर की कुटाई पूर्ण है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण तथा अन्य मदों पर धन की प्राप्ति एवं उसके आय-व्यय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

142–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अन्य मदों में प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में था, मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां । मा० सदस्य का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में 31-10-1998 को प्राप्त हुआ था ।

यह पत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, शाहजहांपुर को भेजते हुए निदेशित किया गया कि मा० सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उन्हें उपलब्ध करा दी जाय । मा० सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचनायें बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

द्वारा यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी प्रकरण विशेष में मा० सदस्य को शिकायत हो, और वे उसकी जांच कराना चाहते हों, तो उसे इंगित करने का कष्ट करें। इस प्रकरण पर मा० सदस्य का एक अन्य पत्र जो दिनांक 30-11-98 को मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और जिसमें इन्हीं सूचनाओं की मांग की गई थी, के क्रम में शासन स्तर से वर्ष 1998-99 में शाहजहांपुर जनपद में हुए वृक्षारोपण की क्षेत्रवार सूची उन्हें भेज दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

143–श्री अफजाल अहमद–

[5 वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

144–डा० वकार अहमद शाह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों की संख्या एवं कार्य प्रगति

145–श्री चेतराम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में कुल कितने प्राइमरी स्कूल भवन निर्मित कराये गये ? प्रत्येक भवन निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? उसमें से कितने विद्यालय बनकर पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में प्रत्येक विद्यालय भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच शासन स्तर से कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, 9 विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

पूर्ण निर्मित–शून्य

निर्माणाधीन–आठ

एक विद्यालय का निर्माण जो स्थल विवाद के कारण रुका था, का स्थल विवाद दिनांक 16-3-99 को समाप्त हो गया है, जिस पर निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है।

भवन सं०	निर्मित प्रति०	व्यय धनराशि
2	25%	0.955 लाख
6	50%	5.73 लाख
1		शून्य
	कुल व्यय–	6.685 लाख

पूर्ण निर्मित–शून्य

अपूर्ण–नौ

ग्राम शिक्षा समिति की बैठक विलम्ब से होने के कारण।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

सम्प्रति जांच कराने का अवसर नहीं है ।

वाराणसी नगर में सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टर कक्षाओं हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु चयन बोर्ड को अधियाचन

146–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे वाराणसी नगर के किन सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इण्टर कक्षाओं के स्थायी सेवानिवृत्त शिक्षकों के किन विद्यालयों में कितने पद कब से रिक्त हैं ? उक्त रिक्तियों को स्थायी नियुक्ति द्वारा कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वाराणसी नगर के 31 विद्यालयों में 98 मौलिक पद रिक्त है । सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है ।

मौलिक रिक्तियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अधियाचित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के क्षतिग्रस्त माध्यमिक (मान्यता प्राप्त व सरकारी), परिषदीय विद्यालयों के भवनों के मरम्मत हेतु पत्र

147–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–गोरखपुर में गत वर्ष 1998 की बाढ़ व बरसात से ध्वस्त व क्षतिग्रस्त माध्यमिक (मान्यता प्राप्त व सरकारी), परिषदीय विद्यालयों के भवनों की क्षति का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के माध्यम से तकनीकी विभाग की आख्या व नक्शे के साथ माह अगस्त, 1998 से दिनांक 31-1-99 तक मांगा गया था ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता व श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर के उक्त अवधि में कितने पत्र शासन के स्थानीय अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर व मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? ऐसे विद्यालय कौन-कौन हैं ? उक्त को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत है और कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के संस्कृत पाठशालाओं को कथितरूप से अवैध वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापकों के वेतन पर रोक

148–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरुण कुमार सिन्हा, उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, फैजाबाद की जांच आख्या दिनांक 27-3-98 के आधार पर संबंधित चारों विद्यालयों में अवैध वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापकों के वेतन को शीघ्र रोकने के लिये शासनादेश संख्या : बी० आई० पी०/5522, दिनांक 6-8-98 द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा को लिखित रूप से स्पष्ट

आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला मैनपुरी, पोस्ट उसनीधा, श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या का परीक्षण एवं निस्तारण

149–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 व 83 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम पोस्ट उसनीधा जिला मैनपुरी के संबंध में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) से आख्या प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ? प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्नगत विद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० से प्राप्त आख्या का परीक्षण कर निस्तारित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में शारदा कैनाल शाखा रिसालखेड़ा पुल से पहाड़पुर पुल तक नहर पटरी को पक्का कराये जाने की मांग

150–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में नहर पटरी को पक्का कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या शारदा कैनाल उन्नाव शाखा रिसालखेड़ा पुल से पहाड़पुर पुल तक 5 कि० मी० लम्बी नहर पटरी को भी पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 में नहर पटरियों को पक्का करने हेतु कार्यों का चयन जनप्रतिनिधियों से विचारोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है ।

उपरोक्तानुसार चयन होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस में श्रीमती हर प्यारी देवी इण्टर कालेज को परीक्षा समिति द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने तथा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति

151–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हर प्यारी देवी इंटर कालेज जनपद–हाथरस की मान्यता 7 अक्टूबर, 1998 की परीक्षा समिति की बैठक द्वारा समाप्त कर दी गयी है और उपरोक्त कालेज को भविष्य में कभी परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं ? क्या

उपरोक्त कालेज को परीक्षा समिति के आदेशों के विपरीत परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित करने तथा परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की संस्तुति की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पीलीभीत, बहराइच व बस्ती मार्ग के कि०मी० 391 से 401 तक राज्य सेक्टर द्वारा चौड़ीकरण कराये जाने की योजना

152–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीलीभीत बहराइच व बस्ती मार्ग के किलोमीटर 391 से 401 तक राज्य सेक्टर द्वारा चौड़ीकरण कार्य को माह फरवरी, 1999 तक पूरी कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

कार्य योजना के अनुसार मार्च, 99 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

किलोमीटर 391 से 401 तक का कार्य प्रगति में है तथा लक्ष्य को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर, विकास खण्ड ज्ञानपुर में धनतुलसी डेगुंरपुर गंगा घाट पर पैन्टून पुल के निर्माण की मांग

153–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बहु प्रतीक्षित धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पैन्टून पुल का निर्माण किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

154–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी में रेत खनन के पट्टे के निरस्तीकरण का मांग

155–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत यमुना नदी में खनन के जो पट्टे जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिये गये हैं ? क्या वह पट्टे वैधानिक है ? नहीं, तो क्या सरकार उनको निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी०एन०एस०डी० इण्टर कालेज, कानपुर में पी०टी०ए० के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर

156–श्री भगवती प्रसाद सागर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बी० एन० एस० डी० इण्टर कालेज कानपुर सत्र, 1997-98 में दो बार 50/–रु० प्रति छात्र से पी० टी० ए० के नाम पर लगभग 9 हजार छात्र 9 लाख रुपये की अवैध वसूली की गई है ? क्या जनरेटर खरीदने, विद्युत उपकरण तथा प्रवेश पत्र आदि के नाम पर क्रमशः 30/-, 12/- तथा 50/- रुपये की अनियमित वसूली प्रत्येक छात्र से की है ? क्या वह वसूली इस वर्ष भी हुयी है ? क्या इस अवैध वसूली की जानकारी उत्तर प्रदेश माध्य० शिक्षक संघ के कानपुर नगर के पदाधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर एवं सं० शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर तथा शिक्षा निदेशक (माध्य०) उत्तर प्रदेश को 20 फरवरी 6 मार्च, तथा 11 मार्च, 98 के पत्रों द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में आज तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रकरण के प्रत्येक बिन्दुओं पर सं०शि०नि० कानपुर को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर नगर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद का नियमानुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही

157–श्री भगवती प्रसाद सागर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर नगर के सहायता माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहक प्रधानाचार्यों में से कुछ को प्रधानाचार्य पद का वेतनमान विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा दिया जा रहा है और कुछ को नहीं ? यदि हां, तो ऐसा क्य

मंत्री जी इस विसंगति को दूर करते हुये सभी कार्यवाहक, प्रधानाचार्यों को कार्यवाहक अवधि का पता के आधार पर प्रधानाचार्य पद के वेतनमान का भुगतान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नैपाल सिंह--

जी हां ।

प्रबन्धतन्त्र द्वारा अधियाचन व अनुमोदन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण तन्त्र से अधियाचन प्रपत्र तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य के नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त पर परीक्षणोपरान्त प्रधानाचार्य के पद के वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार कर दी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद आजमगढ़/जौनपुर के मुख्य सड़क मार्ग से लिंक/सम्पर्क मार्ग बरदह से कोहरौली तक निर्माणाधीन मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़/जौनपुर के मुख्य सड़क मार्ग से सम्पर्क मार्ग बरदह से कोहरौली तक कुल कितने किमी० सड़क का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ गया ? उक्त सड़क के निर्माण हेतु ग्राम--कोहरौली, कुम्भ, चौक आदि ग्रामों की किन-किन नों की कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? मानचित्र के अनुसार सड़क व उसकी पटरियों ौके पर चौड़ाई क्या है तथा कुल कितने किमी० सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा य सड़क व पटरियों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि सड़क र्माण/लेपन कार्य में प्रयुक्त तारकोल व गिट्टी का प्रयोग मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है ? हां, तो क्या मा० मंत्री जी इसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हलराज मिश्र--

ग्राम बरदह से कोहरौली 5 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ किया था ।

प्रश्नगत ग्रामों के किसानों की कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है ।

मार्ग के प्रथम दो कि०मी० भाग का निर्माण कार्य द्वितीय लेपन स्तर तक पूर्ण है । इस भाग की ई 5.50 मी० से 7.50 मी० है । अवशेष 3.00 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य संसाधनों की ध्ता पर निर्भर है ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध महोत्सवों के आयोजनों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय धनराशि

श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध व के विभिन्न आयोजनों पर राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया ? क्या इन आयोजनों के

माध्यम से कोई स्थायी परिसम्पत्तियों [illegible] हुआ है ? यदि हां, तो क्या और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश सरकार द्वारा [illegible] आयोजन पर रु० 25.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सेतु निगम में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याची सहायक अभियन्ता एवं याचीगण अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति

160–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि विनय कुमार सिंह अन्य बनाम प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम के मामले में पक्षकारों को 12-12-96 से नियमित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का पद और वेतनमान देने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-11-92, 25-4-95 के अनुपालन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अवमानना याचिका 31/96 एवं 1629/96, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-8-97 के अनुपालन में याचीगणों को नियमित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का पद और वेतनमान सरकार ने नहीं प्रदान किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-11-92 एवं 25-4-95 तथा इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-95 तथा पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-9-91 के अनुपालन में निगम द्वारा निगम के टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड–I/ग्रेड–II में से चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के भरने की कार्यवाही की गयी है । इसके फलस्वरूप कुल 19 सहायक अभियन्ताओं एवं 85 अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गयी हैं जिनमें 9 याचीगण में से 1 याची सहायक अभियन्ता एवं 3 याचीगण अवर अभियन्ता के पदों पर नियुक्त किये गये हैं ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत खुटार रोड के मध्य गोमती एवं भैसी नदियों पर क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की मांग

161–श्री नेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत खुटार रोड के मध्य गोमती एवं भैसी दोनों नदियों पर बने पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गये है ? क्या सरकार जनहित में इन नदियों पर बने पुलों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी [illegible]

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

162–श्री श्याम देव राय चौधरी–

15वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद रामपुर की डा० नलिनी चन्द्रा प्राचार्या राजकीय महिला महाविद्यालय के विरुद्ध कतिपय आरोप पर स्पष्टीकरण

163–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० नलिनी चन्द्रा प्राचार्य रा० म० महाविद्यालय रामपुर के सम्बन्ध में कोई जांच सतर्कता विभाग, बरेली को सौंपी गयी है ? यदि हां, तो जांच के मुद्दे क्या है तथा क्या यह सच है कि उक्त प्राचार्या पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं तथा चरित्र हनन जैसे आरोप हैं ? पूर्व प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल द्वारा की गयी जांच पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय आरोप हैं।

जी हां।

डा० नलिनी चन्द्रा प्राचार्या राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों को राज्य योजना के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति

164–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की महत्वपूर्ण भगवन्त नगर–बारा मार्ग, चमियानी–त्रिपुरारपुर मार्ग एवं शेखापुर–कलांव मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 में धन का प्राविधान किया गया हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के शारदा कैनाल पुरवा शाखा केदार खेड़ा पुल से जालिमगंज पुल तक नहर की पटरी पक्का कराये जाने की योजना

165-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में नहर पटरी को पक्का करा कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या शारदा कैनाल पुरवा शाखा केदार खेड़ा पुल से जालिमगंज पुल की 4 कि०मी० लम्बी नहर पटरी को भी पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 में नहर पटरियों को पक्का करने हेतु कार्यों का चयन जनप्रतिनिधियों विचारोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है ।

उपरोक्तानुसार चयन होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के प्राथमिक पाठशाला बहादीन ब्लाक मांट के संबंध में शिकायती-पत्र पर यथोचित कार्यव

166-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-1-99 का पत्र जो पा० बहादीन ब्लाक मांट जिला मथुरा के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

पत्र शिक्षा निदेशक (बेसिक) को दिनांक 14-1-99 को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में गोवर्धन को तीर्थस्थल घोषित करने की मांग

167-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री अन्य तीर्थ स्थलों की भांति गोवर्धन जनपद मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

विदित ही है कि मथुरा एक प्राचीन मान्य तीर्थ स्थल है परन्तु जहां तक "गोवर्धन" को तीर्थ स्थ घोषित करने का प्रश्न है, किसी स्थान विशेष को औपचारिक रूप से तीर्थ स्थल घोषित करने की श की नीति नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

मोदी नगर–हापुड़ मार्ग के घटिया निर्माण कार्य में दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता का निलम्बन

-श्री रूप चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मोदी नगर–हापुड़ मार्ग के घटिया निर्माण की शिकायत ंच मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हीं की जांच रिपोर्ट ासन ने भी राम किशोर उर्फ आर० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता को निलम्बित किये जाने के ा जारी किए थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि उक्त खण्ड में तैनात शासी अभियन्ता ने निलम्बन आदेश वापस कर दिये थे ? यदि हां, तो सरकार दोषी सहायक अभि० कब तक निलम्बित करेगी ? क्या सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भी कार्यवाही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लराज मिश्र–

मुख्य अभियन्ता द्वारा शिकायत की जांच नहीं, वरन् प्रश्नगत मार्ग के कार्यों का स्थलीय सत्यापन गया था ।

जी हां । श्री आर० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, यावाद को निलम्बित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

जी हां ।

दोषी सहायक अभियन्ता श्री राम किशोर को दिनांक 11-3-99 को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता । श्री अग्रवाल को मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद की आख्या के आधार पर निलम्बित गया था । मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद की गलत नाम की संस्तुति करने के लिये चेतावनी दे दी गयी

प्रश्न नहीं उठता ।

नपद शाहजहांपुर में हाट मिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानपुर कटरा में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र पर जांच

-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 30-11-98 या इसके आसपास ाष्ट्रीय राज मार्ग नं०–24 किलोमीटर–290 में स्थित हाट मिक्स प्लान्ट नं०–87 मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में था, माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, स पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लराज मिश्र–

शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 16-11-98 प्राप्त हुआ है ।

ुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को जांच के आदेश दिये गये हैं । क्रमित है ।

अशासकीय/राजकीय इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापक/प्रशिक्षित स्नातक पदों पर भर्ती के समय एन०एस०एस० एवं स्काउट और गाईड सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाने की मांग

170-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय/राजकीय इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापक/प्रशिक्षित स्नातक पदों पर भर्ती करते समय एन०सी०सी० एवं खेलकूद प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों को निर्धारित बोनस अंक प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एन०एस०एस० एवं स्काउट और गाईड सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थियों को भी निर्धारित बोनस अंक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में डिग्रीधारी ट्रेन्ड अभ्यर्थियों को एन०सी०सी० सर्टिफिकेट पर बोनस अंक दिये जाने का प्राविधान

171-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती बी०एड०, सी०पी० एड०, डी०पी०एड० डिग्री धारी अभ्यर्थियों से भरने जा रही है ? क्या उक्त पदों के लिये एन० सी०सी० सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार एन०एस०एस० सर्टिफिकेट धारी अभ्यार्थियों को भी बोनस अंक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

जी हां । केवल "बी" सर्टिफिकेट एवं "सी" सर्टिफिकेट धारियों को क्रमशः 3 एवं 5 बोनस अंक दिये जाने का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

एन०एस०एस० की एन०सी०सी० से समतुल्यता नहीं है ।

172-श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 9-3-99 को अता०प्र०सं० 104 द्वारा उत्तरित]

जनपद-शाहजहांपुर, विकास खण्ड तिलहर में सिमरा मार्ग निर्माण के संबंध में प्राप्त पत्र पर जांच

173-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-8-97 या इसके आसपास जो वि०स० क्षेत्र तिलहर में सिमरा मार्ग के निर्माण की जांच के संबंध में था, मा० मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शिकायती पत्र दिनांक 26-6-97 प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता बरेली को जांच के आदेश दिये गये है ।

जांच क्रमित है ।

जनपद बस्ती में पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना, के अन्तर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण

174–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 1997-98 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाली सड़कों का प्रस्ताव किन-किन विधायकों द्वारा प्राप्त हुआ है ? उन सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1997-98 में राज्य सेक्टर की योजना पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना में किसी विधालय से प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1997-98 में प्रश्नगत योजना में जनपद बस्ती में 6 कार्य स्वीकृत हुये थे, जिसमें 5 कार्य पूर्ण हो चुकें है तथा एक मार्ग भूमि विवाद के कारण बाधित है ।

जनपद बस्ती में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की कमी

175–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितने ऐसे प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है जिनमें छात्रों के अनुपात के आधार पर अध्यापक नहीं हैं ? क्या कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें कोई अध्यापक नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो अध्यापकों की पूर्ति के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कुल 708 प्राइमरी विद्यालय तथा 75 जूनियर हाई स्कूल ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर, नोएडा उद्योग विभाग के अधिकारियों से स्थानान्तरण के पश्चात् आवास खाली कराने की कार्यवाही

176–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर में कितने पूर्व अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने स्थानान्तरण के बाद भी आज तक सरकारी आवास नहीं छोड़े हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी आवासों को खाली कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

नोएडा में 12 अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त भवन रिक्त नहीं किया गया है ।

उपर्युक्त में से–

2 अधिकारियों को भवन रिक्त करने हेतु नोटिस भेजा गया है तथा उनसे अनुमन्य अवधि के उपरान्त का मार्केट रेन्ट लिया जा रहा है ।

1 अधिकारी से भवन रिक्त कराने एवं मार्केट रेन्ट वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

3 अधिकारियों को दिनांक 31-3-1999 तक भवन रखने की अनुमति दी गयी है ।

1 अधिकारी की अनुमन्य अवधि समाप्त नहीं हुयी है ।

5 अधिकारी, जो पुलिस विभाग के हैं, से मार्केट रेन्ट वसूली करने एवं भवन रिक्त करने हेतु उनके वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया गया है ।

बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इण्टर कालेज लखनऊ में प्रबन्ध समिति के चुनाव के विरुद्ध जांच

177–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ जो सहायता प्राप्त संस्था है, के प्रबन्ध कारिणी समिति के चुनाव औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना उस व्यक्ति द्वारा कराये गये हैं जिसको किसी पद के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है ? क्या इस चुनाव को जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा मान्य घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि नियमों के विपरीत उक्त कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति में अध्यक्ष, मंत्री/प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष की पत्नियों को सदस्य बनाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

चुनाव विभागीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था जिनकी संस्तुति पर चुनाव मान्य किया गया । प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है ।

शिव हर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच की जानकारी

178–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव हर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती के प्राचार्य डा० प्यारे लाल शुक्ल द्वारा कालेज के विभिन्न मदों से लाखों रुपये के दुरुपयोग से सम्बन्धित नागरिकों का रजिस्टर्ड पत्र संख्या 3000 दिनांक 20-7-98 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? क्या इसी सम्बन्ध में सांसद श्री श्रीराम चौहान का रजिस्टर्ड पत्र संख्या 4948 दिनांक 26-9-98 भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

निदेशक उच्च शिक्षा को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ललित कला संकाय के मानक के अनुरूप योग्यता वाले इन्सट्रक्टर्स को संशोधित पदनाम व वेतनमान

179--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विश्व विद्यालय के ललित कला संकाय (कला एवं शिल्प महाविद्यालय) के प्रवक्ता पद की शैक्षिक योग्यता नियमावली के अध्याय-11 के नियम-11.01(4) के अनुसार "सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या अविछिन्न उत्तम शैक्षिक अभिलेख/डिप्लोमा या सम्बद्ध विषय में अत्यन्त प्रशासकीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार" निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या इस संकाय के सभी इन्सट्रक्टर्स का पदनाम एवं वेतनमान संशोधित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन-किन इन्सट्रक्टर्स का पद नाम एवं वेतनमान नहीं बदला गया है ? क्या सरकार एतद्विषयक शासनादेश सं० : 3560/70-4/98-2(9)/96 दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन बाकी इन्सट्रक्टर्स को भी संशोधित पदनाम व वेतनमान दिया जाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

ललित कला संकाय (कला एवं शिल्प महाविद्यालय) के प्रवक्ता पद की शैक्षिक योग्यता लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 11.01(4) के अनुसार निम्नवत् है :-

"सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या अविछिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख ।

या

सम्बद्ध विषय में अत्यन्त प्रशासकीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार ।

जी नहीं ।

उन्हीं इन्स्ट्रक्टर्स का पदनाम व वेतनमान संशोधित नहीं किया गया है जो शासनादेश सं०-3560/70-4/98-2(9)/96, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 के अनुसार निर्धारित योग्यता नहीं रखते है ।

निम्नलिखित इन्स्ट्रक्टर्स का पदनाम व वेतनमान नहीं बदला गया है :-

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद

(2) श्री एस० एम० वाकर जैदी

(3) श्री नियाज अहमद

(4) श्री अमरनाथ गौड़

(5) श्री सब्बीह अब्बास जैदी

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि ये शेष 5 इन्स्ट्रक्टर्स निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों हेतु उपयुक्त एवं परिष्कृत सामग्री का वितरण

180–श्री अकबर हुसैन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के 20 हजार सदस्यों हेतु रुपया चौदह लाख में त्रुटिपूर्ण मुद्रण सामग्री वर्ष 1998 में तैयार कर वितरित की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि के दुरुपयोग के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । उपयुक्त एवं परिष्कृत सामग्री वितरित की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर लोक मान्य तिलक इण्टर कालेज पचपेड़वा में सहायक अध्यापक श्री शैलेन्द्र कुमार यादव की तदर्थ नियुक्ति एवं वेतन

181–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकमान्य तिलक इण्टर कालेज पचपेड़वा, बलरामपुर में सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 28-7-98 को श्री शैलेन्द्र कुमार यादव की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री शैलेन्द्र कुमार यादव को नियमित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता .

182–श्री राम औतार शाक्य–

(7वें मंगलवार के लिये स्थगित ।

जनपद मैनपुरी में अध्यापक विहीन विद्यालयों की संख्या एवं नियुक्ति की कार्यवाही

183–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1998 में एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं था ? क्या सरकार शिक्षक विहीन विद्यालयों में अविलम्ब शिक्षकों के स्थानान्तरण अथवा नई नियुक्तियों से जगह भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद मैनपुरी के 7 विकास खण्डों के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार 71 प्राथमिक विद्यालय प्रश्नगत माहों में अध्यापक विहीन रहे ।

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 210–212 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति एवं निर्माण में विलम्ब के कारण

184--श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् में वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 तथा 1998-99 में कितने प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हुए और इनमें से कितने विद्यालयों के भवन पूर्ण हो चुके हैं और कितने-कितने विद्यालयों के भवन अपूर्ण हैं ? विद्यालय भवनों के अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण भवनों को पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष	प्रा० वि०	पूर्व मा० वि०
96-97	199	14
97-98	08	18
98-99	—	02
96-97	81	08
97-98	—	—
98-99	—	—
96-97	118	06
97-98	08	18
98-99	—	02

निर्माण कार्य में 60 प्रतिशत धनराशि जवाहर रोजगार योजना से प्राप्त न होने के कारण एवं जिला शिक्षा समिति की बैठक में अनुमोदन न होने के कारण ।

जी हां ।

धन प्राप्त होने पर एवं शिक्षा समिति के अनुमोदन हो जाने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़/जौनपुर मुख्य मार्ग से बरदह-चौकी-कोहरौली मार्ग के निर्माण में स्वैच्छिक रूप से दी गई भूमि का अधिग्रहण

185--श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग से निर्माणाधीन बरदह–चौकी–कोहरौली मार्ग के निर्माण हेतु किन-किन किसानों की भूमि ली गयी है ? क्या यह सही है कि संबंधित किसानों को अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? मुआवजे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग निर्माण में श्रीमती भानमती, सर्वश्री जय नारायण, तरसू, मोती लाल, श्याम नाथ, धन्नी, राजेन्द्र, जगनन्दन, गरीब, छांगुर, महाजन, देवी प्रसाद, राम प्रसाद, बलराम, रास बिहारी व जर्नादन की भूमि ली गई है ।

निःशुल्क भूमि लेने के कारण मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत किसानों की सहमति से निर्माण होने के कारण भूमि-प्रतिकर का प्राविधान नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़ के विरुद्ध शिकायत पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से प्राप्त आख्या एवं कार्यवाही

186–श्री राम प्यारे सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त आख्या पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के एल०टी० ग्रेड अध्यापकों के चयन पश्चात उनकी तैनाती की जानकारी

187–डा० राम बाबू हरित–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-4-96 को साक्षात्कारोपरान्त दिनांक 3-6-96 को कितने एल०टी०ग्रेड के अध्यापक अनुसूचित जाति के चयनित किये गये हैं ? उनकी तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा स्नातक वेतनक्रम में कुल 1023 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है किन्तु दिनांक 11-4-96 को आयोग द्वारा जीव विज्ञान विषय का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और इनमें से दिनांक 27-5-96 को 16 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित किये गये ।

सभी चयनित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की तैनाती (पदस्थापन) आयोग द्वारा कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

188 श्री राम अचल राजभर–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद जौनपुर स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु प्राचार्य के बयान लेने का प्रकरण

189–श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई ने 17-6-97 को जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का बयान भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राचार्य के बयान क्या हैं ? क्या प्राचार्य का बयान नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

190–श्री अब्दुल मन्नान–

[दि० 22-2-99 को अता० प्र० सं० 156 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर तिलहर वन विभाग के चौकीदार का कथित अपहरण

191–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-7-98 या इसके आसपास जो वन विभाग तिलहर (शाहजहांपुर) के कर्मचारियों द्वारा चौकीदार के अपहरण की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिनांक 28-7-98 को प्रमुख सचिव परिवहन को जांच के लिये आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव परिवहन ने उपरोक्त जांच प्रारम्भ की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पत्र प्रमुख सचिव परिवहन को नहीं बल्कि प्रमुख सचिव वन को भेजा गया था । जांचोपरान्त अपहरण की बात सही नहीं पाई गई ।

जनपद गोण्डा, भूमि संरक्षण अधिकारी डी०पी०ए०पी० (प्रथम) पचपेड़वा को वर्षवार कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि

192–श्री अफजाल अहमद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान भूमि संरक्षण अधिकारी, डी० पी० ए० पी० गोण्डा प्रथम पचपेड़वा जनपद गोण्डा को वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 में कितना धन भूमि संरक्षण कार्य हेतु दिया गया ? क्या यह सही है कि सारे धन को बिना कार्य किये ही फर्जी भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सैमरी परियोजना गेसड़ी, टेढ़वा बांध कार्य उतरौला आदि कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

भूमि संरक्षण अधिकारी, डी०पी० ए०पी० गोण्डा प्रथम, पचपेड़वा, जनपद गोण्डा को वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में कुल 467.096 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है । अवमुक्त की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

(1) वर्ष	नये कार्यों पर अवमुक्त	
	कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि
1996-97	22	36.850
1997-98	75	174.140
1998-99	39	73.643
योग	136	284.633

(2) वर्ष	अधूरे कार्यों पर अवमुक्त	
	कार्यों की संख्या	अवमुक्त धनराशि
1996-97	31	32.113
1997-98	20	54.880
1998-99	47	95.470
योग	98	182.463

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेमरी परियोजना गैरड़ी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा टेढ़वा बांध उतरौला हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि वर्ष 1998-99 में अवमुक्त की गयी है, जो निर्माणाधीन है ।

कार्य सूची में नत्थी 'घ' तारांकित प्रश्न संख्या–2 के निरस्त होने विषयक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष द्वारा आश्वासन

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आप नत्थी–घ पर ता० प्र० सं०–2 को देखने की कृपा करें । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कुछ विद्यालय एवं महाविद्यालय नियमों के विपरीत चलाये जा रहे हैं । यदि हां, तो इन विद्यालयों, महाविद्यालयों का संचालन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं । यह प्रश्न लगा था उसके बाद भी विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है । मेरे प्रश्न में विस्तीर्णता कहां है ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी पत्रावली देख लूं । जब प्रश्न स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित विभाग के पास जाता है । मैं देखूंगा कि किस आधार पर विस्तीर्णता की बात कही गयी है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

पहली डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, दूसरी श्री गोरखनाथ पाण्डेय, तीसरी श्री रमेश राही, चौथी श्री रामचन्द्र यादव, पांचवी श्री जगदीश नारायण राय, छठी श्री विजय पाल सिंह एवं सातवीं श्री पूर्णमासी पंकज की सूचना है । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सातों सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

मेरठ महानगर में नियमानुसार सर्किल रेट पर बैनामा होने के बावजूद कम रेट पर रजिस्ट्री आधार बनाकर जनता का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[सम्पत्ति का बैनामा जिलाधिकारी द्वारा घोषित सर्किल रेट पर करने के बाद भी, उपमहानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन/स्टाम्प तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) द्वारा जनपदों में सुविधा शुल्क के लिये जनता का अनवरत उत्पीड़न की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं ।

नियमानुसार सर्किल रेट पर बैनामा होने के बावजूद कम रेट पर रजिस्ट्री आधार बना कर सुविधा शुल्क में वृद्धि के लिये न्यायालयों में निरर्थक मुकदमों की संख्या बढ़ाई जा रही है ।

मेरठ महानगर में डी०आई०जी० रजिस्ट्रेशन तथा ए०डी०एम० (वित्त) इस प्रकार का खुला खेल खेल रहे हैं ।

मेरठ महानगर में सामान्य जनता के अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सोनभद्र व चन्दौली में मौरंग के अवैध खनन को रोकने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर विकास कार्य कराये जा रहे हैं । जनपद सोनभद्र में व चन्दौली में मौरंग की कोई भी खनन अनुज्ञा पत्र नहीं जारी किया गया है । जिला चन्दौली के बकुलघट्ठा नामक स्थान से व गंगापुल नामक स्थान से मौरंग की अवैध खुदान लगाकर आपूर्ति करायी जा रही है जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल ही रहा है किन्तु सरकार के रायल्टी का भी भारी नुकसान किया जा रहा है और मात्र 5 कि०मी० की दूरी से आपूर्ति कराकर मीरजापुर के लूसा क्वायरी से आपूर्ति दिखाकर 10 गुने से ज्यादा रेट का भुगतान किया जा रहा है जिससे जहां कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं सरकारी धन का काफी दुरुपयोग किया जा रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्तु आपसे आग्रह है कि मीरजापुर नहर प्रखण्ड के द्वारा पकरहट बगौरा तेलंग गुजैनिया व संडीमाइनर आदि मार्गों पर कराये गये मौरंग व पत्थर की आपूर्ति रायल्टी मांग करते हुए अवैध खनन को रोकने व की जा रही भारी लूट की जांच कराने का कष्ट करें । ।

जनपद–सीतापुर के जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों को फफूंदी लगी दवाओं के वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही–

। महोदय, आपका ध्यान मैं अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जनपद सीतापुर जिला चिकित्सालय सीतापुर द्वारा मरीजों को दी जाने वाली दवाओं में अनियमिततायें बरती जा रही है । मान्यवर, मरीजों को फफूंदी लगी दवायें वितरण की जा रही है । जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है । केवल जनपद सीतापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की दवायें वितरण की जा रही हैं । दिनांक 13-3-99 को जिला चिकित्सालय सीतापुर में मरीजों को फफूंदी लगी दवायें वितरण की जा रही थीं । जिसकी समाप्ति वर्ष 2000 थी मान्यवर, मरीजों द्वारा शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया गया तब मजबूर होकर कुछ मरीज पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री राम लाल राही जी से मिले और अपनी दवायें दिखाईं और कहा जिला चिकित्सालय में हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है । तब मरीजों के साथ राही जी अस्पताल गये इत्तिफाक से मा० स्वास्थ्य मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी उसी दिन जिला अस्पताल में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिये गये थे तब राही जी मा० स्वास्थ्य मंत्री से मिले और फफूंदी लगी दवायें दिखाईं । तब मंत्री जी ने मात्र औपचारिकता निभाई दवाओं को लैब भेजे जाने को कहा और न ही मा० मंत्री जी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से पूछना भी उचित नहीं समझा कि यह दवायें कहां से आयीं और किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं की । मा० अध्यक्ष महोदय यह विषय लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है । अति अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है ।

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम बघौड़ा के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का बैनामा कराने एवं उसे गायब कर दिये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्दर यादव–

। महोदय, जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर अन्तर्गत विदेशी पुत्र श्री महावीर अनुसूचित जाति निवासी ग्राम बघौड़ा पूरे अग्निहोत्री की पैत्रिक भूमि को रावींदिन पुत्र जगरनाथ, निवासी ग्राम मजनाई द्वारा बगैर जिलाधिकारी के अनुमति के अनुसूचित जाति न दिखाकर बैनामा करा लिया और उक्त विदेशी पुत्र महावीर को गायब कर दिया जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है । सम्पति व जगरूप पुत्रगण जगराम निवासी गण बघौरा द्वारा तहसीलदार मिल्कीपुर को सूचना दी गई परन्तु बगैर जांच पड़ताल किये उक्त बैनामें की खारिज दाखिल करा दी गई । उपरोक्त क्रेतागण सरकस व दबंग प्रवृत्ति के

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यक्ति है आये दिन आपत्तिकर्ताओं को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोशिश करते रहते हैं जिससे कोई कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत पराडगंज बाजार स्थित धौर ग्राम में 33 के० वी० का विद्युत सब स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयालसी जनपद जौनपुर में विद्युत संकट बराबर बना रहा है इसको दूर करने हेतु एक 33 के० वी० का सब-स्टेशन क्षेत्रीय आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुये विभाग द्वारा पराडगंज बाजार स्थित धौर ग्राम में बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये शीघ्र उक्त स्थान पर विद्युत सब-स्टेशन बनाने की मांग करता हूं ताकि क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके ।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ककुवा नाले पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में जिला प्लान अथवा अन्य योजनाओं द्वारा निर्मित अथवा निर्माणाधीन तथा निर्माण होने की स्थिति में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में मुख्यतः ककुवा नाला तथा फतेहाबाद, रसूलपुर साकुरी कलां होकर गुजरने वाले नाले पड़ते हैं जबकि उक्त नालों पर होकर सम्पर्क मार्गों पर पुल पुलियों का निर्माण न होने से उक्त मार्गों पर वाहनों का आवागमन न होने से किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है । फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र आलू,गेहूं व सरसों आदि के पैदावार में अग्रणी क्षेत्र रहा है । अतः उक्त समस्या के समाधान हेतु जनहित में शासन का ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक है ।

उदाहरण बतौर चमरौली–मंझारा, सम्पर्क मार्ग सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दगडा से खड़न्जा स्तर तक निर्माणाधीन है तथा लेपन स्तर जिला योजना में स्वीकृत किया जा चुका है ।

एत्मादपुर–अजनेरा से कुतुकपुर मंझारा सम्पर्क मार्ग जिला योजना में दगडा से लेपन स्तर तक वर्ष 98-99 में स्वीकृत जो कि निर्माण होने की स्थिति में हैं परन्तु उक्त दोनों मार्गों पर ककुवा नाले पर पुलों का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है । जो कि अभी तक मेरे द्वारा कई बार जिलाधिकारी आगरा को लिखे जाने के बावजूद स्वीकृत नहीं किया जाना खेद का विषय हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाने की अनुमति प्रदान करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद (भदोही) संत रविदास नगर के मुख्यालय में राज्य परिवहन निगम द्वारा सिटी बस सेवा अनुपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी [illegible]–

[माननीय, मेरे जनपद (भदोही) संत रविदास नगर में मुख्यालय के लगभग 25 कि०मी० दूरी से प्रतिदिन, शिक्षा, न्यायालय एवं अन्य राजकीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है । परन्तु अभी तक भदोही जनपद में ज्ञानपुर मुख्यालय से कोई भी राजकीय परिवहन सेवा/सिटी बस सेवा अनुपलब्ध होने से विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मुख्यालय से उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दुर्गागंज, चौरी, सुरियांवां, कोईरौना, औराई, गोपीगंज, भदोही से परिवहन की व्यवस्था करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पाण्डुलिपि रूप में प्रस्तुत करने व मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

विधान सभा के चालू सत्र में यह देखने में आया है कि विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं और एजेण्डा में उस मद के सामने यह लिखा रहता है कि संबंधित प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी । समितियों के प्रतिवेदन की प्रतियों के अभाव में हम चाहें भी तो प्रक्रिया नियमावली के नियम 216(4) के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन पर सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर चर्चा किये जाने की मांग नहीं कर सकते । मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि यह न्यायोचित नहीं होगा कि बिना प्रतिवेदन पढ़े ही किसी प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग की जाये । समितियों के प्रतिवेदन की प्रतियां मुद्रित हो जाने के उपरान्त ही प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 216(4) के अन्तर्गत इस सदन में प्रतिवेदनों पर चर्चा की मांग से संबंधित माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन न हो सके इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पेंशनर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रयास तो सदैव यही रहता है कि मुद्रित प्रति उपलब्ध करा दी जाये । कभी-कभी कठिनाई आ जाती है, मैं प्रयास करूंगा कि यह कठिनाई न आये ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रतिवेदन समितियों से सम्बन्धित है और समितियों के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद मांगे जाने की परम्परा का प्रक्रिया नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है । मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

[ ] यह अंश [illegible] द्वारा आनीत नहीं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, विधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा जारी किये गये निर्देश 158 का उल्लेख करना चाहता हूं। यह केवल बजट के साहित्यों के मामले में ही नहीं है। जिस प्रतिवेदन पर माननीय सदन का अभिमत जानना है या जिस पर माननीय सदन के सदस्य चर्चा की मांग कर सकते हैं, उन सभी के बारे में यह है "वह साहित्य जिस पर सदन को विचार करना है कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिए।"

श्री अध्यक्ष–

निदेश 158 सरकार के प्रति आता है। यह जो समितियों का प्रतिवेदन है, यह विधान सभा का प्रतिवेदन है इसके लिये यह नहीं हैं। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

एक दिन के उपवेशन में पांच विधेयकों को मात्र 17 मिनट में विचार कर पारित कर दिये जाने संबंधी औचित्य के प्रश्न को श्री अध्यक्ष द्वारा नियम समिति को निर्दिष्ट किया जाना

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी की है।

डा० लक्ष्मीकांत वाजपेयी–

मान्यवर, कल की कार्यसूची में 5 विधेयक प्रस्तुत हुये थे। इस विधान सभा का मुख्य उद्देश्य है विधायन करना। कल जो 5 विधेयक प्रस्तुत हुये थे मात्र 17 मिनट में ही उसका प्रस्तुतीकरण, संशोधन उसका वाचन और पारण यह सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी। जो संसदीय प्रणाली और व्यवहार में कौल शकधर में कहा है कि "संसद का एक महत्वपूर्ण कृत्य कानून बनाना है। सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा के अनुसार कानून शब्द का अर्थ ऐसे अधिनियम में दिया गया आदेशात्मक निदेश है जिस पर कि विधेयक के रूप में विधिवत वाद-विवाद हुआ है, जैसा वाद-विवाद गठित विधान मण्डल ने विहित तरीके से पास किया है।" कल जो विधेयक पारित हुये हैं उसमें कुछ धन विधेयक थे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना देख लिया है। यह महत्वपूर्ण है विचार और प्रतिवेदन के लिए नियम समिति को निर्दिष्ट कर रहा हूं। नियम समिति इस पर विचार कर लेगी।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कल का जो हवाला दिया है मैं भी यहां उपस्थित था अध्यक्ष पीठ पर जो माननीय अधिष्ठाता आसीन थे मैं भी इस बात का साक्षी हूं बार-बार उन्होंने पूछा कि कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। अब ऐसे तो निर्देश दिए नहीं जा सकते कि आपको बोलना जरूरी है। माननीय सदस्य भी उपस्थित थे किसी को रोका नहीं गया। माननीय अधिष्ठाता ने बार-बार यह कहा कि कोई और माननीय सदस्य विचार रखना चाहें तो विचार रखें। अगर कोई विचार नहीं रखना चाहता तो इस सम्बन्ध में निर्देश कहां दिया जाएगा?

श्री केशो मेहरा–

नगर निगम विधेयक पर मैं स्वयं खड़ा हुआ था मुझे अनुमति नहीं मिली थी।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य अगर खड़े होते और उनको बोलने का अवसर न दिया जाता तो अलग बात थी। आपको पूर्ण अवसर दिया गया आप बोलना नहीं चाहते तो क्या किया जाए। जो चार-पांच विधेयक पारित हुए हैं उसको कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया। कार्यमंत्रणा समिति के बाद सदन में कार्यक्रम बनता है। हर बात पर औचित्य का प्रश्न उठाया जाए यह उचित नहीं है। सदन के अधिकार और कार्यमंत्रणा समिति के बारे में भी सवाल खड़ा करना औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

श्री अध्यक्ष–

श्री बाजपेयी जी ने अपनी बात कह दी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात कह दी। यह प्रकरण महत्वपूर्ण है इसलिए नियम समिति इस पर विचार कर लेगी।

हम सब सदन में उन विषयों पर चर्चा में अधिकांश समय ले लेते हैं जिनमें इतना समय नहीं लेना चाहिए। स्वाभाविक है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। थोड़ा सा आत्मसंयम रखें, तो आपको विधेयकों पर चर्चा करने के लिए वैसे भी ज्यादा समय मिल जाएगा। अब इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर न देने तथा अध्यक्षपीठ से दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी। आज हमारा अतारांकित प्रश्न 182 निर्धारित किया गया। प्रश्न यह था क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन निगमों में वर्तमान सरकार ने अध्यक्ष मनोनीत किए है ? उनके वाहनों में प्रयुक्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों पर डीजल/पेट्रोल पर कितना-कितना खर्च हुआ है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त निगमों में से कौन-कौन निगम घाटे में चल रहे हैं ? यह प्रश्न इसके पहले तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न 80 के रूप में इसी सत्र के लिए निर्धारित था उसमें सरकार ने अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कहा कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं थी। स्पष्ट सवाल था लेकिन पहले टाला गया बाद में यह सातवें मंगलवार के लिए डाला गया। अब सातवां मंगलवार आएगा नहीं इसके पहले 24-7-98 को नियम–301 की सूचना मैंने दी थी उसमें यही कहा था कि कौन-कौन निगम हैं, जिसमें मनोनीत अध्यक्ष हैं उसमें किस-किस मद में, किस किस अध्यक्ष ने, किस-किस प्रशासक, ने किस-किस मद में खर्च किया ? उस 301 का उत्तर भी सरकार ने नहीं दिया। उसका जवाब आज तक सदन में नहीं दिया गया।

(इस समय 12 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

इसी विषय से संबंधित इस अतारांकित प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया गया। अब लिखा कि सातवें मंगलवार को होगा। इस सरकार ने चाय नाश्ते पर करोड़ों रुपए खर्च किया और इस सरकार के जो मनोनीत प्रशासक हैं, वह अध्यक्ष हैं और उन्होंने डीजल में, पेट्रोल में, फिजूलखर्ची में तमाम रुपए खर्च कर दिए, सरकार की कलई खुले इसलिए सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, प्रश्नों को स्थगित करना और न करना माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की बात है। विभाग को कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां/दिक्कतें आयी होंगी और विभाग उन्हें लेकर अध्यक्ष जी के पास आया होगा, अध्यक्ष जी ने उस पर विचार करके अपना निर्णय लिया। अब जब माननीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय ले लिया तो उस पर औचित्य का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी चाहते तो उसे निरस्त भी कर सकते थे।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 24-7-98 की सूचना पर अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री हुकुम सिंह–

आप 24-7-98 की सूचना को उठाकर देखें। अभी तो आपको यही नहीं मालूम है कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से प्रश्न को स्थगित किया गया ? अच्छा होता यदि आप इसकी जानकारी कर लेते। यदि सरकार की कोई गलती होती तब आप औचित्य का प्रश्न उठाते।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 24-7-98 को 301 के अन्तर्गत जो मैंने सूचना दी थी वह इसी विषय पर सूचना थी और उसका उत्तर आज तक नहीं आया।

श्री हुकुम सिंह–

जो आपने लिखकर दिया है वह मेरे पास है। उसमें क्या लिखा है। श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने भी पहले यह बात उठायी थी कि 301 की सूचनाओं के बारे में समय से सूचना नहीं आती है उस समय हमने भी अपना पक्ष रखा। आपने एक विशेष जानकारी दी है हम उसको देखेंगे कि आपके पास सूचना क्यों नहीं पहुंची ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नगत सूचना 23-3-99 को विधान सभा की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–182 का उत्तर सरकार द्वारा न दिये जाने और उसे 7वें मंगलवार के लिए स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। उक्त प्रश्न पहले वर्ष 1999 के प्रथम सत्र के तीसरे मंगलवार को अतारांकित प्रश्न सं०–80 के रूप में सूचीबद्ध था उसमें कुछ बिन्दु अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार माननीय सदस्य से स्पष्ट कराये गये थे। तदोपरान्त उक्त प्रश्न 7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–182 के रूप में पुनः निर्धारित किया गया है। इस प्रकार पुनः निर्धारित प्रश्न को शासन ने अपने पत्र दिनांक 17 मार्च, 1999 के द्वारा पूर्ण उत्तर देने के लिए एक माह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है। उक्त स्थगन प्रथम स्थगन है। अतः अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रश्न को 15 दिन के लिए स्थगित करने का शासन का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह प्रश्न स्थगित प्रश्नों के रूप में वरीयता प्राप्त प्रश्न हो गया है और यथा समय उसे पुनः निर्धारित किया जायेगा। नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर दिये जाने के बारे में पहले ही अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रश्नगत मामले में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। 3 सूचनायें और हैं श्री प्रमोद तिवारी और श्री जगदम्बिका पाल जी की सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री राम पाल जी की सूचना और डा० अशोक बाजपेयी जी की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं और इन पर माननीय सदस्यों को नहीं सुना जायेगा।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

मैं अगली मद ले रहा हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां) †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लेंगे तब ही तो मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं ही अकेला सदस्य खड़ा हूं विपक्ष से और व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन ‡

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

† छापे नहीं गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–300 के अन्तर्गत अस्वीकृत सूचनाओं के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । यह सदन की मान्य परम्परा रही है कि नियम–300 के अन्तर्गत हम आपको सूचना देते हैं । आप उनको ग्राह्य करें या अग्राह्य करें यह पीठ का निर्णय होता है । तकनीकी तौर पर आप हर एक सदस्य को यह अवसर देते हैं कि वह अपनी बात कह सके कि वह ग्राह्यता के केन्द्र में आती है । ग्राह्यता के लिये यदि वह स्वीकृत होती है तो उसको स्वीकृत करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं । यहां जो तीन सदस्यों ने सूचना दी है नियमों के अनुसार सूचना दी है । हमारा अनुरोध यह है कि वह 300 के अन्तर्गत आती हैं । यह परम्परा रही है कि सदस्यों को आप मौका देते हैं कि वह बतायें कि कैसे यह 300 में आती है । मैं चाहता हूं कि अग्राह्य करने से पूर्व ग्राह्यता पर सदस्यों को सुन लें । उनकी बात स्पष्ट हो जाय । आपको लगे कि आती है तो ठीक नहीं तो आप अग्राह्य कर दें । समय की सीमा समझ सकता हूं । आप दो-दो मिनट दे दें । जो कुछ कहना चाहते हैं कह लेंगे । आप बिना सुने उसे अग्राह्य कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप मेरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था पूरी तो सुन लें । मैं उदाहरण स्वरूप कह रहा हूं । मैंने कहा कि राज्य मंत्रियों की एक बैठक हुई .....

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, पहले आपकी व्यवस्था हो जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसमें समस्या क्या है ? मैं विषय पर नहीं आ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 इस नियमावली का एक अंग है मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं । आप विद्वान और पुराने सदस्य हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था के प्रश्न पर ही एक निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक साथ 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जा सकते हैं । एक व्यवस्था का प्रश्न प्रमोद तिवारी जी ने उठाया है, पहले उस पर व्यवस्था दे देने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]। पहले इसकी व्याख्या हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी आपके मुंह से यह भाषा [× × ×] ठीक नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि पहले इसकी व्याख्या हो जाय । आपने नियम–300 के बारे में कहा है कि मैं पढ़कर सुनाता हूं । मैं कह रहा हूं फिर मैं भी उसको बताता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 के (3) में है कि उपनियम (1) तथा (2) में "निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे" और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा ।

यह विनिश्चय हो गया कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने जो पढ़ा है इसी को मैं पढ़ देता हूं ।

मान्यवर, आप नियम–300 का (3) देखें इस नियम में है कि "निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे, तो जब औचित्य का प्रश्न उठाया नहीं जाएगा तो विनिश्चय कैसे होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका औचित्य का प्रश्न सदन में उठा नहीं है क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने विनिश्चय कर लिया कि यह परिधि में आता ही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

दो-दो मिनट सुन लें उसके बाद आप पीठ से जो निर्देश देंगे वह मान्य होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा तो सुसंगत नियमों के अन्तर्गत होती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं पढ़ रहा हूं । मान्यवर, आप मुझे सुन लें आपने पढ़ा तो मैंने सुना ।

श्री अधिष्ठाता–

पढ़िए मैं पूरे धैर्य से सुन रहा हूं ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

नियम–300 (3) में लिखा है कि "निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे" अब इसमें आप चाहे जिस सदस्य का नाम पुकारें चाहें मुझे बुलाएं, चाहे अम्बिका जी को बुलायें, जब हम औचित्य का प्रश्न उठा लेंगे तो अध्यक्ष विनिश्चय करें, कि यह प्रश्न ठीक है या नहीं, पहले आप उठा लेने दीजिए फिर जो निर्णय होगा सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अस्वीकार पहले ही कर दिया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

| × × × |

श्री अधिष्ठाता–

इस संबंध में कुछ अंकित नहीं किया जाएगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मा० प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसी बारे में मैं कहना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० अम्बिका जी खड़े हैं इनको पहले सुन लें ।

(व्यवधान)

दो-दो मिनट आप सुन लें नियम–300 में संवैधानिक संकट है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियमों की परिधि से बाहर कुछ नहीं लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमको दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उस व्यवस्था का प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से नियम–300 में है कि सूचना के माध्यम से संज्ञान में लायेंगे । फिर नियम–300(3) देखें कि उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे । फिर उप नियम (4) देखें । इसमें है कि औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु यदि अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे । (5) में है औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । इस पर विनिश्चय हो गया है यह नियम–300 में नहीं आती है इसलिये इसको अस्वीकार कर दिया । उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

नोट :–| × × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप ऐसा न्याय करें जो कि दिखायी पड़े । इस पीठ की अपनी एक गरिमा है और इसके कारण हम आदर करते हैं और आज भी आदर भाव रखते हुए हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आज संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है ।। × × × ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रकारान्तर में यह संकेत देने का आपने काम किया है कि मानों मैं सरकार बचाने का काम कर रहा हूं तो यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है । मैं नियमावली की बात कर रहा हूं । नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सुना जायेगा । आपका आग्रह यदि नियम की परिधि के अन्दर है तो उसका स्वागत है । मगर दुराग्रह करके चर्चा करायेंगे, जबकि वह नियमों की परिधि में नहीं आती है, तो यह शोभा नहीं देता है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, । × × × ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे माननीय पाल जी के शब्दों पर आपत्ति है । इनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना कि आपको शोभा नहीं देता है, यह पीठ के प्रति शोभा नहीं देता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं पुनः अपनी बात पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम की परिधि में होगा तो सुना जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने व्यवस्था के प्रश्न पर बात सुनने के लिए समय दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है आपने नियम-300 को पढ़ा है । नियम–300(1) देखें इसमें औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । डा० अशोक वाजपेई जी ने नोटिस दी है उसमें संविधान के अनुच्छेद 39 (क) का उल्लेख है । इसमें जितनी शर्तें नियम-300(1) में आ रही हैं उनको पूरा कर लिया है और जो उप नियम (1) और (2) में निर्देश हैं कि अध्यक्ष ही विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य का प्रश्न है या नहीं उसके बाद विनिश्चय देंगे ।

नोट :–। × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मान्यवर, मेरी प्रार्थना सुन लें । मान्यवर, अगर नियमों की शर्तों को यह पूरा करता है तो आप उठाने दें, नहीं बनता तो निरस्त कर देंगे । मान्यवर, किसी के सीधे या अप्रत्यक्ष इशारे पर किसी की इच्छा पर किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जिससे किसी माननीय सदस्य की अवमानना इस तरह से होती हो यह बात उचित नहीं है । मान्यवर, अगर पीठ से विपक्ष के माननीय सदस्यों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो पीठ की गरिमा का क्या होगा ? मान्यवर, आप अशोक बाजपेई जी की बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न है उसके बारे में नियमों में प्राविधान है उसमें लिखा है कि संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा । ऐसे प्रश्न उठाये जायेंगे । मान्यवर, जो संविधान की धारा 16 है उसमें जाति और लिंग के आधार पर भेद न किये जाने का उल्लेख है सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा । मैं अम्बिका जी के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दूंगा । व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस प्रकार अपनी बात कहना उचित नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने सभी दलों के व्यवस्था के प्रश्न को सुन लिया, कृपया कांग्रेस के व्यवस्था के प्रश्न को भी सुनने की कृपा करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले भी एक-आध बार निवेदन कर चुका हूं कि जब मैंने अंकित न होने का निर्देश दे दिया तो भी लगातार बोलते रहने से सदन के नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही अनावश्यक समय नष्ट होता है और आपकी ऊर्जा भी नष्ट होती है। जब पीठ से कोई निर्देश दिया जाय तो उस तरफ भी ध्यान होना चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा। माननीय मौर्य जी द्वारा कही गई कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का मुझे अवसर दिया। श्रीमन्, इस सदन की गरिमा, परम्परा और इस सदन की प्रक्रिया को बनाये रखने में आपका संरक्षण मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो सरकार में है इस सदन की गरिमा और परम्परा को ठेस पहुंचाने का कार्य करे। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–174 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल इस सदन का सत्र आहूत करते हैं और सरकार इस सदन के प्रति जवाबदेह होती है और उसकी रक्षा आप करते हैं। मान्यवर, मैं संसदीय परम्पराओं के अनुरूप कहना चाहता हूं कि जब कोई संवैधानिक संकट होगा तो उसके सम्बन्ध में व्यवस्था के माध्यम से यहां हम उसे उठायेंगे और उसको यहां उपस्थित करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम आपकी व्यवस्था चाहेंगे।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यदि कोई सरकार का मंत्री कोई ठेस पहुंचाने वाली बात कहता है तो मंत्रिपरिषद की यह सामूहिक जिम्मेदारी होती है। (व्यवधान)

(व्यवधान)

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्रिपरिषद के लोग व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने ठीक कहा है कि मंत्री जी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं (व्यवधान) लेकिन तकनीकी आधार पर वह हमारा सहयोग करना चाहते हैं इसलिए व्यवस्था के प्रश्न के जरिये वह कहना चाहते हैं इसलिये आप उनको आज्ञा दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं। आप बैठ जायें अब मेरी अनुमति के बिना आप बोल रहे हैं तो वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जा रहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

व्यवधान [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं मैंने पहले ही कह दिया है कि आपका भाषण अंकित नहीं किया जा रहा है। आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा, आप बैठ जायें।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और परम्पराओं के अनुसार चलता है। लेकिन मैं नियमावली को यहां नहीं पढ़ना चाहता हूं बल्कि सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों पर जो औचित्य के प्रश्न यहां आते हैं और जिन पर विवेकपूर्ण तरीके से अध्यक्ष पीठ ग्राह्यता पर सुनते हैं उसमें कहना चाहता हूं कि बहुत देर से यहां इस पर बहस हो रही है कि सदन को कैसे सुचारु रूप से चलाया जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा नम्र होकर ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके इसलिए नियमों में थोड़ी बहुत शिथिलता आपको देना पड़ेगा।

मान्यवर, निवेदन है कि विवेकपूर्ण ढंग से और उदारतापूर्वक ग्राह्यता के जो बिन्दु हैं उन पर आप सुनने का कष्ट करें। मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और

नोट :– [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री श्रीराम पाल तथा डा० अशोक बाजपेयी जी के जो औचित्य के प्रश्न हैं यदि उन्हें आप सुनते तो सदन की कार्यवाही ठीक से चल रही होती । इसलिए मैं चाहता हूं कि उदारतापूर्वक माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट में सुन लें जिससे सदन ठीक से चल सके ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में एक सूचना दिया था । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 300 के अन्तर्गत जो ग्राह्यता की शर्तें हैं कि विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप हों और प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन हो तो उसके बाद विषय पर आप सुनकर माननीय अध्यक्ष निश्चय करेंगे । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 14 और 39 का मैं उद्धरण देते हुए एक विषय सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं । नियम 300 (3) में स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे । हम केवल दो मिनट ग्राह्यता पर बोलने के लिये लेना चाहते हैं । अगर आप को ऐसा लगे कि औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, तो आपका निर्णय स्वीकार होगा । मैं केवल संवैधानिक बिन्दु पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और अगर नियम 300 में आता है तो सुनने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप मुझे एक मिनट सुन लें, मैं आपकी सहूलियत के लिये कह रहा हूं । आप नियम 300 को कृपा पूर्वक देखें । औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । सदन का कार्य विनियमित होता हो, यह इस नियम का इन्ग्रीडिएन्ट है । हमें यह साबित करना होगा कि जो प्रश्न हम उठा रहे हैं उससे सदन का कार्य विनियमित होता है या नहीं और ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । उप नियम 3 में दिया है कि सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और उस पर अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे । मान्यवर, संविधान में या नियमावली में " , " "और" " । " का बड़ा महत्व होता है । यहां पर, "," और " । " नहीं है । आप इसको देख लें । इसमें है कि "औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे " और उसके बाद लिखा है "और" अध्यक्ष यह विनिश्चिय करेंगे कि वह औचित्य का प्रश्न है या नहीं ।

मान्यवर, अब आप संविधान के अनुच्छेद 164 की उप धारा 2 को देखें, उसमें साफ-साफ लिखा है कि मंत्रि-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । मंत्रि-परिषद का गठन महामहिम राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री की सिफारिश से होता है और वह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है । मुख्य मंत्री जी की ओर से उत्तर दिया जाता है, और हम उसको इसीलिये मान लेते हैं । वन मंत्री का उत्तर अगर नगर विकास मंत्री देगें तो हम उसको मान लेंगे । अभी सदन में परिवहन मंत्री उपस्थित थे, परन्तु उनकी ओर से किसी अन्य मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, हमने उसको मान लिया । मैं संविधान के अनुच्छेद 162 के उप खण्ड 2 में कह रहा हूं, मंत्रि-परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होगी । संविधान के लिखने वाले ने लिखा है कि मंत्रि-परिषद सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होती है । यानी कि [xxx]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करे । यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या अंकित नहीं होगा । मंत्रि-परिषद में फूट की बात या नियम–164–2 आखिर क्या अंकित नहीं होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

जो अंकित नहीं होगा वह आप समझ रहे हैं । अब आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नहीं समझ रहा हूं आप मुझे समझाने की कृपा करे । कौन सी चीज अंकित नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत विद्वान है । आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री हुकुम सिंह–

यह आपत्तिजनक बात है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बस आप हमे इतना बता दे कि कौन सी बात अंकित नहीं होगी । मंत्रि-परिषद में बगावत की बात या संविधान की बात । कौन सी बात अंकित नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं विषय वस्तु से हटकर कोई बात बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह कहूं कि इस समय एक बजकर 50 मिनट हो रहे हैं तो क्या यह अंकित नहीं होगा ? मैं तो बस इतना अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे बताये कि कौन सी बात अंकित नहीं की जायेगी । यह सरकार मंत्रि-परिषद में फूट के नाम पर ही घबराने लगती है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा अब इसके बाद दिये गये किसी भी वक्तव्य को अंकित न करने का निर्देश देता हूं ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था तो वह है जिससे सदन सुचारु रूप से चल सके । सदन के सदस्यों का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करें । मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 314 के बारे में बता रहा हूं कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी । किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में कुछ माननीय सदस्यों ने लिखित रूप से जानकारी दी, माननीय अध्यक्ष को । माननीय अध्यक्ष ने उनका परीक्षण किया । परीक्षण करने के बाद मैं अगर माननीय अध्यक्ष का यह विनिश्चय है कि जो सूचना दी गयी है, उसके आधार पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता और उस पर अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दे दी है तो उसके बाद कोई अधिकार माननीय सदस्य को उसे औचित्य के रूप में यहां उठाने का नहीं है । नियम–300 है और नियम–300, नियम–314 में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । आप जो हवाला देते हैं, परम्पराओं का, सदन की गरिमा का, विशेष रूप से नियमावली को हाथ में उठाकर, इसका प्रदर्शन करते हैं, यह भी उचित नहीं है । जो सदस्य आज इस बात की दुहाई देते हैं कि औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने का मौका दिया जाए । मान्यवर, यह भी देखें कि हमारा आपके प्रति व्यवहार कितना उचित है । अध्यक्ष पीठ से निर्णय आ जाने के बाद किसी बात को बार-बार लाना उचित नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मा० पाल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिये । आप कृपया स्थान ग्रहण करें । नियम–300 (3) में ये विषय तब आता है जब यह औचित्य के प्रश्न की परिधि में आता हो । तब यह प्रश्न उसकी ग्राह्यता पर सुना जायेगा, ऐसा निर्णय जब ले लिया जाता है तभी नियम 300 (3) लागू होता है । जब पहले से ही इन तीनों सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है, तब नियम 314 जिसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी प्रश्न या संकल्प की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो उस पर कोई औचित्य नहीं उठाया जा सकता है । अतः मेरी व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, चूंकि प्रथम दृष्टया ही इस पर निर्णय हो चुका है इसलिये इसके बारे में सुनने की बाध्यता नहीं है और विनिश्चय की स्थिति तब पैदा होती जब इसको ग्राह्यता के लिये सुनने की अनुमति अध्यक्ष पीठ से प्राप्त होती ।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

(अनुपस्थित हैं)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद इलाहाबाद के इलाहाबाद–वाराणसी मार्ग पर जंघई और दुर्गागंज के मध्य वरुणा नदी पर बने पुल का पथकर समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद इलाहाबाद के इलाहाबाद–वाराणसी मार्ग पर जंघई और दुर्गागंज के मध्य वरुणा नदी पर बने पुल का पथकर समाप्त किये जाने के संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में भदोही, दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) से दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के नगर पालिका परिषद भदोही के अन्दर जौनपुर–मिर्जापुर मार्ग पर रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु (ओवर ब्रिज) का निर्माण कराये जाने के संबध में श्री राम जतन मौर्य तथा अन्य निवासीगण जनपद संत रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के नगरपालिका परिषद् भदोही के अन्दर जौनपुर–मिर्जापुर मार्ग पर रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु (ओवर ब्रिज) का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम जतन मौर्य तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को पढ़ रहा हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 23 मार्च, 1999 से 31 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध मे निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के दिनांक 23 मार्च, 1999 से 31 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रख लिया जाय :–

2–दिनांक 30 तथा 31 मार्च, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय और नियम 51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

---

† छापी नहीं गयी ।

मार्च, 1999

23 मंगलवार

1–उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।

(संगत नियम को निलम्बित करते हुए)

2–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

24 बुधवार

1–निधन के निर्देश (शोक प्रस्ताव)

2–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

3–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

25 गुरुवार

(रामनवमी का अवकाश)

26 शुक्रवार
27 शनिवार
28 रविवार
29 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

। ईदुज्जुहा (बकरीद) तथा महावीर जयन्ती का अवकाश ।

30 मंगलवार

1–प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

2–निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने के संबंध में श्री राम ललित चौधरी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

3–प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों द्वारा एन०सी०आर० तथा हुडको की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रलोभन दिखाकर जनता को अप्रत्यक्ष रूप से ऋणग्रस्त किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

4–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5–लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम०एस-सी० (टेक) फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

6–गोरखपुर तथा बस्ती कमिश्नरी में इसाई कमिश्नरी द्वारा पैसे एवं आवास का प्रलोभन देकर व्यापक पैमाने पर हिन्दू धर्म से इसाई धर्म में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

7–जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवास के आवंटन में पात्रता संबंधी नियमों की अवहेलना के संबंध में श्री राजधारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

8–प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुये शासन की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 10 प्रमुख विभागों को स्थानीय निकायों के स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बालचन्द्र मिश्र, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० राम बाबू हरित तथा श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

9–वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर आधे घण्टे की चर्चा:–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि', रख दिया जाय ।"

11–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर आधे घण्टे की चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय ।"

12–श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय ।"

13–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

31 बुधवार

1–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों में 10-10 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

2–उत्तर प्रदेश के मल्लाह समुदाय के परम्परागत व्यवसाय नदी तट के बालू व मौरंग खनन के पट्टों का आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

3–कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

4–प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

5–संसद की भांति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में बजट समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित विधान सभा की अध्ययन समिति के प्रतिवेदन पर नियम 216(4) के अन्तर्गत श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की सूचना दिनांक 16 मार्च, 1999 पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा ।

6–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।"

7–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जाय तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय ।"

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

बकरीद मनाने वाले धर्मावलम्बियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों में परिवर्तन किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जो हुआ एक परम्परा के अनुसार, कार्य मंत्रणा समिति का आदर करते हुए हम सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं लेकिन इस पक्ष का ख्याल रखा जाये । 29 तारीख को ईद पड़ रही है और ईद तीन दिन चलती है । मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि बकरीद मनाने वाले धर्मावलम्बियों की भावनाओं को देखते हुए आग्रह करूंगा कि पुनः इस पर विचार कर लें और 30-31 को सदन की बैठक न रखें इसके स्थान पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 4-5 अप्रैल, 1999 को रख लें ।

(समय 1 बजकर 40 मिनट)

कहीं-कहीं कुरबानी 30 दिन की होती है । इसलिए 30 तारीख को सदन की बैठक न करें । उसके बाद 4-5, 6-7, 7-8 किन्हीं दिनों कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के माननीय सदस्य रहते हैं । आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है उसमें अपनी बात रख लें ।

श्री कौकब हमीद–

कार्य मंत्रणा समिति में कल भी मैंने उठाया था लेकिन फिर भी बैठक रख ली गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

आज सायं 4.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक फिर हो रही है । उसमें आप अपनी बात रख लें । सबकी भावनाओं का समादर करते हुए ही कार्य मंत्रणा समिति निर्णय लेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 †

*उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राम नक्षत्र, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना सदन में न दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा के आज के उपवेशन में इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राम नक्षत्र बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे वह अपने घर से चले जी०पी०ओ० के पास पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको अवगत कराते हुए अनुरोध के साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस सम्मानित सदन को उनकी गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं दी गयी।

श्री अधिष्ठाता–

अध्यक्ष जी के संज्ञान में यह सूचना है।

श्री प्रमोद कुमार–

श्री राम नक्षत्र की गिरफ्तारी की सूचना कार्यालय में तो आ गयी लेकिन सदन में आनी चाहिए थी।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना दूरभाष के माध्यम से आयी है। जब लिखित सूचना आयेगी तो सूचना दे दी जायेगी।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना सदन में आनी चाहिए थी। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना आती है और यहां पर उसकी जानकारी हमें मुहैया कराना आवश्यक नहीं समझा जाता है तो यह तो सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। माननीय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इसलिए सदन उनकी सेवाओं से वंचित है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनको तुरन्त रिहा कर सदन में पहुंचाया जाए।

---

† दिनांक 6-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

लिखकर सूचना दे दीजिये। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई है और लिखित सूचना आने पर माननीय सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम यह है कि सदन को सूचित किया जायेगा कि माननीय सदस्य को कल गिरफ्तार किया गया और किस लिए गिरफ्तार किया गया और किस धारा में गिरफ्तार किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने बताया कि दूरभाष पर सूचना आ चुकी है परन्तु लिखित सूचना नहीं आयी है।

श्री समर पाल सिंह–

विधान सभा से 100 गज की दूरी पर माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें किस धारा में गिरफ्तार किया गया और किसलिए किया गया इसकी सूचना सदन को होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 †

* उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23-3-1999 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें शलांका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

---

† दिनांक 6-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रदेश की अत्यन्त ज्वलन्त लोक महत्व तथा अविलम्बनीय विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आज प्रदेश में तकरीबन 25 हजार अप्रेन्टिस- शिप प्राप्त शिशुक्षु सफलतापूर्वक अप्रेन्टिसशिप करके बेरोजगार हैं । अप्रेन्टिसशिप ऐक्ट, 1961 के अन्तर्गत आने वाले डिग्री, डिप्लोमा, आई०टी०आई० और गैर तकनीकी शिशुक्षुओं के समायोजन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 12 जनवरी, 1995 को एक निर्णय पारित किया गया था और उस आदेश के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने भी 12 सितम्बर, 1996 को निर्णय लिया था । उपरोक्त शासनादेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3 जनवरी, 1998 को उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आर०एस० माथुर ने एक शासनादेश निर्गत किया जिसमें यह कहा गया कि पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय और यदि इस हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावली में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो तत्काल सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाय । अप्रेन्टिस प्राप्त किये हुए शिशुक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए उनके समायोजन की कार्यवाही उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सुनिश्चित की जाय ।

मै इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पुनः उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, जो इस समय भी मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक शासनादेश निर्गत किया 26 मई, 1998 को जिसमें प्रतिक्षित अप्रेन्टिस शिशुक्षुओं के समायोजन हेतु सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए 15 जून, 1998 तक पूर्ण कराकर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के आदेश निर्गत किये थे किन्तु अत्यन्त खेद और दुःख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न जारी शासनादेशों की अवहेलना करते हुए आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया और न ही शासन द्वारा जारी विभिन्न शासनादेशों का ही अनुपालन किया है । जिसका परिणाम यह है कि विगत 1 सितम्बर, 97 से ही समूचे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार अप्रेन्टिस किये हुए शिशुक्षु हैं विधान भवन के गेट के सामने धरने पर बैठे हैं । आज पूरे प्रदेश में अप्रेन्टिस किये हुए जो बेरोजगार हैं उनके अन्दर क्षोभ और असन्तोष व्याप्त है ।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो रोज इस सदन में दावा करती है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का समादर किया जायेगा लेकिन विगत 1995 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन आज तक नहीं किया । आज जो प्रदेश में 25 हजार प्रशिक्षु बेरोजगार हैं उनका समायोजन नहीं कर पा रही है । श्रीमन्, यह प्रकरण लोक महत्व का है, तात्कालिक है और अविलम्बनीय है । पूरे प्रदेश में प्रशिक्षित शिशुक्षुओं के अन्दर क्षोभ व असन्तोष व्याप्त है । मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जहां तक मुझे स्मरण है । इसके पूर्व भी इस प्रकरण पर चर्चा कई बार हो चुकी है । दो पक्ष इस बात के हैं और हमको स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए 12-1-95 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था जिसमें निर्देश दिये गये थे प्रदेश के जो अप्रेन्टिस प्राप्त शिशुक्षु हैं उनको वरीयता दी जाय और प्रयास इस बात का करें कि वे बेरोजगार न रहें । उत्तर प्रदेश सरकार ने 12-9-96 और 3-1-98 को जिन शासनादेशों का सन्दर्भ दिया गया निकाले थे विभिन्न विभागों के सचिवों को आदेशित करके दिये गये थे कि वरीयता देते हुए प्राथमिकता देते हुए मान्यवर, विभिन्न बातें हैं उनकी

आयु का प्रश्न है, ऐज रिलैक्सेशन का प्रश्न है, यह सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनको रखा जायेगा। इस पर कार्यवाही चल रही थी। जैसा आपने खुद कहा मुख्य सचिव की ओर से भी निर्देश जारी किये गये। यह सारी की सारी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद के तहत की गई। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं 27-7-98 में रिट याचिका दायर हुई, अरुण कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार। उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया और सारे प्रकरण को उच्च न्यायालय की फुल बेंच को संदर्भित कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि जितने आदेश दिए गए हैं वह स्थगित रहेंगे। जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय की पीठ से निर्णय न आ जाए। जब तक इसमें निर्णय न आ जाए तब तक हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, इसमें अब जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आ जाएंगे उसके बाद कार्यवाही करना संभव होगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मा० उच्च न्यायालय के किसी निर्णय का जिक्र किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 3 जनवरी, 1998 को तत्कालीन मुख्य सचिव आर० एस० माथुर ने एक शासनादेश जारी किया.....

श्री अधिष्ठाता–

यह बात आप पहले भी सदन में कह चुके हैं आप ग्राह्यता पर विचार रखें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय आने के बाद ही जो संभव होगा किया जायेगा मान्यवर, इसमें वर्तमान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विगत 15 जून, 1998 तक यदि आवश्यक हो तो सेवा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन कर लम्बित प्रकरणों के निपटारा कर दिये जाए, इस निर्धारित समय सीमा में सरकार ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ का 1995 का फैसला और शासन के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद मा० उच्च न्यायालय ने निर्णय अब दिया है इसके पूर्व ही शिशुक्षुओं का समायोजन हो जाना चाहिए था अब तो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के बाद ही कुछ होगा। अब प्रदेश सरकार का अख्तियार नहीं रह गया है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के पहले और मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद की अवधि में कौन सी कार्यवाही प्रदेश सरकार ने की।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए। आपने भी जैसा हवाला दिया 15 जून, 1998 का, कि नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है तो कर दिया जाए। 27 जून, 1999 को 24.909.98 यह याचिका है अरुण कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। फुल बेंच को सारा मामला संदर्भित कर दिया गया। विशेष रूप से जो 12-9-98 और 3-9-98 के आदेशों का हवाला देकर कहा है, लेकिन जब तक अन्तिम आदेश नहीं आते हैं कुछ कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं एक स्पष्टीकरण का आपको मौका दे दिया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गए)

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना पर तीन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तीसरी सूचना पर 9 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मैं आग्रह करुंगा कि दो-दो माननीय सदस्य अपनी बात कह दें तो बड़ी कृपा होगी सदन का समय भी बच जाएगा और ग्राह्यता भी आ जाएगी । दूसरी सूचना पर तीन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं प्रमोद कुमार, जगदिम्बका पाल और श्री कौकब हमीद ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, पिछले सत्र में इसी सदन में प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी ....

(सेल्यूलर फोन की घंटी बजने लगी)

श्री अधिष्ठाता–

बार-बार पीठ से अनुरोध करने के पश्चात् भी सेल्यूलर फोन लाने की आदत यह किसी भी दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं है । इसके बाद कठोर कार्यवाही इस संदर्भ में करनी पड़ेगी तो फिर कष्ट होगा । लाबी में बैठे हुए सदस्य कृपया वह भी अपने को नियंत्रित करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अति लोक महत्व का विषय है । आज उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं और सरकार की जवाबदेही है तात्कालिकता है, अविलम्बनीयता है । जो तीन मुख्य बिन्दु हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । मान्यवर, जब सदन विनियोग विधेयक पारित करे और चर्चा करने के लिए बैठे तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा कराने के निर्देश देंगे । आज मान्यवर, आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से लाटरी बिक रही है और उसके द्वारा जो लाखों लोग जो लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं तो उससे एक संकट पैदा हो गया है । लोग सारे दिन मेहनत करके जिन्हें दो जून का खाना तक नसीब नहीं होता है तो उनका वह पैसा भी लाटरी में जा रहा है । इसी विधान सभा में माननीय कल्याण सिंह जी ने घोषणा की थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी लाटरी बिकने नहीं पायेगी ।

आज यह कैन्सर से भी ज्यादा भयानक रोग हो गया है और इससे लाखों लोग तबाह हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश के सुदूर अंचलों को तो छोड़िये आज हजरतगंज और हुसैनगंज में अवैध रूप से लाटरियां बिक रही हैं और यह जो लाटरी लाबी है वह सरकार से ज्यादा प्रभावी हो गयी है । वह सरकार के निर्णयों को भी परिवर्तित कर देती है और सरकार की स्पष्ट घोषणा के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लाटरी भयानक रोग की तरह फैलती जा रही है जिसके नाते लाखों लोग तबाह हो गये हैं...

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता तक ही सीमित रखें और अब समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह लाखों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मामला है । इससे ज्यादा लोक महत्व का और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है । आज मान्यवर, जिला मुख्यालयों, तहसीलों को छोड़ें, गांव तक में यह रोग फैल गया है । जो गांव का गरीब खेतिहर मजदूर है, वह अपनी मेहनत का पैसा गवां रहा है । आज कानून बनाने की बात कही गयी....

श्री अधिष्ठाता–

बहुत लम्बा भाषण न करें सिर्फ ग्राह्यता तक ही सीमित रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं हो सकता है । आज दिल्ली में लाटरी का टिकट नहीं बिक रहा है आज यहां की सरकार ने लाटरी के समक्ष अपने घुटने टेक दिये हैं । यह लाटरी बन्द होनी चाहिए क्योंकि इससे लाखों लोग तबाह हो रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, अभी समाचार आया कि कानपुर में एक परिवार के मुखिया व 2 बच्चों ने इसी लाटरी से उत्पन्न तंगहाली से आत्म हत्या कर ली । उनके परिवार में मुखिया की कमाई ही आय का जरिया थी वे सम्पूर्ण वेतन लाटरी में हार गया था । अभी इसी तरह से मिर्जापुर में एक कर्मचारी इसलिए गबन में पकड़ा गया क्योंकि वह पूरा वेतन लाटरी में लगाता चला आया । मान्यवर, इन घटनाओं का आज सिलसिला अनवरत रूप से जारी है हजारों परिवार तबाह हो रहे हैं और लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है । ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं कि सरकारी कोष को भी लाटरी में लगा दिया । मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की कि लाटरी को प्रदेश में नहीं चलने दिया जायेगा । हम लोगों ने उस घोषणा का स्वागत भी किया । आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर नम्बर और 2 नम्बर के नाम पर लाटरियां बेची जा रही हैं ।

मान्यवर, लाटरी के चांदी के जूते में जो ताकत है सरकार लाटरी को नहीं रोक पा रही है और तो क्या यह समझा जाए कि लाटरी की बिक्री सरकार की मिली-भगत से हो रही है । मान्यवर, हमने आज इन्दिरा नगर में एच०ए०एल० में लाटरी के स्टाल से हुकुम सिंह जी के नाम से टिकट मंगवाये राजधानी में मान्यवर, यह स्थिति है कि टिकट बिक रहे हैं प्रशासन की मिली-भगत से यह कार्य हो रहा है । मान्यवर, आज लाटरी माफियों को आगे सरकार के आदेश प्रभावहीन हो गये हैं और वे लोग सरकार के मुख्य संरक्षक के रूप काम कर रहे हैं । मान्यवर, इसमें अनुरोध है कि चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, टिकट जो आपने मंगाया है वह आपको मुबारक हो मैंने न आज तक लाटरी खरीदी है और न कोई लत है । लाटरी ने कितने परिवार बर्बाद किया है । अब प्रमोद जी इस उम्र में तो इस लत में न पड़ें । दुर्भाग्य की बात है, इस समाज के लिये, प्रदेश के लिये और देश के लिये । सरकार ने प्रयास किया और पूर्ण प्रयास किया, चुनौती को स्वीकार भी किया कि लाटरी की बीमारी को न पनपने दिया जाय । मन में इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है कि आखिर यह चुनी हुई सरकार और सारे सदन को इस

बात की पीड़ा है कि लाटरी बन्द होनी चाहिये । मैं थोड़ा सा घटनाक्रम आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं । सबसे पहले बात आई, जब इस प्रदेश लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो 29-10-97 को गोहाटी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नागालैन्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल की लाटरियों पर इस प्रतिबन्ध का कोई प्रभाव नहीं होगा, यह लाटरियां चलते रहने दी जायेंगी । इसका परीक्षण कराया गया और परीक्षण कराने के बाद बार-बार सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, जो लम्बित है, अभी निर्णय नहीं हो पाया । इसके बाद दिनांक 17-3-98 को एक ऐसी स्थिति आई, जब इसी प्रदेश के दो बेंच एक इलाहाबाद तथा एक लखनऊ में से लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध इन राज्यों की लाटरियों पर लागू नहीं होगा जिन राज्यों की लाटरियों पर गोहाटी हाईकोर्ट ने स्टे दिया है ।

इसके बाद फिर एक प्रेरणा मिली, हमें मजबूती मिली और हाईकोर्ट की बेंच ने यह आदेशित किया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, यह आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया । जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, उसके एक दिन के अन्दर हमने सभी जगह रेडियोग्राम देकर, सारे प्रदेश के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि इस बीमारी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू कर दें, लेकिन हम प्रयास में सफल नहीं हुये, जब लखनऊ बेंच ने फिर निर्णय दिया कि इलाहाबाद बेंच का जो निर्णय है, वह प्रभावी नहीं होगा । उसके बाद भी इलाहाबाद बेंच ने अपने निर्णय को पुनः दोहराया कि पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । मान्यवर, आज स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है । एक बेंच से कुछ और एक बेंच से कुछ दूसरा निर्णय होता है । हम सभी लोग न्यायपालिका के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं लेकिन प्रदेश सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले अधिकारियों के लिये बड़ी कठिन समस्या हो जाती है, जब वह हमसे मार्गदर्शन पूछते हैं ।

हम मार्गदर्शन के लिये एडवोकेट जनरल या जो अन्य अधिवक्ता हैं, से कहते हैं कि मार्गदर्शन दीजिये । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता की भावना यही है, इस सदन की भावना यही है, प्रदेश सरकार की भावना यही है कि इस कैन्सर रोग को प्रदेश में न रहने दिया जाय लेकिन मान्यवर, बड़ी कठिनाई यह आती है कि लाटरी का जब केस प्रस्तुत होता है तो वकील गैरहाजिर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं । आज जो वेदना प्रमोद कुमार के मन में है, पाल जी के मन में है, उसी वेदना से हम भी पीड़ित हैं और पूरा सदन पीड़ित है । हम तो चाहते हैं कि वह दिन आये, जब इस कैन्सर बीमारी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे और इस प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल जाय । यदि हमारी नीयत में खोंट होता तो हम इसे टाल भी सकते थे, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिबन्ध पर अमल करने का प्रयास करते हैं । मान्यवर, इसमें कार्यस्थगन का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको निरस्त किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी ने वही भावना व्यक्त किया है जो मैंने कहा था लेकिन भावावेश में उन्होंने एक ऐसी बात कह दिया जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, सरकार का पक्ष कौन रखता है ? न्यायालय में सरकार का पक्ष शासकीय अधिवक्ता रखता है । मंत्री जी कहते हैं कि वकील अनुपस्थित रहते हैं अथवा बीमार पड़ जाते हैं । इसलिए क्या शासन की उतनी पकड़ नहीं है अपने शासकीय अधिवक्ताओं पर जिससे मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं गम्भीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि शासकीय अधिवक्ता अथवा अनुबन्धित अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं अथवा जानबूझकर बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए सरकारी पक्ष न्यायालय में ठीक से नहीं रखा जा रहा है । इसलिए क्या सरकार की मिली भगत से वे अनुपस्थि रहते हैं इसलिए ऐसे शासकीय अधिवक्ताओं को छोड़ कर क्या सरकार अधिवक्ताओं को अनुबन्धित करेगी जो न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की भावना के अनुरूप और सदन की भावना के अनुरूप अपना पक्ष न्यायालय में दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत रख सकें ? मान्यवर, जो अवैधानिक लाटरियां चल रही हैं जो न तो सिक्किम, न नागालैण्ड और न मणिपुर राज्यों की हैं बल्कि वह लाटरियां तो लखनऊ के किसी मोहल्ले से टिकट छाप कर रोज-रोज बेचे जाते हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन लाटरी माफियाओं के खिलाफ दृढ़ता से बिना उनके दबाव में आये हुये लाटरी व्यवसाय को समाप्त करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अधिवक्ता सरकारी वकील हैं उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में पैरवी किया है । एकाध बार ऐसी स्थिति अवश्य आयी है कि बाहर के वकीलें को रखना चाहते थे लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाये इसलिए कष्ट हुआ । मान्यवर, हमने प्रयास किया है कि इस कैंसर रोग को रोकें । माननीय सदस्य ने कहा कि कार्यवाही करें तो मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार लाटरी माफियाओं को उनके यथोचित स्थान पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है लेकिन कोर्ट के आदेश से यह रुकावट आयी है । जिस दिन कोर्ट का आदेश हो जायेगा उसी दिन से भा०ज०पा० की सरकार उनको सही स्थान पर पहुंचाकर इस कैंसर के रोग को समाप्त करके रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कूछ ऐसे अवसर आये कि समय पर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये । हाइकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस मामले को एक्सप्रेडाइट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किया है और इसमें जिन लोगों ने लापरवाही की है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाटरी माफियाओं के शिकंजे में हैं और लाटरी से लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं, इस कारण मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता हैं ।

(कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

* श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में खुले रूप से लिप्त है, इसको कोई शर्म या हया नहीं है । ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर तमाम कार्यों में भ्रष्टाचार है मैं लोक निर्माण विभाग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यहां पर पहले 12 प्रतिशत कमीशन चलता था लेकिन आज 30 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक कमीशन चल रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम मामले कागजों पर ही बना लिये जाते हैं उनका स्थल पर कोई वजूद नहीं होता है । करोड़ों रुपयों की लूट होने लगी है । लोक निर्माण विभाग का जी० ओ० है कि कोई भी अधिकारी एक जनपद में सामान्य रूप से 3 वर्ष रहेगा और विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष तक रहेगा, लेकिन इसका खुला उल्लंघन हो रहा है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सीतापुर में राम औतार वार्ष्णेय अधिशासी अभियन्ता हैं वह वहां पर 9 वर्ष से हैं । तीसरी बार उनको फिर उसी जनपद में पोस्ट किया गया है ।

जिलाधिकारी ने उनके ट्रांसफर के बारे में लिखा है और कहा है कि जो आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने कार्यवाही करने के लिए लिखा है, अधीक्षण अभियन्ता ने कार्यवाही करने के लिए लिखा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । जब कोई कार्य कराया जाता है तो उसका टेण्डर निकाला जाता है, उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है लेकिन श्री राम औतार वार्ष्णेय ने टेण्डर निकाले लेकिन उनका कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया है और अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे दिया और मनमाने ढंग से धन की उगाही किया है । मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके खिलाफ शाहजहांपुर में 12 लाख रुपये की रिकवरी की गई । इसके बावजूद भी यह भ्रष्ट अभियन्ता आज भी सर्विस में है । मान्यवर [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी आप अपनी बात कहें ।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी थी ।

(.ोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह जी कृपया शान्त रहें । आपने कहा था कि मेरे और मा० ओम प्रकाश गुप्ता जी के अलावा और कोई नहीं बोलेगा । आप सदन का मजाक उड़ा रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश गुप्त–

मान्यवर, मुझे तो सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय ओम प्रकाश गुप्त जी आपको बुलाया था लेकिन आप खड़े नहीं हुए आपकी जगह जायसवाल जी बोल गये, इसमें मेरा क्या दोष है । आप लोग कृपया शान्त रहें ।

आज गृह विभाग का और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट है उसमें समय लगेगा, कृपया समय का ध्यान रखें ।

(शोर)

कृपया आप लोग शान्त रहें और बैठ जायं । मुझे कोई जानकारी नहीं है और अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल है, किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर उसको भ्रष्ट बताना उचित नहीं है । एक सरकारी अधिकारी, एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर है । मान्यवर, उस पर अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो उसकी भी एक प्रक्रिया निर्धारित है, इस बारे में जो प्रमाण उपलब्ध हों, वे पहुंचा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम तेज जी, कृपया पूरी बात आ जाने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसका पालन किया जाना चाहिए । जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो जायें, उसके खिलाफ कार्यवाही सम्भव नहीं होती । मान्यवर, कार्य-स्थगन को हम इतना हल्का कर दें कि एक अधिकारी विशेष को माध्यम बनाकर उसको कार्य-स्थगन में ले आयें । इस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग बैठे हैं, यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे लिए यह हल्की बात होगी । अगर आरोप सिद्ध होंगे तो सत्तापक्ष की ओर उसका स्थानान्तरण ही नहीं होगा । बल्कि उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही होगी ।

श्री ओम प्रकाश गुप्त–

आप आश्वासन दें कि उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर आ जाने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक अधिकारी के प्रकरण को यहा उठाकर सारे विभाग को भ्रष्टाचार में डूबो दिया गया । लोक निर्माण विभाग ने कितना काम किया है ? कितनी सड़कें बनायी हैं ? मान्यवर, इन लोगों

को तो न विकास दिखाई देता है और न अच्छा काम, क्योंकि सर्वनाश आप लोगों ने ही इस प्रदेश का किया था। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि कार्य स्थगन की इस सूचना को निरस्त कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार करता हूं।

चौथी सूचना श्री दीपक कुमार की है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, यह सीतापुर के विधायक हैं, वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

(श्री ओम प्रकाश गुप्त, श्री राधे श्याम जायसवाल आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

श्री राधेश्याम जायसवाल–

[x x x]

श्री ओम प्रकाश गुप्त–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा। आप अपनी-अपनी सीट पर चलें।

(सदस्यगण अपने आसन पर चले गये।)

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय सदस्य सीतापुर और माननीय सदस्य चन्द्रनाथ सिंह ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि माननीय विधायकगण जांच की मांग कर रहे हैं, अगर जांच नहीं हुयी है तो जांच करवा दें। यदि जांच हो चुकी है तो आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आश्वासन मिल जाय इसके अलावा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। अगर सरकार इससे कतराती है तो सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने शुरू में कहा था कि अगर जांच हो चुकी है और रिपोर्ट आयी है और कोई आरोप आपके पास अतिरिक्त भी हैं तो दे दें, यह सरकार का दायित्व बनता है कि सम्मानित विधायक और विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल जो कहते हैं उनकी बात का सम्मान होना चाहिये। यदि कोई माननीय विधायक प्रमाण देंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी इसमें कोताही बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अस्वीकृत करता हूं।

नोट:–[x x x] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दीपक कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद उन्नाव की नगरपालिका गंगा घाट की तरफ ले जाना चाहता हूं। गंगा घाट, उन्नाव के एक तरफ और कानपुर की दूसरी तरफ स्थित है इसकी आबादी पांच लाख है गंगा घाट नगर पालिका में विद्युत आपूर्ति नहीं के बराबर है। इसका कारण है कि वहां पर 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन नहीं है। बिजली न मिलने के कारण वहां की पांच लाख की आबादी निरन्तर उत्तेजित रहती है। छात्र आन्दोलन करते हैं और उत्तेजित होते हैं जिससे सार्वजनिक सम्पत्ति का अक्सर नुकसान हो जाता है पिछले दिनों वहां के लोक सभा के सांसद जो हैं उनके निवास पर कुछ लोगों ने पथराव किया और उनकी कार क्षतिग्रस्त की। निरन्तर वहां पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं और जब छात्र उत्तेजित हो जाते हैं तो सड़क जाम होना है, लाठी चार्ज होता है, पुलिस के वाहनों की तोड़फोड़ की जाती है। आजकल परीक्षायें चल रही हैं और वहां पर दुर्गा मन्दिर पर मेला भी लगा हुआ है।

(समय 2 बजकर 40 मिनट)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी कल परसों में वहां पर छात्रों ने जाम लगाने का काम किया और उससे काफी अव्यवस्था फैल गयी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर 33 के०वी० का एक सब स्टेशन बनाया जाये। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है अतः इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय सदस्य दीपक कुमार जी ने आरोप लगाया कि बिजली नहीं आती। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर 132 के०वी०ए० का उपकेन्द्र है और बिजली की सप्लाई हो रही है। दिसम्बर, 98 में मैं उन्नाव गया था वहां के चेयरमैन ने भी मुझसे शिकायत की थी। मैंने वहां के चेयरमैन और जिलाधिकारी से इस बात को कहा था कि आप भूमि उपलब्ध करा दें हम 33 के०वी०ए० का सब स्टेशन बनवा देंगे लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी। भूमि देने का जो प्रस्ताव है वह एक गड्ढे का है। उसे भरने में काफी धन लग जायेगा। आप अध्यक्ष, नगरपालिका से कहकर भूमि उपलब्ध करा दें। मैं आपकी इस मांग पर विचार करके कार्यवाही करूंगा।

श्री दीपक कुमार–

माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि भूमि नहीं उपलब्ध है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आसपास जहां कहीं भी उनका विभाग भूमि के लिए कहे, मैं नगर पालिका चेयरमैन, गंगाघाट की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां कहेंगे भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। जो हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, हम देंगे। इसमें पक्ष-विपक्ष की कोई बात नहीं है। भूमि निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी वहां के 33 के०वी०ए० सब-स्टेशन की जो धनराशि है इस वित्तीय वर्ष में रिलीज करने का काम करेंगे इसके बारे में आप आश्वासन दे दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय दीपक कुमार जी आज इस बात को उठा रहे हैं। मैं दिसम्बर में ही यह कह कर आया था कि आप जमीन दे दें, मैं इसको बनवा दूंगा। सरकार इस बात पर चिन्ता व्यक्त करती है कि अच्छी बिजली मिले, व्यवस्था ठीक हो। आप भूमि दे दें हम 33 के०वी०ए० सब स्टेशन का निर्माण करवा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देंगे । दीपक कुमार जी हम आप बैठ करके समस्या का समाधान करें न कि आरोप-प्रत्यारोप में उलझे रहें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दीपक कुमार एवं माननीय ऊर्जा मंत्री को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्रीराम औतार शाक्य जी की है ।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि संविधान से ऊपर इस प्रदेश और देश का कोई नागरिक नहीं है । यह अच्छी तरह से पूरे सदन को ज्ञात है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने विगत समय में गृह विभाग का बजट भाषण रखा था तो उन्होंने कहा था कि पक्ष या विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अमुक मुकदमें में एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती है तो उसे दर्ज करवायेंगे और हम उनका बड़ा सहयोग मानेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 6-2-99 को राम रतन निषाद जो बारात में जा रहा था फर्जी मुठाभेड़ दिखाकर टुण्डला की पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी । पार्टी बन्दी के आधार पर पुलिस हत्या करने लगे तो इससे ज्यादा बड़ा कोई अपराध नहीं है । इसी तरह से हर विलास फिरोजाबाद के तथा विशम्भर सिंह की 28-1-99 को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दी गयी और मुठभेड़ का केस बनाया । मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सिताबी खां जो कि एक अल्पसंख्यक व्यक्ति थे को ओमवीर सिंह त्यागी थानाध्यक्ष ने फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर 30-12-98 को हत्या कर दी । उसके भाई सूबेदार ने एस०एस०पी० को दरखास्त की कि इस तरह से मेरे भाई को पुलिस ने दबाव डालकर कोरे कागज पर अंगूठा निशान लगवाया और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा क्र० 198 दर्ज किया । जिसमें आन्दोलन हुआ कि जिस तरह से यह घटना दिखाई गई है वह झूठी है । पुलिस ने असामाजिक तत्वों के साथ कत्ल किया है । इसी तरह से निषाद के परिवार वालों ने दरखास्त दी है लेकिन पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । विशम्भर अपने मामा के यहां आया था उसको मार डाला गया । इसी प्रकार हरिविलाश को भी मारा गया । एक अन्य व्यक्ति छोटे खां पुत्र/निवासी खिरिया जनपद एटा की हत्या कर दी गई । यह घटनाएं तात्कालिक लोक महत्व की इसलिए हैं कि वहां पर लगातार आन्दोलन चल रहा है । श्री शिवपाल सिंह और श्री अहमद हसन जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं ने घटनास्थल का दौरा किया है उन्होंने वहां पर प्रेस कान्फ्रेंस भी की और यह कहा कि यहां पर फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है । वहां का एस०एस०पी० तानाशाह बन गया है । आप सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं । इसके अलावा सारे मुकदमों का पुलिस के खिलाफ पंजीकरण किया जाए इसके अलावा इन सारे प्रकरणों की अलग से विवेचना की जाए ।

(श्री राम वीर सिंह के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इनके अन्त में हस्ताक्षर हैं । एक मिनट इनको भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

* श्री राम वीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता, महोदय फिरोजाबाद जनपद में पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है । 6-2-99 को राम रतन निषाद ग्राम गढ़ी तिवारी बारात में जा रहा था रास्ते में ही टुण्डला पुलिस ने उसको पकड़ कर उसका इनकाउंटर कर दिया । इसी तरह से विशम्भर, हरविलास छोटे खां को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला, इन लोगों के सम्बन्धियों ने जब फर्जी मुठभेड़ के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये तो उनको लिखा नहीं गया । इसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के सिताबी को दिन दहाड़े दो बजे एटा के सितारगंज थानाध्यक्ष ओमवीर सिंह त्यागी ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मार डाला । इनके भतीजे जब शिकोहाबाद में एस०एस०पी० से मिले लेकिन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ । बाद में जब श्री शिवपाल सिंह जी और श्री अहमद हसन नेता प्रतिपक्ष वहां गये उस समय जनता आन्दोलन कर रही थी ।

इस मामले में डाक्टरों पर दबाव डालकर फर्जी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बनवायी गयी । श्री छोटे खां को ओमवीर सिंह त्यागी ने दूसरे अपराधी से मिलकर उसकी लाश को गायब करवा दिया । उसमें आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ । बाद में इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया गया उन्होंने कार्यवाही के लिए लिखा लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई । कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । इस तरह से फिरोजाबाद की पुलिस के फर्जी इन्काउन्टर करने के कारण वहां पर आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है । सड़कों पर नहीं चल सकते हैं । पुलिस पूंजीपतियों से मिल कर भ्रष्टाचार पनपा रही है और पैसा वसूलने का काम कर रही है । ऐसा उत्पीड़न तो इंगलिश पीरियड में भी नहीं हुआ था, जितना इस सरकार में हुआ है । इसलिए इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय या फिर सी०आई०डी० से इसकी जांच करायी जाय और दरोगा को निलम्बित किया जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हत्या का जो मामला यहां पर उठाया गया है और थानाध्यक्ष ने हत्यायें करवायी हैं । सिताबी खां की जिस दिन हत्या हुई, ठीक उसके दूसरे दिन मैं वहां गया । वह वहीं गांव कलेक्टर का रहने वाला था । एटा के दरोगा ओमवीर सिंह एक बदमाश के लिए दबिश दिये हुए थे और दिन-दहाड़े की यह बात है । जब उन्होंने दुकानदारों आदि को मारना-पीटना शुरू किया तो सिताबी खां वहां से भागा और वह तालाब के किनारे पहुंचा और वहां उसे दबोच लिया गया । लोगों ने कहा कि यह बदमाश नहीं है सिताबी खां है, फिर भी उसे बन्दूक के कुन्दों से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गयी । पुलिस का वर्जन जो भी हो, मेरी मांग है कि इसकी सी०बी०आई० से जांच करायी जाय और दिन-दहाड़े तालाब के किनारे बन्दूकों के कुन्दों से मार-मार कर उसकी हत्या हुई है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसका मुकदमा पंजीकृत कराया जाय, अगर नहीं हुई है तो मैं समझता हूं कि वह पांच भी झूठे हो सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री शाक्य जी ने तथा माननीय सदस्य फिरोजाबाद ने कुछ घटनाओं का उल्लेख करके ऐसी स्थिति का चित्रण करना चाहा जैसे मानो पुलिस मारती घूम रही है । जिन घटनाओं जिक्र यहां पर किया गया है, उन सबकी जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है । 6/7 फरवरी, 99 की घटना है । टूण्डला में एक हिन्द ढाबा है । थानाध्यक्ष को यह सूचना मिली कि हिन्द ढाबा को कुछ बदमाशों ने लूट लिया है और रुपया लूटकर तथा कर्मचारियों को पीटकर चल गये हैं । रेलवे क्रासिंग पर एक खोखा है, उसको भी उन्होंने तोड़ा और उसका माल भी उठा ले गये । जनता ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की । ये बदमाश जो सामान लूटकर ले गये थे, उसका बटवारा कर रहे थे । पुलिस पर इन बदमाशों ने गोलियां चलायीं । इसमें राम रतन पुत्र योगेन्द्र को गोली लगी और वह मर गया । उससे भारी मात्रा में गोली बारूद तथा रिवाल्वर बरामद हुई । दूसरी घटना 28/29 जनवरी की है, जिस व्यक्ति का नाम यहां पर लिया गया हरविलास तथा विशम्भर सिंह का ये दोनों इनामी बदमाश घोषित थे । इन इनामी बदमाशों ने एक पोजीशन ली थी और छिपे हुए थे और डकैती डालने का इनका इरादा था । पुलिस पर इन्होंने गोलियां चलायी । मान्यवर, अगर पुलिस इनामी बदमाशों को पकड़ने का काम करती है तो यह उसको दूसरा रूप दे देते हैं । पुलिस बदमाशों को पकड़ने का काम नहीं करेगी तो काहे के लिए रखी गयी है । मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था यह लोग कहते हैं कि इतनी लूटमार हो रही है, बदमाश डकैती डाल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है । जब सरकार इन बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करती है तो यह आंसू बहाने लगते हैं । मैं कहूंगा तो बुरा मान जायेंगे । अब तो कम से कम आप बदमाश को संरक्षण देना छोड़ दें ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह आरोप लगा रहे हैं कि हम बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं । इस आरोप से बड़े चिन्तित हो गये अभी पिछले आधे घण्टे से आरोप लगाये जा रहे थे । मैं कुछ कहूं तो बुरा लग जायेगा । पता नहीं आप किस ढंग से और कब से इसी के आधार पर राजनीति कर रहे हैं । अभी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार बदमाशों को संरक्षण दे रही है । प्रदेश सरकार कोई संरक्षण बदमाशों को नहीं दे रही है । यह बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में घोषणा कर चुके हैं कि हमारी सरकार के रहते हुए कोई भी बदमाश इस समाज को दुखी नहीं कर पायेगा । तीसरी घटना 30-12-98 की है इसमें जो बदमाश था उसके ठिकाने पर दबिश की गयी । वहां पर गोलियां चलीं एक व्यक्ति की लाश पायी गयी, उसकी पहचान की गयी और मुकदमा कायम किया गया । कोई भी इस प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आयी कि जानबूझकर पुलिस ने गोली चलायी । यह कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री धनीराम वर्मा–

सिनाबू खां के बारे में क्या कह रहे हैं जिसे मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से । उस बारे में क्या वर्जन है ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें वर्जन यह है कि जांच चल रही है जो भी कार्यवाही होगी सामने आ जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो पांच घटनायें हैं जिसमें इन्काउन्टर हुए हैं इसकी सी०बी०आई० से जांच करा लें अगर पुलिस का दोष साबित न हो जाय तो हम सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे अन्यथा संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य, श्री रामवीर सिंह, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद यह सूचना कार्य स्थगन की परिधि में नहीं आती है इसलिए निरस्त की जाती है ।

मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि पांच सूचनाओं पर ग्राह्यता सुनी जाती है और उसके बाद 5 सूचनाओं पर केवल ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आज चूंकि सामान्य प्रशासन और गृह पुलिस का बजट होना है अतः निवेदन है कि प्रत्येक सूचना पर एक-एक माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कहें ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

रोज लगभग 10 सूचनाओं पर सुना जाता है लेकिन आपने व्यवस्था दे दी कि दो-दो मिनट में एक-एक सदस्य अपनी बात कहें । अभी आपने दो-दो तीन-तीन को सुना है । हम समय सीमा के अन्दर अपनी बात कहेंगे हमको भी मौका दें । श्री अम्बरीष जी भी इस पर अपने विचार रखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष जी क्या बोलेंगे । आपके जिले का मामला है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह पूरे प्रदेश का मामला है । एक घटना का उल्लेख किया गया है लेकिन पूरे प्रदेश का मामला है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब से बी०जे०पी० का राज्य यहां बना है, सरकार इनकी यहां पर चल रही है । एक नहीं अनेक तरह का उत्पीड़न किसानों के साथ लगातार हो रहा है । आज पूरे प्रदेश में वसूली के नाम पर तहसील और राजस्व विभाग खुलेआम डकैती डाल रहे हैं । आप कह दें छोटी-छोटी घटना है लेकिन ऐसा नहीं है पूरे प्रदेश में जो ताडंव और वहशीपन यह सरकार कर रही है नरसिंहपुर गांव इलाहाबाद में कृष्णापुर तहसील में है । जनेश्वर मिश्र जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कई बार मंत्री रहे हैं वह भी वहां गये हैं मैंने जो देखा इतनी दर्दनाक घटना मैंने देखी नहीं थी । वहां नायब तहसीलदार तहसील गये उन्होंने ट्रैक्टर की वसूली के लिए पैसा मांगा । गुरु प्रसाद पाण्डेय के नाम से वसूली उन्होंने की, जितना पैसा इकट्ठा हो चुका था उसको वह दे चुका था दो किश्त वह पहले ही दे चुका था इन सबके बावजूद 55 हजार रुपया दिया तो नायब तहसीलदार ने कहा कि पांच हजार रुपया वसूली का लेंगे इस पर झगड़ा हो गया दूसरे दिन नायब तहसीलदार कम से कम 50 अराजक तत्वों को लेकर वहां पहुंचा और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया उनके तमाम दरवाजों को तोड़ दिया गया, उनकी सेफ को तोड़कर गहने उठा ले गये, बन्दूक ले गये । जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, वहां देखकर ऐसा लगता है जैसे उस गांव में डकैती हुई हो उसकी फोटो कापी भिजवा रहा हूं । एक बच्ची तीन साल की थी उसका हाथ टूट गया, उसकी डाक्टर की रिपोर्ट अपको भिजवा रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, एक महिला 65 साल की उसकी हड्डी टूट गयी, एक दलित शंकर लाल को इतना मारा कि दो दिन बाद उसका प्राणान्त हो गया । पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना घट रही हैं, बलिया में भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं, इसमें तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी, तो अपराध बढ़ेंगे । खुलेआम लूट करने का अधिकार सरकार किसी को नहीं दे सकती है । मैं आग्रह करता हूं कि यह गम्भीर प्रश्न है इसको हल्के से न लिया जाय । इसमें दो तरह की बात हो सकती है या तो सदन की कमेटी बनाकर इसमें जांच करा लें या बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास भेजकर उच्च स्तरीय जांच करा लें जो रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाए तब तक वसूली स्थगित रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 की सूचना को नियम–56 में कैसे परिवर्तित कर देंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

रोज तो परिवर्तित होती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी ने ही आपत्ति की थी ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर मैंने आपत्ति की थी तो मैं अपनी आपत्ति वापस लिए लेता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है । मैं इस सन्दर्भ में और कुछ नहीं कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है । बसपा के सदस्यों ने अभी एक मामला उठाया कि 180/- रुपये को लेकर उस व्यक्ति को इतना मारा कि वह मर गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी आप बैठ जायें । बात आ गयी है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि जिनके हाथ में कानून पालन करने का अधिकार है, यदि झगड़ा भी हुआ तो नियम के मुताबिक उस आदमी को गिरफ्तारी का प्रबन्ध किया जा सकता है । अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 82-83 की कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन यह अधिकार किसी भी तहसीलदार या एस०डी०एम० को नहीं है कि वह किसी के घर में घुस जाये और लूटपाट करे । उसकी पिटाई करे जिससे उसकी मृत्यु हो जाय । यह अवैध है । मान्यवर, करछना तहसील ही नहीं तमाम जगहों पर इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं । राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, रिश्वत लेकर वसूली की कार्यवाही को स्थगित करते हैं तो इस पर चर्चा करायी जाय और इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार किया जाय ।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी इस, कार्य स्थगन की सूचना पर आपका नाम नहीं है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगर यह सूचना पहले पांच पर होती तो शायद मैं आपको अनुमति दे देता । यह छठीं सूचना को मैंने माननीय सदस्य के आग्रह पर सुन लिया है । इस पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं लेकिन अब मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

माननीय पाल जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा है और उस पर माननीय अम्बरीष कुमार जी ने बल दिया है मैं उस पर पुनः बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह घटना का तो आज सदन में जिक्र कर दिया और इसलिए कर दिया गया कि चरम सीमा, आतंक और अत्याचार सारे राजस्व विभाग के अधिकारियों का पहुंच गया है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, एक और काम हो रहा है। फसल कटाई पर पड़ी है। इटावा, औरैया, बांदा में और खेतों में लाल झण्डे लगाये जा रहे हैं और वह इसलिए लग रहे हैं कि खेत कुर्क हो गया। यह कहा जा रहा है। आप खेत नहीं काट सकते जब तक आवासी और लगान आप नहीं देंगे। चाहे इसे जानवर खा जायें या फिर सरकार उसको काट ले। तो श्रीमन्, चरम सीमा पर यह अत्याचार सरकार करा रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दी जाय जिससे सारे तथ्य उजागर होकर सामने आ जायें।

श्री हुकुम सिंह–

सूचना में मान्यवर, इस बात का उल्लेख है कि 55 हजार रुपये दिये गये 50 हजार रुपये की रसीद दी गयी 5 हजार रुपये का जो अन्तर था उस पर बहसुनी हुई। दूसरा पक्ष यह है कि नायब तहसीलदार श्री वी०एस० तिवारी 50 हजार रुपये की आर०सी० लेकर वहां गये थे, कुछ लोगों ने उनको जबरदस्ती पकड़ करके उन पर दबाव बनाकर 50 हजार रुपये की रसीद बना ली पैसा वह नहीं ले पाये, उनको आतंकित करके रसीद बनवा ली गयी। मान्यवर, तो फिर कैसे सरकार चलेगी ? उनकी सूचना पर मुकदमा कायम हुआ है 352/332 आदि का, उसकी जांच चल रही है। मान्यवर, दूसरी तरफ इस बारे में कोई शिकायत जिला प्रशासन को नहीं दी गयी। यह तो राजस्व विभाग के अधिकारी थे, पुलिस विभाग को सूचित किया गया होता।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अगर इनकी कोई शिकायत हो गयी होती तो जांच हो गयी होती। इसमें विधिवत् मुकदमा कायम हुआ है। जांच में जो परिणाम होंगे उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। अगर वे दोषी होंगे तो उनको जेल भिजवा दिया जायेगा। नहीं दोषी होंगे तो इसे समाप्त कर दिया जायेगा। मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो बात कही है मंत्री जी ने वह तथ्य से परे है कि जबरदस्ती रसीद बनवा ली गयी। 90 हजार रुपया बकाया था तो 50 हजार की रसीद क्यों बनवा ली गयी ? अगर उनके साथ बदसलूकी की गयी तो उन्हें क्या अधिकार था कि अगले दिन 50-60 असामाजिक तत्वों को गांव में ले जाकर लूटपाट करायी गयी ? एक तीन साल की बच्ची को बहुत चोटें आयी हैं महिलाओं को पीटा गया है जिस तरह से घर को लूटा है उसकी फोटो प्रति भेज रहा हूं यह सब बातें जिला प्रशासन के संज्ञान में हैं। अखबारों में आयी हैं। या तो आप सदन की कमेटी बनाकर या राजस्व परिषद् के अध्यक्ष या सदस्य से इसकी जांच करा लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारी, इलाहाबाद से इसकी जांच करवा लेते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसमें राजस्व परिषद् के अध्यक्ष या किसी सदस्य से जांच करा लें यह मेरा अनुरोध है। नायब तहसीलदार का मामला है जिलाधिकारी इसमें क्या जांच करेंगे ?

लेकिन जिलाधिकारी नायब तहसीलदार को बचाने का काम कर सकते हैं, इसमें आपको आपत्ति क्या है, जिलाधिकारी से न कराके रेवन्यू बोर्ड के अधिकारियों से करा लीजिये, सचिव को भेज दीजिये, मेम्बर को भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कमिश्नर से करा लीजिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह, नेता विरोधी दल तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री सौलत अली की है ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, हज यात्रियों को सुविधा देने के लिये केन्द्रीय हज कमेटी का गठन किया गया और उसकी नियमावली बनाई गई, उसी नियमावली के अनुसार हज यात्रियों को टीके लगवाना, विदेशी मुद्रा मुहैया कराना, स्वास्थ्य परीक्षण कराना तथा पास आदि उपलब्ध कराना सभी काम हैं । हज यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण स्टेट लेविल पर भी हज कमेटी बना दी गई जो केन्द्रीय हज कमेटी के अनुरूप ही काम करती रही । वर्तमान सरकार जो रोज ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के दावे करती है, इसी सरकार के रहते हुये और इस सरकार के मंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने अल्पसंख्यकों को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया । वर्ष 1999 के हज प्रार्थना-पत्र मांगे गये और उसमें 5,500 विदेशी मुद्रा के लिये तय किये गये और 12 हजार रुपया किराये के लिये तय किया गया लेकिन उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने अपने नये फार्म छपवाये और 5,600 रुपये विदेशी मुद्रा के लिये तथा 12,600 रुपये किराये के लिये लिखवाये, जबकि इस बात का इन्हें कोई अधिकार नहीं है । इसके अलावा इन पैसों के बैंक ड्राफ्ट पहले नेशनलाइज बैंक के सेविंग एकाउन्ट में जमा किये जाते थे, जिससे ब्याज भी मिलता था, लेकिन इस बार पहली बार एक प्राइवेट बैंक के करेन्ट एकाउन्ट में जमा किये गये, जिसकी वजह से हज कमेटी को अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ा और हज कमेटी को घाटा उठाना पड़ा । इसके अलावा उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने एक काम और किया और हज यात्रियों के खाने के लिये जद्दा की ओमास कम्पनी के मालिक को बुलाकर उससे 650 रियाल पर तय कर लिया, इसका भी इन्हें अधिकार नहीं है, इस तरह का कोई निर्णय केन्द्रीय हज कमेटी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता ।

इसके बाद उत्तर प्रदेश हज कमेटी को जो 5 एकड़ भूमि हज हाउस बनाने के लिये ओखला में दी गई, थी जिसकी बाउन्ड्री वाल बन चुकी है और 2 कर्मचारी देखरेख के लिये नियुक्त कर रखे हैं और इसका नक्शा पास होने के लिये डी०डी०ए० में जमा किया जा चुका है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने लखनऊ में हज हाउस बनाने का निर्णय इसलिये कर लिया कि दिल्ली में हज हाउस बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 करोड़, 66 लाख, 17 हजार रुपया जो दिया जा चुका है, उसको हड़पने के लिये इन्होंने लखनऊ में महंगी जमीन का प्रस्ताव कर दिया, इसका भी इन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले यह समाचार-पत्रों में कहते थे कि दिल्ली में हज यात्री भटका करते हैं, इसलिये दिल्ली में ही हज हाउस बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस रुपये को हड़पने के लिये इन्होंने लखनऊ में हज हाउस बनाने की साजिश कर डाली । इस 4 करोड़ 66 लाख में से 2 करोड़ 6 लाख रुपया पी०एल०ए० में जमा किया जा चुका है ।

इस प्रकार से मान्यवर, हज यात्रियों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये वसूले गये हैं । अखबार में सरकार की ओर से बयान दिया गया कि यह रुपया वापस कर दिया जायेगा लेकिन वापस नहीं किया गया है, इस प्रकार इस सरकार द्वारा हज यात्रियों का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया गया है । बहुत से यात्री हज को जा चुके हैं और काफी अभी जा रहे हैं, पैसा अभी तक वापस नहीं किया गया है, इससे इन लोगों में अत्यन्त रोष है और यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है, यह लोक महत्व का भी प्रश्न है, अविलम्बनीय भी है, इसलिये आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस समय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हज जैसी चीज के लिए जो खिदमत का काम है उसके लिए इस सरकार ने एक अजीबो-गरीब तरीका अपनाया है । हज कमेटी ने जो फार्म दिया है उस पर 5,500 रुपया फार्म पर लिखा है, जो रहने के लिए फीस है । उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने अपने फार्म पर 12,600 रुपये आने-जाने के किराये का लिखा है जबकि सेन्ट्रल हज कमेटी ने 12,000 रुपये अपने फार्म पर लिखे हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर 700 रुपये हर हज यात्री से अधिक लिये हैं । मान्यवर, 35,000 यात्री उत्तर प्रदेश से हज के लिए गये हैं । अब 700 रुपये के हिसाब से करोड़ों रुपया अधिक लिये गये हैं ।

मान्यवर, हज हाउस के लिए पिछली बार एक जमीन वहां उपलब्ध करवा रखी है, उस पर दो-तीन करोड़ रुपया मिल चुका है लेकिन आज तक हज जाने वाले दिल्ली और मुम्बई से जाते हैं किन्तु लखनऊ में हज हाउस बनवायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां से कितने लोग हज के लिए जायेंगे ? मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक फर्म, जो एथराइज नहीं है, खाने का 650 रियाल के हिसाब से एक फर्म से अरबो रुपये का सौदा किया है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने आपत्ति किया तो वापस ले लिया, तो क्या यह सरकार ऐसा कर सकती है । सरकार इसमें घपला करवा रही है । मान्यवर, 2.45 करोड़ रुपया हज के लिए जा चुका है और जाने वाले 26 तारीख को चूंकि हज है किन्तु अभी तक उनको एक भी पैसा वापस नहीं आया है इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आप सदन में चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस बात से माननीय सदस्य परेशान हैं उसमें मैं बताना चाहता हूं चूंकि सरकार आज हाजियों के लिए कुछ सुविधायें उपलब्ध करवा रही है तो उन्हें इससे तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने अच्छे काम क्यों कर रही है । मान्यवर, आप तो कुछ नहीं करवा पाये हैं लेकिन हम कुछ काम कर रहे हैं तो वह लोग ऐसी अनरगल बातें कर रहे हैं । मान्यवर, कल भी बजट के समय हम पर बहुत सारे प्रहार किये गये थे और आज कहा गया कि हाजियों से सरकार करोड़ों रुपया लूट रही है । आपने आरोप लगाया कि 100 रुपया अधिक ले लिये तो मैं बताना चाहता हूं कि नियमावली को देखें तो उसमें चन्दा लेने का प्राविधान है ।

बाकायदा हज कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया और उसी के अनुसार कार्यवाही की गयी, यह मंत्री जी का अपना निर्णय नहीं था । मान्यवर, एक आरोप लगाया गया कि करोड़ों रुपया वसूल किया गया, 12 हजार रुपये की बात कही गयी, कुल मिलाकर जितना रुपया वसूल हुआ था, उसके एक-एक पैसे का हिसाब सेन्ट्रल हज कमेटी को भेजा गया, जिससे उन सभी आदमियों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का सारा विवरण रहे और कोई कठिनाई न उत्पन्न हो, उन्होंने अच्छा काम किया उसकी सराहना आपको करनी चाहिये, आपने नहीं की। एक और आरोप लगाया गया कि किसी कम्पनी को ठेका दिया गया, मैं कहना चाहता हूं कि कोई ठेका नहीं दिया गया है। मान्यवर, जब चार आदमी बैठते हैं, तो तमाम बातें सामने आती हैं, सुझाव आते हैं और उनमें एक सुझाव यह भी आया कि खाने की व्यवस्था कर ली जाये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था पहले चल रही थी, वही चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और उसमें बाल की खाल निकाली गयी कि विचार ही क्यों आया।

मान्यवर, सारे के सारे बिन्दु ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से लगाये गये हैं, माननीय मंत्री जी के ऊपर लगाये गये हैं, वह अल्प संख्यक समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर सराहनाय कार्य कर रहे हैं, उस पर भी उन पर आरोप लगाये जा रहे हैं, तो मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है, इसको निरस्त करने की कृपा की जाये।

श्री अध्यक्ष–

मा० श्री सौलत अली और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद जालौन में विधान सभा क्षेत्र कालपी में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के भाई श्री केशव राम निषाद जो अपने गांव हीरापुर से कालपी गया था और जब वह लौट रहा था, तो उसकी रास्ते में हत्या कर दी गयी। यह घटना 20-3-1999 की है और आज 23 तारीख है, हत्यारे निडर होकर घूम रहे हैं। मान्यवर, यह गांव के प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है, इनका कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण वहां पर बहुत अधिक जनाक्रोश है।

हत्यारे उन्मुक्त होकर घूम रहे हैं। मान्यवर, जहां पर हत्या हुई वहीं से 100 गज दूरी पर 40-50 मजदूर कार्य कर रहे थे, कुछ भेड़-बकरी चराने वाले अपनी भेड़-बकरियां चरा रहे थे, वे सब दहशत में आ गये। मान्यवर, वह हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं। जब उसने हत्या की तो वहां के सारे लोगों ने शोर मचाया, चिल्ला उठे दहशत में आ गये। सभी लोगों ने इस हत्या को देखा। जिसका इस हत्या में नाम है इत्तफाक से वह ब्रम्हा सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इस पर मुकदमा अपराध सं० 130/81, 110/89, 80/380, 5245/99, 127/98, 362/98, 30/97, 270/97, 532ए/99, चल रहा है। यह इतने सारे मुकदमों में अभियुक्त है यह हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इसके बावजूद भी इस सरकार की वजह से उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज भाषण में कहते हैं कि भयमुक्त समाज हम देंगे।

मान्यवर, आये दिन इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं। अभी हाल में मैंने पट्टी प्रतापगढ़ में उर्मिला पाल की छेड़छाड़ व हत्या की बात की थी। सांगीपुर थाना में अलगू राम चौधरी की हत्या की बात की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी जो भाषण

देते हैं वह हवा में तैरता है । मान्यवर इस सरकार की वजह से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है । मान्यवर, यह अविलम्बनीय विषय है, यह लोक महत्व का विषय है । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे शिवराम सिंह निषाद की हत्या करने वाले हत्यारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे ?

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालपी में श्री अमर सिंह निषाद के भाई श्री शिवराम निषाद की तीस तारीख को कालपी से एक किलोमीटर दूरी पर हत्या कर दी गई । मान्यवर, जहां हत्या हुई वहीं पर 50-60 मजदूर कार्य कर रहे थे । सबने इस घटना को देखा और मान्यवर मृतक शिवराम के साथ एक व्यक्ति राम सेवक भी था जिसे पुलिस कप्तान ने पहचान तक के लिए नहीं बुलाया । मान्यवर, वह व्यक्ति बच गया था । मान्यवर, पुलिस कप्तान घटना स्थल पर पूछताछ करने के बजाय ग्राम हमीरपुर में पूछताछ कर रहे हैं जो कि घटना स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है । मान्यवर, कहां घटना हुई है और कहां पुलिस इन्क्वायरी कर रही है ?

मान्यवर, हमीरपुर से लगे हुए गांव मैनीपुर है, कीरतपुर है जहां कि मल्लाहों की ही बस्ती है । यहां पर अपराधियों का वर्चस्व कायम है । अभी कीरतपुर गांव में उमाशंकर प्रधान के साथ मारपीट की गई । यह माफिया लोगों से अवैध वसूली करते हैं, आतंक फैलाते हैं । यह जो घटना हुई यह हमारे पूरे जनपद जालौन के लिए आतंक का विषय बन गई है । पूरी पुलिस व्यवस्था चरमराई है । जालौन के एक इन्सपेक्टर को कालपी का और कालपी के एक इंसपेक्टर को जालौन का चार्ज दे दिया गया और बात खत्म हो गई । मान्यवर, पूरा जिला आतंकित है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण और लोकमहत्व का विषय है जिस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी के भी साथ कोई घटना हो जाये, यह दर्दनाक तो है ही । मान्यवर, इसमें कोई पार्टी की, उसके रुख की या राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए । जो तथ्य है, शिवराम जो मृतक है, 20 तारीख की यह घटना है, कुछ लोग सायं आये, उसे रोककर और बम फेंककर हत्या कर दी । 7.45 पर तुरन्त पुलिस वहां मौके पर गयी मान्यवर, खोखे भी बरामद हुए । जिससे लगता है कि बम यहां पर फेंका गया । मान्यवर, अब ये बहुजन समाज पार्टी के नेता यदि कहीं भी कोई घटना होती है, आरोप लगायेंगे भारतीय जनता पार्टी पर । मृतक के भाई अमर सिंह ने जो जानकारी दी उसके अनुसार मारने वाले से शिवराम की रंजिश पहले से थी । जो मारने वाला है मान्यवर, सीधा-सीधा बहुजन समाज पार्टी से है । यह बात इतनी सीधी नहीं है इस पर और भी एंगिल हैं । मान्यवर, जो लोग ऐसी घिनौनी घटनायें करते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है । अपराधी को अपराधी मानकर जो दोषी हैं, वे पकड़े भी जायेंगे और कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम पाल और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अपराधी तो अपराधी होता है । मैं अपराधी को अपराधी नहीं मानता मैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी चाहता हूं, जो भी हत्यारे हैं उनकी तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिए । चूंकि माननीय संसदीय कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी हमेशा आश्वासन देते हैं कि कार्यवाही करेंगे, यह हमेशा कह देते हैं कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए । जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, अपराध बढ़ते ही रहेंगे । संसदीय कार्य मंत्री यह कह रहे हैं कि कार्यवाही हो रही है । मैं चाहता हूं कि आप इसकी समीक्षा भी करें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी विवेचना की समीक्षा भी आप करते रहिएगा ।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, विगत दिनों मेरे क्षेत्र में बाढ़ आयी थी । हमारे क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल है । उसका भवन ध्वस्त हो गया है । वहां पर न तो कुर्सी मेज है न टाट पट्टी है सब बाढ़ में बह गया है । इसके अलावा हमारे यहां ऐसे तमाम प्राइमरी विद्यालय हैं जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गये हैं । अध्यापक बच्चों को बाहर जमीन पर बैठा रहे हैं । बच्चों के पानी पीने के लिये व्यवस्था नहीं है । हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । जब अधिकारियों से मिला जाता है तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं है । मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं आप उनको निर्देश दें कि वहां पर सारे स्कूलों के भवन बनवाये जायं । मेरे क्षेत्र के विद्यालय बाढ़ से तहस-नहस हो गये हैं । वहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप शांति निकेतन गयी हैं ? शांति निकेतन में जमीन पर बैठ कर लोग पढ़ते हैं ।

श्रीमती गौरी देवी–

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । आप घोषणा करें कि जो भवन कट गये हैं, बह गये हैं उनको बनवाया जायगा । यह छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है । इस पर 1 घण्टे की चर्चा करायी जाय । वहां की जनता में आक्रोश है और अध्यापकों में क्षोभ है । हमारे क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मुख्यमंत्री जी से कहलवा दीजिये यह उनके चुनाव क्षेत्र का मामला है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक गोरखपुर की बात है वह तो वैसे भी विश्व बैंक परियोजना से आच्छादित है । परियोजना निदेशक सारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करें ताकि वहां के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती गौरी देवी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

अगली सूचना माननीय राम ललित चौधरी की है । आप 2 मिनट में अपनी बात कह दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश मे कई जिले आग की चपेट में आ गये हैं। लखनऊ जनपद में गोसाईगंज इलाके के अहिमामऊ गांव में एक दर्जन घर जल गये, गोसाईगंज के महमूदा गांव में 18 घर जल गये, मलिहाबाद के रामनगर में 8 मकान, बस्ती के हरैया कस्बे के नियामतपुर गांव में 3 बच्चे जल गये इसमें दो लड़की तथा एक लड़का था। बाराबंकी के रामनगर थानान्तर्गत ग्राम–मोहड़वा मजरे में 27 घर जल गये तथा सिरोली, गौसपुर तहसील के तीन गांवों सहनीमऊ, किशुनदासपुर तथा मोहम्मदपुर में लाखों की सम्पति जल गयी। लखनऊ के ही चिनहट थाना के लौलाड़ गांव, निगोहां के अन्धेमऊ तथा मलिहाबाद के केथवलिया गांव जल गये। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर थाना के सुखरामपुर गांव में एक व्यक्ति, 20 बकरी व 50 गाय जल गयी। प्रतापगढ़ के तहसील कुण्डा के मानिकपुर गांव में 50 घर जल गये। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में तमाम घर जले हैं। उनकी जो क्षति हुई है उसके बराबर उसकी क्षतिपूर्ति हो। मान्यवर, महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति बढ़ी है लेकिन क्षतिपूर्ति की रकम अपनी जगह पर ही है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं तत्काल इसकी धनराशि को बढ़ाने का वायदा करें।

आग बुझाने वाले जो केन्द्र हैं वह बहुत ही शिथिल हैं वह मौके पर नहीं पहुंचते हैं अगर वह समय से पहुंच जायं तो तमाम घरों को, गांवों को जलने से बचाया जा सकता है। अग्निशमन केन्द्रों को अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। आज जो बहुत पुराने मानक के अनुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी उस मानक को बदलकर क्षतिपूर्ति की रकम को बढ़ाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में न तो अग्निकाण्ड की तिथि और न ही उससे हुई हानि का ब्यौरा दिया है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह फ्री लान्सर है।

श्री स्वामी प्रसाद मार्य–

मान्यवर, क्षतिपूर्ति के नाम पर 500 रुपये दिये जाते हैं और कहीं-कहीं वह भी नहीं दिये जाते हैं। यह मामला बहुत ही गम्भीर है और लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है वह बिल्कुल असहाय हो जाते हैं ऐसी स्थिति में जो अहेतुक सहायता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए कि वह एक महीना तक रोजमर्रा की जिन्दगी जी सकें इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आर्थिक सहायता के लिए विचार कर लीजिएगा।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं, तनख्वाह बढ़ गयी, मुद्रास्फीति बढ़ गयी, मंहगाई बढ़ गयी तो अहेतुक सहायता राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी इस संवेदनशील मुद्दे पर मौन हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने विचार करने के लिए कहा है इसलिये मौन हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 20 वर्ष पहले से 500 रुपये चला आ रहा है । जब घर जलते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है, राशन भी नहीं रह जाता है इसलिए जो अहेतुक राशि है उसको बढ़ाने की कृपा की जाये । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं इस समय कुछ बात आनी चाहिए गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, जिनका घर जलता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लीजिएगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं वस्तुस्थिति बता दूं । अभी तक जो अग्निशमन केन्द्र थे वह जिला मुख्यालयों पर केन्द्रित थे । यह सरकार उन्हें तहसील मुख्यालयों तक पहुंचा रही है और तहसील मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं । जहां नहीं पहुंचे हैं वहां सीजनल व्यवस्था की जा रही है । जो जल गया, जो परिस्थितियां होती हैं उसको देखकर ही सहायता तय की जाती है, सामान्य रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनहीन सरकार है, जिनके मकान जल जाते हैं, सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, अहेतुक सहायता को नहीं बढ़ा रही है । अतः इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 पर अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अध्यादेश 1998 का अननुमोदन करता है । मान्यवर, यह अध्यादेश सबसे पहले 18 दिसम्बर, 1998 को इसी सदन में उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1998 सदन में प्रख्यापित किया गया । उस अध्यादेश में प्रत्येक राजस्व मण्डल के हिसाब से एक गैर सरकारी सदस्य का नामांकन करने का प्रस्ताव किया गया । उसके हिसाब से 19 सदस्य होते हैं । उसके बाद यह सरकार पुनः एक अध्यादेश लाई जो अध्यादेश संख्या 3 सन् 99 है । तो यह सरकार की विधिक सोच इतनी कच्ची है कि यह दो अध्यादेश ला रहे हैं । 9 फरवरी को यह सदन आहूत किया गया था लेकिन सरकार की विधिक सोच अच्छी नहीं है कि यह दूसरी बार अध्यादेश लाए उसमें इन्होंने 12 सदस्य गैर सरकारी मनोनीत करने का प्राविधान किया । विधेयक जो लाया गया है उसकी धारा 4 के क्लास छः में निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्देशित 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे । एक तरफ 12 की बात कर रहे हैं उसके पहले 19 की बात कर रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपके लिए 12 की संख्या खतरनाक है । जबकि राजनैतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं तो आप 12 की संख्या किस आधार पर लाए ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप संकल्प प्रस्तुत कर देते । संशोधन जब आता तब अपने विचार रख लेते ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह जो गो सेवा आयोग विधेयक आप लाए हैं इसमें पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का है । इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं ।

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरप्रदेश गो सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

पहले विचार रख लें । बाद में संशोधन पर विचार आ जाएंगे ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए गोवंश संवर्धन के लिए गो पालकों के संवर्धन के लिए चारागाह विकसित करने के लिए, गोशालाओं के निर्माण के लिए गो सेवा आयोग विधेयक लाया गया है इससे श्वेतक्रांति, हरितक्रांति और बेरोजगारी दूर करने की तमाम सम्भावनाएं हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी की सम्भावनाएं हैं ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

इस आयोग को बनाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने का कार्य किया है । यह महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है इसलिए इस गो-सेवा आयोग का गठन किया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि इस विधेयक में रोजगार के काफी आयाम हैं । इनकी पार्टी के, आर०एस०एस० के और बजरंग दल के जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें इसमें रोजगार मिल जायेगा । कहीं पर यह 12 की बात करते हैं, कहीं पर 19 की और कहीं पर 15 की बात करते हैं, कंसिस्टेन्सी तो है ही नहीं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कर दूं कि जो अध्यादेश जनवरी, 1999 में लाया गया था उसमें 12 सदस्यों की बात कही गयी और जो अब विधेयक लाये हैं उसमें 15 सदस्यों की बात कहे हैं और उसके पहले 19 की बात कही गयी थी ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर कितने गैर सरकारी सदस्यों को आप नामांकित करना चाहते हैं । इसमें तो टूटी-फूटी गायें हैं और वृद्ध गायें हैं उनके बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । ठीक है आप गो-सेवा की बात करें, आप गंगा घाट की बात करें और मन्दिर की बात करें इसमें हमें कुछ नहीं कहना है परन्तु मानवता और इन्सानियत सबसे बड़ी बात होती है । आखिर इस सेन्टीमेंटस को लेकर इस मुल्क को आप कहां ले जाना चाहते हैं मैं तो कहना चाहता हूं

कि जो टूटी-फूटी गायें हैं, वृद्ध गायें हैं उनको कलेक्टर के बंगले में रख दिया जाय और वहीं पर उनके रख-रखाव की व्यवस्था की जाय । घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है । गऊ के हम भी उपासक हैं । इस अध्यादेश से प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा । वैसे ही आपकी सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है ।

आपने अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल एक साल कर दिया और अध्यक्ष का कार्यकाल जो पहले 3 साल था उसे एक साल कर दिया । आखिर ऐसा क्यों किया ? इसमें जो कहा गया है कि यह रोजगार परक विधेयक है । मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से प्रदेश सरकार के समक्ष वित्तीय संकट खड़ा होगा ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

हम ऐसी गायों के लिए गोशाला खोल रहे हैं और उन्हें भूसा खिलायेंगे और गोबर से कम्पोस्ट खाद बनायेंगे और इनको खिलायेंगे और ये खायेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश के यह जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं उनसे इस प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि गोबर की कम्पोस्ट खाद उत्तर प्रदेश को खिलायेंगे पेयजल में जो ज्वाइन्डिस आया है पीने के पानी में क्या चीज इन्होंने मिलाई और खाने में कम्पोस्ट खाद देंगे । ऐसे मंत्री के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पशुधन मंत्री जी आप कुछ उत्तर दे रहे हैं ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

माननीय शाक्य जी को तो प्रशंसा करनी चाहिए थी, सरकार को बधाई देनी चाहिए थी कि हम ऐसा आयोग लाकर इतना अच्छा कार्य करने जा रहे हैं । हमारी सरकार नियोजन और प्रबन्ध करके किसानों के सम्वर्धन के लिये कार्य कर रही है । इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा । यह अवैतनिक लोग होंगे । 8 सरकारी और 15 गैर सरकारी । किसी प्रकार का बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा । पूरे प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिये इस आयोग को ला रहे हैं इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी । गांवों में दूध की उपलब्धता होगी । दूध का उत्पादन बढ़ेगा इस प्रकार की व्यवस्था इस गो-सेवा आयोग में की गई है । इतना सुन्दर व्यवस्थित कार्य हमारी सरकार कर रही है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इसमें कोई वेतन भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा । पेज नं०–4 में धारा–8 पढ़ लें उसमें दिया है वेतन और भत्तों आदि के बारे में । मान्यवर, जब इसमें वेतन भत्तों का प्राविधान है तो कैसे मंत्री जी कह सकते हैं कि इसमें वेतन भत्तों का प्राविधान नहीं किया गया है ? मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही में अंकित हो गया है । मैं चाहूंगा कि इस आधार पर संज्ञान में लें यदि वेतन भत्ते दिये जायेंगे तो सदन की अवमानना होगी । मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 में जो संकल्प प्रस्तुत किया था उसे वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश 1998 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, 24 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में :

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से है ;

(ख) "गाय" का तात्पर्य गाय और गाय के वंश से है :

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है :

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं :

(ङ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु : यथास्थिति : उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें उनके लिए समनुदेशित हैं।

3-(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, लखनऊ में एक निकाय की स्थापना कर सकेगी जिसे उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के रूप में जाना जायेगा। आयोग की स्थापना

(2) आयोग एक नियमित निकाय होगा।

4-(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- आयोग का गठन

(क) सरकार का सचिव, पशुपालन विभाग — पदेन सदस्य

(ख) सरकार का सचिव, वित्त विभाग — तदैव

(ग) सरकार का सचिव, कृषि विभाग — तदैव

(घ) सरकार का सचिव, वन विभाग — तदैव

(ङ) सरकार का सचिव, दुग्ध विकास विभाग — तदैव

(च) सरकार का सचिव, राजस्व विभाग — तदैव

(छ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश — तदैव

(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश — तदैव

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पन्द्रह गैर सरकारी सदस्य, अर्थात :-

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि :

(दो) गाय के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि :

(तीन) राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के ऐसे एक प्रतिनिधि, जो पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विभाग के या कृषि विज्ञान विभाग के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष हों :

(चार) बारह व्यक्ति, जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धित हों :

(ञ) आयोग, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवा की हो, पांच सदस्य सहयोजित कर सकेगा, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने या अनर्ह हो जाने या पदावधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के अयोग्य हो जाने की दशा में, ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

सदस्यों की पदावधि और उनके भत्ते

5-(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(2) गैर सरकारी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे चिन्हित किये जायं ।

(3) कोई गैर सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसे त्याग-पत्र की स्वीकृति पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) सरकार किसी गैर सरकारी सदस्य को पद से हटा देगी यदि वह-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय :

(ख) किसी अपराध के लिए, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष किया जाय :

(ग) विकृतचित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय :

(घ) कार्य करने से इंकार कर दे या कार्य करने में अयोग्य हो जाय :

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किए बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे : या

(च) सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना गाय के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

6–कोई व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने और गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्हतायें

(क) आयोग के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो :

(ख) विकृतचित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय : या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय : या

(घ) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई हित रखता हो, चाहे वह धन संबंधी हो या किसी अन्य प्रकृति का हो : या

(ङ) किसी ऐसे निगमित निकाय या किसी सरकारी समिति का, जिसका आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक या सचिव या सदस्य या अन्य वेतन भोगी अधिकारी हो : या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्ध दोष किया जाय :

परन्तु कोई व्यक्ति मात्र सदस्य होने के कारण और धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन भत्ता प्राप्त करने के कारण खण्ड (क) के अधीन अनर्ह नहीं होगा ।

7–(1) सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

8–गैर सरकारी सदस्यों को देय भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें धारा–7 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा–12 में निर्दिष्ट निधि से किया जायेगा ।

वेतन और भत्ते का भुगतान आयोग की निधि से किया जाना

रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी

9–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी ।

आयोग की प्रक्रिया

10–(1) आयोग जब आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे ।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा ।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे ।

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां

11–(1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :–

(एक) उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, 1955 और गोशालाओं, कांजी हाऊसों, पशुमेलों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को शासित करने वाली विधियों के किसी उपबन्ध के अभिकथित अतिक्रमण की, स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जांच करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना :

(दो) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना ।

(तीन) गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके ;

(चार) गोशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना ;

(पांच) निष्क्रिय गोशालाओं को सक्रिय बनाना ;

(छः) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में, वित्तीय सहायता प्रदान करने, गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपयोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित वायो-गैस सयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गोशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करना :

(सात) आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों और गोशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की संपत्तियों के असद्भावपूर्ण अपयोजन को रोकने के लिए गोशालाओं पर पर्यवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट उदाहरण को सरकार की नोटिस में लाना :

(आठ) चारागाहों का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं और निकायों से, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, सहयुक्त होना :

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चरागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों, जैसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिये आवंटन, उपहार, पट्टा या क्रय के द्वारा भू-भाग के लिये आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना :

(दस) गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना और उन्हें जागरूक करना :

(ग्यारह) दुर्भिक्ष, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा उपाप्त कर उपलब्ध कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगाना :

(बारह) कृषि विश्वविद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन-पोषण और जैव खाद या बायो-गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसंधान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करना :

(तेरह) गाय की स्वदेशी प्रजाति की अच्छी नस्लों के सांड़ों को उत्पन्न करने और चारा उपाप्त करने के प्रयासों में गोशालाओं की सहायता करना और वर्तमान गोशालाओं को ऐसे स्थान पर अवस्थित करने में सहायता करना जहां प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध है :

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिये किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक दवाओं के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसित किए गये बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैलगाड़ियों के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहित करना ;

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओं का जिम्मा लेना ;

(सोलह) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्यक् प्राधिकार के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकारियों या न्यायालयों से परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई अधिहृत या अभिगृहीत गायों को अभिरक्षा में लेना और उचित रूप से उनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण कराना ;

(सत्रह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो-मूत्र, बैलों की भारवाहक शक्ति और गाय के बायो-गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वाभाविक रूप से मृत गायों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्थ योजना बनाना और प्रस्तुत करना ;

(अट्ठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्बनिक खेती, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गाड़ियों के विकास से संबंधित निदर्शनों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन, रेडियो, संगोष्ठियों, सभाओं और निदर्शनों के माध्यम से गाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और उनसे सम्बन्धित वीडियो, आडियो कैसेट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करना ;

(उन्नीस) गोशालाओं या अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रबन्धकों और कर्मचारी वृन्द को पशुपालन और उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराना ;

(बीस) सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट अन्य किसी विषय का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन हेतु आयोग को समर्थ बनाने के लिए, आयोग :–

(क) को वही शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक बयान देने के लिए बाध्य करने, किसी व्यक्ति को अभिलेखों और लेखाबहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और किसी व्यक्ति के बयान को अभिलिखित करने और किन्हीं अभिलेखों या लेखाबहियों का निरीक्षण करने हेतु आयोग जारी करने के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त है :

(ख) भिन्न-भिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समितियां गठित कर सकता है और उन्हें समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है :

(ग) सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी व्यक्ति को अवैतनिक गोरक्षक के रूप में पदाभिहित करते हुए उसे पहचान पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के लिए और गाय से संबंधित ऐसे अंशकालिक क्रिया-कलापों के अनुसरण के प्रयोजनों के लिए होगा जैसा विहित किया जाय :

(घ) राज्य में गाय से सम्बन्धित प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों और तद्धीन बनाये गये नियमों का पुनर्विलोकन करेगा और उनमें संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता पूर्वक सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर सरकार उसे समुचित बल उपलब्ध करा सकेगी ।

सरकार द्वारा अनुदान

12–(1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी ।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि : जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

13–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी और ऐसे अन्तराल पर जैसा विहित किया जाय, की जायेगी ।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों, लेखों, बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक रिपोर्ट

14–आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा ।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15–सरकार धारा 11 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्यवाही और किसी ऐसी सलाह को अस्वीकार करने, यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनको प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

16–भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

आयोग की निधि

17–(1) आयोग की स्वयं की अपनी निधि होगी और आयोग की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी और आयोग द्वारा समस्त भुगतान उसमें से किये जायेंगे ।

2–आयोग,–

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी और निजी या लोक न्यासों और व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार कर सकता है, और

(ख) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों या किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है ।

(3) आयोग की निधि से सम्बन्धित समस्त धन, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, जमा किया जायेगा ।

(4) बैंकों में आयोग के लेखे, आयोग के ऐसे अधिकारियों या कृत्यकारियों द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किये जायेंगे ।

आयोग की निधि और सम्पत्ति का उपयोजन

18–(1) आयोग की समस्त सम्पत्तियां, निधियों और अन्य आस्तियां, उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारित और उपयोजित की जायेंगी ।

(2) आयोग द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें वित्तीय आलिप्तता अन्तर्ग्रस्त हो, तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे प्रस्ताव का विहित रीति से सम्यक् रूप से गठित वित्त समिति द्वारा पहले परीक्षण न कर दिया जाय ।

सरकार द्वारा निदेश

19–(1) आयोग अपने कृत्य के निर्वहन में नीतिगत किसी प्रश्न पर ऐसे निदेशों द्वारा जैसे सरकार द्वारा उसे दिये जायं, मार्ग-दर्शित होगा ।

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई ऐसा विवाद कि कोई प्रश्न नीतिगत प्रश्न है,या नहीं तो उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

20–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1964 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

विनियमन बनाने की शक्ति

22–आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के संगत विनियमन बना सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

23–सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

24–(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–20 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–3 सन् 1999

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2–खण्ड–24 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या–21 पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मान्यवर, आप देखें सदन में सामान्य परम्परा है कि रूलिंग पार्टी के सभी मंत्रीगण और सदस्य उपस्थित रहते हैं, आज अधिकांश मंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, परिषद् भी चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं कि विधान परिषद् चल रही है मंत्रीगण वहां उपस्थित हैं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17,89,28,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी मांग भी प्रस्तुत कर दें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं इस बात को भली-भांति जानता हूं कि इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण अनुदानों पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है । सामान्य प्रशासन और गृह विभाग, इसमें भी गृह विभाग का एक विशेष महत्व होता है । मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उल्लेखनीय बिन्दुओं को सदन में रखकर कम से कम समय में अपना भाषण समाप्त करूं । उद्देश्य केवल इतना है कि माननीय सभी नेतागण, माननीय सभी सदस्यगण इनको इस गृह विभाग के ऊपर और सामान्य प्रशासन के अनुदान के ऊपर अधिक से अधिक सुझाव देने का, कहने का अवसर मिले और आपके माध्यम से मैं समूचे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी कितनी कटु आलोचना क्यों न हो हम उस आलोचना में से भी जितने सकारात्मक पहलू पक्ष होंगे वह खोजने का प्रयास करेंगे । मैं आपके दिए हुए सुझावों को यह मान लूंगा कि आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं । जितने प्रश्न यहां उठेंगे उनके ऊपर भी जाने का प्रयास करेंगे और उन बिन्दुओं का उत्तर कल अपने उत्तर भाषण में, मेरी कोशिश होगी दूं । इस समय संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूं । श्रीमन् मैं पहले ही बता दूं मेरा किसी की आलोचना करने का कोई मन्तव्य नहीं है । मेरा किसी के प्रति कोई नकारात्मक रुख अपनाने का रुख नहीं है । परन्तु वस्तुस्थिति जो है, जो तथ्य हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार अवश्य रखना चाहता हूं ।

सरकार श्रीमन्, एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया का नाम है मैं अनेक बार इस वाक्य को सदन में कह चुका हूं आज फिर वही वाक्य से आरम्भ कर रहा हूं । सरकार कोई भी क्यों न रही हो उस सरकार से पिछली सरकारें अच्छी अथवा जैसी हों, विरासत में जो मिलता है उसका अच्छा अथवा खराब प्रभाव नयी सरकार के सामने एक सीमा तक, एक समय अवधि तक रहता है । इसमें मैं तीन बाते रखकर अपनी बात को विराम दूंगा, संक्षेप में, आज स्थिति क्या है इस पर कुछ कहना चाहूंगा । हमने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं, बहुत संक्षेप में उनकी चर्चा करना चाहूंगा और आगे के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए हमने किस कार्य योजना पर विचार किया है । आपके सुझाव जब आयेंगे तो निश्चित तौर पर उस कार्य योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का

प्रयास करेंगे । कानून व्यवस्था के लिए दो चीजें आवश्यक समझता हूं । कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कोई सरकार क्या कार्यवाही करती है ? दूसरा आम जनता में कानून व्यवस्था के बारे में अवधारणा क्या है ? आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने इस बात का संकल्प लिया है कि किसी भी अपराध को छिपने नहीं देंगे । ऐसी सरकारें इस प्रदेश में रही हैं जिन्होंने अपराधों के ग्राफ को छिपाया और एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होने दी । हमने तय किया है कि हम अपराधों के ग्राफ को छिपने नहीं देंगे । अपराध छिपने से जी० डी० में नम्बर में तो फर्क पड़ सकता है लेकिन सड़कों पर होने वाला अपराध जो सम्पूर्ण जनता के सामने घटित हुआ है उस पर अंकुश नहीं लग सकता है । एफ० आई० आर० लाज न होने से अपराधी कार्यवाही से बच सकते हैं, उनके हौसले बुलन्द होते हैं इसलिए हमने तय किया है कि हम हर हालत में एफ० आई० आर० दर्ज करेंगे । यदि हमें कहीं कोई शिकायत मिलती है कि एफ० आई० आर० लाज नहीं की गयी तो एफ० आई० आर० दर्ज न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही हम करते हैं । इक्का दुक्का शिकायतें आयी हैं एफ० आई० आर० दर्ज न होने की अन्यथा एफ० आई० आर० दर्ज हुई है ।

मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है उसमें सरकार को सफलता मिली है । श्रीमन्, कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है । श्रीमन्, इसमें हमने प्रदेश को माफियाओं तथा गुण्डों के आतंक से मुक्त किया है । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनाने में हमें सफलता मिली है जबकि एक सरकार ऐसी भी थी 1990-91 में, साम्प्रदायिक दंगे की आग में पूरा प्रदेश जल रहा था । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हुए 12, साम्प्रदायिक घटना हुई 13 तथा साम्प्रदायिक तनाव हुआ 136 स्थानों पर, 975 लोग घायल हुए । 1991 में साम्प्रदायिक दंगे हुए 8, साम्प्रदायिक घटना हुई 9 तथा साम्प्रदायिक तनाव 134 स्थानों पर हुआ । इन दंगों में 180 लोगों की जाने गयीं तथा 672 लोग घायल हुए ।

श्री प्रमोद कुमार–

उस समय आप ही तो सरकार में थे ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं नाम लेकर आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं । श्रीमन्, 24 जून, 1991 को हमको इस महान प्रदेश की महान जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक आग में जलते हुए इस प्रदेश को हमने दंगा मुक्त किया । उस समय मात्र एक घटना वाराणसी में हुई थी, उसको मैं स्वीकार करता हूं । उसको भी हमने 36 घंटों में नियंत्रण में ले लिया था श्रीमन्, 21 सितम्बर, 1997 को पुनः जब प्रदेश की सत्ता को संभालने का मौका मिला तो वहां पर भी 1998 में हमारे रहते मात्र मुरादाबाद में एक घटना घटित हुई जो जांच रिपोर्ट आई है मैं उसका खुलासा यहां नहीं करना चाहता हूं अन्यथा हमसे हमारे मित्र उसका बुरा मान जायेंगे । लेकिन इतना जरूर करना चाहता हूं कि एक तो 1990-91 के दंगे से जलता हुआ प्रदेश फिर 24 जून, 1998 को हमारे सत्ता में आने के बाद दंगा रहित प्रदेश इसके बाद 21 सितम्बर, 1997 को पुनः सत्ता में आने के बाद पुनः उत्तर प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बना दिया है । श्रीमन्, हमको विरासत में क्या मिला ? विरासत में मिली ध्वस्त कानून व्यवस्था, विरासत में मिला सामाजिक तनाव, सामाजिक बिखराव, विरासत में मिली साम्प्रदायिक सौहार्द में कमी । मान्यवर, कौन नहीं जानता कि प्रदेश में जातिगत दुर्भावना बढ़ गई थी कौन नहीं जानता कि अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग हुआ था ? गांव-गांव में लाठियां भाजी जा रही थीं ऐसा लग रहा था कि समाज सारा बिखर जायेगा आपस का भाई-चारा समाप्त हो जायेगा ? मुझे याद है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवधान न करें ।

श्री कल्याण सिंह–

6 दिसम्बर, 1992 की घटना के बारे में यह हमारे मित्र बता दें कि यह विधवा प्रलाप कब तक करते रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

यह विधवा प्रलाप नहीं है यह संस्कृति का मामला है ।

श्री कल्याण सिंह–

मुझे याद है मैं एक सभा में बोल रहा था मैं वादा करके आया था जिस दिन सत्ता में आऊंगा 24 घंटे के अन्दर इस कानून के अन्दर रोक लगा देंगे । 21 सितम्बर को हमने शपथ ग्रहण की, 24 घंटे के अन्दर शासनादेश जारी किया गया जिसमें 2 बाते थीं एक तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों पर पूरी कड़ाई के साथ रोक लगायेंगे दूसरी बात हम इस अनुसूचित जाति, जनजाति संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग भी उतनी ही कड़ाई से रोकेंगे और उस शासनादेश के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर गांव-गांव नगर-नगर में हमने सामाजिक भाईचारा सामाजिक सद्भाव पैदा किया है समाज को टूटने से बिखरने से बचाया है । यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है । उत्तर प्रदेश में हमने सामाजिक सौहार्द का माहौल स्थापित किया है यह सरकार की उपलब्धि है । मान्यवर, इसी लखनऊ शहर में 21 वर्षों तक शिया सुन्नी के जुलूस नहीं निकल पाते थे, न जाने कितनी गोलियां चलीं न जाने कितनी हिंसा हुई न जाने कितने लोगों ने आत्मदाह किया ? हमने दोनों के साथ बैठकर विश्वास अर्जित किया और इतने लम्बे समय के बाद यहां के जुलूस पूरी शान के साथ निकले । हमारे पास दोनों समुदायों के लोग आये, उन्होंने हमको बधाईयां दीं । एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे कि आपको यह पता नहीं होगा कि ईरान और इराक में आपकी सरकार की इस आश्चर्यजनक उपलब्धि की कितनी प्रशंसा हो रही है ? अभी तक लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि लखनऊ में इस सरकार ने इतना बड़ा कारनामा करके कैसे दिखा दिया ? यह कुछ बातें मुझे भूमिका के तौर पर कहनी थीं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी सरकार की सफलता आप आंकड़ों से न नापें । एफ० आई० आर० दर्ज करने के आदेश हैं, वह तो दर्ज होगी ही, हम उन आंकड़ों को प्रमाणिकता के साथ स्वीकार करते हैं लेकिन आप हमारी नीयत देखें, हमारी नीयत क्या है ? कि सरकार ऐसे मामलों में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने में कार्यवाही क्या करती है, एक्शन क्या लेती है ? बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमने चिन्हित माफियाओं के खिलाफ खुली कार्यवाही प्रारम्भ की । हमने ऐसे चिन्हित माफियाओं, अपराधियों में से 475 को जेल भेजा, 226 को रासुका में बन्द किया गया, 511 को गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की गई ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

कितने लोगों को मंत्रिमंडल में ले लिया ?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल किया है कि मंत्रिमंडल में कितने अपराधी हैं ? श्रीमन् अगर इनकी पार्टी समझौता न तोड़ती तो आप हमारे मंत्रिमंडल के जरूर सदस्य होते और तब मैं बता देता कि एक अपराधी हमारे मंत्रिमंडल में अवश्य है ।

मान्यवर, हर जिले में टाप टेन अपराधियों की सूची बनाई गई, इस प्रकार के कुल चिन्हित अपराधी 1534 निकले, इनमें से 962 को जेल भेजा गया, 225 को रासुका में निरुद्ध किया गया, 87 के खिलाफ गुन्डा एक्ट में कार्यवाही की गई, 540 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की है। इसी प्रकार हर थाने पर टाप फाइव की सूची बनवाई गई, जिसमें 9746 चिन्हित किये गये, इसमें से 5253 को जेल भेजा गया, 430 रासुका में निरुद्ध किये गये, 2513 गुंडा एक्ट में और 952 के खिलाफ गैगंस्टर एक्ट में कार्यवाही की गई, यह तो श्रीमन्, हमने अपराधियों के खिलाफ विवरण दिया है। जब पता लगा कि पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी सांठ-गांठ अपराधियों के साथ है।

मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई सरकार है, जिसने अपराधियों के साथ सांठ-गांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की है। ऐसे बदमाशों के साथ सांठ-गांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया और 1240 चिन्हित किये गये, इसमें से 173 लोगों को बर्खास्त कर घर बैठा दिया, 165 को निलम्बित किया गया, 660 को अन्य दंड दिये गये तथा 931 लोगों को अन्य दूरस्थ स्थानों पर महत्वहीन पदों पर तैनात किया, इससे हमारी नीयत स्पष्ट होती है, संकल्प स्पष्ट होता है। श्रीमन्, हमने इस कार्यवाही के आधार पर अवैध शस्त्रों की बरामदगी की है ए० के० 47 और ए० के० 56 के तीन, एस०एल० की एक राइफल के 150, पिस्टल के 60, रिवाल्वर के 99, एक नली और दो-नली के 858, हैण्ड ग्रेनेड के 5 और बम के दो और कारतूस के 53,482 तो इन अवैध असलहों को बरामद किया है और जिनके पास यह अवैध असलहे मिले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

हमने एक और ऐक्शन लिया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने स्पेशल टास्क-फोर्स (एस० टी० एफ०) का गठन किया है इसका इंचार्ज एक आई०जी० को बनाया गया है। मान्यवर, इनको काम क्या दिया गया है, एस० टी० एफ० के जिम्मे माफिया-सरगनाओं और पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम दिया गया है। इसको बनाने के बाद हमारी उपलब्धि क्या रही है, तो श्रीमन्, जो नामी-गिरामी माफिया, ऐसे-ऐसे लोग, जिनका न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि आस-पास के राज्यों में आतंक था। वह आतंक के पर्याय बन गये थे, श्री प्रकाश शुक्ला को इसी टास्क-फोर्स ने मार गिराया। श्रीमन्, ऐसे ही अनुज प्रताप सिंह बहुत बड़ा माफिया था इसको मारा गया। इसी तरह से श्री सिद्धि त्रिपाठी, विनोद सिंह, सगीर और यतीन्द्र सिंह जैसे खूंखार माफिया अपराधियों को मारा गया। यह आतंकवाद के प्रयाय बन गये थे। श्रीमन् और जानकारी देना चाहता हूं कि मुन्ना, राजेन्द्र तिवारी, बजरंगी आदि खूंखार अपराधियों को इसी स्पेशल टास्क-फोर्स ने जेल भेजने में कामयाबी प्राप्त की है।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर एस०टी०एफ० आतंकवादियों पर आतंक पैदा कर रहे हैं और आम आदमी इस बात का एहसास कर रहा है। मैंने जैसा कहा था, आखिर आगे का एक्शन प्लान क्या है ? कुछ तो सुझाव आयेंगे और आपके द्वारा जो मार्ग-दर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे। जेलों में भी खूंखार अपराधी बन्द होने के बाद बाहर गये तो सनसनीखेज बारदाते कर ले जाते हैं। जेलों में भी उनके पास सेल्यूलर फोन रहते हैं और आराम की चीजें रहती हैं। कई बार अपराधी जेल में रहते हैं और उनको सारा सामान मिलता है लेकिन ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पाती है, तो हम जेलों की व्यवस्था में सुधार करने जा रहे हैं। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जेल मैन्युअल बहुत पुराना पड़ गया है। हमने चीफ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें यह तय किया जायेगा कि जेल मैन्युअल में क्या-क्या संशोधन होने चाहिए ? कोई अपराधी जेल में रहकर अपनी गतिविधियों को संचालित न कर सके और ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या-क्या कठोर कार्यवाहियां हो सकती हैं ? हम इस जेल मैन्युअल में संशोधन लायेंगे और जेल में अपराधियों को साजिश रचने का अवसर नहीं देंगे।

हमने एक एक्शन प्लान सोचा है । हमने जैसे प्रदेश स्तर पर एक एस०टी०एफ० यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक वैसे ही हम जिला स्तर पर एस०ओ०जी० यानी कि स्पेशल आपरेशन ग्रुप का गठन कर रहे हैं जो कि एस०टी०एफ० के पैटर्न पर ही होगा । इसमें अलग से भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हम जनपद के ही अधिकारियों को छांटकर इसमें भर्ती करेंगे । यह ग्रुप अपराधियों के पीछे पड़ जायेगा, अपराधी गिरफ्तार होंगे, अपराधियों की छानबीन भी करेंगे, उनका रिकार्ड रखेंगे और सड़क पर एक भी बदमाश, अपराधी राइफल लटकाकर टहलता हुआ नजर नहीं आयेगा । श्रीमान जो मौतें हो रही हैं, आंकड़े बताते हैं कि जितनी मौतें होती हैं, जितनी हत्यायें होती हैं उससे ठीक तीन गुनी मौते ट्रैफिक पर एक्सीडेन्ट से होती हैं । हमने तय किया है कि सड़क पर दुर्घटनाओं से जो घायल हो जाते हैं उनको तत्काल ही चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाये । इसलिए हम 5 एम्बुलेन्स गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर रातोदिन चलेंगी, जिनके पास वायरलेस सेट होंगे, थाने में वायरलेस सेट होंगे । इससे सड़क पर किसी दुर्घटना की कोई सूचना मिलती है तो एम्बुलेन्स तत्काल ही घायल को नजदीक से नजदीक चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु भेजेगी ।

इसी प्रकार हम जेल कर्मियों की सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं ताकि जेल कर्मचारी किसी भी कारण से भयभीत न होने पायें । कारागारों के लिए हम पुलिस व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि कोई भी अपराधी/बदमाश जेल अधिकारियों को आतंकित न कर पाये और शासन इस स्तर पर प्रबन्ध कर रहा है । एक बात और जो कि कल सदन में उठाई गई थी आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में, जिसका उत्तर दिया जा चुका है । मान्यवर, 23 ऐसे जनपद चिन्हित हुए हैं जहां पर आई०एस०आई० अपना जाल बिछा चुकी है लेकिन जो हमने एक्शन प्लान बनाया है उसी का परिणाम है कि बावजूद इसके कि 23 जिलों में उनका जाल बिछा है, आई०एस०आई० की कोई गतिविधि कामयाब नहीं हो सकी है और इसकी किसी भी गतिविधि को कामयाब भी नहीं होने दिया जायेगा । उस पर नियंत्रण करने के लिए हमने कुछ एक्शन प्लान तैयार किये हैं ।

मैं माननीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं और इतना ही नहीं इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार आई०एस०आई० के किसी भी षडयंत्र को कामयाब नहीं होने देगी । इसलिए हमने कुछ एक्शन प्लान तैयार किये हैं । जिला स्तर पर मासिक और द्विमासिक बैठकें होंगी । यह बैठकें जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान साथ-साथ बैठकर करेंगे । मण्डल स्तर पर कमिश्नर और डी०आई०जी० इसी प्रकार प्रतिमास बैठकें करेंगे और सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे ।

सूचना का आदान-प्रदान होगा कि किस जनपद के अन्दर, किस मण्डल के अन्दर आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर नियंत्रण रखेंगे और आई०एस०आई० के लोग जहां भी मिलेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजा जायेगा और आई०एस०आई० के तत्वों को अगर कोई संरक्षण देते हुए पाया जायेगा, वह भी जेल के सीकजों में होगा । हम अपने देश की एकता और अखण्डता के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आई०एस०आई० में आर०एस०एस० के जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, आर०एस०एस० को समझने के लिए जितनी समझदारी, जितनी बुद्धि की आवश्यकता है, उतनी शायद माननीय मौर्य जी के पास न हो और समझदारी और बुद्धि अगर कहीं बिकती होती तो कह देता कि खरीद लीजियेगा और पैसा न होता तो सरकार सहायता भी कर देती ।

जब देश के ऊपर खतरा आया था तब श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री ने बाकी सेनाओं के साथ-साथ नेकर पहने हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्र भक्तों, देश भक्तों को साथ लिया था । आप वकील हैं तो वैसा ही उत्तर दूं । हर वकील जानता है कि अदालत किस मामले पर एक बार फैसला देती है । एक बार फैसला हो चुका है और राष्ट्रीय स्वयं संघ इस मामले में निर्दोष साबित हो चुकी है । हम अचल सम्पत्ति के संदिग्ध मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों पर सतत् दृष्टि रखी जा रही है जो अनायास ही बहुत बड़े धनाढ्य होने चले जा रहे हैं । श्रीमन्, संदेहास्पद संस्थाओं और उनके द्वारा बनाये गये भवनों की भी समीक्षा की जा रही है । यह काम थाना और तहसील स्तर के अधिकारियों को आई०एस०आई० के प्रति संवदेनशील बनाकर उनके माध्यम से सूचना एकत्रित करने का काम हो रहा है । यह थाने स्तर पर पहुंच रहा है, हमने अपने नेटवर्क को फैला भी दिया है और इस कारण से तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आई०एस०आई० कामयाब नहीं हो सकती । इसकी भी छानबीन रखें हैं कि कौन से नागरिक किन देशों में ज्यादा जा रहे हैं ? कार्य क्या है, हेतु क्या है, हम छिपाते नहीं है ? माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के ऐतिहासिक कदम की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ इतने दिनों के बाद सम्बन्ध सुधारने की दिशा में लाहौर की यात्रा की ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपके प्रधान मंत्री हैं उस पर भी दृष्टि आप रखते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

जब तक नजर आप पर लगी है दूसरों पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है । आप ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ।

श्री आलम बदी–

आई०एस०आई० का वजूद देश में है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश के 23 जनपद ऐसे हैं जहां पर आई०एस०आई० का नेटवर्क या उनकी गतिविधियां हैं । श्रीमन्, हमने भारत-नेपाल सीमा पर हथियारों की तस्करी और आई०एस०आई० की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत नेपाल सीमा पर पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया है । वहां पर हमने 64 चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना बनायी है जिसमें से 47 की स्थापना की जा चुकी है । श्रीमन्, अभिसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है और आई०एस०आई० से सम्बन्धित जो उग्रवादी संगठन हैं जैसे–हरकत-उल–अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, तनजीम-अल-जेहाद, अहले-हदो ए, अल बर्क तंजीम नाम के जो संगठन हैं इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इन संगठनों के लोग कुबूल करते हैं कि हमारा आई०एस०आई० के लोगों से सम्बन्ध है । देश और प्रदेश को ऐसी ताकतों से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है ।

श्रीमन्, एक और एक्शन प्लान के तहत एक मीटरी टेक्नीक चालू की गयी है । अभी प्रारम्भ में इसको लखनऊ और अलीगढ़ में प्रारम्भ कर रहे हैं । अगर कहीं से भी 100 नम्बर को डायल किया जायेगा, टेलीफोन पर 100 नम्बर रिंग किया जायेगा तो 5–6 मिनट के अन्दर पुलिस उस स्थान पर पहुंच जायेगी । हम मीटरी तकनीक को पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं । हम बेहतर वायरलेस व्यवस्था कर रहे हैं, अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जा रही है और पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । कम्प्यूटरीकरण पर हमारा विशेष जोर है इसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में हर आम आदमी की सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे ।

मैंने जैसा कहा था, मैंने 4 बातों को कहा है, कुछ बातें मैंने भूमिका के तौर पर कहीं, कुछ बातें जो स्थिति हमें विरासत में मिली उसके बारे में कहा कुछ बातें एक्शन जो लिये गये हैं उनके बारे में कहीं, कुछ आगे के लिये जो हमारा एक्शन प्लान है, कार्य योजना है उसके बारे में कहीं हैं । मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता । हमारे माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं और विभिन्न दलों के माननीय सदस्य जो बोलेंगे हम उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को पारित करने की प्रार्थना करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग से सम्बन्धित बहुत लम्बी-चौड़ी बात कही और यह कोशिश की कि आज का प्रशासन बहुत अच्छा है, व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है । कहीं किसी तरह से माफिया सरगना मनमानी नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का राज है और होर्डिंस भी जगह-जगह पर लगे हुये हैं "कानून का राज होगा, भय मुक्त समाज होगा ।" श्रीमन्, यह भय-मुक्त समाज का दुहाई देने वाली सरकार के मुख्य मंत्री जी यह सब थोथी और खोखली बात कर रहे हैं । आज जो स्थिति इस प्रदेश की है, ऐसी बदतर स्थिति कानून-व्यवस्था की इस प्रजातांत्रिक इतिहास में कभी नहीं रही और भविष्य में भी कभी ऐसी बदतर कानून-व्यवस्था आगे आने वाली जनरेशन भी नहीं देख सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । सही बात यह है कि जिस तरीके से .....

(सत्तापक्ष द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर)

अगर इस तरह से शोरगुल, मचाकर, बाजार लगाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिये इस तरफ भी बाजार लगेगा, फिर कोई नहीं बोल सकेगा । जो कुकृत्य किये हैं उनको ध्यान से सुनिये । यह सरकार और उनके माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तरह से अक्षम्य हैं और पूरा प्रशासन इस वजह से मनमाना करने पर उतारू है, पूरे प्रशासन में आपाधापी है । यह समझ लिया है कि यह कोइलीशन की सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने में असमर्थ है, मन चाहे जैसा करो । ठीक उसी प्रकार से जब कोई घोड़ा यह समझ लेता है कि सवार ढीला-ढाला है तो मनमाने तरीके से उसे ले जाने की कोशिश करता है । ऐसे ही श्रीमन्, सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी मनमाने पर उतारू हो गये हैं । इसलिये प्रदेश की सारी जनता कराह उठी है, त्राहि-त्राहि कर रही है ।

मान्यवर, जो वर्ष अभी बीता है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किये गये हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकारियों पर कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, अप्रैल से लेकर सितम्बर तक तबादले किये गये । उसके बाद जो तबादले किये गये उसे मैं प्रशासनिक तबादला मानता हूं लेकिन उसके पहले जो तबादले किये गये और 15 प्रतिशत की जगह 75 प्रतिशत किये गये । यह एक रिकार्ड है इतना किसी भी सरकार में एक बार में तबादले नहीं किये गये । इससे साफ जाहिर होता है कि इनका अपने अधिकारियों पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है ।

मैं यहीं पर यह कहना चाहता हूं कि मनमाने तरीके से ऐसे अधिकारियों को प्रशासन में बिठाया गया है। जो इस सरकार मैं बैठे हुए मुख्य मंत्री, मंत्रीगण और विधायक हैं उनके इशारे पर काम करें। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को नजरन्दाज किया जा रहा है। उनको अच्छे ओहदों पर नहीं रखा जा रहा है। इस प्रदेश के मुख्य सचिव का स्थानान्तरण तीन बार किया गया। श्री योगेन्द्र नारायण तीसरे मुख्य सचिव हैं। यह प्रयोग कर रहे हैं अधिकारी इनकी बात को आंख मूद कर माने ऐसे अधिकारियों को यह अच्छे ओहदों पर रखते हैं।

यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी सरकार है। मैं यहीं पर यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अपराधों में कमी आई है। दंगे नहीं हुए हैं, मैं तुलनात्मक आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। किस तरह की आज स्थिति है ? श्रीमन् 1996 में दहेज हत्या 1289 हुई। 1997 में दहेज हत्यायें 1007 और आपके जमाने में यह 1380 हो गई। 31.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। दुराचार की घटनाएं 11 प्रतिशत बढ़ी। शील भंग की घटनाओं में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दहजे की घटनाओं में 34.9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। छेड़-छाड़ की घटनाओं में 19.6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। महिला उत्पीड़न की घटनाएं 51.45 प्रतिशत बढ़ी है। डकैती की घटनाओं में 36.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। लूट की घटनाओं में 41.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। हत्याओं में 11.53 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। दंगे इतने कभी नहीं हुए जितने आपके जमाने में हुए हैं। 4467 दंगे हुए हैं लेकिन इनकी सरकार ने दंगों का नाम नहीं लिया है। इसमें 62.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अपराध बढ़े हैं। 39.68 प्रतिशत। रोड होल्ड अप में 3.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिरौती में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं। कम नहीं हो रहे हैं।

आज अराजकता की स्थिति है। आप लम्बी डींग हांक रहे हैं लेकिन मेरे आंकड़ों से कानून व्यवस्था का पर्दाफाश हो जाता है। जब राजभवन के सामने जेल अधीक्षक की हत्या हो जाती है। विधान सभा के सामने रिक्शा चालक की हत्या और दूसरा घायल हो जाता है। जब पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के बंगले के पास ही एक दलित की हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था का पर्दाफाश हो जाता है, कैसी चुस्त-दुरुस्त है यह लुंज-पुंज और पूरी तरह से ध्वस्त है। 15 जनवरी, 1999 से 15 फरवरी, 1999 तक सर्वाधिक हत्याएं इस प्रदेश में हुई हैं। सारे रिकार्ड तोड़ दिए गये हैं। पता नहीं हत्याओं का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ? आज प्रतिदिन 19 हत्याएं हो रही हैं शायद एक दिन ऐसा भी हो जाए कि 1900 हत्याएं रोज हों। ऐसी अराजकता की स्थिति हो जाए जो संभाले न संभले।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पुनः पीठासीन हए)

श्रीमन् आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं। जनवरी, 1999 के महीने में 550 हत्यायें हुई हैं और फरवरी के पहले ही पखवारे में 280 हत्यायें हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज तक इतनी घटनायें कभी नहीं हुई। कई अखबारों में भी निकला, कई जगह से भी हमने रिकार्ड मंगवाये, वहां से भी स्पष्ट हो चुका है। मान्यवर, इस प्रदेश में पुलिस द्वारा 49 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, केवल तीन केसेस ऐसे हैं, जिनमें पुलिस के खिलाफ कार्यवाही हुई है, शेष में नहीं हुई। कई लोग पुलिस की फर्जी मुठभेड़ में मार दिये गये और कई लोगों की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई और बहुत सी रिपोर्ट तो लिखी ही नहीं गई। आज सारा उत्तर प्रदेश माफियाओं की चपेट में आ गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी माफियाओं की राजधानी बन गई है । 21 सितम्बर से 23 नवम्बर, 1998 तक 1070 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 645 माफिया हैं, 183 भू-माफिया हैं, 164 वन माफिया हैं और 78 ठेकेदार माफिया हैं । इन 78 में से 29 लखनऊ रेंज के हैं । सर्वाधिक देवी पाटन के हैं । कुछ ही माफियाओं को गिरफ्तार किया गया और उसमें से भी 7 माफियाओं को जमानत पर छोड़ दिया गया । पुलिस पर दबाव डालकर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया । इससे अपराधों की संख्या बढ़ेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री प्रकाश शुक्ला का नाम लिया और कहा कि उस कुख्यात और दुर्दान्त माफिया का अन्त कर दिया गया । आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा था वह कैसे फूला फला और कैसे उसने सारे अपराध किये ?

श्रीमन् यह रिकार्ड में भी है और अधिकारियों ने भी इसे स्वीकारा है । 8-8 मंत्री हैं, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं । अगर सत्ता पक्ष चाहेगा तो मैं नाम भी ले लूंगा । ये आठ मंत्री श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण दे रहे थे । अगर उस माफिया का अन्त हुआ है तो खुशी की बात है परन्तु वहीं पर दुख की बात यह है कि जिन मंत्रियों के संरक्षण में रहकर उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा, कितनो की इज्जत लूटी और उनका धन लूटा, वे माफिया नेता जो इस विधान सभा के सदस्य भी हैं, और मंत्रि-परिषद् के सदस्य भी हैं, ऐसे मंत्रियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिनके नाम इसमें उजागर हुए हैं ।

श्रीमन्, 215 समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या इस बैठी हुई हत्यारी सरकार ने करवाई । श्रीमन्, यह जो 215 लोगों की हत्या करवाई है मैं उनकी लिस्ट भी सदन के पटल पर रख दूंगा । आप जांच करवा लीजिये । मेरे पास भी लिस्ट मौजूद है । मैं सदन के पटल पर भिजवा रहा हूं । निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या की गई । मैं उनमें से कुछ के नाम आपके सामने जिक्र करूंगा । सुखसागर ग्राम लालपुर थाना शिवही कानपुर देहात, इसको पुलिस ने पकड़ा और हत्या कर दी । बाद में कह दिया कि पुलिस हिरासत में फांसी लगा ली । कैसे उसको रस्सी मिल गई ? कैसे उसको कोई चीज मिल गई जिससे उसने हवालात में ही फांसी लगा ली । क्या इसके लिये पुलिस दोषी नहीं है ?

पुलिस ने उसको फांसी लगाई और यह मनगढ़न्त बात प्रसारित कर दी कि उसने हवालात में अपने आप फांसी लगा ली । अगर उसने अपने आप लगाई तो इसके लिये भी तो पुलिस दोषी है । इसी तरह से यामीन कुरैशी (व्यापारी) ग्राम–खपुरा, गौतमबुद्ध नगर डन्कौर में पुलिस द्वारा हत्या की गई और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । आशुतोष गुप्ता पुत्र राधे श्याम ग्राम बहादुरगंज, शाहजहांपुर की 17-4-98 को पुलिस द्वारा अपहरण किया गया और बाद में हत्या कर दी गई । आज तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी तरह से ओम प्रकाश यादव, जो कक्षा 11 वीं का छात्र है इन चार लोगों को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मौत के घाट उतारा गया । पुलिस कर्मियों के खिलाफ उस समय कार्यवाही हुई जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको बहुत गंभीरतापूर्वक उठाया । अभी तक आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्रीमन्, अजय सिंह थाना महराजगंज जनपद जौनपुर 17-10-98 को फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई । इसी तरह से शमीन ग्राम लहरपुर थाना चेतनगंज, वाराणसी 17-10-98 को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर हत्या की गई और कोई कार्यवाही नहीं की गई । किरन हरिजन पुत्र श्री मुरारी, टकटकपुर, वाराणसी 17-10-98 को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मौत के घाट उतार दिया । तमाम दलों के नेताओं द्वारा मांग करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । शेर सिंह भट्ठा मालिक ग्राम–नगला गजपत थाना–खौयरा एटा की थाने में पुलिस ने गोली मार कर हत्या की । पुलिस कर्मी गिरफ्तार भी हुए लेकिन

इसके बाद अब मामला शिथिल होता हुआ मालूम होता है । कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई । श्री रामजतन कोल ग्राम ठकराई थाना मानिकपुर इलाहाबाद को 21-11-97 को धरना देते समय पुलिस द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई । श्री इकबाल मंसूरी इलाहाबाद थाना मंसूरी 24-4-98 को पुलिस ने पीटा जिससे हिरासत में ही उसकी मृत्यु हो गई ।

कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी तरह से फारुक पुत्र नियामत, मजरा–नटपुरवा (ओदरी) थाना नसीराबाद रायबरेली की 30-5-98 को फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है । संजय जायसवाल पुत्र शिवशंकर जायसवाल ग्राम सेमरहा, थाना बछरांवा चिरुआ बंगला चौराहा की 1-8-98 को फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई है कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरह से रामकैशी पत्नी श्री मोल्हू की ग्राम बंगला बाजार, इटावा में 9-8-98 को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया जब इसकी सूचना दी गई तो यह कहा गया कि लवली पाण्डेय जो ख्याति प्राप्त दस्यु है उसको मार गिराया है, जब इसमें पता कराया गया तो पता लगा कि भोली-भाली मल्लाह की पत्नी थी उसको घर से पकड़कर, खींचकर ले आए और 100 गज की दूरी पर भून डाला आप जांच करा लें, उसके बच्चे उसका पल्ला पकड़कर खींचते रहे लेकिन उसको ले जाकर मार दिया गया । क्या वह अपराधी थी यह आपने पता लगवाया ?

पुलिस अधिकारी सूचना देते हैं कि लवली पाण्डेय को मारा गया है । मान्यवर, इसी तरह मो० सलीम, नफीस महमूद व नन्हें निवासी रसीदनगर, मेरठ के जो निवासी थे उनको 25/26-7-98 को थाना जानसठ की पुलिस ने लालपुर गांव से पकड़कर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । यह लोग नफीस की ससुराल जा रहे थे और कार रोककर आपस में बात कर रहे थे इनको मार डाला गया । इमाम अली पुत्र बकरीदी ग्राम कन्नापुरवा मौजा रजवापुर थाना प्रयागपुर श्रावस्ती की दिनांक 18-3-98 को पुलिस की रिहासत में मृत्यु हो गई । गोविन्द सिंह गुर्जर पुत्र गोरे लाल ग्राम रहटोली थाना अयाना औरैया की 17-1-97 को पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई । मैं दूसरे दिन वहां गया, तो मुझे पता लगा । चम्बा यमुना में एक गांव है । 70 वर्ष के एक बुड्ढे को पकड़कर ले जाते हैं थाने पर लाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है फिर गाड़ी में लादकर उसको गांव के बाहर फेंककर चले आते हैं । इस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं । हत्यायें हो रही हैं । भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग यह सब करवा रहे हैं । मंत्री जी जोर-शोर के साथ कह रहे हैं हमारा शासन चुस्त-दुरुस्त है और कहीं किसी तरह का असन्तोष नहीं है ।

श्रीमन् प्रश्न उठा था । जनपद फैजाबाद का, कार्य-स्थगन में उठाया गया था । एक दिन पहले हत्या हुई दूसरे दिन मैं पहुंचा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है । पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है । मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के तीन विधायकों की एक कमेटी बना दी जाए और उनको जांच करने भेज दिया जाए, अगर झूठ निकले कि वहां पर पुलिस ने उसको भगाकर दौड़ा कर बेंतों से नहीं मारा, मान्यवर, वह मछली का धन्धा करके जीवन यापन करता था । उसकी पत्नी नहीं थी जैसे-तैसे बच्चों को पालता था, जब इस मामले में कहा गया कब तक जांच होगी तो कह देते हैं जांच हो रही है ऐसा नहीं है कि सब हृदयहीन हो गए हैं अगर जांच पर जाएंगे और वह घटना देखेंगे उस कारुणिक दृश्य को देखेंगे तो मुझे विश्वास है जो भी रपोर्ट दे देंगे अगर सत्य निकले तो वहां के जो थाना इंचार्ज है एटा के, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । श्रीमन्, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं परसों चित्रकूट गया था, मुझे इस घटना की पहले से सूचना नहीं थी । तो वहां पर एक लोधी राजपूत का परिवार रहता तथा तरोहणपुर में, एक फर्जी कत्ल के केस में घरहर के लड़के को फंसा दिया । उसके खेत में शव मिलता है और उसके बाद क्या होता है गांव के असरदार लोग उसके घर को जला देते हैं आग लगा देते हैं और उस आग में उसके तीन जानवर जलकर मर गये तथा अन्य जानवर मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं और पूरा परिवार जिसमें ।। सदस्य हैं वह डी० एम० के बंगले के सामने धरना देकर बेठे हुए हैं कि जिन चार व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट लिखायी गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । जो उनके घर जला दिये हैं, बैठने का कोई उनके पास स्थान नहीं है, डेढ़ दो साल के बच्चे हैं । उन्होंने मुझे रोते हुए, सिसकते हुए बताया कि खाने के लिए दाना नहीं है, खेतों को काटने नहीं दे रहे हैं और स्वयं खेत काट रहे हैं और जो बटाई पर करते थे उसे भी नहीं काटने देंगे । उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं । स्त्रियों को मैंने स्वयं देखा उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं ।

मैंने उनसे यह कहा कि आप जाओ मैं सदन में इस बात को रखूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से इसकी जांच के लिए कहूंगा । वह कहने लगे कि मैं कहां जाऊं, सारी फसल तो वह काट रहे हैं, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, बड़ी ही दीनहीन उनकी दशा थी । वहां के जो सांसद हैं वह अपने तीन लोग जो नामजद हैं उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं । तो इस तरह से जानवर भी चले गये, खेत भी बरबाद कर दिया, नामजद मुकदमा दर्ज होता है रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो कहां पर न्याय है ? बार-बार यह न्याय की दुहाई दे रहे हैं, कैसे न्याय इनको मिलेगा ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करायी जाय और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, सजा दी जाय, उनके घर का पुनर्निर्माण कराया जाय, जो जानवर मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाय और उनकी सुरक्षा की जाय जिससे वह गांव में रह सकें । मान्यवर, बगल का जनपद बाराबंकी है बाराबंकी में एक इंस्पेक्टर थे जो अब देवा के इंस्पेक्टर हो गये हैं उसका आतंक तो चरम सीमा पर है । 4-5 हत्यायें उन्होंने करा दी जब इंस्पेक्टर के पद पर देवा में आ गये तब भी हत्याओं का सिलसिला जारी है उनके चरित्र की भी शिकायते मैंने सुनी हैं । घरों में धमक कर शीलभंग करने की कोशिश करते हैं ।

हमारी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक छोटे लाल जी ने जब इनका विरोध किया तो उन्होंने इनको भी समझ लेने की धमकी दे दी । इनकी उच्च स्तरीय जांच की जाय, वे तो खुले आम कहते हैं कि हमने 30-35 लोगों को जमीन से आसमान में भेज दिया है अगर तुम विरोध करोगे तो जमीन पर रहना चाहते हो या आसमान पर जाना चाहते हो । प्रजातंत्र में यह ठीक नहीं है और ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए । हमारे विधायक चन्द्रपाल सिंह जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, ज्यादती हुई । मान्यवर, बुन्देलखण्ड बन्द के दौरान जब बांदा, हमीरपुर भी बन्द थे, तो बांदा में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम करवाये गये । मान्यवर, वहां सभाजीत सिंह, जो महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं उन्होंने पुलिस के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ एक जुलूस निकाला था और उस जुलूस को कचेहरी तक ले गये थे उसको फर्जी मुकदमों में फंसा रखा है और जेल में रखकर यातनायें दी जा रही हैं । मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जांच करवा लें और मुकदमें वापस करने की कार्यवाही हो ।

मान्यवर, जिस व्यक्ति ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है उसने हलफनामा दे दिया है कि पुलिस ने उनसे जबरदस्ती फर्जी रिपोर्ट लिखवाई और हमने कोई मन से नहीं लिखी है । आप उस हलफनामें की भी जांच करवा लें । इसी तरह से नवम्बर में घटना हुई, कुछ छात्रों को जो उस बुंदेलखण्ड बन्दी में आये थे वे छात्र महाविद्यालय के छात्र थे । दो-तीन महीने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज

किया गया है । मान्यवर, यह जान-बूझकर उत्पीड़न की कार्यवाही है यह प्रजातंत्र के लिए कलंक है यह कार्यवाहियां मैं वापस लेने की मांग करता हूं ।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्रीमन्, इसी प्रकार से लखीमपुर विधान सभा के बेजम गांव के निवासी एक दलित की 180 रुपये में हत्या कर दी गई, उसके बाद यह प्रशासन चुपचाप बैठा रहे, हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यही कानून व्यवस्था की सबसे अच्छी उपलब्धि है कि मार भी दिया जाय और कार्यवाही भी न हो । मैं चाहता हूं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी छानबीन करवाकर दोषी लोगों को दण्डित कराये जाने का पूरा-पूरा कार्य करें ।

श्रीमन्, चित्रकूट के सीतापुर ग्राम में थाना कर्वी में रामरतन खटिक ने मुझे एक प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसमें वह कहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारी मां और बच्चों को भठ्ठा मालिक जबरदस्ती ले गया है और वह उनसे बंधुवा मजदूरी करवा रहा है तथा मुझे बच्चों से मां व पत्नी से मिलने नहीं दे रहा है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी भी छानबीन करवाकर उस खटिक के मां, बच्चों और पत्नी को उस भठ्ठा मालिक के शिकन्जे से छुड़ाया जाय और बंधुवा मजदूरी समाप्त की जाय, मैं उसका प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी, आपके पास भिजवा रहा हूं ।

मान्यवर, यह सरकार विपक्ष को पूरी तरह से तहस-नहस करना चाहती है ताकि प्रजातंत्र का नाम न रहने पाये । विपक्ष अगर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे काले कारनामों को उजागर करेगा, जिससे जनता के सामने नहीं टिक पायेंगे, इसी दृष्टिकोण से विपक्ष के जितने सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद है, उनके गनर छीन लिये गये हैं । विश्वम्भर प्रसाद निषाद जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे दल में आये हैं, उनका भी गनर एकाएक वापस बुला लिया गया, उनकी जानमाल को खतरा है, उन्होंने मुझे लिखकर दिया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, इस सम्बन्ध में आप एक आदेश जारी करें कि जितने भी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, उनकी जानमाल की रक्षा के लिये पूरा प्रयत्न किया जायेगा और उनको वह सारे गनर मिलेंगे जो पहले मिले हुये हैं, वह वापस नहीं होंगे ।

श्रीमन्, इसी तारतम्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बाराबंकी का प्रकरण आपके सम्मुख रखा है, उसकी जांच के लिये पूरा विवरण सदन के पटल पर रखूंगा, मुझे आशा है कि इसमें भी आप जांच करायेंगे और दोषी लोगों को सजा दिलवाने का काम करेंगे । श्रीमन्, अब मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूं, वहां बेला थाने के एस० ओ० ने दण्डनीय अपराध किया है । उनका अपराध यह है कि महेन्द्र सिंह नाम का व्यक्ति जो इटावा कचेहरी पर तारीख पर गया था, उसको पकड़कर पुलिस ले आती है और बेला थाने ले आती है । बेला थाने पर इन्होंने सांठ-गांठ कर रखी है और एक माननीय राज्य मंत्री के इशारे पर वह बेला थाना चल रहा है, उसी जाति का वहां एस०ओ० भी है, इस महेन्द्र सिंह और तत्कालीन ग्राम प्रधान के बीच रंजिश थी । महेन्द्र सिंह के पिता की हत्या मौजूदा प्रधान ने करवा दी थी, इसी रंजिश के कारण मुकदमें में कहीं कुछ हो न जाये, महेन्द्र सिंह की हत्या यह लोग करवाना चाहते थे, बेला पुलिस के द्वारा इनकाउन्टर करवाना चाहते थे, उस समय उनके जो दूसरे साथी साथ में गये थे, उन्होंने आई०जी० पुलिस के लिये, पुलिस अधीक्षक के लिये और डी०एम०, डी०आई०जी० कानपुर रेंज, एस०एस०पी० इटावा को टेलीग्राम भेज दिया गया था । 25 तारीख की घटना है और उसके बाद 26 तारीख को बेला थाने में रखकर दूसरी जगह ले जाकर दिखा दिया गया । फर्जी मुठभेड़ दिखायी गयी और दूसरे बदमाशों से बन्दूक लेकर उनके पास दिखाया था । 36 घन्टे उनको बन्द रखने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्ष के पदाधिकारी जाते हैं किन्तु फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उन्हें मार देना चाहते थे लेकिन उन्हें केवल बन्द कर दिया गया । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह जिस सोर्स से जांच करवाना चाहते हैं करवा

लें । सबूत के रूप में टेलीग्राम काफी हैं । श्रीमन्, फर्जी मुठभेड़ दिखा दी गयी है । पत्नी का प्रार्थना-पत्र भी है, इसको भी मैं सदन के पटल पर भेजवा दूंगा । मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इसकी जांच करवा लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गृह विभाग का बजट माननीय नेता सदन ने प्रस्तुत किया है । इस सदन की उच्च परम्पराओं के अनुसार माननीय नेता प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं लेकिन प्रमुख सचिव, गृह, इस समय मौजूद नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन इसको कितनी गम्भीरता से ले रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपकी बातों का मखौल उड़ाया जा रहा है, यह बात मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूं ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, प्रमुख सचिव, गृह, शायद इसलिए चले गये हैं क्योंकि मैं कहना चाहता था एक पत्र इस जांच के लिए मैंने पहले ही एक महीने से अधिक हो गया प्रमुख सचिव को लिखकर दिया था लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है । ऐसे अनेक पत्र मैंने अपने स्तर से लिखा है किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो माननीय विधायकों और आम जनता के पत्रों पर क्या कार्यवाही होगी, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं ?

श्रीमन्, इस प्रदेश में यह सरकार पूरी तरह से विपक्ष के लोगों का मान सम्मान समाप्त करने पर तुली हुई है । मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब बाहर जाता हूं तो लिखा है कि मुझे स्कोर्ट और पायलट दिया जाय, प्रोटोकाल दिया जाय लेकिन औरैया जनपद में तो मुझे कोई फोर्स नहीं दिया जाता है और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है । तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है बल्कि प्रोटोकाल में स्कोर्ट उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 5 जून को हमारे बड़े पुत्र श्री महेश जो डिग्री कालेज के प्रिन्सिपल हैं और उनकी पत्नी वाइस प्रिन्सिपल हैं । श्रीमन्, उनके गनर की मांग की और इसलिये मांग की कि 5 जून को शस्त्रधारियों ने जब वह लौट रहे थे तो रास्ते में उनको घेरने का काम किया, ईश्वर की कृपा से बच गये । मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, जिनको अध्यक्ष बना दिया गया है, उनके घर के सामने बातचीत करने के लिये उतर गये और शिष्टाचार के लिये चले गये और उसी समय वह आ धमके, लेकिन आज एक साल व्यतीत हो रहा है, कोई गनर नहीं दिया गया है । मेरे लिखने पर भी गनर नहीं दिया गया, मेरा लड़का समाजसेवी है, उसको भी गनर न दिया जाये, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ? इससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी नीति क्या होगी ? विपक्ष के लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाने पर यह सरकार तुली हुई है, यह सरकार उनकी जानमाल की क्षति पहुंचाने पर उतारू है । यहां पर माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं, आज वह कितने संवेदनशील हैं, क्या आपको खबर नहीं होगी ? मैं कहता हूं कि आपको निश्चित रूप से खबर होगी ।

आप एक सांसद से डर रहे हैं कि वह कहीं समर्थन वापस न ले ले, वह वहां पर आपाधापी मचाये हुये है । आप देखिये आपके राज्य मंत्री बगावत पर उतर आये हैं, एक बार समझा बुझाकर बैठा दिया गया, और अब फिर उन्होंने बगावत शुरू कर दिया है और अब फिर उनके मनाने का काम होगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय एक सा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है, सारी परिस्थितियां अस्थायी हैं, उनमें अस्थायित्व है, आप विपक्ष को तोड़ने की कोशिश मत कीजिये, लोगों को नाजायज तरीके से सताने का काम मत करिये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मनौती करने वाला काम न किया होता तो आप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता । आपने मनाने का काम किया है, इसलिये आपाधापी मची हुई है ।

श्रीमन् इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये यह आशा और उम्मीद के साथ कि और अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देने के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता जी अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ढपोरशंखी बयानो का जिक्र करते हुए तमाम थोथी बातों का आश्वासन देते हुए उत्तर प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे थे.। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने 'स्वान्ताः सुखाय' के लिए रामचरित मानस को रचा था ठीक उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी 'स्वान्ताः सुखाय' के लिए इस प्रकार की घोषणायें करते हैं।

मान्यवर, भयमुक्त सुदृण समाज का नारा बिल्कुल खोखला हो चुका है। जब से कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहे हैं, हत्यायें हो रहीं है, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, फिरौती की घटनाये हो रहीं हैं। घटनाओं का ब्योरा तो इतना लम्बा है कि यदि लगातार दो दिन का समय भी मिल जाये तो भी प्रस्तुत न हो पायेंगी। संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते है कि हम घटनाओं को छुपाते नहीं और अपराधी हमसे बचने नहीं पायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी घटनायें तो लिखी ही नहीं जाती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं जब अपने क्षेत्र में पुलिस पर दबाव डालते हैं तो बमुश्किल एफ०आई०आर० लिखी जाती है और जब एफ०आई०आर० लिखा भी दी जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं ज्यादा मिसालें नहीं देना चाहता हूं। आपको शायद जानकारी हो कि पहाड़पुर थाना-संगीपुर में एक अलगूराम चौधरी की हत्या कर दी गई और उस हत्यारे पर 20 मुकदमें चल रहे हैं, जिसके लिए आपने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी हम तत्काल सुनिश्चित करायेंगे।

आज डेढ़ महीना हो गया है लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा गया। अभी यहीं पर पट्टी थाने में उर्मिला पाल के साथ कुछ गुण्डों ने छेड़खानी की और जब उनका मकसद हल नहीं हुआ तो उन्हें कत्ल करके मार डाला गया। अभी-अभी इसी सदन में जिक्र हुआ हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए श्री शिवराम निषाद कालपी जालौन की हत्या की हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं जो अल्पसंख्यक है वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कारण यह है कि कहीं भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। केवल कागजी घोषणायें की जा रही हैं और कागजी घोषणाओं से न्याय नहीं मिलता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं आप भी कई बार इस सदन में अपनी समस्याओं को लेकर आये होंगे आपने भी उम्मीद रखी होगी कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन आज जब आप इस कुर्सी पर बैठ गये तो पिछली बाते भूल गये हैं। मान्यवर, आपकी बातों पर अमल नहीं होता है, पता नहीं आप स्वयं अपने विभाग को संभालते हैं या नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मालूम नहीं आप समीक्षा करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन जो व्यावहारिक रूप से दिखायी पड़ता है, मैं आपके संज्ञान में थोड़ा लाना चाहता हूं जैसा 2 फरवरी, 1999 को अलगूराम चौधरी सांगीपुर प्रतापगढ़ की हत्या हुई, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, दिनांक 5-1-99 को विरौंचा, थाना कौशाम्बी में श्रीमती फूलमती के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हाथ-पैर गला और पेट फाड़ कर कर दी गयी

और हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए । दिनांक 31-1-99 को श्री विसनू देवी की हत्या होती है और हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए । मान्यवर, इसी तरीके से 23-1-98 को मण्डौर थाना उतरांव में दलितों के 6 घर गिराये गये । दिनांक 5-1-99 को थाना कोतवाली पुरवा/उन्नाव में नायब तहसीलदार, लेखपाल तथा स्थानीय गुण्डों द्वारा दलित महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया । दिनांक 27-11-98 को टिसौरी थाना-केराकत में श्री छब्बू लाल एवं उसकी पुत्री हीरावती दोनों की पुलिस द्वारा हत्या हुई । इसी तरीके से कु० सुनीता पुत्री चमनलता लाल, थाना नागल–सहारनपुर के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया और आज तक यह दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरीके से दिनांक 11/12 फरवरी, 99 को श्रीमती रामबेटी पत्नी फूलसिंह के साथ थाना-चन्दया के थानाध्यक्ष द्वारा बलात्कार किया गया । आपने क्या कार्यवाही किया ? मान्यवर, मैं समझता हूं कि जैसे कहीं कार्यवाही नहीं हुई वैसे ही थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं होगी ।

आज गरीब कैसे सुरक्षित रहें, आज जो बड़े-बड़े करोड़पति हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास लाखों और करोड़ों का देय बकाया है, वह उन्मुक्त होकर घूम रहे हैं और सत्ता के लोगों के साथ बैठकर काफी पी रहे हैं और जो गरीब लोग हैं जिनके ऊपर 80 रुपया, 100 रुपया की देनदारी है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है । मान्यवर, लखीमपुर में राजाराम की मात्र 180 रुपये की वसूली के लिए तहसील के कर्मियों ने हत्या की । मान्यवर, इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है ।

मान्यवर, बैंक डकैतियों का आलम यह था कि आपके मात्र 6 महीने के कार्यकाल में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की बैंक डकैती उत्तर प्रदेश में की गयी और फिरौती के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में अरबों रुपये यहां के बड़े-बड़े माफियाओं ने अपनी जेबों में भरने का काम किया और आपकी सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठ गयी और आप कहते रहे कि सबको न्याय मिलेगा और गुण्डों पर अंकुश लगेगा, कानून का राज होगा । लेकिन हमें देखने को मिला केवल जंगल राज । मान्यवर, इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में एका लानी होगी, केवल कहने से सरकार नहीं चलती है, केवल कहने से कानून का राज नहीं चलता है, बल्कि उसको अमली जामां दें । मैं कहना चाहूंगा कि जिस पूरे उत्तर प्रदेश में दुहाई देते हैं कि पुलिस एफ०आई०आर० करके तत्काल कार्यवाही करेगी, लेकिन मान्यवर, जब वे ही गुण्डई पर उतारू हो जायें तो उससे न्याय का कहीं कोई दूर-दराज तक सम्भावना नहीं रह जाती है । मान्यवर, इसी क्रम में 28-7-98 को जानसठ मुजफ्फरनगर में सलीम-नफीस, साजिद व नन्हा को पुलिस ने मार गिराया जबकि यह लोग बेकसूर थे । इसी तरह से 8 अगस्त, 1998 को बकेवर थाना इटावा में लवली पाण्डेय जो कुख्यात दस्यु था पहले तो बयान दिया गया कि कुसुमा नाइन को मारा गया है लेकिन मारा एक गरीब मजदूर महिला रामकेशो को गया । इसी तरह से 1-8-90 को बछरावां में श्री प्रकाश के नाम पर संजय अग्रवाल को पुलिस द्वारा मार डाला गया । यह हत्या पुलिस कर्मियों ने की । इसी प्रकार से 17-10-98 को भदोही पुलिस द्वारा धनंजय सिंह जो एक कुख्यात अपराधी था उसके नाम पर 3 निरपराध लोग मार गिराये गये । इसी तरह से 25-10-98 को कलंदर गढ़ी गांव में खुर्जा पुलिस द्वारा 3 आदमी जो बेगुनाह थे और फल विक्रेता थे उनको मार गिराया ।

मान्यवर, 31-1-98 को गाजियाबाद पुलिस द्वारा धानजट्ट गांव में राजपाल तांगा चालक की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गयी । मान्यवर, 12-2-98 को लखनऊ के एक व्यक्ति की पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गयी । 12-2-98 फतेहगढ़ कोतवाली में मूलचन्द की पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गयी । यह सभी लोग निरपराध थे जिनको पुलिस द्वारा मार दिया गया है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज पुलिस के अत्याचारों की यह हालत है । माननीय मुख्य मंत्री जी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की बात करते हैं तो ऐसी हालत में वह व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कैसे करेंगे ? यह बहुत लम्बी सूची है इसको मैं छोड़े देता हूं । आज पूरे प्रदेश में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । अराजक तत्वों

का बोलबाला है । आपने कहा कि हमने माफियाओं पर अंकुश लगाया है । लेकिन आपने अंकुश कहां लगाया है यह दिखायी नहीं पड़ता है । हो सकता है कि आपको इस बात का सुकून हो कि कुछ आपके साथ बैठ गये हैं इसलिए आप इस बात की वाहवाही लूट रहे हैं कि माफियाओं पर अंकुश लगा है ।

पूरे प्रदेश में अपहरण, डकैती, बलात्कार, हत्यायें हो रही हैं उससे लगता है कि गुण्डे और अराजक तत्वों और माफियाओं पर कोई अंकुश नहीं लगा है । आपने यह कहा कि सड़कों पर जो दुर्घटनायें होंगी तो घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा करने के लिए प्रभावी व्यवस्था कर रहे हैं और 5 बसें चलाने जा रहे हैं । मैं समझता था कि यह 5 बसें लखनऊ में चलाने जा रहे हैं लेकिन आप यह 5 बसें पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने जा रहें हैं । आपने क्या उत्तर प्रदेश को कोई टाउन एरिया या नगर पालिका समझ रखा है कि केवल 5 बसों से काम चल जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों का बोलबाला है । इन पर अंकुश लगाने के लिए आपको अपने आदेशों और निर्देशों की और वक्तव्यों की समीक्षा करनी होगी अन्यथा आप कहते रहेंगे, जैसे एक कहावत है "अन्धरा बाध बटे, बाघ पड़वा चबाये जायं ।" आपके साथ बैठे हुए [xxx] वह आपको जीने नहीं देंगे । कहीं भी आपको चलने नहीं देंगे । इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखने का कष्ट करें । आप रोज बयान दे रहे हैं, उससे एक गलत सन्देश जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश को एक [xxx] मुख्य मंत्री मिल गया है लेकिन आपको अपने कार्यों से इसको सत्य करना चाहिए कि हम जो कहते हैं वही करते हैं । यह तभी सिद्ध होगा जब आपके साथ मजबूत इच्छा शक्ति होगी, अच्छे लोग होंगे, आपके साथ बैठने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो आप कभी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, इसी क्रम में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है, आज कार्य करने की आवश्यकता है और इस प्रदेश का जो खस्ता हाल है उसकी जबाबदेही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है । मैं जानता हूं कि यह वादा खिलाफी करने वाली सरकार है लेकिन उसके बावजूद जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए यह सम्भावना व्यक्त की कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो बातें रखेंगे उसे मैं सुझाव के रूप में स्वीकार करूंगा । आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का प्रतिशत बढ़ा है । आंख खोलेंगे तो इस सरकार की कलई खुल जायेगी ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, कई बार आप लाल बत्ती जला चुके हैं आगे बोलने की अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है । 1997 के बाद लगातार अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है उससे यह साबित होता है कि यह सरकार अपराधों पर अंकुश पाने में पूर्णता असफल रही है । इसका शासन-प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं रह गया है और आज जिसके बल-बूते पर यह शान बघारती है कि कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करेंगे वह फर्जी मुठभेड़ों पर तुल गये हैं । उत्तर प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं । उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, एफ०आई०आर० नहीं लिखी जा रही है । इसलिए कानून का राज आने का कोई मतलब नहीं रह गया है । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं । मान्यवर, नेता सदन द्वारा जो यहां बातें रखी गयी वह सब ढपोरशंखी बातें हैं, थोथी हैं, फर्जी बयानबाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है । फर्जी बयानों से सरकार नहीं चलती है । इस पर अंकुश रखना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गृह विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । इस देश में पहले राजतन्त्र था, अब लोकतन्त्र है । राजा का काम प्रजा का रंजन करना है । राजा का यह काम है कि जाति, लिंग, पूजा, उपासना पद्धति से ऊपर उठकर उसके कल्याण के बारे में देखे । उत्तर प्रदेश दुनिया में चौथे नम्बर..

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

यहां राजा- प्रजा की नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था की बात होनी चाहिए ।

श्री केशो मेहरा–

उत्तर प्रदेश यदि एक देश होता तो दुनिया में चौथे नम्बर की आबादी का देश होता ऐसे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन कल्याण सिंह जी ने प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी उससे मान्यवर, जो विपक्ष में माननीय सदस्य बैठे हैं उनकी बौखलाहट समझ सकते हैं । कुछ लोगों ने अपनी राजनीति की दुकान चलायी केवल जातिवाद पर लेकिन नेता सदन की कार्यवाही से उनकी दुकानें बन्द हो गयी । तो इन लोगों ने सोचा कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी राजनीति कैसे चलेगी इसलिए हमको कहा जाता है कि हम साम्प्रदायिक हैं, हम मुसलमानों के दुश्मन हैं । सम्प्रदाय की परिभाषा इस प्रदेश के योग्यतम मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी ने दी थी । श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था सम्प्रदाय शब्द का अर्थ है एक ढंग से पूजा उपासना करने वाले व्यक्तियों का समुदाय । हमें मुस्लिम विरोधी कहा गया ।

अधिष्ठाता जी कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक इस प्रदेश और केन्द्र में रही लेकिन शिया-सुन्नी विवाद को कल्याण सिंह जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा हल किया एवं अजादारी एवं मुहर्रम के जुलूस को शान्तिपूर्वक निकलवाने का कार्य सम्पन्न कराया वह कांग्रेस सरकार और अन्य यहां की सरकार न कर सकी "प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् ।" मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए एक राजनीतिक दल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष एक मुस्लिम नेता को बना दिया । दूसरे जो अपने आपको मुस्लिम वोट का ठेकेदार बताते हैं । मान्यवर, "सत्यम् एका विप्रा बहुधा वदन्ति ।" हम पूजा उपासना के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं नेता सदन ने वह काम कर दिया जिसके कारण यह लोग परेशान हैं । इनके सारे मुद्दे खत्म हो गये हैं । 21 सितम्बर, 1997 को जिस दिन श्री कल्याण सिंह जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हम हरिजन ऐक्ट को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जिसे सामान्यतः हरिजन ऐक्ट कहा जाता है ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हरिजन शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए । यह मैं आपसे निवेदन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

हरिजन शब्द असंसदीय नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं इसको वापस लेता हूं । मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के समय कहा था कि हम इस ऐक्ट द्वारा दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे लेकिन इसके साथ ही साथ ही हम सवर्णों और पिछड़ों पर इस अधिनियम के कारण अत्याचार भी नहीं होने देंगे । मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता को बताना चाहता हूं कि इस सरकार के समय में दलितों की हत्याओं में 3.36 प्रतिशत की कमी आयी है । महिलाओं के बलात्कार के मामलों में 18.5 प्रतिशत की कमी आयी है । राजनीति के अपराधीकरण की यहां पर चर्चा की गयी यह लोग पहले भी इस तरह के आरोप लगाया करते थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है । मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी राजनीति का केन्द्र बिन्दु ही सारे अपराधी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री केशो मेहरा–

अगर आपके पास बन्दूक है, रायफल है तो आप विधायक का टिकट लें अगर ए०के० 47 और ए०के० 56 है तो लोक सभा का टिकट लीजिये, ऐसे लोग हम पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं । काच के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते । आप अपने गिरेबान में झांककर देखें तब पता चल जायेगा । मान्यवर, 1984 में आतंकवादी गतिविधियां इस देश में प्रारम्भ हुईं और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि जब कोई भारी पेड़ जमीन पर गिरता है तो धरती पर जलजला आता है, जिसके नाते सिक्खों की हत्याओं का समर्थन किया गया, जिसकी हम घोर निन्दा करते हैं । आज आई०एस०आई० की गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है, पुलिस का मनोबल बढ़ाया गया है और पुलिस की भर्तियों में पारदर्शिता बरती गयी है । डकैती में जो आरोपी थे बहुत बड़ी संख्या में आज जेलों में हैं, हत्याओं में जो आरोपी थे 95 प्रतिशत जेलों में हैं और अपहरण में जो आरोपी थे, उसमें से 78 प्रतिशत जेलों में बन्द पड़े हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज दुबारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने गृह तथा सामान्य प्रशासन विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत किया । मुख्य मंत्री जी के बड़े-बड़े कट-आउट लगे हुए हैं, जिनमें लिखा है भय मुक्त शासन । मान्यवर, पिछले 20 सालों से मैं मुख्य मंत्री जी को जानता हूं, अगर इस समय सबसे ज्यादा भयग्रस्त कोई है 16 करोड़ की आबादी में तो वह सर्वाधिक भयग्रस्त मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी हैं । मैंने मुख्य मंत्री जी को निर्भीकता पूर्वक यहां से सुना है जब वह भारतीय जनता पार्टी के 12 व 13 सदस्यों के विधान मण्डल के नेता हुआ करते थे और उस समय जो दृढ़ता थी, वह आज नहीं है । आज उत्तर प्रदेश भयग्रस्त क्यों हुआ और मुख्य मंत्री जी भयातुर क्यों हुए, क्योंकि उनको इस आयु में सत्ता का मोह हो गया है क्योंकि ये बेचारे कई साल इन्तजार करने के बाद मुख्य मंत्री बने हैं । उन्हें लगता है कि अगर सही जगह उन्होंने हाथ डाल दिया और अपराधियों पर हाथ डाल दिया तो दूसरे दिन वह मुख्य मंत्री बने नहीं रह सकते हैं, यह तयशुदा है । क्योंकि जिन पर आप हाथ डालेंगे, उन्हीं की कृपा से आप यहां पर बैठे हुए हैं । यदि सबसे ज्यादा भयग्रस्त मुखिया हो तो उत्तर प्रदेश का भगवान ही मालिक है ।

मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं । एक राज्य मंत्री जी का पत्र है, मैं इसे पढ़कर सुना देता हूं । 10 मार्च, 1999 का यह पत्र है । नवीन भवन विधान भवन, लखनऊ । श्री अम्बरीष कुमार जी ने यह पत्र मुझे दिया है । एक राज्य मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा एक सहायक

सूचना अधिकारी ने सबके सामने में मेरी गरिमा के प्रतिकूल मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया । यह आपके एक मंत्री की हैसियत है । एक सहायक सूचना अधिकारी मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है । अगर गरिमा नहीं होगी । आपके मंत्री जी में एक ही दोष है वह यह है कि वे दलित समाज से थे इसलिए आपके अधिकारी ने इस तरह का व्यवहार किया । मैं मंत्री जी का नाम बता देता हूं । राम आसरे पासवान जी, अगर गलत हो तो वे कह दें । वे चिल्ला-चिल्ला कर इस पत्र में कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है । यह आपके राज्य मंत्री का कहना है, यह पत्र उनका है मैंने उसका नम्बर और तिथि आपके सामने बता दी है, यह पत्र मैं आपको भिजवा दूंगा । आपके राज्य मंत्रियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपनी बात कह सकें । क्या सामान्य प्रशासन चलायेंगे । आपके मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्रियों की स्थिति एक बन्धुआ मजदूर से ज्यादा नहीं है, उनके पास कुछ काम नहीं है । जो आपके राज्य मंत्री हैं उनकी जो व्यथा है वह उन्होंने अपने पत्र में लिखी है, उनका दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि वे दलित समाज से हैं ।

अभी तीन बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं । एक तो इन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक दंगे कम हुए । मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है । एक थानाध्यक्ष था वह बड़ा परेशान था क्योंकि उसके इलाके में अपराध बहुत होते थे । उसकी लड़की की शादी थी । जब वह सुबह उठा तो उस दिन कोई अपराध नहीं हुआ था बड़ी चैन की नींद आयी थी । कोई डकैती नहीं पड़ी कोई अपराध नहीं हुआ था क्योंकि जो चोरी या डकैती करते थे वे या तो बराती थे या घराती । उसी पर मैं कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि दंगे कम हुए हैं । यह दंगे होंगे कब, सब दंगे वाले तो आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं । आप यह कहना छोड़ दें कि दंगे कम हुए हैं । सच तो यह है कि जब आप विरोध में रहते तो दंगे इसलिए कराते हैं क्योंकि आपकी कोई नीति नहीं है, न नियोजन है न कोई उपलब्धता है ।

आप उधर बैठे हो तो दंगा कराकर, साम्प्रदायिकता फैलाकर आप उधर बैठे हो । यह मैं नहीं कह रहा हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसने 24 घण्टे के लिए आपको कौन सी जेल में भेजा था । सुप्रीम कोर्ट जिसको दोषी मान चुका है मैं फिर भी उसे प्रणाम करता हूं क्योंकि आप मुख्य मंत्री हैं । सुप्रीम कोर्ट जिसको दोषी मान चुका है । मुख्य मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं लेकिन क्या करें इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है । अभी-अभी काशी से लौटकर आये हैं वहां और अधिक दबाव पड़ा है तो कुछ विचलित हुए हैं । आपने कहा 21 सितम्बर, 1997 को जब हमारी सरकार ने पद भार सम्भाला तो प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी । उस सरकार में कौन शामिल था ? आप इल्जाम लगाना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी पर ।

आपका इशारा था कि उस समय बी०एस०पी० की सरकार थी उस समय स्थिति बहुत खराब थी और इन्होंने आते ही ठीक कर दी है । वह सरकार बी०एस०पी० की ही नहीं थी आपके साथ उनकी मिली-जुली सरकार थी । आधे आपके मंत्री थे, आधे उनके मंत्री थे । उन पर दाग लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिये । अगर उन्होंने उस समय कोई गलत काम किया है तो उसमें बराबर के साझीदार आप भी हैं संयुक्त जिम्मेदारी का सिद्धान्त प्रजातन्त्र में लागू होता है । चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी की सरकार हो । इन सबकी सरकारों से 100 गुना ज्यादा अपराध आपकी सरकार के समय में हुए हैं इतने किसी भी सरकार के समय में नहीं हुए । आप इन सरकारों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं ।

आप विधान मण्डल दल के नेता [illegible] बी०जे०पी० के अगर आपको लग रहा था कि सरकार गलत काम कर रही है तो आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया ? आप कह रहे थे कि प्रदेश पाप के, अनाचार के अन्धकार में डूबा था । आप 74-75 लोगों के नेता बनकर क्यों चला रहे थे ? प्रदेश में पाप, अत्याचार, अनाचार को क्यों होने दिया । इसीलिए होने दिया ताकि आप सरकार में बैठ सकें । तो

मान्यवर, यह स्वीकारोक्ति माननीय मंत्री जी की है वे बराबर के भागीदार थे । उस सरकार पर तो कम से कम आरोप मत लगाइये जिसमें आप बराबर के भागीदार थे । मान्यवर, अपराधी की परिभाषा माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे थे कि हमने इतने अपराधियों का इन्काउन्टर किया । मान्यवर, सैकड़ों लोगों का इन्काउन्टर हो गया उसके लिए मुख्य मंत्री जी अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं कोई उनकी पीठ थपथपाने वाला नहीं है लेकिन उसमें जो नाम नेता विरोधी दल द्वारा लिए गये हैं उनको क्या किसी अदालत से सजा हुई थी अगर नहीं हुई थी तो आपकी परिभाषा आपकी भूमिका के हिसाब से आपकी डिक्शनरी के हिसाब से अपराध पंजीकृत नहीं हुए । जिन्हें सजा नहीं मिली क्या वह इन्काउन्टर के हकदार हैं । आपके मंत्री जिन पर 42 मुकदमें दर्ज हैं उनके लिए क्या सजा है अगर अपराधी इन्काउन्टर का हकदार है तो आपके मंत्री जिन पर 47 मुकदमें हैं वह किसके हकदार हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, एक काम आपने किया खर्चे पर रोक लगाकर, जब आपकी पार्टी में झगड़ा होता है जब कोई आपको बातों का चाबुक मारता है तो आप उसे राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं, आपने महानगर अध्यक्ष को हटाया और उसे राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

जो व्यवधान हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है उसके लिए मैं आपसे समय की मांग कर लूंगा । आपने माननीय सदस्यों से मांग कर लूंगा कि अपने समय से थोड़ा समय दे दें । आज सामान्य प्रशासन प्रस्तुत है । राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री एक हैं उनकी आपस में नहीं पटती है, (व्यवधान) तो राज्य मंत्री बना दिया गया जितने [xxx] हैं उनको राज्य मंत्री बना देंगे तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी आर्थिक स्थिति क्या होगी ? अपराधों की बात होती है । 1997 में जिस सरकार की आलोचना हो रही थी 1997 में 350 डकैती हुई आपके समय में 422 डकैती हुई । लूट के मामले तब 1669 थे अब आपके समय में 2,095 केस हो गये । कत्ल जो होते हैं उनकी तो गिनती की जा सकती है लेकिन जो लाश गायब हो जाती हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती है ।

आप कत्ल से तय करते हैं कत्ल की वारदात पहले 3,412 हुई आपके समय में 3,525 हो गयीं । अपराध की बात आप करते हैं तो इसके लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं ? इसी राज भवन के सामने जिला अधीक्षक तिवारी को मार दिया गया, उसके बारे में क्या आप बताने की स्थिति में हैं ? राज भवन के सामने जो हत्या हुई क्या उसमें आपकी पुलिस किसी को पकड़ पायी आप कैसे कानून व्यवस्था चला रहे हैं ? इसी विधान सभा के सामने गोली चली लोग कहते हैं अपराधी विधान सभा के अन्दर से होकर गये, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या आपकी पुलिस उनको पकड़ पायी, दिन-दहाड़े कत्ल हो गया ? आपका जवाब होगा नहीं । अगर नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं । आप कहेंगे कि हम अखबारों का संज्ञान नहीं लेते हैं । जो अपराधी तिवारी जी की हत्या में पकड़े गये थे आपकी पार्टी के पुराने पार्लियामेंट के सदस्य के यहां अपराधी रहा । अगर अपराधी हैं और वह आपके दल के यहां छिपेंगे तो कैसे पकड़ पायेंगे ? कोई अपराध करता है तो सी०आई०डी० जांच के आपके पास पावर हैं । तो जब

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

निर्दोष विधान सभा का सदस्य पर फर्जी बातों पर इसको नहीं लगाते हैं लेकिन जब मंत्री अपराध करता है तो उनके लिए आप सी०आई०डी० की जांच के आदेश देते हैं ।

आरोप-प्रत्यारोप में सदन का समय नष्ट किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

कानपुर के अखबार में हैं प्रदेश के एक मैंने लिखकर भी दिया था.....

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

सबूत नहीं दिया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें कि नहीं दिया । मैं पढ़कर सुना दूंगा । मान्यवर, अखबार सब गलत कह रहे हैं । वह कहते हैं इसमें एक खबर छपी है "दिनों दिन भयभीत होता आदमी" । तो यह आंकलन है । निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने 8 मंत्रियों के नाम का जिक्र किया कि एस०टी०एफ० ने कहा कि ये इन्वाल्व हैं उन्होंने नाम नहीं बताये । किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह यह कहें कि नाम बता दें ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)–

मान्यवर, यह बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं माननीय नेता विरोधी दल से लेकर पढ़कर बता देता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, सदन में कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए । इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जो लोग अपराध कराते हैं, जो शराब के ठेकेदारों को बचाते हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी सदस्यों से निवेदन है कि जब भी चर्चा में भाग लें तो व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए । नीतिगत आरोपों की चर्चा करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज ही नहीं आज से पूर्व भी कुछ न कुछ इशारा करके प्रमोद जी इशारा करते हैं और कहते हैं कि हमने कागज दे दिया । बार-बार मंत्रि-परिषद् का हवाला देते हैं, सदस्यों का हवाला देते हैं, कानपुर का इशारा करते हैं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या इतनी बात कह रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी जैसा कुंवर साहब ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया मान्यवर, लेकिन नाम लें या न लें हर बार मंत्रि-परिषद् के लिए कहते रहते हैं कि उसमें माफिया हैं। मान्यवर, हमने बार-बार कहा कि इस मंत्रि-परिषद् में कोई अपराधी नहीं है। अपराध को कोई संरक्षण देने वाला मंत्रि-परिषद् में नहीं है। राजा भइया यहां बैठे हुए हैं, मंत्रि-परिषद् के सम्मानित सदस्य हैं वे अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। आप उन्हें मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

पहले तिवारी जी की बात पूरी हो जाय।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मानीय मंत्री जी कहते हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाय, तो श्रीमन्, तिवारी जी की बात पहले समाप्त हो जाय उसके बाद कोई वक्तव्य देना चाहें तो वे दे लेंगे यह परम्परा है अगर कोई बीच में स्पष्टीकरण करना चाहें तो वे कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही बात कही लेकिन एक बात आज तय हो जाय कि प्रमोद जी या तो अनावश्यक और अनर्गल आरोप लगाना बन्द कर दें और अगर हिम्मत है तो फिर राजा भइया की बात को सुन लें। मान्यवर, प्रमोद जी बार-बार मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हैं आपको सम्बोधित करके बार-बार इंगित करते हैं कि मंत्रि-परिषद् में माफिया बैठे हुए हैं तो अगर साहस है तो आपको सुन लें या प्रतिज्ञा कर लें कि मंत्रि-परिषद् के ऊपर आरोप नहीं लगायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और विभिन्न सदस्यों ने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया। लम्बे समय से यह बजट सत्र चल रहा है। विभिन्न मसौदों पर इसमें चर्चा हुई है पक्ष और प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे हैं अब बजट सत्र अपने समापन पर है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा में गम्भीरतापूर्वक भाग लें लेकिन किसी पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विभागीय नीति की आलोचना है या सुझाव देना है वह दें। तिवारी जी कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां से मैंने समाप्त किया था वहीं से प्रारम्भ कर रहा हूं। मैं बहुत दृढ़तापूर्वक और बहुत ही विश्वास पूर्वक माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है कि मुख्य मंत्री जी अगर एस०टी०एफ० की जो रिपोर्ट है जिन 8 मंत्रियों के नाम दिये गये हैं जो उसमें इंगित किये गये हैं या तो मुख्य मंत्री जी उसमें सच्चाई बतायें। मंत्रीगण उसमें शामिल हैं या नहीं अन्यथा नेता विरोधी दल ने जो कहा, उसका जवाब दें। अगर नहीं हैं तो मुख्य मंत्री का बयान क्यों छपा है ? मैं जानना चाहता हूं उस समय के डी०जी० अजय राज शर्मा का यह बयान क्यों आया ? जो कुछ रिपोर्ट थी, वह उन्होंने भेज दी, क्या उत्तर प्रदेश

की सरकार मूक और बधिरों की संस्था है । मैं सच अवश्य कहूंगा, चाहे जान रहे या जाय । मैं अपनी बात पूरी दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं, किसी दबाव में आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते, प्रमोद तिवारी किसी भी दबाव के आगे सिर झुकाने से इन्कार करता है, चाहे मुझे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े । जो बात मैंने कही है, उस पर मैं कायम हूं । एस०टी०एफ० की जो रिपोर्ट है, उसे आप मंगा कर देख लीजियेगा । मुख्य सचिव ने कहा है, डी०जी० ने कहा है और नेता विरोधी दल ने कहा है, उसका जवाब आना चाहिये । मैंने बड़ी गरिमा की रक्षा की और किसी का नाम नहीं लिया । यदि आप आमादा हो, नाम लेने पर तो यह आपकी सोची समझी साजिश है, आप नाम लिवा रहे हो...

(सत्ता पक्ष की ओर से अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी, अब समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवधान के कारण मेरे समय का नुकसान हुआ है इसलिये दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मैंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गरिमा की रक्षा की । कानपुर के एस० एस० पी० की रिपोर्ट थी, आप मंगा कर देख लें, उन्नीसवें नं० पर कौन है । मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, नाम तीर्थराज, ग्राम धारूपुर, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, उसका अपहरण 6 महीने पहले हुआ था, संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही होगी, कल मुख्यमंत्री जी जब जवाब दीजियेगा तो इसके बारे में भी बता दीजियेगा, इस मामले की जांच में कौन-कौन लोगों के नाम पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने दिये हैं ? हम नहीं जानते कि मंत्रिमंडल में क्या मतभेद हैं, क्या नहीं हैं ? मैंने मंत्रि-परिषद् की गरिमा की रक्षा के लिये कागजात आप तक बढ़ा दिया, नाम नहीं लिये । नेता विरोधी दल ने भी कहा, कि आठ नाम मेरे पास हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता किस साजिश के तहत आप यह सब कर रहे हो, यह आप जानें, आपका काम जाने, नेता विरोधी दल ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देता हूं ।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में अपनी बात सदन के समक्ष रखूंगा । जनपद कानपुर में एक मंत्री के खिलाफ माफिया होने का आरोप प्रमोद जी ने लगाया, नाम नहीं लिया । अगर उनका इशारा मेरी तरफ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनपद कानपुर में मेरे नाम एक भी एफ०आई०आर० नहीं है, इस बात को यदि साबित कर दें तो मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथी बैठे हैं, सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा से अपना त्याग-पत्र देकर घर लौट जाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी ने किसी का नाम नहीं लिया है ।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"–

मान्यवर, दूसरे को यह अपराधी कहते हैं लेकिन अपराधी दो किस्म के होते हैं –एक जघन्य किस्म के और दूसरे आर्थिक अपराधी । मान्यवर, 21 दिसम्बर, 1992 को सिविल लाईन्स, थाना इलाहाबाद में दो बच्चों की हत्या की गयी थी जिसमें सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराई गयी थी और जांच श्री धीरेन्द्र राय नामक इन्सपेक्टर निष्पक्ष ढंग से कर रहे थे लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन था और उस समय श्री प्रमोद कुमार जी का अच्छा दखल था । मै जानना चाहता हूं कि क्या कारण थे कि जांच

करने वाले उस इन्सपेक्टर को हटा दिया गया और फिर ऐसे इन्सपेक्टर से जांच कराई गयी जो 2-4 महीनों में रिटायर होने वाला था फिर उसने मनमाने ढंग से जांच रिपोर्ट लगा दिया ।

इस प्रकरण में महिला ने अपने लड़के और नौकर की हत्या के सम्बन्ध में जांच की मांग कर रही थी और उसने प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी इस मामले में सी०बी०आई० से जांच की मांग किया था जिसमें उसे आश्वासन दिया गया था कि निष्पक्ष जांच कराई जायेगी । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत ही बेढ़गे रूप से जांच हुई । मान्यवर, यदि इस मामले में पुनः सी०बी०आई० से जांच के आदेश हो जायं तो सारे मामले की वास्तविकता सामने आ जायेगी ।

मान्यवर, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उनका इलाहाबाद में कोई आवास बनना था, डी०एम० इलाहाबाद, श्री डी०के० कोटिया, को उन्होंने लिखा था कि भूमि जिसका क्षेत्रफल 844 वर्ग गज है जिसमें श्रीमती अलका तिवारी का अनधिकृत हस्तान्तरण के आधार पर कब्जा है के लिए वर्तमान में शासन की नीतियों को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए अलग से प्रस्ताव भेजें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी गृह विभाग पर चर्चा हो रही है इसलिए आप गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर ही बोलें । (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''–

मान्यवर, मैं गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर ही बोल रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के बजट पर चर्चा हो रही है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप इस सदन में नहीं लगाना चाहिए । वरना कभी भी सुचारु रूप से यहां चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय रघुराज प्रताप सिंह मंत्रि-परिषद् के कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही साथ वह इस सदन के सदस्य भी हैं, इसलिए यह परम्परा रही है कि चाहे मंत्री हों या सदस्य हों यदि पहली बार जब बोलते हैं तो टोका-टाकी नहीं की जाती है । मान्यवर, वह पहली बार सदन में बोल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''–

कई बार डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली मेरी ओर कहा, भले ही मेरा नाम न लिया हो, लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को और विपक्ष के माननीय सदस्यों को एहसास हो जाता है कि किसके लिये बोल रहे हैं । मान्यवर, इसके पीछे एक कारण है, मैं बता रहा हूं । प्रतापगढ़ में एक नहीं कई बार यह मुझसे शिकश्त खा चुके हैं ।

(व्यवधान)

इनको करारा झटका लगा है, इनके न चाहने पर भी अक्षय प्रताप सिंह विधान परिषद् के सदस्य चुने गये, प्रतापगढ़ में बिहार विधान सभा क्षेत्र है, यह सुरक्षित क्षेत्र है, यह हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं हरा पाये, इस प्रकार से लगातार हार होने के कारण यह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं बहुत पढ़ा लिखा सदस्य नहीं, मैं बहुत ही नेकनियती से अपनी बात कहना चाहता हूं, लेकिन अगर कहीं पर टेक्निकली कमी बेसी हो जाये तो एडजस्ट कर लीजियेगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, उनको समाप्त कर लेने दें ।

कु० रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''–

श्रीमन्, बार बार कहा गया कि मंत्रि परिषद से निकाल दिया जायेगा, यह बहुत ही हल्की बात कही गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आपको बजट पर बोलना हो, तो बोलें कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

कु० रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''–

मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं । श्रीमन्, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सभी लोगों ने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने समर्थन दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें अपने मंत्रि-मण्डल में शामिल किया है इसके लिए मैं उनका आभारी हूं कल यदि माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे अपने मंत्रि-मण्डल से हटा भी देते हैं तो भी मैं उनकी पार्टी का समर्थन करता रहूंगा ।

(शोर)

पुलिस और प्रशासन के बल पर चुनाव जीतने वाले लोग, जनबल से चुनाव जीतने वालों से मुकाबला नहीं कर सकते । आप मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाकर दिखाइये हम आपको वहीं से चुनाव जीत कर दिखा देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं इस सदन का अत्यन्त विनम्र सदस्य हूं । यदि मुझे शोर से दबाने का प्रयास किया जायेगा तो फिर सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? अगर इस सदन में जहां आज के दिन दो महत्वपूर्ण विभागों का बजट पास होना है और हम सभी अपना-अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह का मैसेज देने का प्रयत्न होगा जो एक परम्परा बन जायेगी ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर आज का दिन ऐतिहासिक दिन है । आज हम डा० राम मनोहर लोहिया और भगतसिंह को स्मरण कर रहे हैं । उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं । अमर शहीद भगत सिंह जिनके बारे में हमारी धारणा

यह है कि लोग समझते हैं कि भगत सिंह ने सिर्फ आजादी की लड़ाई ही लड़ी है, बन्दूकों और गोलों के बीच में ही जिये है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी आप अपनी बात जारी रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर इसी तरह का माहौल रखना है, अगर आपको इसी माहौल में बजट पास कराना है तो करा लीजिए और चले जाइये ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मुझे उंगली मत दिखाइये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और नेता सत्तापक्ष कृपया आप सदन को व्यवस्थित करें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान पर यहां पर चर्चा हो रही है । आपके माध्यम से श्रीमन् मैं सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से बड़ी विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ कहा जाये, इसे हम सुनने का धैर्य रखें और अपने कहने वाले मित्रों से भी मेरी एक प्रार्थना है कि जो कुछ कहा जाये, उसमें व्यक्तिगत आक्षेप न आए तो अच्छा है । अपनी बात शालीनता के साथ रखें, बात को जोर से न रखें, जोरदारी से रखें, तर्क से रखें ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता सदन ने ऐसे महौल में बहुत अच्छी बात कही और हम लोग इसी तरीके के हामी हैं । मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीद भगत सिंह ने जिस आजाद हिन्दुस्तान की कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, यह प्रसंग हैं और भी महापुरुषों का नाम लिया जाता रहा है इस सदन में । आज उनका सहादत दिवस है । "पिस्तौल कभी इन्कलाब नहीं लाते" आज उसी भगत सिंह के मुल्क में स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके लिए माननीय नेता सदन ने कहा है कि हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहते । मान्यवर, जहां हमें उनको इस बात की बधाई देनी चाहिए कि आप दूसरी बार गृह और सामान्य प्रशासन का बजट रख रहे हैं । उन्होंने अपने बजट भाषण में सामान्य प्रशासन पर तो कुछ कहने की कृपा नहीं की लेकिन गृह विभाग की उपलब्धियों गिनाई, उनका जिक्र आपने किया । आप जैसे वरिष्ठतम सदस्य की इस सदन में और उस प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में हैसियत है, उसके मुख्य मंत्री की हैसियत से गृह और सामान्य प्रशासन पर अपनी बात रखेंगे तो नई और प्रभावशाली बातें आयेंगी और हमारी छवि पर जो दाग लगा हुआ है, वह साफ होगा और हम लोग मिल जुलकर कोई अच्छी तस्वीर देख सकेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बारे में दुनिया भर की बातें की जाती हैं । अगर मुख्य मंत्री जी यह चर्चा हुई है, जनता में इस बात की चर्चा की जाती है, मैं इस

बात पर नहीं जाता कि माफिया मंत्रिमण्डल है, इस सरकार में माफिया लोग हैं, यह बात बार-बार सामान्य लोगों के दिमाग में जाती है, आपने कहा कि विरासत में मिला है । तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग की है । इस सरकार की जिम्मेदारी है । अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो हमारा सहयोग मिलेगा । आपने जो एक चैप्टर छोड़ दिया है उसको मैं जरूर रखना चाहूंगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में, बंधन में आपका शासन और प्रशासन जकड़ गया है । यह जो बातें कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, यह सरकार पारदर्शी है लेकिन जो स्थिति आज है उससे यह कहना पड़ेगा कि आपके नियंत्रण में ब्यूरोक्रेसी आज नहीं है । प्रदेश के बच्चे बच्चे के मन में है कि हमारे सूबे का मुख्य मंत्री ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में फंस गया है और ऐसा फंसा है कि तड़प भी नहीं सकता है । हम राजनीतिक कारणों से यह बात नहीं कहना चाहते हैं ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से जूझने के लिये जितनी संस्थाओं का निर्माण हुआ उसमें लोकायुक्त संस्था सर्वोच्च है । यह लोकायुक्त का प्रतिवेदन है जिसको मैं घर से नहीं लाया हूं । यह 15-8-98 का है । इसमें प्रकरण संख्या 2301/97 में कहा है कि यह पूर्णरूप से सिद्ध है लोक सेवक ने अपने प्रभाव से पद का दुरूपयोग करते हुये आपने आवास को किराये पर उठाने हेतु एक संस्था का कार्यालय अनावश्यक रूप से जनपद में खुलवाया । वह सेवामुक्त हो चुके हैं । इस बिन्दु पर विचार करें कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है । मान्यवर, यह तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन दूसरे जिनको आप बढ़ाये चले जा रहे हैं उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता । लोकायुक्त की रिपोर्ट में उनके बारे में कहा गया है कि व्यक्तिगत साक्ष्य के आधार पर लोकायुक्त को समाधान हो गया हैं कि तत्कालीन आई०ए०एस० उनका नाम है–निगम को क्षति पहुंचाने हेतु बैकडेट में 12-12-97 को हस्ताक्षर करके कार्यालय ज्ञाप निकाला उनका यह कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 466/68 के अन्तर्गत दण्डनीय प्रतीत होता है ।

मान्यवर, उनको प्रमोशन दे दिया गया । इसी तरह से मान्यवर, 1992 में, अगर आपकी पसन्द का कोई आई०ए०एस० यूपिका में इतना बड़ा घोटाला करता है और साढ़े 4 करोड़ रुपये की गड़बड़ी करता है और आपके द्वारा चुने हुये जांच अधिकारी की रिपोर्ट से यह सिद्ध है कि उनका अपराध है और उनको कृत्य अपराधिक कृत्य हैं तो बजाय इसके कि उनको दंडित करें उनको आप संवेदनशील पद पर नियुक्ति सचिव के पद पर बैठाने का काम करते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कोई पी०सी०एस० या आई०ए०एस० गड़बड़ी करें तो उसे वह आपके संज्ञान में लायें । जो जांच से अपराधी सिद्ध हो चुका है उसके बारे में आपकी यह धारणा है तो मुख्य मंत्री जी आप चाहे जितना दावा करें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, पारदर्शिता लायेंगे यह होने वाला नहीं है । हाई कोर्ट ने जिसके बारे में फैसला दिया हो, लोकायुक्त ने जिसके बारे में कहा हो, जिसके बारे में यह कहा गया हो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजूल की भूमि जिसने देय दी हो । गन्ना आयुक्त के पद पर जा करके वह बड़े-बड़े घोटाले और घपले कर दिये जिसके बारे में सिद्ध रिपोर्टस हैं । मैं अपनी ओर से एलीगेसन्स नहीं लगाना चाहता । जो रिपोर्ट शासकीय माध्यम से सिद्ध है सिर्फ उनका जिक्र करना चाहता हूं और उनको बढ़ाने का काम, उनको प्रमोट करने का काम उन्हें और जिम्मेदारियां देने का काम कर रहे हैं तो बातें चाहे जितनी कर ली जायं । शायद सामान्य प्रशासन पर दर्ज माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकोचवश नहीं किया कि ज्यादा मिथ्या बात कहने की आवश्यकता पड़ जायेगी । इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने बजट में दिया है उसे पढ़ दिया लेकिन स्थिति क्या है ? जितने धानों की आवश्यकता है, आप चाहें निकलवाकर देख लीजिये ।

(लगातार जारी)

मान्यवर, कृपा पूर्वक थोड़ा समय दे दीजिये । मैं वह वाक्य नहीं दोहराऊंगा जो दूसरे संदस्यों ने कहा है । ब्रिटेन में पुलिस सर्वश्रेष्ठ मित्र समझी जाती है । लेकिन जब उसकी सुरक्षा पर हमला हुआ तो यह सोचने की आवश्यकता हुई कि इसको सुरक्षित कैसे करेंगे ? जब सत्य प्रकाश यादव को महराजगंज चौराहे पर मारा जायेगा, बलिया के एस०पी० के बंगले पर गयासुद्दीन को पीटा जायेगा, टेलीफोन तोड़ा जायेगा तो सारे गार्ड भाग जायेंगे और यह सन्देश जायेगा कि पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगी ? वहां पर एक राय दी गयी कि आप पुलिस को सुसज्जित कीजिए । "ए पुलिसमैन कैरीज विद हिम द अथारिटी आफ हर मैजेस्टी दी क्वीन । इफ दैट इज नांट एनफ टू प्रोटेक्ट हिम, नो एमाउण्ट आफ एम्यूनेशन कुड डू ।" मैं इसका हिन्दी रूपान्तरण कर देता हूं ।"पुलिसमैन महिमामयी महारानी का प्रभुत्व संग लेकर चलती है उसकी सुरक्षा के लिए यदि वह यथेष्ठ नहीं है तो शस्त्रास्त्रों की कितनी भी मात्रा उसे क्यों न दे दी जाये वह उसे नहीं बचा सकता ।"

जितनी आवश्यकता इस पुलिस बल को मजबूत करने के लिए है उतने संसाधन दिये जांय । करनासा पैकेज के नाम पर बिहार के उस हिस्से पर रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमावर्ती जिले हैं, जब कपूर डी०जी०पी० हुआ करते थे जो आवश्यकतायें 1994 में महसूस की गयीं । आज तक उनको पूरा करने की दिशा में एक कदम भी चले । क्या पुलिस के पीछे कोई भय पैदा करके पुरानी रायफलें चल पायेंगी नहीं चल पायेंगी उसे सुसज्जित किया जाये । कई तरह के माफियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं और यहां आकर सुनते भी हैं । आई० ए० एस० में पोस्टिंग माफिया, वन माफिया, भू-माफिया आदि के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें होती हैं । आप भी अपने वक्तव्य में जिक्र करते हैं कि हमने भू-माफिया को बन्द कर दिया, वन माफिया का सफाया कर दिया । लेकिन कभी आपने नौकरशाह माफिया की बात नहीं की । आज के बाद जब नई कार्य योजना आप प्रस्तुत करें नौकरशाह माफिया को भी खत्म करने का काम करें । यह माफिया जितना परेशानी में डाले हुये है उतना किसी अन्य माफिया से ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है ।

मान्यवर, जब ट्रांसफर-पोस्टिंग में आपकी नीति ऐसी होगी कि इस प्रदेश में जितने आपके पास कमिश्नरर्स हैं उनमें एक भी बैकवर्ड का योग्य आपको नहीं मिला, एक भी व्यक्ति माईनारिटी का उस पद के योग्य नहीं मिला । आपको इनमें से एक भी मण्डल में कमिश्नर बनाने लायक नहीं मिला । आपको एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति कलेक्टर बनाने लायक नहीं मिलेगा । आई० जी० जोन बनाने लायक इनको कोई आदमी नहीं मिला । माइनारिटी का कोई आदमी नहीं मिला । अनुसूचित जाति जनजाति का कुल मिलाकर एक आदमी मिला । डी०आई०जी० वैकवर्ड में निल है, अल्पसंख्यक में निल है अनुसूचित जाति जनजाति के कुल मिलाकर तीन डी० आई० जी० हैं । पुलिस अधीक्षक में दो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं लेकिन उसी बैच के अधिकारियों को कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ दिया गया लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाते उनको ऐसा जिला दिया गया जहां कुल 9 थाने हैं । इसीलिए कानून व्यवस्था की आज हालत यह है । आज 85 प्रतिशत जनता अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्ग की है उस पर इनका विश्वास नहीं है । तो यह कैसे अच्छा प्रशासन दे पायेंगे ? यह इनके कारनामों से स्पष्ट है । तबादलों के बारे में रोज अखबार में औसतन सात अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में सूचना होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस सरकार ने बजट में करों का प्रस्ताव नहीं करने का काम किया लेकिन अभी सदन स्थगित हो जायगा अगले दिन 20 चीजों पर नए करारोपण कर देंगे । ट्रांसफर की पालिसी एक होनी चाहिए उसी

आधार पर ट्रान्सफर हों । लेकिन इसमें हेराफेरी चल रही है । दबाव बनाकर सही काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का काम किया जाता है । प्रशासन में काम करने वाले लोग डरे हुए हैं । इस प्रदेश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो न मुख्य मंत्री है, न मंत्री है, न सांसद हैं न विधायक हैं लेकिन आज वह लोग सत्ता का केन्द्र बने हुए हैं । वहां सत्ता के बड़े-बड़े अधिकारी रोज हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं । वहीं कलेक्शन होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मुख्य मंत्री जी अपनी सारी कमियों, कमजोरियों को छिपाने के लिए उनकी सेट लैंगवेज है । हमको विरासत में यह कारोबार मिला है । सामने बैठे हुए लोगों के जमाने में गड़बड़ी हुई । आप अपनी छवि को आइने में नहीं देखना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सच बात मान लीजिए । चेहरे पे धूल है–इल्जाम आइने पे लगाना फिजूल है ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे होते तो आप समय का ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जब केशो मेहरा जी बोल रहे थे तो आपने पांच मिनट बाद दस बार लाल बत्ती जलाई । मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह पीठ के ऊपर आक्षेप है । यह उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री राजधारी जी, माननीय अध्यक्ष जी ने ही समय सीमा निर्धारित की थी कि माननीय सदस्य 5 से 7 मिनट तक बोलेंगे और दल के नेताओं का समय अधिक होगा । अभी तक दल के नेताओं को ही बुलवाया गया है । माननीय सदस्य नहीं बोले हैं । क्योंकि माननीय नेताओं के लिये समय सीमा में बढ़ोत्तरी करने का प्राविधान है, जिसके तहत उनको कुछ ज्यादा समय दिया गया । किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है । माननीय सदस्य जब बोलेंगे तो उन्हें 5 से 7 मिनट का ही समय दिया जायेगा ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अधिष्ठाता जी, सामान्य प्रशासन तथा गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं तो इस सदन का अधिकांश समय तक श्रोता रहा हूं । जनता की मेहरबानी से और अपने नेताओं की कृपा से 1967 में यहां पर आया था और आज पांचवी बार आया हूं । जिस तरह से विपक्षी दलों द्वारा इस गंभीर विषय पर सदन में वातावरण खराब किया जाता है और कुछ लोग जो खुदकही बहुत बड़ा वक्ता होने का प्रमाण-पत्र देकर चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं ।

मान्यवर, मैंने श्री चौधरी चरण सिंह जी को, श्री सी०बी० गुप्ता जी को और श्री नारायण दत्त जी को इस सदन में सुना है । मान्यवर, पहले तो तीन लोग थे जो इस सदन का ज्यादातर समय बर्बाद करते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहते थे अब जरा इधर-उधर हो गये हैं और कुछ डाउन हो गये हैं और 2-3 नये वक्ता निकल रहे हैं, जो निरर्थकरूप से घूम-घूम कर एक ही बात करते हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है और गृह विभाग की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ वर्ष हो रहा है माननीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार को, जिसके कि वह मुखिया हैं, हमारे विपक्षी दल के लोग अन्दर कुछ सोचें, पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और एक भी फसाद नहीं हुआ और आज रामपुर तिराहा जैसा काण्ड नहीं हो सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हल्ला बोल जैसा काण्ड नहीं हो सकता है, और किसी अखबार पर हल्ला बोल नहीं हो सकता है । ऐसे चुस्त-प्रशासन की वह तारीफ नहीं करते बल्कि उल्टे मंत्री पर उंगुली उठायेंगे और कभी मुख्य मंत्री पर उंगुली उठायेंगे । माननीय अम्बिका चौधरी जी एक उदीयमान सदस्य हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि गांव का कोई गरीब किसान आदमी आया है जो अच्छा बोलता है तो मुझ जैसे बुजुर्ग को अच्छा लगता है लेकिन उनका भाषण भी कटाक्ष से शुरू होता है । माननीय नेता विरोधी दल जो कुछ कहते हैं तो वह अपनी बात को सामान्य ढंग से कहते रहते हैं । उन्होंने न तो नीति की आलोचना की और न ही नीयत की आलोचना की । उन्होंने कुछ घटनाओं को कह दिया कि फलां आदमी मार दिया गया और फला को गिरफ्तार कर दिया गया आदि आदि । मुझे इन विपक्षी वक्ताओं की समझदारी पर तरस आ रहा था । माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने टास्क फोर्स का गठन किया था । टास्क फोर्स ने बहुत से बदमाशों को मुठभेड़ में मारा और कुछ को जेल भिजवाया ।

विपक्षी दल स्पष्ट करें कि टास्क फोर्स का कार्य अच्छा है या बुरा । दूसरी बात मुझे यह कहना है कि अभी-अभी नई घोषणा हुई है, जिस तरीके से टास्क फोर्स का गठन करके पूरे प्रदेश के माफियाओं को जो बड़े-बड़े नामी गिरामी बनते थे या तो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं या जेल के अन्दर हैं । उसी तरह से जिले-जिले में जो नई फोर्स के गठन की घोषणा हुई है उससे जो छोटे छुटभइया बदमाश हैं परेशान हैं । अधिष्ठाता महोदय, मै आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि परेशान विपक्ष के लोग इस नाते हैं कि ज्यादा [× ×] उन्हीं की पार्टी में हैं और वो मारे जायेंगे या वो जेल जायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी जी–

मान्यवर, ज्यादा [× ×] विपक्षी पार्टी में हैं, यह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

[× ×] शब्द असंसदीय है, इसको मैं कार्यवाही देखकर निकलवा दूंगा ।

श्री धनराज यादव–

हम कोई आक्षेप नहीं करते । ऐसा प्रशासन कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं था । अंग्रेजों का जब राज्य था उन्होंने सन् 47 में जिस तरह के प्रशासन को छोड़ा था उसको उस समय की पार्टियों ने अपनी खुदगर्जी के कारण तहस-नहस कर दिया जिसको हम विकृत प्रशासन कहते हैं । उस विकृति को मिटाने के लिये पहली बार कल्याण सिंह जी ने शपथ लेने के बाद घोषणा की कि हम कार्य संस्कृति का निर्माण करेंगे । उत्तर प्रदेश को शान्त बनायेंगे । मान्यवर, डेढ़ साल के बाद जो आज प्रदेश की स्थिति है उसको सभी लोग जानते हैं । उत्तर प्रदेश के सभी लोग जानते हैं कि यहां ऐसे मुख्य मंत्री भी रहे हैं जिनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर रहा है । वे कहते कुछ थे और करते कुछ थे । मान्यवर, अब वो

नोट :–[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जमाने लद गये हैं । इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं अपील करते हुए विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि शांति से आलोचना करें और धैर्यपूर्वक उसका उत्तर भी सुनें । व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिये यह महान सदन नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं नेता प्रतिपक्ष के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी आबादी 17 करोड़ है और मान्यवर, चिन्ता का विषय बनता है जब किसान रात को पानी चलाने के लिये जाते हुए घबराने लगे । जब रात में जो शादियां होती थीं अब वह लोग दिन में करने लगें । जो सवारियां रात में एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं, जब उनमें कमी आ जाय और लोग अपने आप को गैर महफूज समझे तो मान्यवर, चिन्ता होती है, चूंकि यह सबसे बड़ा प्रदेश है । यहां जनता को जो परेशानी होती है, जो उसकी चिन्ता होती है उसका माहौल पूर देश में जाता है । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और उनका यह फर्ज बनता है कि यहां की कानून व्यवस्था ठीक रहे तो मान्यवर, यह भी उन्हीं का फर्ज बनता है ।

इस देश और प्रदेश में रहने वाली जनता, जो पुलिस के अत्याचार से जो पुलिस के गैर कानूनी तरीके से मारी जाती है, वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी जनता है । उसकी परेशानी भी आपको होनी चाहिए । मान्यवर, सेक्शन 26 (8) सी०आर०पी०सी० पुलिस को यह अधिकार नहीं देती है कि वह किसी भी आदमी को चाहे उसका नाम एफ०आई०आर० में आ गया हो, जबर्दस्ती उसको मार-पीटकर बन्द करें । यह अधिकार आपको नहीं देती है । इस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20-7-98 को अपने एक बयान में कहा कि मुझे तो यह कहना है कि लिक्विटेड कर दिया जाए, आदमी जान से मार दिया जाए, यही वक्तव्य विधान सभा में दिया । उसका नतीजा यह नहीं निकल पाया कि बदमाश, हत्यारे मारे गए, क्योंकि आपका हुकुमनामा जारी हो गया था इसलिए पुलिस ने बेकसूर लोगों को मार दिया ।

मान्यवर, हापुड़ में 8 जुलाई, 1984 को 14 साल के बच्चे सुनील को पुलिस ने मार दिया और कहा कि यह बहुत बड़ा बदमाश है, इसका नतीजा यह हुआ कि उसका बाप सदमा नहीं सहन कर सका और दो दिन बाद दस जुलाई को वह भी मर गया है । मान्यवर, मुजफ्फर नगर में जानसठ के अन्दर लालपुर गांव के पास 25 जुलाई, 1998 को पांच मुसलमान लोग जो मेरठ के रहने वाले थे और बेकसूर थे और शादी में जा रहे थे उनको जानसठ की पुलिस ने मो० सलीम नफीस, महमूद, नन्हें फारूक को मार देते हैं चिन्ता नहीं होती है इस सरकार को, मान्यवर, जिला यूथ, जिला नौजवान रामकिशन की हत्या 31 जुलाई को हो जाती है इन लोगों को जो इसी प्रदेश के रहने वाले हैं जो मुलजिम भी नहीं है, आम आदमी की हत्या इस तरह होती है तो कानून का कौन सा राज्य यहां चल रहा है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से अपने बजट को रखा और बजट में स्पीच दी, जोर-शोर के साथ कहा हमने शिया-सुन्नी विवाद को खत्म कर दिया । हमने जो सालों से विवाद था उसको खत्म कर दिया । लेकिन आपने यह नहीं बताया, बताना यह चाहिए था कि मारूफ आदमी मौलाना अली मियां के घर छापा डलवाया । सिर्फ यही नहीं मुख्य मंत्री जी खुद और बड़े नेता वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है इस तरह से जब परेशान करेंगे तो कौन सा कानून चला रहे हैं । कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, बड़े शर्म की बात है, अफसोस का मकाम है, राज्य सभा के अन्दर 21 जुलाई, 1958 को बहस होती है और उसके अन्दर यह कहा जाता है कि ह्यूमैन राइट की चीज, मानवाधिकार की चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है ।

इस पर बहस होती है । मान्यवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी है उसके अन्दर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से नीचे है जहां पुलिस उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, मैं यह कहना जरूरी नहीं समझ रहा हूं कि इस समय वहां पर किसकी सरकार है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहां पर यह दावा करते हैं कि हमने अपने प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त कर दिया उन्होंने अपने हुकुमनामें में यह कहा है कि सारे व्यवस्थाएं ठीक कर दी गयी तो यह गलत कह रहे हैं । मैं आकंड़े दे रहा हूं ।

मान्यवर, डकैती–1997 में 636 जबकि 1998 में 803 हुई । लूट–1997 में 3553 जबकि 98 में 3890 हुई, हत्या–1997 में 6834 हुई जबकि 98 में 7400 हुई, बलात्कार 1997 में दो सौ से ढाई सौ तथा अब बढ़करके 500 हो गये हैं । तो यह सारे आंकड़े बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है । अगर यही तरीका रहेगा तो कैसे प्रदेश में उद्योग आयेंगे । आपके यहां उद्योग भाग गये नोएडा से भाग गये क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था खराब है । क्रोनियन नहीं बचा । 20 साल हो गये हैं । सारा पैसा सरकार ने लगा दिया लेकिन उद्योग नहीं कोई लगाना चाहता है । मान्यवर, एक ही उद्योग चल पायेगा वह है अपहरण उद्योग ।

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कहकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा पुलिस का एक इन्स्पेक्टर जिले के एस०एस०पी० और उसी क्रम में लेकर आई०जी० का ट्रांसफर करा दें । मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अगर चाहें तो बता सकता हूं तो एक इन्स्पेक्टर अगर ट्रांसफर कराता है तो फिर कैसे चल पायेगा और यह अभी 15 दिन पहले हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने गृह और सामान्य प्रशासन का जो अपना बजट रखा है । मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय हमारे तमाम साथियों ने अपने-अपने ढंग से चर्चा में भाग लिया और विशेषकर आरोप प्रत्यारोप में चर्चा पर ध्यान केन्द्रित किया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेते हुए सबसे पहले जो संकल्प लिया था कि हम कानून का राज कायम करेंगे, हमें यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब से माननीय मुख्य मंत्री जी कल्याण सिंह जी ने कुर्सी संभाली है जो उन्होंने वायदा किया था कि कानून का राज होगा तो वह वायदा उन्होंने पूरा किया है आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है । हमारे तिवारी जी सुझाव दे रहे थे । हमने तिवारी जी का जमाना देखा है । हमने यह देखा कि कल्याण सिंह जी की पहले की सरकार थी, हमारे साथ जिक्र कर रहे थे ।

आज साथियों को काफी तकलीफ हो रही है लेकिन याद करिये । जब इस प्रदेश में उनकी सरकार थी । हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया गया किस तरह से लोकतंत्र के स्तम्भों न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता पर हमला हुआ । बलिया के एस०पी० के टेलीफोन का आपने जिक्र किया, बलिया जनपद में कितने थाने आते हैं, उस थाने की बिल्डिंग का कब्जा कर लिया गया । मान्यवर, कोई शहर नगर नहीं था जहां सरकारी दफ्तरों पर कब्जा न कर लिया गया हो । जिस तरह से न्यायपालिका का अपमान हुआ है, रामपुर तिराहे पर घटना हुई किसी की इज्जत बचना मुश्किल था ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आक्षेपात्मक बात करना उचित नहीं है । हमारे नेता क्या चाहते हैं यह आप नहीं समझ पायेंगे । अखबार वालों के खिलाफ वह कभी नहीं रहे ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया । जब वर्तमान सरकार के मूल्यांकन की बात है तो पूर्व सरकारों के मूल्यांकन की बात भी होनी चाहिए । अफसोस है कि जितने आदर्श की बात सदन में की जाती है एक थाने की जमीन की बात हमारे उस साथी पर जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बार-बार आरोप प्रत्यारोप की बात दुहरा रहे हैं । जिस सरकार के यह पिट्ठू हैं वह सरकार ऐसा कोई मामला है तो उसकी तहकीकात में जाने की कृपा करें ।

श्री राजधारी–

हमारे साथियों ने कई माफियाओं का जिक्र किया । हमारे सदन में कुछ भाषण माफिया भी हैं जिससे मुझ जैसे नये सदस्य को बोलने में दिक्कत होती है । वह केवल अपनी ही बात कहना चाहते हैं जहां एक तरफ माफिया मुक्त करने का संकल्प लिया गया है ।

सदन में भी भाषण माफियाओं पर अंकुश लगाये और मुझ जैसे अकिंचन नये सदस्य को सम्बल प्रदान करें । हमारे मौर्य जी यहां पर नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं, जब बहन मायावती मुख्य मंत्री थीं, जिस तरह से ट्रांसफर को उद्योग बनाया गया, जिस तरह निगमों में ट्रांसफर किये जाते थे और मेज पर ही नियुक्ति वापस कर दी जाती थी, वह भी जमाना हमने देखा है । हमारे मौर्य जी आ गये हैं, जब से कल्याण सिंह की सरकार आई है ...

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर–दोनों पक्षों की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

माननीय मौर्य जी हमारे बड़े भाई हैं, वह जो भी बात कहते हैं, बड़े गुस्से से कहते हैं । हम लोग पूरी बात सुन नहीं पाते हैं, मैं भी समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब इसकी पार्टी की हुकूमत थी ..

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजधारी जी की बात पूरी हो जाने दें ।

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मौर्य जी बहन मायावती के साथ रहते हैं और मायावती जी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं । यह लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं । पता नहीं इनकी नेता और इनकी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, क्या उसका व्यवहारिक स्वरूप है, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि यह जब उनके सामने जाते हैं तो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, यही मनुवादी व्यवस्था का विरोध है ।

(दोनों ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सामाजिक परिवर्तन का मतलब समझते होते, तो यहां बैठते, वहां नहीं चले जाते । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप आकर वहां देख लीजियेगा कि आपको कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है या नहीं ।

श्री राजधारी–

हमें प्रसन्नता है कि हमें अपनी पार्टी में बुलाने का इन्होंने काम किया । बहन मायावती इनको सम्मान देती हैं तो हम भी विचार करेंगे । हमारे समाजवादी पार्टी के साथी यहां बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी बैठे हैं, इस मुद्दे पर काफी तालमेल के साथ इन लोगों ने अपनी बात कही । जब मुलायम सिंह यादव का शासन था और मायावती जी के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में तांडव नृत्य हुआ, उस समय भाजपा के लोगों ने ही इनकी जान बचाई थी और कानून व्यवस्था कायम करने का काम किया था मान्यवर, जब से मुख्य मंत्री जी आये हैं तब से जो हमारे प्रदेश में पहले दंगा राज था उसे समाप्त करके मुख्य मंत्री जी ने कौमी एकता और हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का काम किया है । प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश और देश में कौमी एकता को कायम करने का काम किया है जिससे कांग्रेस के लोग घबड़ाये हुये हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में बहुत सारी घोषणायें की हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बराबर कहते आये हैं कि उनके शासन में आने के बाद प्रदेश में कानून का राज कायम हो गया है, उत्तर प्रदेश में समाज भयमुक्त हो गया है और पूरा प्रदेश दंगारहित हो गया है तथा सामाजिक समरसता में जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय में बिखराव आया था उसे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने दूर करते हुए आज प्रदेश में सामाजिक समरसता कायम कर दिया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके कथन का मूल्यांकन में उनकी सरकार की उपलब्धियों के जरिये करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि भयमुक्त समाज का और कानून के राज का जो आपका संकल्प है और जिस एजेन्सी की भयमुक्त समाज को बनाने में मुख्य भूमिका है उसके सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद अब तक के कार्यकाल में कानून का राज्य और भयमुक्त समाज बनाने के लिए जो पहला शानदार काम किया उसको मैं सदन को बताना चाहता हूं मा० मुख्य मंत्री जी ने पुलिस विभाग में 3 आई०पी०एस० अधिकारियों की वरिष्ठता को पीछे ढकेलते हुए श्री के० एल० गुप्त को पुलिस महानिदेशक के पद पर बैठा दिया और जिस आई०पी०एस० अधिकारी को आपने आज पूरे प्रदेश के पुलिस की बागडोर दिया है उसका गलत असर यह हुआ है कि प्रदेश की पुलिस का मनोबल इस गलत फैसले से गिरा है । श्रीमन् मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में विगत अप्रैल 1997 से अप्रैल 1998 तक जितने स्थानान्तरण आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के हुये हैं, उतने कभी नहीं हुये हैं । इस अवधि में जितने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण माननीय मुख्य मंत्री जी के शासनारूढ़ होने के चन्द महीनों में किये गये हैं, वह एक अपने में कीर्तिमान है । मान्यवर, 2/3 आई०ए०एस०, आई०पी०एस० अधिकारी बदल दिये गये । 260 आई०पी०एस० और 295 आई०ए०एस० अधिकारी स्थानान्तरित कर दिये गये । इसके पीछे राजनैतिक भावना है प्रशासनिक सुधार का कोई मकसद नहीं है । तबादलों को लेकर चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात करते हैं । अगर आपने यह कार्यवाही साफ मन से की होती, तो उसकी उपलब्धियां आप के सामने होती ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जनपद मैनपुरी में एक अपराधी जिस पर 4 दर्जन से अधिक अपराधिक मामले हैं, उसको वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सांसद ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और आप के निर्देश पर जब वहां पर पुलिस ने टाप 10 की सूची बनायी तो उसमें उसका नाम भी था और इस कारण तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ब्रजराज मीणा ने उस के घर पर छापा मारा, उसने पुलिस अधीक्षक पर धावा बोल दिया और पुलिस अधीक्षक पर गोली चलायी, आप इसकी समीक्षा कर लें । मान्यवर, इसको मा० सांसद महोदय ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और उस पुलिस अधीक्षक को 24 घन्टे के अन्दर मैनपुरी से स्थानान्तरित करवा दिया । और उसे सी०आई०डी० में भेज दिया गया । ऐसे ईमानदार अधिकारी को एक महत्वहीन पद पर भेज दिया । पुलिस विभाग में जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको आप दंडित करेंगे और कहेंगे कि भय का राज्य समाप्त कर रहे हैं और कानून का राज्य स्थापित कर रहे हैं । हमारे मित्र मा० कौकब हमीद जी ने कहा, आपके शासन में आने के बाद जो दुर्व्यवस्था है, आप यहां भी देख लें कि चन्द महीनों की हुकूमत की उपलब्धियां क्या हैं ? प्रदेश में जिन लोगों की पुलिस हिरासत में जानें गयी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई पुलिस व्यवस्था के चलते पुलिस जुल्म से सर्वाधिक मौते हुई हैं । उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन की 45 प्रतिशत घटनायें पुलिस उत्पीड़न से हुई हैं । मान्यवर, मैं उन आरोपों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, 2-3 मिनट और दे दो । मान्यवर, मै आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था के मामले में मेरे पूर्व कुछ मा०सदस्यों ने कुछ कहा तो उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने एतराज किया । आज जो पार्टी उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रही है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान् ठाकरे साहद जो कि 5 जुलाई 99 को लखनऊ प्रवास के दौरान आये थे, ने इस बात को कबूल किया था कि राजनीतिक बाध्यता के चलते कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग सरकार में रखे गये है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग के आंकड़े बताने में परहेज किया । मा० मुख्य मंत्री जी जब आप अपनी कोई बात स्थापित करना चाहते है तो आप आकड़ों का सहारा लेते है आंकड़ों का प्रयोग करते है और आज आपने आंकड़े इसलिये नहीं बोले क्योंकि आज आंकड़ों से आपकी पोल खुल जाती ।

मान्यवर, मैं कुछ आंकड़ें प्रस्तुत करना चाहता हूं । वर्ष 1998 में डकैती में वृद्धि हुई 26 प्रतिशत, लूट में वृद्धि हुई 27 प्रतिशत और हत्या में वृद्धि हुई 9 प्रतिशत । श्रीमान् यह सारे आपके अब तक के कार्यकाल में अपराध के क्षेत्र में वृद्धि हुई और यह आंकड़े आपकी चुस्त-दुरूस्त कानून व्यवस्था की पोल खोलते हैं । मान्यवर, मैं नेता विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कहते है, उस पर जरा चिन्तन-मनन कीजिये । आज पूरे प्रदेश में भय का वातावरण है और गम्भीर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । हमारे वरिष्ठ सदस्य और विपक्ष के नेता श्री अम्बिका चौधरी जो जैक आफ मास्टर आफ वन है ने एक बात कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उच्च पदों पर जो नियुक्तियां की है वह सब जातीय आधार पर की है और उदाहरण दिया डी०आई०जी० का, मण्डलायुक्त का, डी एम का, एस एस पी का । मान्यवर, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों ने देश और प्रदेश को जितना

पीछे दिया है । वास्तविकता यह है कि जाति के आधार पर जो राजनीति की गई है पिछली सरकारों के द्वारा उसी का परिणाम है कि आज देश और प्रदेश काफी पीछे हो गया है । मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी नियुक्तियां की है वह जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर की है ।

हमारे सम्मानीय नेता श्री प्रमोद कुमार जी का मुंगेरीलाल का सपना जो मुख्यमंत्री बनने का था पूरा नहीं हो पाया है । वह अपने दल को नहीं बचा सके । उन्होंने इसी सदन में कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन की सजा काटी है । तो मैं इस संदर्भ में उनसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है और हमारी पार्टी को भी इस बात का गर्व है कि हमने अपने रामलला के मंदिर के लिए सजा काटी है । अगर राम के मंदिर की खातिर एक नहीं कई बार भी अगर जेल जाना पड़ा तो हम पूरे दल के साथ नेता मा० मुख्य मंत्री का साथ देंगे । माननीय प्रमोद कुमार जी ने अभी सदन में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री सबसे भयग्रस्त हैं । इतनी जो ये गोपनीय खबर है यह तो उसी व्यक्ति के पास होगी जो मुख्य मंत्री जी के ज्यादा करीब होगा और उसको रायल ही कहा जायेगा और रायल या तो मनुष्य ज्यादा होता है या जानवर । मैं समझता हूं जानवर ही ज्यादा लायक होता है ।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार–

तब तो फिर मैं सबसे ज्यादा रायल माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जी को ही मानूंगा क्योंकि वही इस समय मुख्य मंत्री जी के ज्यादा करीब है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गृह विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए । विपक्ष की ओर से ये आंकड़े आए कि डकैतियों की संख्या मान्यवर, बढ़ गयी, चोरियों की संख्या बढ़ गयी, हत्याओं की संख्या बढ़ गयी । यह विपक्ष के लोगों ने कहा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ में कहा था कि हमारी सरकार के आने से पहले एफ०आई०आर० नहीं लिखी जाती थी, लेकिन मुख्य मंत्री जी का शासन आने के बाद पूरे प्रदेश में यह निर्देश गया कि अब एफ०आई०आर० लिखी जायेगी । एफ०आई०आर० लिखे जाने के कारण ही आंकड़े बढ़ गये, मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में कुछ माफिया तो ऊपर चले गये और कुछ जेलों में बन्द हैं और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के पीछे पूरा दल है, इस प्रदेश में जो कुछ माफिया अगर बचे हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे वह पनप न सकें । अब मैं अपने जनपद आजमगढ़ जो आई०एस०आई० में चिन्हित है, 23 जनपदों में वह जनपद भी है । आजमगढ़ जनपद आई०एस०आई० के अन्तर्गत तो चिन्हित है लेकिन वहां बहुत कम पुलिस कर्मचारी है, वहां केवल 25 थानों के सापेक्ष 1 हजार कर्मचारी हैं, वहीं मऊ जनपद में 11 थानों की तुलना में अधिक 764 पुलिस कर्मी हैं । तथा बलिया में 22 थानों के सापेक्ष 1020 पुलिस कर्मी हैं मैं आग्रह करूंगा कि आजमगढ़ में पुलिस कर्मचारियों की और अधिक नियुक्ति की जाये इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कल्याण सिंह जी को जब 1991 में मुख्य मंत्री थे, तब भी मैंने इनको सुना और आज 1999 में भी मैंने कल्याण सिंह जी को सुना । मान्यवर, जमीन-आसमान का फर्क है । यही कल्याण सिंह जी दमखम के साथ कोई बात कहते थे ।

लेकिन आज एक मजबूर इन्सान लगते हैं । मजबूर इन्सान इसलिये लगते हैं कि समझौता करके उन्होंने कुर्सी तो हासिल कर ली । मान्यवर, मैं महात्मा गांधी की बात उनको याद दिलाना चाहता हूं "कोई मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता पाक-साफ होना चाहिए ।" आपने कुर्सी तो हथिया ली, सरकार बना ली, मुख्य मंत्री का पद भी हासिल कर लिया । लेकिन जो रास्ता आपने हासिल किया वह दल बदल का रास्ता, वह अपवित्र रास्ता है । मान्यवर, इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश में जो आप दुहाई देते हैं स्वच्छ प्रशासन की और भयमुक्त समाज की वह नहीं बन सकता है । इन दलबदलूओं को बैठाकर भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं वह नहीं हो सकता है । यह दलबदलू आपके साथ जब तक मौजूद हैं तो उसका असर भी आप पर पड़ेगा । आपको मेरी बात बुरी लग रही है । जो लोग दल-बदल कर आपके साथ गये हैं ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

आप कितने दलों में गये हैं यह भी बता दीजिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरी बात पर गुस्सा आना स्वभाविक है । आज जो भयमुक्त समाज तो है नहीं । आज राज भवन के सामने दिन दहाड़े जेलर की हत्या हो गयी । यह आपके इकबाल की बुलन्दी को बताता है । आपका इकबाल आज समाप्त हो गया है । आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लें और मंत्रियों से अपनी पीठ थपथपवा लें । आप भेष बदल कर किसी गांव या शहर में चले जायं तो पता चलेगा कि लोग अपने को कितना असुरक्षित महसूस करते हैं और भयाक्रान्त हैं । जिस दलदल में आप फंस गये हैं उससे आप उबर नहीं सकते हैं । माननीय कल्याण सिंह जी ने आज गृह विभाग का बजट रखा है मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि आपने स्पेशल टास्क फोर्स बनायी आज जो आपकी व्यवस्था चली आ रही है आपका जो पुलिस एक्ट है वह 1861 का है ।

इस पुराने एक्ट से 1999 में आप पुलिस में अनुशासन कायम नहीं रख सकते हैं । वर्ष 1902-1903 के बीच पहला पुलिस कमीशन बनाया गया था और उसने तमाम संस्तुतियां की थीं । यह पुलिस इसलिए बनायी गयी थी कि अंग्रेजों के समय में कि उनकी साम्राज्यवादी व्यवस्था आगे बढ़ती रहे और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कुचलने के लिए यह पुलिस बनी थी लेकिन आज वह नजरिया नहीं रहा आज पुलिस में तब्दीली करनी चहिए । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले 1855 में मद्रास में पुलिस कमिश्नर बनाया गया था । उसके बाद बाम्बे, कलकत्ता में बनाया गया । पश्चिम के देशों और अन्य प्रगतिशील देशों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है । लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू काश्मीर में वही पुरानी व्यवस्था चली आ रही है । एक कलेक्टर का क्या काम है ला-एण्ड-आर्डर से । आप पुलिस को अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं और पुलिस द्वारा तमाम आतंकवादियों से और तमाम शातिर अपराधियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पुलिस को आपको अधिकार देना होगा । यह जो एस० टी० एफ० है एक पेबन्द लगाने का काम आपने किया है । मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आपको मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना चाहिये और परिवर्तन करने के लिये हिम्मत होनी चाहिये । मुझे याद है 1977 में चौधरी चरण सिंह जी ने दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में धर्मवीर कमीशन भी बनाया गया था उसकी रिपोर्ट 1989 में आयी लेकिन मुझे दुःख है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही आपने यह विचार भी किया कि इसमें कोई तब्दीली करके एक ऐसी फोर्स तैयार की जाये जिससे कि आप आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके । आपने बहुत बातें की कि दंगे नहीं हो रहे हैं । आपके लोगों ने पीठ थपथपायी कि शिया-सुन्नी का दंगा नहीं हुआ, जब आप

विरोध में थे तो कितने दंगे हो रहे थे, अब हम विरोध में हैं तो दंगे नहीं हो रहे हैं । इससे यह जाहिर होता है कि जब आप विरोध में होते हैं तो दंगे ज्यादा होते हैं, यह दंगा कौन करवाता है ।.....

(श्री केशो मेहरा द्वारा कुछ बोलने पर व्यवधान/शोर) एक आंकड़ा पढ़ करके अपनी बात ख़त्म करूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो यह चाहता हूं कि आप विरोध में ही बैठे रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० हुकुम सिंह जी आप सत्ता के मद में बैठे हो, आपको लग रहा है कि कुर्सी कभी जाने वाली नहीं है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अबकी जब चुनाव होगा तो आप देख लीजियेगा कि आपके खाते में कितने सीटें आती हैं और फिर उधर बैठना नसीब नहीं होगा । चूंकि सामान्य प्रशासन पर भी चर्चा है इसलिये एक आंकड़ा पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा । बड़ा आरोप लगाया गया और गृह विभाग की बात यह कहकर खत्म कर दी गयी कि आपने कह दिया कि एफ० आई० आर० दर्ज किया जाये इसलिये अपराध ज्यादा बढ़ गये हैं । आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसरों के ट्रांसफर के बारे में जब माननीय मुलायम सिंह जी थे 4 दिसम्बर, 1993 में 207 आई० ए० एस० अफसरों के ट्रांसफर हुये और 197 आई० पी० एस० अफसरों के ट्रांसफर हुये । 1995 में जब मायावती जी थी तो 193 आई ए० एस० और 193 आई० पी० एस० के ट्रांसफर हुये, जब राष्ट्रपति शासन था तो 189 और 172 और फिर जब कल्याण सिंह जी हुये तो 287 और 249 अफसरों के ट्रांसफर हुये । यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया और किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं स्थापित किया । उसके बाद भी आप कहते हैं कि वर्क कल्चर से शासन चला रहे हैं, कानून का राज चला रहे हैं । यह आपको ही मुबारक हो यह ज्यादा दिन आंकड़ों से आपकी सरकार चलने वाली नहीं है । इसी के साथ मैं नेता विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 1999-2000 के सामान्य प्रशासन के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० उपाध्याय जी आप बैठ जायं । अब यह चर्चा जारी रहेगी । माननीय अध्यक्ष जी के यहां आज सभी को निमंत्रण में जाना है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव ले आये । श्री रामवीर जी आप कल अपनी बात रख लें । यह चर्चा जारी रहेगी । क्योंकि मा० अध्यक्ष जी के यहां सभी का निमंत्रण है ।

श्री राम नक्षत्र सदस्य, विधान सभा की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी और ससम्मान रिहाई की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मुझे सदन को सूचना देनी है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर, लखनऊ ने अपने फैक्स संदेश दिनांक 23 मार्च, 1999 में सूचित किया है कि श्री राम नक्षत्र सदस्य, विधान सभा (पडरौना) को आज दिनांक 23 मार्च, 1999 को मध्यान्ह 12.35 बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15/107/116 के अन्तर्गत विधान भवन के सामने गिरफ्तार किया गया और उन्हें दोपहर 1.45 बजे ससम्मान रिहा कर दिया गया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — प्रदेश में उत्तरांचल के भावरी क्षेत्र में राजकीय नलकूपों के रख-रखाव की व्यय सीमा रु० 35000/– प्रति नलकूप प्रतिवर्ष किये जाने के संबंध में ।

(2) श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत श्री शोभा पाण्डेय द्वारा कथित रूप से क्षेत्र में आतंक फैलाये जाने तथा कई व्यक्तियों पर प्राणघातक हमला व लूटपाट किये जाने के बावजूद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(3) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद सन्त रविदासनगर में अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

(1) श्री भोला शंकर मौर्य — जपनद बदायूं में साक्षरता अभियान के घोटाले की जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन के दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी न किये जाने के संबंध में ।

(2) श्री मूलचन्द — प्रदेश में विशेषतः जनपद बिजनौर में अनियमितताओं के कारण राशन की दुकानों को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप संबंधित उपभोक्ताओं को दूरस्थ राशन की दुकानों से सम्बद्ध किये जाने से जन-सामान्य को हो रही कठिनाइयों के संबंध में ।

(3) श्री सौलत अली एडवोकेट — मुरादाबाद नगर में प्रदूषित जल के कारण पीलिया रोग के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(4) श्री दीपक कुमार — जनपद उन्नाव में श्रम विभाग द्वारा कल कारखानों में कार्यरत हजारों मजदूरों के साथ श्रम कानून का पालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) डा० कौशल किशोर — प्रदेश में पी०सी०एफ० में सरकार द्वारा अनियमित रूप से प्रोन्नति किये जाने के संबंध में ।

(2) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां स्थित जमुनीपुर अनुगवां (मोढ़) में पानी की टंकी से जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(3) श्री इन्द्रजीत सरोज — जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही धांधली तथा मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(4) श्री अजय कुमार पोइया — प्रदेश में विशेषतः जनपद मथुरा में नागरिक सुरक्षा संगठन के अन्तर्गत जांचोपरान्त भर्ती किये जाने तथा उप-नियंत्रक के पद पर सीधी नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

(5) श्री उदयराज यादव — उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग का कार्य दिखवाकर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किये जाने के संबंध में ।

(6) श्री मुश्ताक सोलंकी — उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर में बिना पद के वर्षों से कार्य कर रहे अधिकारी द्वारा लाखों रुपया अवैध वेतन के रूप में अर्जित करने के संबंध में ।

(7) श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल — जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां के ग्राम भक्तामाफी में चकबन्दी कार्य शीघ्र निस्तारित कराकर धारा–52 का प्रकाशन कराये जाने के संबंध में ।

(8) श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में बड़े-बड़े फैक्टरी मालिकों द्वारा बन्द पड़ी फैक्टरियों के बावजूद कोयले में करोड़ों रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सरकार के साथ धोखा-धड़ी कर कोयले की ब्लैक मार्केटिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(9) श्री विजय पाल सिंह — प्रदेश में विशेषतः जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत खाद्यान्न, मिट्टी का तेल व चीनी के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा अधिकारियों व राशन दुकान मालिकों द्वारा की जा रही मनमानी व भ्रष्टाचार के संबंध में ।

(10) श्री दद्दू प्रसाद — प्रदेश में पशुपालन विभाग के सेवा-निवृत्त अधिकारियों के अवशेष देयों के भुगतान में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

शेष सदस्यों श्री रामचन्द्र यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री हरदेव सिंह, श्री तेजभान सिंह, श्री राम प्यारे सिंह, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री मुन्ना चौहान, श्री रामजग, श्री जगन प्रसाद गग, श्री श्रीराम यादव, डा० रामबाबू हरित, श्री रमेश राही, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राजेन्द्र यादव, श्री लालमणि प्रसाद, श्री दीप लाल भारतीय, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री राम पाल सिंह, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री कृपा शंकर सिंह, श्री राजा राम पाल, श्री भगवती प्रसाद, श्री छोटे लाल राजभर की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत खारी नदी पर मोरी चकोरा चैक डैम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में श्री बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। आगरा जनपद के विकास खण्ड अछनेरा में वर्ष 1991-92 में क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर गिरने के फलस्वरूप पेयजल तथा सिंचाई के जल की गम्भीर समस्या के स्थायी निदान को दृष्टिगत रखते हुए, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा द्वारा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में स्थित खारी नदी के मोरी चकोरा घाट पर चैक डैम (जल संचयी बांध) बनाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 16-11-1991 को मु० 29.80 लाख रुपये की प्रदान की गयी थी । जिसके विरुद्ध अभिकरण के विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिनांक 6-12-1991 से दिनांक 1-9-1992 के मध्य कुल 29.00 लाख रुपये की राशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को उपलब्ध कराई गई । उक्त स्वीकृत कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया ।

परियोजना की उपयोगिता एवं औचित्य के परीक्षण हेतु तकनीकी परीक्षण किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 9 सितम्बर, 1992 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा को पत्र लिख कर निर्माणाधीन कार्य को रोके जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया गया । शासन स्तर पर ग्राम मोरी में खारी नदी पर बंधा निर्माण के औचित्य पर तकनीकी दृष्टि से अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेशक, भूगर्भ विभाग एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग की संयुक्त आख्या मांगी गयी जिस पर संयुक्त आख्या दिनांक 22-12-1992 को प्रेषित की गयी जिसमें योजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व अपना निम्न मत दिया :–

1–इस योजना के प्रोटेक्शन वर्क्स आदि हेतु पूर्ण सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् परिकल्प एवं प्राक्कलन आदि तैयार किये जायें ।

2–रीचार्ज हेतु भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये जायं कि वे इस क्षेत्र का हाइड्रोलाजिकल एवं अन्य आवश्यक सर्वेक्षण करके भूमिगत रीचार्ज की मात्रा के बारे में अनुमान बतायें जिससे इस योजना को पूर्णतः आंका जा सके ।

3–इस योजना से भूमिगत रीचार्ज के साथ-साथ-आस पास के क्षेत्रों में होने वाली सिंचन क्षमता का भी आंकलन कर लिया जाये ।

इसके अतिरिक्त बांध परियोजनाओं पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग की तकनीकी आख्या भी मांगी गयी । मुख्य अभियन्ता, परियोजना, विश्व बैंक, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 29-3-1995 द्वारा आख्या प्रेषित की, जिसमें निम्न निश्चय अंकित किये गये :–

1–जल संचयी बांध की ड्राइंग एवं डिजाइन खारी नदी के अधिकतम बहाव को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त नहीं है ।

2–वर्तमान संरचना नदी की अधिकतम बहाव के लिये सुरक्षित नहीं है और इस सुरक्षा हेतु उपाय, एक्जीक्यूटेड ड्राईंग तथा अन्य मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने पर प्रस्तावित किये जा सकते हैं ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–बाढ़ के कारण बांध के प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त होने एवं सिंचाई विभाग से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति संदिग्ध रहेगी ।

सिंचाई विभाग की तकनीकी आख्या पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता से आख्या मांगी गयी । निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 25-4-1998 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश की संस्तुति दिनांक 3-3-1998 संलग्न कर प्रेषित की गयी जिसमें निम्न संस्तुति अंकित की गयी :–

''परियोजना के निर्माण में एक विकल्प ही अवशेष दिखाई देता है कि समस्त रिपोर्ट तथा अभिलेख सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराते हुए कार्य यथावत स्थिति में सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित किया जाये जिससे वे प्रापर डिजाईन के साथ धनराशि के आंकलन/व्यवस्था कर जल सुविधा के अनुसार कार्य पूर्ण करायें ।''

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से प्राप्त उक्त संस्तुति के परिपेक्ष्य में उपरोक्त तकनीकी आख्याओं को संलग्न करते हुए परियोजना की पुनर्सर्वेक्षण एवं पुनर्संरचना कराने तथा अब तक किये गये कार्य को यथास्थिति में सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित करते हुए प्रश्नगत बांध का निर्माण सिंचाई विभाग से करवाने पर विचार करने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा को लिखा जा रहा है ।

जहां तक इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया है कि इस कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को दिनांक 6-12-1991 से दिनांक 1-9-1992 के मध्य कुल मु० 29.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को उपलब्ध कराई गई धनराशि के विरुद्ध कार्य रोके जाने तक मु० 17.77 लाख रुपये की धनराशि निर्माण सामग्री के क्रय तथा निर्माण कार्य पर व्यय की गयी । अवमुक्त धनराशि मु० 29.00 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध 17.77 लाख रुपये को घटाते हुए अवशेष राशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2766, दिनांक 4-1-1993 के माध्यम से अन्य कार्यों पर स्थानान्तरित कर दी गयी ।

उपरोक्त उल्लिखित धनराशि मु० 17.77 लाख रुपये जिसके सामग्री क्रय एवं निर्माण पर व्यय होने की बात कही गयी है पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आगरा एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रा० अ० से०, आगरा से आख्या से प्राप्त की गयी जिसके अनुसार 8.36 लाख रुपये की सामग्री जो कार्य में प्रयोग होने के पश्चात् एम० ए० एस० (मैटेरियल एट साइड) में शेष बच गयी थी अवर अभियन्ता अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवशेष सामग्री का चार्ज न दिये जाने के कारण सामग्री के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 1-7-1996 को दर्ज कराई गई । संबंधित अवर अभियन्ता को उक्त शासकीय वित्तीय क्षति हेतु पूर्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के क्रय में निलम्बित करते हुए अनुपूरक आरोप पत्र दिया जा रहा है । ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के निर्णयों को लागू किये जाने तथा एक अरब रुपये की विकास निधि स्थापित किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ माननीय विधायकों की दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 को हुई बैठक के निष्कर्षों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी की मांग व निर्णयों को लागू किये जाने तथा एक अरब रु० की विकास निधि स्थापित किये जाने के संबंध में ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिये दिनांक 5-10-1998 को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय विधायकों की बैठक हुई थी । बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है । समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर निर्णय विचाराधीन है । ।

विकास खण्ड–मसौधा, जनपद फैजाबाद में असेवित विकास खण्ड में निजी प्रबन्धतंत्र के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चांदपुर, हरबंश की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। विकास खण्ड मसौधा, जनपद फैजाबाद में असेवित विकास खण्ड में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा कन्या विद्यालय खोले जाने हेतु 1994-95 में डा० अम्बेडकर बालिका उ० मा० विद्यालय चांदपुर हरबंश को स्वीकृत कर अनुदान दिया गया । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव 1996 में शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया परन्तु अभी तक उक्त विद्यालय को भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण उक्त विद्यालय की स्थापना नहीं हो पा रही है । जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों के सहयोग से कन्या हाईस्कूलों/इण्टर कालेजों की स्थापना नामक योजना प्रारम्भ की गई, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश संख्या–1201/15-8-94/3009(5)/94, दिनांक 21 सितम्बर, 1994 द्वारा जारी किये गये, जिसके प्रस्तर–2 "निजी प्रबन्धतंत्र को स्कूल स्थापित करने के लिए ग्राम समाज की भूमि, जो एक एकड़ या उससे अधिक होगी, निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी । जहां गांव समाज की भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां नियमानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जायेगी" व्यवस्था की गयी है । उसी व्यवस्था के अनुसार शासनादेश संख्या–595/15-8-95/3007 (90)/95, टी०सी० दिनांक 31 मार्च, 1995 द्वारा कुल सात विकास खण्डों में कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके क्रमांक–4 पर प्रश्नगत विद्यालय का नाम है ।

2 — उक्त विद्यालय की स्वीकृति के पश्चात् जिलाधिकारी, फैजाबाद ने पत्र संख्या–706/भूमि०व्यव०/कन्या विद्या–चांदपुर/97, दिनांक 9 मई, 1997 द्वारा ग्राम चांदपुर, हरबंश में शिक्षा विभाग के खाते में दर्ज 59 बीघा भूमि में से गाटा संख्या–84 से 94 तथा गाटा संख्या–99, जो एक ही स्थान पर स्थित है और जिसका कुल रकबा 2.08 एकड़ है, को प्रश्नगत विद्यालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का शासन से अनुरोध किया । इस संबंध में शासनादेश संख्या–1851/15-8-96/3007(15)/96, दिनांक 31-7-96 में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के संबंध में शर्तें/प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–258/16(1)/73, दिनांक 16 जून, 1981 तथा शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है । राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 9 मई, 1984 में पुनः शासनादेश संख्या–1695/91–1–1(60)/93–280–रा०–1, दिनांक 12-9-97 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है । राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 9 मई, 1984 के प्रस्तर–2 (6) में निम्नवत् व्यवस्था है :–

"प्राइवेट् व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों को गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्रामवासियों को सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि के आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो । प्राइवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी और उनसे वर्तमान दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराया जायगा तथा नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के दो गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही भूमि पट्टे पर दी जायेगी ।"

3—उक्त शासनादेश को पुनः शासनादेश दिनांक 12-9-97 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसका प्रस्तर–2 निम्नवत् है :–

"इसी प्रकार उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–(6) में प्राइवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों को गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा सरकारी भूमि के लिए वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के दो गुने के स्थान पर 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ही भूमि पट्टे पर दी जायेगी ।

4—शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 1994 में दो विकल्प दिये गये हैं :–

(1) निजी प्रबन्धतंत्रों को विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि जो एक एकड़ या उससे अधिक होगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी ।

(2) जहां ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां नियमानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जायेगी ।

4—चूंकि प्रश्नगत संस्था ग्राम समाज की भूमि के बजाय राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि को प्राप्त करना चाहती है, अतः राज्य सरकार की भूमि उन्हें राज्य सरकार की शर्तों पर ही उपलब्ध करायी जा सकती है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की शर्तों को माने बिना प्रश्नगत विद्यालय/संस्था को भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

5—राजस्व विभाग के उक्त शासनादेश के प्रकाश में शासन स्तर पर विस्तृत परीक्षण एवं विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि संस्थाधिकारी सरकारी भूमि के लिए वर्तमान दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने एवं नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया पर भूमि पट्टे पर लेने को तैयार हो, तो शिक्षा विभाग की प्रश्नगत भूमि उन्हें हस्तान्तरित कर दी जाय और इस संबंध में शासन के पत्र संख्या–1318/15-8-98/3007(79)/97, दिनांक 10-6-98 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद, को पत्र भेजकर यह सूचना मांगी गई कि यदि संस्था उक्त शर्त के अनुसार भूमि पट्टे पर लेने को तैयार हो तो संस्था की सहमति प्राप्त करके शासन को सूचित करें, इसके संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 5-8-98 एवं 16-9-98 द्वारा यह अवगत कराया कि दिनांक 16-7-98 एवं 17-8-98 को लिखित सूचना देने के उपरान्त अभी तक प्रश्नगत विद्यालय के

प्रबन्धक द्वारा भूमि लिये जाने के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संस्था भूमि लेने में कोई रुचि नहीं रखती है। जिलाधिकारी, फैजाबाद ने पत्र दिनांक 6-1-99 के साथ प्रश्नगत संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह अवगत कराया है कि संस्था प्रश्नगत भूमि को निःशुल्क लेना चाहती है।

6–संस्था के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त शासन के पत्र संख्या–34/15-8-99/3007(79) /97. दिनांक 19-3-99 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद से यह कहा गया है कि यदि प्रश्नगत संस्था शासन की शर्तों पर भूमि लिये जाने पर असमर्थता व्यक्त करती है तो प्रश्नगत स्वीकृति को निरस्त किये जाने तथा उसके स्थान पर दूसरे विद्यालय की स्थापना हेतु जिला समिति की संस्तुति उपलब्ध कराये।

7–प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में तथा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड के दूसरी न्याय पंचायत में एक अतिरिक्त कन्या विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1930/15-8-98/3070/98, दिनांक 28-12-1998 द्वारा कार्यकारी सिद्धान्त निर्गत किया गया है जिसमें अब यह व्यवस्था रखी गयी है कि इस योजनान्तर्गत उसी संस्था को स्वीकृति दी जायेगी जिसके पास अपनी निजी भूमि उपलब्ध हो।।

आयुर्वेद/यूनानी विभाग में विशेष भर्ती अभियान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चिकित्साधिकारियों के बैकलाग को पूर्ण करने हेतु लोक सेवा आयोग उ० प्र० के विज्ञापन को रद्द करने के मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-5-98 के विरुद्ध शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील न किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग उ० प्र० में चिकित्साधिकारी संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या 2721 है जिसमें 2467 पद आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के हैं एवं 254 पद यूनानी चिकित्साधिकारी के हैं। उक्त पदों में से दिनांक 2-1-1996 को उपलब्ध स्थिति के अनुसार तत्समय स्वीकृत पदों की संख्या 2470 थी तथा उसमें 2272 चिकित्साधिकारियों के पद भरे हुए थे। इन 2272 भरे हुए पदों के समक्ष केवल 87 चिकित्साधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति कोटे के कार्यरत बताये गये थे। अतएव उ० प्र० लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति,.अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्राविधानों के अनुसार शासन के पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1996 द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु विशेष चयन के माध्यम से अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। उक्त अधियाचन में 389 पद अनुसूचित जाति तथा 44 पद अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के रूप में भरे जाने हेतु निर्धारित थे। उक्त के पूर्व वर्ष 1983-84 में पर्वतीय उपसंवर्ग के 261 रिक्तियों के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था जिसके समक्ष आयोग के पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के माध्यम से चयन की संस्तुति प्राप्त हुई थी उक्त संस्तुति में कुल 215 अभ्यर्थियों जिसमें 7 अनुसूचित जाति के नाम संस्तुत किये गये थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न उपलब्ध होने के कारण 41 अनुसूचित जाति के पदों एवं 5 अनुसूचित जनजाति के पदों को पुर्नविज्ञापित किये जाने की बात आयोग के उक्त पत्र दिनांक 2-9-1993 में इंगित थी। आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 3/1995-96 के माध्यम से पर्वतीय संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलाग के रूप में रिक्त क्रमशः

42 पद अनुसूचित जाति के लिये एवं 5 पद अनुसूचित जनजाति के लिये विज्ञापित किये गये थे । उक्त के अतिरिक्त आयोग के विज्ञापन सं० 1/96-97 में 433 पद पुनः अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष चयन के रूप में विज्ञापित किये गये । उक्त पदों को आयोग द्वारा विशेष भर्ती अभियान के रूप में विज्ञापित करने के उपरान्त रिट याचिका सं० 30542/96 डा० शशिकान्त राय व अन्य बनाम उ० प्र० शासन व अन्य की रिट याचिका दाखिल कर दी गयी । उक्त रिट याचिका में उ० प्र० शासन के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग एवं निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उ० प्र० को भी प्रतिवादी बनाया गया था । प्रश्नगत याचिका के विरोध हेतु शासन स्तर पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए न्याय विभाग के परामर्श से पत्र सं० यू० ओ०–13140/7-6 दिनांक 3-11-1997 द्वारा प्रतिवाद आदेश जारी कराते हुए उपसचिव चिकित्सा-शिक्षा के श्री प्रदीप कुमार अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्बोधित पत्र दिनांक 13-11-97 के माध्यम से समस्त अभिलेख प्रेषित करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया । शासन द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र के प्रस्तर 6 में यह स्पष्ट रूप से इंगित था कि तत्समय आयुर्वेदिक एवं यूनानी के स्वीकृत 2470 पदों के विरुद्ध भरे हुए 2272 पदों में 1028 चिकित्साधिकारी तदर्थ रूप से कार्यरत थे तथा उन 2272 भरे हुए पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के चिकित्साधिकारियों की संख्या मात्र 87 थी । अतएव विशेष चयन के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों का कोटा पूर्ण करने का प्रयास किया गया तथा वर्ष 1997 में लोक सेवा आयोग से विशेष चयन की संस्तुति प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति के 42 और अनुसूचित जनजाति के 5 चिकित्साधिकारियों को और नियुक्ति प्रदान कर दी गयी । उक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति का निर्धारित आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1996 द्वारा 433 पदों पर चयन हेतु अधियाचन आयोग को प्रेषित किया गया । इससे स्पष्ट है कि शासन स्तर से अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों की रक्षा करने में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी तथा उ० प्र० अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्राविधानों के अनुसार जिस प्रकार उ० प्र० के विभिन्न विभागों में विशेष भर्ती अभियान के तहत अधियाचन आयोग को भेजे जा रहे थे उन्हीं का अनुसरण करते हुए आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग द्वारा भी तत्परता से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित कोटे के बैकलाग को पूर्ण करने हेतु विशेष प्रयास किये गये ।

रिट याचिका सं० 30542/96 के विरोध किये जाने की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ही शासन के पत्र दिनांक 28-3-98 के द्वारा श्री यतीन्द्र सिंह, अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रकरण में प्रभावी पैरवी/बहस कराने के निर्देश न्याय विभाग के माध्यम से जारी कराये गये थे ।उपर्युक्त तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण को मा० उच्च न्यायालय के समक्ष शासन स्तर से शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए पूर्ण रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा याचिका में प्रभावी.पैरवी/बहस करने हेतु भी अपर महाधिवक्ता को नियुक्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं । मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20-5-98 द्वारा विज्ञापन संख्या 3/1995-96 एवं विज्ञापन संख्या 1/1996-97 को उ० प्र० अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 के प्राविधानों के विपरीत करार देते हुए निरस्त करने का निर्णय दिया गया जो कि शासन में जून 1998 में प्राप्त हुआ । शासन स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20-5-98 के संभावित परिणामों एवं शासन के आरक्षण कोटे के बैकलाग को पूर्ण करने के संदर्भ में चल रही प्रक्रिया के महत्व को समझते हुए प्रकरण में त्वरित गति से जून 1998 में कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी । तथा मा० उच्च न्यायालय के निर्णयों के परिपेक्ष्य में अग्रेतर कार्यवाही हेतु न्याय विभाग एवं कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है । न्याय विभाग मे

प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार मा० उच्च न्यायालय के निर्णय में किये सम्प्रेक्षण के अनुरूप विज्ञापन को पुनः विज्ञापित कर भरने की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत बताया गया ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 30542/96 में निर्णय दिनांक 20-5-98 द्वारा विज्ञापन सं० 3/95-96 एवं 1/96-97 को निरस्त घोषित किया गया है । मा० उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग को पूर्ण कराने के लिये लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–3/97-98 को निरस्त नहीं किया गया था जबकि लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 29-11-97 में आयोग द्वारा 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की गयी थी, जिसमें 60 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के एवं 01 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के थे । शासन द्वारा इन 61 अभ्यर्थियों जिनकी संस्तुति पूर्व विज्ञापित संख्या–1/96-97 के ही अवशेष आरक्षित पदों को भरने हेतु आयोग द्वारा पुर्नविज्ञापित कराते हुए विज्ञापन संख्या–3/97-98 के रूप में विज्ञापित किया गया था, के संदर्भ में न्याय विभाग से इस आशय का परामर्श प्राप्त किया गया कि उक्त 61 अभ्यर्थियों को मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-5-98 के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी क्या परिणाम होंगे । इस सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि विज्ञापन संख्या–3/97-98 के माध्यम से आयोग द्वारा विशेष चयन हेतु संस्तुत 61 अभ्यर्थी भी आयोग के पूर्व विज्ञापन संख्या–1/96-97 के ही अवशेष पद थे, जिनके अभ्यर्थी न मिलने के कारण आयोग द्वारा पुनः प्रकाशित कराये गये थे, अतएव, इन पदों पर भी मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय प्रवृत्त होंगे तथा इस विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति प्रदान किया जाना विधि–सम्मत न होगा तथा यह आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा–3 के संगत उपबन्ध एवं मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का उल्लंघन होगा । न्याय विभाग द्वारा इस संदर्भ में पुनः यह परामर्श दिया गया कि मा० उच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण अधिनियम के उपबन्धों एवं इस संबंध में निर्णयों में किये गये सम्प्रेक्षणों के अनुरूप पदों को पुनः विज्ञापित कराया जाना विधि संगत होगा ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका सं० 30542/96 में आदेश दिनांक 20-5-98 के विरुद्ध श्री सतीश कुमार एवं अन्य द्वारा उ० प्र० सरकार एवं अन्य के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० सं० 14567/98 दायर की गयी । श्री सतीश कुमार एवं अन्य उन 121 चयनित अभ्यर्थियों में से थे जिनके नाम लोक सेवा आयोग के चयन के फलस्वरूप नियुक्ति हेतु शासन को संस्तुत किया गया था । श्री सतीश कुमार एवं अन्य द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय से पक्षकार बनने का अनुरोध किया गया जिसे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर भी लिया गया । दिनांक 11-9-98 को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा याचीगणों एवं विपक्षीगणों के कथनों को सुनने के पश्चात एस०एल०पी० को खारिज कर दिया गया । यह उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय ने याचीगणों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया तथा गुण-दोष के आधार पर याचिका को निरस्त किया । प्रश्नगत विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार के रूप में याचीगण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वे अभ्यर्थी थे जिनके नामों की संस्तुति आयोग द्वारा की गयी थी, परन्तु मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-5-98 द्वारा वे प्रभावित हो रहे थे, तथा इन याचीगणों द्वारा विशेष अनुमति याचिका में अपना पक्ष पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया तथा वही बिन्दु उठाये जो उनके पक्ष में शासन अथवा अन्य किसी भी प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा उठाये जाते ।

मा० सदस्य ने नियम 51 की सूचना में चयनित अभ्यर्थियों के कथन का उल्लेख करते हुए जो दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं तथा जिससे यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन निकाले गये तथा चयन प्रक्रिया की गयी और इस तथ्य को शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया वे दृष्टान्त समीचीन नहीं है । मा० सदस्य द्वारा यह इंगित किया गया कि शासनादेश दिनांक 26-2-92 के द्वारा 591 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों का तदर्थ चयन किया गया

जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 6 थी । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि इन 591 चिकित्साधिकारियों का कोई नया चयन नहीं हुआ था, अपितु पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत अंशकालिक चिकित्साधिकारियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी थी । अतः जो चिकित्सक अंशकालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की शर्तें पूरी करते थे उन्हें तदर्थ नियुक्ति प्रदान किया जाना विभाग की बाध्यता थी । मा० सदस्य द्वारा आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1994 द्वारा 261 पर्वतीय संवर्ग के पदों के समक्ष आयोग द्वारा संस्तुति 215 चिकित्साधिकारियों का जो दृष्टान्त दिया गया है । वस्तुतः वह अधियाचन शासन द्वारा वर्ष 1983-84 में आयोग को प्रेषित किया गया था तथा आयोग द्वारा विज्ञापन सं० 5/84-85 के रूप में उसे विज्ञापित किया गया था । इससे स्पष्ट है कि आयोग द्वारा संस्तुति 215 अभ्यर्थी वर्ष 1988 के बाद के विज्ञापन के नहीं थे वरन् वर्ष 84-85 में आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के समक्ष संस्तुत अभ्यर्थी थे । मा० सदस्य द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 96 एवं 9 जून, 97 के जिन पत्रों का हवाला दिया गया है वस्तुतः वे बैकलाग से सम्बन्धित थे तथा उनका विज्ञापन वर्ष 1996 के बाद में प्रकाशित हुआ था, जिन्हें मा० उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों का संवर्धन करने के उद्देश्य से ही विशेष चयन का प्रस्ताव आयोग में भेजा गया । उन विशेष चयन के अभ्यर्थियों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की समुचित प्रतिवाद किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-5-98 द्वारा विशेष चयन की कार्यवाही निरस्त करने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंचाई गयी । अतएव मा० सदस्य का यह आरोप तथ्यात्मक एवं समीचीन नहीं है कि प्रदेश सरकार के कार्यकलापों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों पर कुठाराघात हुआ है ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिर्री तथा भादिन विकास खण्ड असोहा के मध्य स्थित झील के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि में जल भराव रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक द्वारा इंगित ग्राम मिर्री तथा ग्राम भादिन विकास खण्ड असोहा, जनपद–उन्नाव के मध्य दतनाई नामक झील हैं जिसमें पानी निकलने की कोई व्यवस्था न होने के कारण, उक्त क्षेत्र के लगभग 20 ग्राम जलमग्न हो जाते हैं तथा उस क्षेत्र की लगभग 1500 एकड़ भूमि में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें नहीं हो पाती हैं । उक्त क्षेत्र की जमीन खाली पड़ी रहती है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के खेती से जुड़े हुए लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । साथ ही उक्त क्षेत्र में जल भराव रहने के कारण समय-समय पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं ।

2—ग्राम मिर्री तथा ग्राम भादिन विकास खण्ड असोहा जनपद–उन्नाव के मध्य दतनई ताल झील है । इस झील का पानी पुरइनताल ड्रेन के माध्यम से सरवन ताल ड्रेन से होते हुए सई नदी को जाता है । चूंकि सरवन ताल ड्रेन अत्यधिक सिल्टेड है, जिसके कारण दतनई ताल झील के पानी की निकासी जितनी शीघ्रता से होना चाहिए उतना संभव नहीं हो पाता । इस समस्या के निदान हेतु सरवन ताल ड्रेन

नोट :–| | यह अश पढ़ा हुआ माना गया ।

का सुधार कार्य उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही साथ पुरइन ड्रेन के सुधार का प्रस्ताव बनाकर उ० प्र० भूमि सुधार निगम को भेजा जा रहा है । जैसे ही उत्तर प्रदेश सुधार निगम द्वारा इन कार्यों का सम्पादन कर दिया जाता है, वैसे ही इस क्षेत्र में होने वाले जलभराव की समस्या का निदान काफी हद तक हो जायेगा । ।

मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में से किसी भी जिले में विश्वविद्यालय स्थापित न होने विषयक दिनांक 16 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के सम्बन्ध में विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–28 व मद संख्या–29 को स्थगित किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि मद संख्या–28 व मद संख्या–29 को स्थगित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 08 बजकर 07 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
23 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 99 के पांचवे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–57 का संलग्नक

वर्ष 98-99 में पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की सूची ।

1–बिरनी

2–भटौली धरम

3–हास बरौती

4–बरौली

5–भीखपुर

6–रोशनपुर

7–बूटामऊ

8–सोम

9–बहेरिया

10–बालामऊ

11–छनोइया

12–हिरौली कुतुबनगर

13–उतरा

14–पेंग

15–कमरौली

16–लच्छीपुर

17–मुडरामऊ

18–बरहा

19–त्योना

20–सहगांव

21–दाउदपुर

22–नबतिया

23–टिरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

24–परसागंज

25–बिलसरहिलन

26–जलालपुर

27–बहोरवा

28–निकारी

29–ललौली

30–मेडना महेशपुर

31–शाहगांव (सगवा)

32–खांसरौल

33–मदरावां

34–अटवा अली मर्दान

35–मंझगांव

36–अलीनगर

37–भरखारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राम औतार शाक्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–183 की सूची

क्रम सं०	बन्द विद्यालय का नाम	वि० ख० का नाम
1	2	3
1	प्रा० वि० उदयपुरा	मैनपुरी
2	प्रा० वि० ककरारा	,,
3	प्रा० वि० रामनगर	,,
4	प्रा० वि० कमलपुर	,,
5	प्रा० वि० नीलकंठपुर	घिरौर
6	प्रा० वि० नाहिल कठैगरा	,,
7	प्रा० वि० उसनीधा	,,
8	प्रा० वि० न० मनो	,,
9	प्रा० वि० न० भारा	,,
10	प्रा० वि० नायकूड़	,,
11	प्रा० वि० शहीदाबाद	,,
12	प्रा० वि० न० वौना	,,
13	प्रा० वि० दन्नाहार	,,
14	प्रा० वि० बिल्थरा	,,
15	प्रा० वि० कन्हई	,,
16	प्रा० वि० न० मिन्नै	,,
17	प्रा० वि० न० फैरतो	,,
18	प्रा० वि० लोहवलखेड़ा	,,
19	प्रा० वि० अहमदपुर	,,
20	प्रा० वि० न० दुर्जन	,,
21	प्रा० वि० न० हरी सिंह	,,
22	प्रा० वि० न० अन्ती	,,
23	प्रा० वि० न० गजेन्द्र	,,
24	प्रा० वि० न० घना (विवादित)	,,
25	प्रा० वि० बड़ाहार	,,
26	प्रा० वि० न० आशा	,,
27	प्रा० वि० न० कंचन	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
28	प्रा० वि० गड़ेरियान	सुल्तानगंज
29	प्रा० वि० धारापुर	,,
30	प्रा० वि० मेहरमई	,,
31	प्रा० वि० हुसैनपुर	बेवर
32	प्रा० वि० सरायमदद	,,
33	प्रा० वि० रमनगरिया	,,
34	प्रा० वि० अरसुनिया	,,
35	प्रा० वि० न० कज	,,
36	प्रा० वि० पूर्ब्बपुर	करहल
37	प्रा० वि० पशुपुर	,,
38	प्रा० वि० अल्लापुर	,,
39	प्रा० वि० मुहब्बतपुर	,,
40	प्रा० वि० रेरूआ	,,
41	प्रा० वि० नदरैला	,,
42	प्रा० वि० न० तरा	,,
43	प्रा० वि० न० बरी	,,
44	प्रा० वि० दोस्तपुर	,,
45	प्रा० वि० क० सहन	,,
46	प्रा० वि० टोकराहार	,,
47	प्रा० वि० उदनाडाडा	,,
48	प्रा० वि० पनारा	,,
49	प्रा० वि० सिकन्दरपुर	,,
50	प्रा० वि० भानो	,,
51	प्रा० वि० शंकरपुर	,,
52	प्रा० वि० जगन्नाथपुर	बरनाहल
53	प्रा० वि० ढकपुरा	,,
54	प्रा० वि० मासरपुर	,,
55	प्रा० वि० बोनेपुर (नवीन)	,,
56	प्रा० वि० प्रहलादपुर	,,
57	प्रा० वि० कन्या बनिगंवा	,,
58	प्रा० वि० गढ़िया आलमगीर	,,
59	प्रा० वि० निरकारा दौलतपुर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
60	प्रा० वि० न० अनिरुक	बरनाहल
61	प्रा० वि० महालरपुर	,,
62	प्रा० वि० हादोपुरसेमरी	,,
63	प्रा० वि० टकईया	,,
64	प्रा० वि० न० रघ	,,
65	प्रा० वि० न० अनिया (नवीन)	,,
66	प्रा० वि० अहमदपुर न० बुधुआ	,,
67	प्रा० वि० ककरा (नवीन)	,,
68	प्रा० वि० जैनपुर (नवीन)	,,
69	प्रा० वि० वराहया	,,
70	प्रा० वि० एमाहसन नगर	,,
71	प्रा० वि० कमलपुर	किशनी

विधान सभा प्रतेश पत्र

पी०एस०यू०पी०–एल० 218 विधान सभा (645)–21-12-99-813 (डी०टी०पी०) ।